"ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरण सम्बन्धी चेतना: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"

(उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद के चार ग्रामों पर आधारित)

शोध-प्रबन्ध

वर्ष 2001

समाज शास्त्र में पी-एच0डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

निर्देशक-
डॉ0 जे0 पी0 नाग
रीडर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग

गवेषिका-
सरिता दुबे
पी-एच0 डी0 समाजशास्त्र
Sarita Dubey

समाजशास्त्र विभाग
समाज विज्ञान संकाय
पं0 जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, बाँदा, (उ.प्र.)

डा0 जे0 पी0 नाग
रीडर, अध्यक्ष
समाज शास्त्र, विभाग
जे0 एन0 पी0 जी0 कालेज, बाँदा

187, सिविल लाइन्स
बाँदा (उ0 प्र0)
फोन– 86539 निवास

प्रमाण–पत्र

सरिता दुबे ने प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध '' ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरण सम्बन्धी चेतनाः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' (उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद के चार ग्रामों पर आधारित) मेरे निर्देशन में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के पत्रांक बु0 ख0 वि0/शोध/97/10560–62 दिनांक 26.12.97 के द्वारा समाजशास्त्र विषय में शोध कार्य के लिए यह पंजीकृत हुई थी। इन्होने मेरे निर्देशन में आर्डीनेन्स द्वारा वांछित अवधि तक कार्य किया तथा इस अवधि तक शोध केन्द्र में उपस्थित रही है। इन्होंने इस शोध के सभी चरणों को अत्यन्त संतोष जनक रूप में परिश्रम पूर्वक सम्पन्न किया है। मैं इस शोध प्रबन्ध को प्रस्तुत करने की संस्तुति करता हूँ।

22/3/2001
डा0 जे0 पी0 नाग

घोषणा–पत्र

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध, ''ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरण सम्बन्धी चेतनाः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' (उत्तर–प्रदेश के बाँदा जनपद के चार ग्रामों पर आधारित), मेरी मौलिक कृति है। इसे मैने प्राथमिक एवं द्वितीयक श्रोतो के माध्यम से परिपूर्ण किया है। द्वितीयक श्रोतो के रूप में सन्दर्भित ग्रन्थों एवं पत्र पत्रिकाओं का यथा स्थान पर प्रयोग किया है, जिसे सन्दर्भ सूची में उद्धृत किया गया है। यह शोध–प्रबन्ध किसी अन्य के शोध–प्रबन्ध का अनुकरण न होकर पूर्णतया मौलिक है। प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध अन्य व्यक्ति द्वारा इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य विश्वविद्यालय में प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध अन्य व्यक्ति द्वारा इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य विश्वविद्यालय में प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध का अंश नही है।

सरिता दुबे

Sarita Dubey

आभार

प्रस्तुत शोध कार्य को पूरा करने में अनेक महानुभावों ने अपना बहुमूल्य समय एवं सहयोग प्रदान किया है, उनके प्रति आभार प्रकट करना मेरा पुनीत कर्तव्य है।

आदरणीय गुरु डा0 जे0 पी0 नाग के निर्देशन में मुझे प्रस्तुत शोध कार्य परिपूर्ण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शोध समस्या के चयन से लेकर शोध प्रबन्ध को अन्तिम स्वरुप प्रदान करने तक अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच उदारता पूर्वक उन्होनें जितना समय मेरे लिए निकाला और निरन्तर जो विचार, सुझाव, क्षेत्रीय अध्ययन में भागीदारी और निर्देशन प्रदान किया है, उसके लिए मै सदैव कृतज्ञ रहूँगी।

शोध कार्य की प्रेरणा पिता श्री सत्यनरायण दुबे, माता श्रीमती केशर दुबे एवं मेरी आध्यापिका प्रोफेसर सुमन निगम से प्राप्त हुई है, जिनकी मेरे ऊपर सदैव अनुकम्पा रही है, उनके प्रति आभार व्यक्त करना मेरा पुनीत कर्तव्य है। शोध कार्य में आर्थिक, नैतिक एवं भावनात्मक सहयोग मेरे पति श्री कैलाशचन्द्र पाण्डेय जिन्होनें शोध कार्य के सभी चरणो में मेरा सहयोग किया है के प्रति आभार व्यक्त करना मेरा नैतिक दायित्व एवं कर्तव्य है।

शोध से सम्बन्धित प्राथमिक एवं दैतीयक तथ्यों के संकलन मे बाँदा जपनद के एवं महुआ ब्लाक के विभिन्न सरकारी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहयोग प्रदान किया है, उनकी मैं आभारी हूँ। मेरे मामा श्री हेमन्त कुमार द्विवेदी ने चारों ग्राम से सम्बन्धित सरकारी आँकडे प्रदान करने में पूरा सहयोग दिया, उनके इस कार्य के लिए मै सदैव कृतज्ञ रहूँगी। श्री राजेश द्विवेदी (सिविल डाफ्टमैन इंजीनियर) के प्रति मै कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि उन्होनें मेरे शोध कार्य हेतु बाँदा जनपद के आधार पर महुआ ब्लाक के चार ग्रामों के नक्शे बनाकर प्रदान किये।

मैं अपनी छोटी बहन प्रतिभा दुबे की ह्दय से आभारी हूँ कि उन्होनें शोध कार्य में मेरी बडी सहायता की और हर कदम पर प्रोत्साहन दिया। वह व्यक्तित्व जो मेरा अनुज भ्राता है जिसके सहयोग से यह कार्य सम्पन्न हुआ जिसके सेवा का कोई प्रतिदान सम्भव नहीं है, ऐसे अनुज श्री हरिनारायण दुबे का ह्दय से आभार व्यक्त करती हूँ।

मैं उन सभी सहयोगियों जिन्होनें मेरे शोध कार्य हेतु पुस्तकें उपलब्ध करायी, उनमें राहुल मिश्रा (पुस्तकालय) बाँदा, अग्रसेन महाविद्यालय मऊरानीपुर, झाँसी, पं0 जवाहर लाल नेहरु महाविद्यालय बाँदा, बबिता जैन (महिला संस्थान, मऊरानीपुर), नीरज साहू, पंदमपाणि अवस्थी आदि के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ।

श्री आशीष गुप्ता जिन्होनें शोध प्रबन्ध को कम्प्यूटर से यथाशीघ्र व शुद्ध टंकण के लिए स्टेशन रोड़, बाँदा का आभार व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है।

सरिता दुबे

Sarita Dubey

अध्याय क्रम

प्रथम—अध्याय

प्रस्तावना

पर्यावरण अब विश्व में सर्वाधिक चर्चा का विषय बन गया हैं। मानव ने अपनी ईच्छा को पूरा करने के लिए प्राकृतिक सन्तुलन को नष्ट कर दिया हैं। जिसके परिणाम स्वरूप नवीन समस्यायें सामने आ गयी हैं। प्रदूषण या प्राकृतिक असन्तुलन का जैसे–जैसे फैलाव हो रहा हैं। वैसे ही सेमीनारो, संगोष्ठियो, तथा अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा विश्व जनमत को जागरुक बनाने का प्रयास भी तेज होते जा रहे हैं। सामाजिक पर्यावरण जो समाज वैज्ञानिकों का प्रारम्भ से ही मूल विषय रहा है, जीव विज्ञानियों की धरोहर बन गया। समाजविदों एवं भूगोलविदों ने पुर्नरावलोकन के पश्चात् 1970 के बाद पर्यावरण की ओर फिर से पलट कर देखना प्रारम्भ कर दिया। समाज में पर्यावरण के अध्ययन को महत्व इसीलिए भी दिया जाता रहा है, क्योंकि पर्यावरण ही वह स्थिति है, जो समाज और व्यक्ति को एक विशेष स्वरुप प्रदान करती है, जो महिलाओं के भी व्यवहारों, संस्कृति, सभ्यता, अचार–विचार, खान–पान, रीति–रिवाज, कला आदि को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करती हैं।

देवेश (1998) ने व्यक्त किया कि 1972 में आयोजित शिखर सम्मेलन में सयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण कार्यक्रम बना था। यह कार्यक्रम बाद में यूनेप (United Nations Environmental Programme) के नाम से जाना गया। स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन में सर्वप्रथम यह विचार रखा गया कि विश्व के सभी देश 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रुप में मनाएंगे। 1972 में पर्यावरण के प्रति चिन्ताये बढ़ना शुरु हुई, और यह इसी का परिणाम था कि 1987 में जब नार्वेजियन प्रधानमंत्री ग्रो हर्लम बुडटलैंड की अध्यक्षता में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त

राष्ट्र अयोग की रिर्पोट प्रस्तुत हुई, तो संयुक्त सभा ने 22 दिसम्बर, 1989 को प्रस्ताव पारित करके इन मुद्दों पर विचार करने हेतु पूरी दुनिया के देशो को बुलाया। ब्राजील के शहर 'रियो डि जेनेरियो' में आयोजित पर्यावरण और विकास पर सयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया, का आयोजन जून 1992 में इसी का यर्थाथ स्वरुप था।

पर्यावरण की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए दिनेशमणि (1995) ने व्यक्त किया कि पर्यावरण एक व्यापक शब्द है, इसका विस्तार असीम और अन्नत है। सीधे शब्दो में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण तो वह है जिसके बिना किसी भी जीव या वनस्पति का कोई अस्तित्व नहीं है।

फ्रेन्च भाषा से उदभ्त Environer से बना Environment शब्द जिसका अभिप्राय समस्त पारिस्थितिकीय अथवा परिवृत्ति से होता हैं। इसके अन्तर्गत सभी स्थितियाँ, परिस्थितियों, दशायें तथा प्रभाव जो कि जैव तथा जैविकीय समूह पर प्रभाव डाल रहा है, सम्मिलित हैं। इसी प्रकार शब्दकोष में पर्यावरण का अर्थ होता है, आस–पास या पास–पड़ोस (Surrounding), मानव, जन्तुओं या पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाली वाह्य दशायें, कार्यप्रणाली (Working) तथा जीवन–यापन की दशायें आदि।

पर्यावरणीय समस्यायें आज हम सभी के लिए चिन्ता का विषय है। क्योंकि यह किसी स्थान विशेष या देश–विदेश की समस्या न होकर पूरे विश्व की समस्या है, यह हमारी चिन्ता का एक मुख्य विषय है। भौगोलिक दृष्टि से पर्यावरण के अध्ययन में मोटे तौर पर स्थल मण्डल, जल मण्डल, वायुमण्डल तथा जैव मण्डल का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, तथा मानव का पर्यावरण पर प्रभाव आदि का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है। किन्तु जब हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से पर्यावरण का अध्ययन करते है तो पर्यावरण के घटक, (स्थल मण्डल, जलमण्डल, वायु मण्डल तथा जैव मण्डल) पर्यावरण के

प्रकारों, पर्यावरण असन्तुलन, पर्यावरणीय समस्यायें, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय, पर्यावरण तथा समाज पर्यावरण तथा जनसंख्या, पर्यावरण का मानव पर प्रभाव तथा मानव का पर्यावरण पर प्रभाव आदि का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

विश्व पर्यावरण

इस समय सम्पूर्ण विश्व पर्यावरणीय प्रदूषण समस्याओं के जाल में घिरा है। पृथ्वी का पर्यावरण स्वयं में एक सम्पूर्ण निकाय है जिसमें न कुछ बाहर से आकर जुड़ता है और न कोई पदार्थ बाहर छूट कर जाता है। भूमि के विभिन्न अवयवों जैसे वन, दलदल, जलस्त्रोत आदि के बीच एक जटिल अंत संबध होता है, जो पर्यावरण में संतुलन को कायम रखते है। राष्टसंघ पर्यावरण कार्यक्रम् के अंतर्गत 1980 में चेतावनी दी गयी थी कि जलवायु पर कार्बन डाई–आक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने से अपरिवर्तनीय जलवायु परिवर्तित होने लगेगी, जिसका पता देर से चलेगा। इक्कीसवीं शताब्दी का यह विश्व व्यापी उष्णीकरण सबसे बड़ा खतरा है। यदि पृथ्वी का उष्णीकरण 2^0–6^0 बढ़ जाता है, जैसा वायुमण्डल में कार्बन–डाइआक्साड की मात्रा दुगुनी हो जाने की दशा में सम्भव है तो समुद्र जल का स्तर 20–140 सेन्टींमीटर ऊंचा हो जायेगा और कितनी ही भूमि जलमग्न हो जायेगी वर्षा ऋतु और मौसम में अनेक परिवर्तन हो जाएँगे। गोपीनाथ श्रीवास्तव (1996) ने कहा कि शुद्ध पर्यावरण के लिए वायु में 78 प्रतिशत नाइट्रोजन, 0.3 प्रतिशत कार्बन डाइआक्साइड, 21 प्रतिशत आक्सीजन होना चाहिए। साथ ही बहुत थोड़ी मात्रा में ओजोन, हाइड्रोजन, सल्फर–डाइआक्साइड, आर्गन होना चाहिए। औसतन प्रतिदिन मनुष्य 12–25 घन मीटर अथवा 13 किलो वायु का उपयोग करता है। यदि यह वायु प्रदूषित हो और कार्बन–मोनो आक्साइड, कार्बन डाइआक्साइड, सल्फर–डाईआक्साइड, सीसा, नाइट्रस आक्साइड से परिपूर्ण हो तो मनुष्य के स्वास्थ के लिए घातक होगा।

वर्तमान में पर्यावरण विषय सिर्फ स्थानीय न होकर सम्पूर्ण भूमण्डल पर चर्चा का

विषय बना हुआ है। पर्यावरण की शुरूआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जीन, जैक, रूसो, के प्रकृतिवादी दर्शन के प्रर्वतन के साथ माना जा सकता है। सन 1899 में पेट्रिक गेडिस इडिनवर्ग इंग्लैण्ड में 'द आउट लुक टाबर' नामक संस्था की स्थापना की। संस्था का उद्देश्य पर्यावरण और शिक्षा में गुणवत्ता पैदा करना था। सन् 1965 सर्वप्रथम अमेरिका के कीले (Keele) विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरण को शिक्षा के पाठ्यक्रम के अनिवार्य अंग के रुप में करने का निर्णय लिया गया। सन् 1972 में सयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) द्वारा 'मानव और पर्यावरण' नामक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के साथ पर्यावरण विषय ने अन्तर्राष्ट्रीय स्वरुप गृहण किया। इस सम्मेलन में यूनाटेड नेशन्स एनवायरनमेन्ट प्रोग्राम (UNEP) की स्थापना हुई। यूनेप या यूनेस्को के संयुक्त प्रयास से 1975 में इन्टरनेशनल एनवायरनमेन्टल एजूकेशन प्रोग्राम (IEEP) की स्थापना हुई। आई0ई0ई0पी0 (IEEP) तत्वाधान में बेलग्रेड में एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला (1975) का आयोजन किया गया। बेलग्रेड चार्टर में पर्यावरण जागरुकता ज्ञान अभिवृत्ति (पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन करना) कौशल, मूल्यांकन, सहभागिता आदि उद्देश्यों को निर्धारित किया गया। क्षेत्रीय मीटिंग बैकांक (1976) में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, व्यक्तिगत प्रशिक्षण, अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था, पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण साम्रगी तैयार करना। जार्जिया के तिबिल्सी नगर में पर्यावरण शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय तिबिल्सी सम्मेलन (1977) का आयोजन किया। पर्यावरण विषय को प्रभावी बनाने के लिए बैकांक क्षेत्रीय मीटिंग (1980) का आयोजन किया गया। 5 जून 1990 में आस्ट्रेलिया में 'पृथ्वी सन्धि' का प्रस्ताव किया गया। इस अवसर पर 1990 से 2000 के दशक को 'अर्थ रिपेयर दशक' के रुप में बनाने का निश्चय किया। इस सन्धि के प्रस्तावों का दुनिया के सभी देशों ने अनुमोदन किया। पर्यावरण की रक्षा हेतु 'रियो डी जेनरो' (ब्राजील) में एक विराट सम्मेलन 'पृथ्वी शिखर सम्मेलन' (1992) का आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया। विश्व में हजारो संगठन तथा संस्थाए आज पर्यावरण कार्यो से जुड़ी है।

ये संस्थाए न केवल व्यवहारिक रुप से सक्रिय है, वरन् इनमें से कुछ अनुसंधान शिक्षा और प्रतिशक्षण कार्य भी करती है। इनमें से 6 अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं ने न केवल शोध कार्य किया वरन पर्यावरण सन्तुलन के लिए सक्रिय योगदान भी दिया है। इनमें से प्रमुख है।

1. फ्रेण्ड्स आफ द अर्थ (Friend of the Earth)

2. ग्रीन पीस (Green Peace)

3. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम (U.N. Environment Programme)

4. विश्व संरक्षण मॉनीटरिंग क्रेन्द्र (The World Conservation Monitoring Center)

5. विश्व संरक्षण यूनियन (World Conservation Union)

6. विश्व वन्य जीवन फण्ड (World Wild Life Fund)

भारतीय पर्यावरण

भारत एक विशाल देश है भारत का विस्तार अद्धोष्ण जलवायु प्रदेश में है कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है यह हिन्द महासागरों के मध्यवर्ती भाग के शीर्ष पर स्थिति है। इसका धरातल सभी भागो में बांटा जा सकता है जो अपनी भौतिक एवं भूगर्भिक विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न है। नन्द किशोर गुप्ता (1998—1999) के अनुसार हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 3287263 वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत आता है, इसकी भू—सीमा 15. 200 किलोमीटर तथा तटीय सीमा 6.100 किलोमीटर है। सन् 1991 की जनगणनानुसार भारत की जनसंख्या 84.4 करोड़ है। गोपीनाथ श्रीवास्तव (1996) के अनुसार इतनी बढ़ती हुई आबादी के लिए मूल—भूत आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था करना सरल नही है, जहा तक भारत का प्रश्न है, उसके पास विश्व की कुल भूमि का केवल 2.4 प्रतिशत है। जबकि उसकी आबादी विश्व की आबादी के 15 प्रतिशत से भी अधिक है। इस प्रकार भारत में प्रति व्यक्ति .48 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है। भारत में आबादी अधिकतर जल—सिचिंत मैदानों में केन्द्रित है। क्योंकि भारत

मुख्यतः वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर है प्रति व्यक्ति भूमि का अनुपात इस देश में जहाँ तक कृषित भूमि का सम्बन्ध है। .20 हेक्टेयर है। जो एक कृषि प्रधान देश के लिए बहुत कम है। वर्तमान समय 1 अरब आबादी के लिए 22.5–24.5 करोड़ टन तक खाद्यान उत्पादन बढ़ाना होगा।

इस देश में वन 750 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले है। राष्ट्रीय वन–नीति का लक्ष्य है। कि कम से कम 11 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगे होने चाहिए। जिससे पर्यावरण की स्थिरता और पारिस्थिकीय सन्तुलन बना रह सके। हमारे देश में स्थिति पर काबू पाने के लिए और उपज ज्यादा बढ़ाने के उद्‌देश्य से रासायनिक उर्वरकों और 1 लाख टन कीटनाशी दवाइयां खेतों में इस्तेमाल की जाती है। ये कीटनाशी और कीटमार तथा डी.डी.टी. औषधिया, फसल पर या खेतो में पानी छिड़काव के समय पानी में घुलकर अन्ततः पोखरो, नदियो; और भूमिगत जलाशयो, में पहुच जाती है। कृषि सचिव डा0 गिल के अनुसार 31 दिसम्बर 1992 तक भारत सरकार ने बारह कीटनाशी औषधियों का प्रयोग निषिद्ध कर दिया था और तेरह कीट मार दवाइयों के प्रयोग पर रोक लगा दी जिसमें से डी.डी.टी. का प्रयोग भी शामिल है। इन दवाइयों सहित सिंचित खेती से प्राप्त खाद्यान्नों द्वारा हमारे शरीर में बिषैली दवाइयाँ प्रवेश कर जाती है। और स्तनपान तथा शिशु–खाद्य पदार्थो के जरिए शिशुओं के पेट में पहुँच जाती है और हम सब को साध्य आसाध्य रोगो से ग्रसित कर देती है। इस प्रकार मिट्‌टी, पानी, पेड़–पौधे, जीव–जन्तु के प्राकृतिक ताल–मेल अथवा सामंजस्य को हम अपनी नादानी से असंतुलित कर देते है और परिस्थिति की अस्त व्यस्त कर देते हैं। पर्यावरण सन्तुलित रखने के लिए भारत में कई संगठन तथा संस्थाए कार्य कर रही है इनमें प्रमुख इस प्रकार से है।

1. बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बम्बई
2. गोबिन्द बल्लभ पन्त हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा

3. भारत सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली

4. भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, देहरादून

5. पर्यावरणीय शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद

6. परिस्थितिकीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बंगलौर

निर्धनता एवं पर्यावरण

निर्धनता एवं क्षति–ग्रस्त पर्यावरण–वर्तमान युग की समस्याएँ हैं। राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी अंशतः समस्त विश्व के शोषण के पर्यावरण से निकली हुई है। प्रियरंजन त्रिवेदी (1995) ने कहा कि भारत में 37.4 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे है इसका मतलब है। करीब–करीब 32 करोड़ लोग अन्य 30 प्रतिशत या 25 करोड़ लोग गरीबी की जिन्दगी में रहते है। तथा अनका जीवन अस्थिर ही रहता है। पहले यह समझने की जरूरत है कि गरीबी एक राजनीतिक बीमारी नहीं है और गरीबी का हल राजनीतिक नारे बाजी से नही होता और न ही राजनीतिक उपाय से। यह एक आर्थिक समस्या है और इसका हल आर्थिक उपायों से ही हो सकता है। जिलकार हैरिस (1995) 'साउथ–साउथ सोलिडैरिटी' में 'बांग्लादेश सेन्टर फार एडवांस स्टडीज' ने 'डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स' और अन्य दक्षिणी गैर–सरकारी संगठनों के साथ मिलकर 'ग्लोबल फोरम आन एण्ड एनवायरमेंट' (गरीबी एवं पर्यावरण विश्व मंच) का अयोजन किया। इसमें दुनिया भर के पर्यावरण विदों ने भाग लिया, और विश्वव्यापी गरीबी हटाने की नितांत आवश्यकता तथा गरीबी पर एक सन्धि बनाने के एक विश्वव्यापी अभियान में गैर सरकारी संगठनों को जोड़ने पर बहस हुई।

आर्थिक असमानताओं पर चिंता व्यक्त करते हुए– 'संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (UNDP) 1998 की मानव निर्धनता सूचकांक (Human Poverty Index) के आधार पर 'मानव विकास रिर्पोट' (Human Development Report) में भारत में 36 प्रतिशत लोगों को निर्धन बताया गया

है। (प्रतियोगिता दर्पण/नवम्बर/1998/577) 13 नवम्बर 1992 को यूनाइटेड नेशंस कान्फ्रेंस फार इन्वायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट (UNCED) के अनुवर्तन हेतु बनाई गई गैर–सरकारी संगठन कार्यवाही समिति के बयान में कहा गया है। कि भारत में, आमतौर पर दक्षिणी देशों में, गरीबी, पर्यावरण एवं विकास के गम्भीर मुद्दों पर जन चेतना जगाने और उन्हें सुलझाने के लिए सक्रिय कार्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधो पर आती है।

भारत में अनेक गैर सरकारी संगठन पर्यावरण के क्षेत्रों में कार्यरत है, जो कि सन् 1991 डब्लू–डब्लू एफ (वर्ल्ड वाइड फार नेचर) की निर्देशिका के अनुसार अनुमानतः 1469 पर्यावरण गैर–सरकारी संगठन है इन गैर सरकारी संगठन लगभग 1287 जिला स्तर पर 64 प्रादेशिक स्तर पर तथा 118 राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है।

जिलकार–हैरिस (1995) ने कहा कि 'अर्थ सम्मिट' या पृथ्वी सम्मेलन दरअसल पर्यावरण पर किया गया आज तक का विशालतम सम्मेलन था। यू0एन0सी0ई0डी0 (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन) की सरकारी बैठक में 175 देशों की सरकारों ने भाग लिया था, जिनमें 118 देश तीसरी दुनिया के थे। इसी बैठक के सापेक्ष जो वैकल्पिक बैठक हुई थी, उसे 'ग्लोबल फोरम' के नाम से जाना जाता है। उसमें लगभग 30,000 नागरिकों और करीब 1400 स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया था। यही नहीं, लगभग 7000 पत्रकारों ने पृथ्वी सम्मेलन की हर गतिविधि को दुनिया के कोने–कोने तक पहुंचाया।

सेंटर फार साइंस एण्ड एनवायरमेंट (विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र), नई–दिल्ली ने अप्रैल 1993 में विश्व पर्यावरण प्रबन्धन पर दूसरे दक्षिण–एशियाई गैर–सरकारी संगठन सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में पाँच दल थे, जिनमें से प्रत्येक निम्नलिखित मुद्दों पर बहस कर रहा था, जलवायु–परिवर्तन संधि, ओजोन परत पर मॉन्ट्रियाल प्रोटोकोल, जैव–विविधता संधि, वानिकी सिद्धान्त, विश्व पर्यावरण सुविधा (जी0ई0एफ0) स्थायी विकास हेतु संधि,

रेगिस्तानीकरण संन्धि, व्यापार एवं पर्यावरण, और विश्व शासन।

ग्रामीण पर्यावरण-बदलता परिदृश्य

प्रकृति के सुरम्य गोद में बसे गाँव पहले प्रायः प्रदूषित नहीं होते रहे, लेकिन आज गाँवो का पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। पहले गाँव की जीवन पद्धति स्वयं ही गाँव के पर्यावरण को संरक्षित करती थी। पहले मकान पर्यावरण को संरक्षित करते थे, आज वे पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं क्योंकि पहले गाँवो में मकान मिट्टी के बनते थे। गाँव के एक किनारे की मिट्टी निकालकर घर बनाये जाते थे। मिट्टी निकालने से एक तालाब अपने आप बन जाता था। इस गड्ढे में बरसात का पानी कुंए और घर की नालियों का पानी इकट्ठा होता था। तालाब में हमेशा पानी रहता था। केवल गर्मी के मौसम में एक दो महीने छोड़कर ये कभी सूखते नहीं थे जिसके कारण गाँव का जल स्तर हमेशा ऊपर रहता था। कुंओ में कभी पानी कम नहीं होता था। परन्तु आज गाँव का जल स्तर भी नीचे होता जा रहा है। जिससे आने वाले कुछ दिनों में गाँव को भी पेयजल के संकट से जूझना पड़ेगा। वर्तमान में ग्रामीण अंचलो में हैण्डपम्प लग गये हैं जो शुद्ध पानी के चक्कर में गाँव के पर्यावरण को और भी बरवाद कर रहे है। यही कारण है कि शासन ने अनेक स्थानो पर अत्यधिक हैण्डपम्प लगाने पर रोक लगा दी है।

ग्रामीण समाज के बदलते स्वरुप से सामाजिक विकृतियाँ

चन्द्रशेखर प्राण (1998) के अनुसार गाँव अपने आप में एक इकाई है। जिसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जैसे इनका सामान्य रहन–सहन एक जैसा होता है, इनकी सामान्य या भौतिक आवश्यकताएं भी एक जैसी होती है। और सबसे महत्बपूर्ण यह है कि इसमें वसे लोगों के बीच परस्पर सम्बंध होते, समाजिकता होती है। शहर पर ये चीजे आम तौर पर नही पाई जाती। गाँव की मौलिकता तभी समाप्त हो सकती है, जब गाँव शहर बन जाए और शहर बढ़कर गाँव तक फैल जायें। इससे भी बढ़कर एक तीसरी चीज हो रही है जो ज्यादा खतरनाक है वह

यह कि भूगोल तो गाँव का है किन्तु उसमें संस्कृति शहर की आ रही है। गाँव और शहर का जीवन और जीने के तरीके अलग–अलग हैं। शहर की जितनी बुराइयाँ और विकृतियाँ थी, वे सभी सौ–सौ किलोमीटर दूर गाँवो में प्रवेश करती जा रही हैं। परिणाम यह हो रहा है कि गाँव का सादा, सरल और शन्तिपूर्ण जीवन भी विकृत होता जा रहा है।

जलवायु परिर्वतन

वर्तमान जलवायु में जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे है, उनके अनेक परोक्ष तथा प्रत्यक्ष कारण है, इनमें से कुछ प्राकृतिक है और शेष मानव रचित है। मौसम वैज्ञानिक जलवायु के तीन प्रधान कारण मानते है– तापमान, जल तथा पवन। इन तीन कारको के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु निर्धारित होती है इन प्रमुख कारकों के सापेक्ष अन्तर से जलवायु की दशाओं में परिवर्तन आने लगते हैं। पृथ्वी के भू–वैज्ञानिक इतिहास के सूक्ष्म विश्लेषण से यह पता चला है कि धरती पर जलवायु परिवर्तन सदा से होते रहे है। लेकिन जिनसे धरातल पर मानवीय स्थिति से भारी उलटफेर आये ऐसे परिवर्तन भी हजार वर्षो के अन्तर से होते है आजकल मौसम में जो परिवर्तन हो रहे है, उससे अब पूरे संसार के वैज्ञानिको के बीच समय–समय पर मौसम–परिवर्तन की सम्भावना के बारे में चर्चाएं होती रहती है। लेकिन उन्हें भी यह अंदेशा नहीं था, कि मौसम में बदलाव की प्रक्रिया इतनी जल्दी ही शुरू हो जायेगी। यह सुविदित तथ्य है कि तापमान किसी प्रदेश जलवायु को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक होता है, जो कि इसका मूल स्त्रोत सूर्य है। कई भौतिक विदो का मत है कि जलवायु परिवर्तनों का सम्बन्ध सौर ताप और सौर धब्बों से होता है। इन धब्बों के घटनें–बढ़ने से सूर्य के ताप में परिवर्तन होते देखा गया है।

डा.डी.एन तिवारी (1993) ने कहा कि इन प्राकृतिक असन्तुलन के कारण मौसम का तेवर बदल रहा है, कही जेठ को गर्मी में वर्षा की शीतल फुहार, जेठ में झुलसाती घूप के स्थान पर

तेज झंझावात के साथ वर्षा की बौछार और सावन में काले कजरारे मेधो के स्थान पर खुला और आग बरसाता आसमान देखकर हमारे गाँव के किसान ही नही वैज्ञानिक भी आश्चर्य चकित है लेकिन कुछ वर्षो से मौसम की पराम्परागत स्थितियों में परिवर्तन होने लगे है। दिसम्बर–जनवरी (1997–1998) में समाचार पत्रों एवं टी.वी., रेड़ियों में जलवायु के इस बदलते स्वरूप का जो विकराल रूप देखने को मिला है–जैसे कुहरा, ओस, ओला, जलवर्षा, पाला आदि भौगोलिक कारको से इतनी भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई कि हर किसान अपने और अपने परिवार के लिए पर्याप्त अनाज पैदा नही कर सका। कृषि जो मुख्यतः जलवायु आश्रित है, वह हमारे भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए साधारण सी बात नही, क्योकि करोड़ों किसान गर्मी के मौसम में आसमान की ओर टकटकी लगाये रहते है कि कब वर्षा होगी और कृषि कार्य आरम्भ हो जायेगा। ग्रामवासी वर्षा की प्रतीक्षा कितनी आतुरता से करते है। यह बात मई–जून में समाचार पत्रों पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है। 17 दिसम्बर (1997) के 'आज' 'समाचार पत्र' में प्रकाशित हुआ कि हजारों हेक्टेयर खेत जलमग्न हो गये, जिससे बाँदा के किसानों के गेहूं, चना, लाही, अलसी और मसूर की फसलों से लहलहाते खेत, तालाब में बदल गये। बांधा पुरवा, तिन्दवारा, मलहरा निवादा, पडुई, बडोखर बुजुर्ग, महुआ, बड़ोखर खुर्द नगनेधी, कतरावल, पैगम्बर, गिरंवा, जरर, शेखनपुरवा, भुरवां, देवरार, रिसौरा, पनगरा, नौहाई, नंदवारा, गोखिया, हड्डा कबौली, पचोखर, पडमई आदि ग्राम की फसलें जलमग्न हो गयीं। इस गांवों में शोध छात्रा के तीन ग्राम भी सम्मलित है। ठंड से ठिठुरा किसान प्रकृति की इस अनोखी मार से बिलबिला उठा है। पिछले कुछ वर्षो के दौरान हुई मानसूनी वर्षा के दौरान हुई मानसूनी वर्षा के वितरण में आश्चर्य जनक परिवर्तन देखने को मिले है मौसम चक्र के इस अप्रत्याशित परिवर्तन से हमारे किसानों की सर्वाधिक परिशानी होती है। वैसे तो जलवायु में हो रहे बदलाव और मानसून की गतिविधियों को आँकने के लिए भारत सरकार की ओर से मौसम विज्ञानी विशेष–रूप प्रयत्नशील है। क्योंकि

प्रत्येक कृषि उत्पादन की स्थिति बहुत हद तक मानसूनी वर्षा की मात्रा और समयावधि निर्भर करती है।

बाँदा जिले के उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान का प्रभाव मानवीय जीवन पर ही नही बल्कि इसका असर गांवों के कृषि पर्यावरण पर ही पड़ता है। देश में लगभग अब हर वर्ष गर्मी, सर्दी और बाढ़ के पचासों साल के रिकार्ड टूट रहे है। यह निश्चित ही पर्यावरण के डगमगाने का परिणाम है। देवेश (1998) के अनुसार 1870 से 1990 के बीच यदि पूरी दुनिया में बढ़ी हुई गर्मी का रिकॉर्ड देखें, तो यह बढोत्तरी 0.15 डिग्री से 0.45 डिग्री सेल्सियस तक ही थी लेकिन 1990 से 2025 के बीच ये बढोत्तरी 1.0 डिग्री हो जाएगी। 2025 से 2100 तक यह गर्मी 3.0 डिग्री सेल्सियस भी हो जायेगी। इस सबका परिणाम यह होगा कि वर्षा, तुफान, बाढ, आए दिन कहर बरपा करेंगें। देवेश, (1998) ने कहा कि घूप, अम्लीय वर्षा, 'ओजोन' कवच की रिक्तता, भूमंण्डल में बढ़ता हुआ ताप, वायु–मंडलीय परिवर्तन के चिन्ताजनक विषय है। 'पर्यावरण में परिवर्तन' बदलते हुए पर्यावरण के सन्दर्भ में 1988 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। विश्व के 48 देशों के 300 से अधिक वैज्ञानिको एवं नीति निर्धारिकों ने 'टोरंटों' में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। प्रिय रंजन त्रिवेदी ने (1995) पार्यावरण में होने वाले परिवर्तन विशेष कर जलवायु में होने वाले परिवर्तनों पर चिन्ता जताई ।

कृषि वानिकी एवं पर्यावरण–

वृक्ष भूमि एवं नमी दोनों का संरक्षण करते है। और भूमि की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि करते है। किसान खेती में अधिक पैदावार पाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और बहुत अधिक सिंचाई जल का प्रयोग करते है। बहुत बार यह खाद और पानी जमीन को क्षारीय बना देती है इस कारण खेती का पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, परन्तु पर्यावरण न बिगड़े और खेती भी होती रहे इसकी एक विधि डा. ए. एस. गिल (1998) ने बताया कि कृषि वानिकी ही ऐसी उत्पादन

विधि है जो वन और खेती दोनों के गुणों से परिपूर्ण है। वृक्षों की जड़े गहरी जमीन से पोषक तत्व एवं नमी खींचती है जो फसलों को तेज हवा, भीषण गर्मी और ठिठुराने वाली ठंड से रक्षा करते हैं। रासायनिक खादों के अनियंत्रित उपयोग से होन वाले प्रदूषण से मुक्ति दिलानें में सहायक बन सकते है। वृक्षों के पत्ते जमीन पर गिरकर मिट्टी की नमी का संरक्षण एवं उम्दा खाद में वृद्धि करते है। परीक्षणों में देखा गया है कि ऐसा करने पर कम रासायनिक खादों की जरूरत पड़ती है। आज इन गांवों में गवेषिका ने देखा कि जिन किसानों के पास अधिक जमीन नहीं है वे अपने खेतों की मेड़ो पर ही वृक्ष उगा रहे है। किसान खेतो में एवं खेत की मेड़ो पर महुआ, बबूल, नीम, आम, जामुन, पीपल, बरगद, यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाये हुए है, किसानों द्वारा इन वृक्षों का रोपण करना कृषि वानिकी की एक ऐसी कृषि पद्धति है जो न केवल हमारे पर्यावरण को सुधारने की क्षमता रखती है, वरन् इन ग्रामीण जनों के अनेक जरूरतों को भी पूरा करती है। प्रतियोगिता दर्पण फरवरी (1993) में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद से सम्बन्धित विद्या के विभिन्न क्रियाकलापों को देखती है। देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निम्नलिखित वनिकी अनुसंधान संस्थान स्थिति है।

1. वानिकी अनुसंधान संस्थान, देहरादून
2. शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
3. पर्णपाती वन संस्थान, जबलपुर
4. लकड़ी विज्ञान और प्रोद्योगिकी संस्थान, बंगलौर
5. वर्षा और आर्द क्षेत्रीय सदाबहार वन संस्थन जोरहाट
6. वृक्ष प्रजनन और आनुवंशिक संस्थान, कोयम्बटूर

ये संस्थान अपने–अपने क्षेत्रों में अनुसंधान की आवश्यकताओं के अतिरिक्त वानिकी के अपने विशिष्ट पहलू के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान करते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार सरकारी, गैरसरकारी योजनाएँ-

ग्रामीण क्षेत्रो के जीवन स्तर मे सुधार लाने के लिये पंचवर्षीय योजनाओ के अर्न्तगत ग्राम वासियो को रोजगार के विशेष अवसर प्रदान करके बैकों द्वारा रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवा करके तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं द्वारा सुधार कार्य किये गये। 1952 में ग्रामीणो के स्तर में सुधार लाने के लिये पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत की गयी। इसी क्रम में ग्रामीण आवास योजना (1957) खादी एवं ग्राम उद्योग कार्यक्रम (1957) किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम (1966), ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम (1969), ग्रामीण रोजगार योजना (1971) पायलट प्रोजेक्ट (1972) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (1972), पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1975) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (1976), ट्राईसेम (1979), समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1979), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (1980), बीस सूत्रीय कार्यक्रम (1980), ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम (1983), जवाहर रोजगार योजना (1989), प्रधान मंत्री रोजगार योजना (1993), ग्रामीण समूह बीमा योजना (1995), पुष्टाहार योजना (1995) आदि कार्यक्रम के साथ–साथ बाँदा जनपद के ग्रामों में नई पंचायती राज व्यवस्था (1995) के अन्तर्गत अन्य योजनायें भी कार्यरत है जिनमें विशेष अभिनव रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना (1993), दस लाख कूप योजना (1989–90) इन्दिरा आवास योजना (1996), ग्रामीण निर्बल वर्ग योजना, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. योजना, उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, बायोगैस कार्यक्रम, वृक्षारोपण, वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम, लघु सिंचाई कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, अल्पबचत कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, सहकारिता कार्यक्रम, विशेष समन्वित योजना, समग्र साक्षरता कार्यक्रम, किसान पेंशन योजना, निराश्रित विधवा पेंशन योजना, कुटीर बीमा योजना, आई.आर.डी.पी. सम्बन्धित बीमा योजना (1988), व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, पेयजल समस्या, पशुधन विकास कार्यक्रम, अम्बेदकर विशेष रोजगार

योजना, महिला समृद्धि योजना, अम्बेदकर ग्राम्य विकास योजना, गाँधी ग्राम्य विकास योजना, आदि कार्यरत है।

पर्यावरण के संरचना एवं प्रकार-

पर्यावरण भौतिक, जैविक एवं सामाजिक संकल्पना है। अतः इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात (भौतिक), जीवित (जैविक) तथा सामाजिक संघटकों को सम्मलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को तीन प्रकारों में विभक्त किया जाता है।

अ. भौतिक पर्यावरण- (Physical Environment)

भौतिक पर्यावरण के प्रमुख अवयव स्थल मण्डल, जल मण्डल, तथा वायु मण्डल है। इन तीनो अवयवों के विभिन्न कारकों से जो पर्यावरण निर्मित होता है; उसे भौतिक पर्यावरण कहते है। घनश्याम सुखलाल, 1996।

1. स्थल मण्डल- (Lithosphere)

सम्पूर्ण पृथ्वी 3/10 भाग ही स्थल मण्डल है हमारा स्थल मण्डल मिट्टी, अधः स्तर, चट्टानों पर्वतों, पठारों तथा रेगिस्तानों से मिलकर बनता है। मानव स्थल मण्डल का उपयोग फसलें पैदा करने, पशु चारण, वृक्षारोपण, यातायात के लिये सड़कें तथा रेलमार्ग बनाने, खनिज पदार्थों के उत्खनन में करता है। स्थल मण्डल के प्रमुख कारक निम्नांकित होते हैं।

1. मिट्टी 2. चट्टानें 3. मैदान 4. पठार

5. पर्वत 6. रेगिस्तान 7. पहाड़ी क्षेत्र 8. ज्वालामुखी (शिवराज सिंह सेंगर, 1996)

2. जल मण्डल- (Hydrosphere)

पृथ्वी सतह का तीन चौथाई भाग 72 प्रतिशत भाग जल मग्न है। इसमें से 97 प्रतिशत समुद्री जल, 2 प्रतिशत जल पर्वतों और ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। बचा हुआ

केवल 1 प्रतिशत भाग जल पेयजल के रूप में हमारे लिये उपलब्ध है। यह 1 प्रतिशत जल नदी–नालों, झील–झरनों, और तालाबों के रूप में हमें उपलब्ध है। पृथ्वी पर जल के प्रमुख स्त्रोत निम्न लिखित हैः–

1. धरातलीय जल स्त्रोत– इनमें समुद्र, नदी, झरने, झीलें, तालाब प्रमुख हैं।
2. भूगर्भीय जल स्त्रोत– कुंयें, टयूबवेल आदि।

3. वायु मण्डल- (Atmosphere)

पृथ्वी के आस–पास के वायु के आवरण को वायुमण्डल कहते है। वायुमण्डल का विस्तार पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर 200 मील तक मिलता है, वायुमण्डल की गैसीय संरचना निम्नवत है।

नाइट्रोजन 78 प्रतिशत

आक्सीजन 21 प्रतिशत

कार्बनडाई आक्साइड 0.03 प्रतिशत

आर्गन 0.9 प्रतिशत

नियान 0.001 प्रतिशत

वायुमण्डल में उपस्थित आक्सीजन गैस में प्राणी श्वास लेकर जीवित रहते हैं वायु में उपस्थित गैसें तथा धूल कण वर्षा करने में सहायक होते है। वायुमण्डल की मुख्यतः 6 परतें होती हैं

1. क्षोभमण्डल – भूतल से 11 किमी. की ऊँचाई तक

2. क्षोभ स्तर – क्षोभ मण्डल के ऊपर 1.5 किमी. तक

3. समताप मण्डल– क्षोभ स्तर के ऊपर 40 किमी. तक

4. ओजोन मण्डल– 40 किमी. से 50 तक

5. आयन मण्डल – भूतल से 50 किमी. तक

6. वाह्य मण्डल – आयन मण्डल के ऊपर का सम्पूर्ण क्षेत्र

वायुमण्डल के कारक- (Factors of Atmosphere)

1. गैसें 2. धूलकण 3. जलवाष्प

4. धूम्र 5. सूक्ष्म जीवाणु 6. बीजाणु तथा परागकण

ब. जैविक पर्यावरण- (Biotic Environment)

हमारे आस–पास उपस्थित प्राणिसमूह तथा समूह मिलकर एक विशेष पर्यावरण की रचना करते हैं इसे जैविक पर्यावरण या बायोस्फीयर कहते है।

1. वनस्पति जगत-

इसके अन्तर्गत काई, शैवाल, लतायें, झाड़ियाँ, फसलें तथा जंगल के समस्त छोटे बड़े पेड़ पौधे आते हैं।

2. प्राणि जगत-

प्राणियों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है:–

(i) जलचर–

छोटे–छोटे कीट, मेढक, सर्प, कछुए, घड़ियाल से लेकर विशालकाय सील ह्वेल मछलियां।

(ii) थलचर–

रेंगने वाले सर्प, छिपकली, चूहे, चींटी से लेकर विशालकाय हाथी जैसे समस्त प्राणी तथा मानव थलचर कहलाते है।

(iii) नभचर–

सभी प्रकार के पक्षी तथा सूक्ष्म दृश्य और अदृश्य जीवाणु जो गगन में उड़ते रहते हैं नभचर कहलाते हैं

स. सामाजिक पर्यावरण- (Social Environment)

दुनियां के तमाम देशों के समाजों की मूल्य मान्यताओं, आस्था–विश्वास, रीति–रिवाज, खान–पान, भाषा एवं भेष–भूषा भिन्न–भिन्न अवश्य होती है। लेकिन किसी समाज विशेष का सामाजिक पर्यावरण अधोलिखित कारकों से मिलकर ही बनता है।

1. जातियां
2. खान–पान
3. वेष–भूषा
4. भाषा
5. मूल्य व मान्यतायें
6. उपासना पद्धति
7. राजनैतिक व्यवस्था
8. आर्थिक संरचना
9. आवास
10. औद्योगिक विकास
11. शिक्षा
12. विज्ञान और तकनीकी अनुसंधानों का प्रभाव
13. सामाजिक सौहार्द्र

पार्यावरण के घटक -(Components of Environment)

1. भूमण्डल (Lithosphere)
2. वायुमण्डल (Atmosphere)
3. जलमण्डल (Hydrosphere)
4. जैवमण्डल (Biosphere)

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी-

गोपीनाथ श्रीवास्तव (1996) ने कहा प्रकृति के दो अति जटिल सत्य हैं– जीव और पर्यावरण। ये अन्योन्याश्रित हैं, परस्पर अभिक्रियाशील और संबद्ध है। परिस्थिति विज्ञान या पारिस्थितिकी जीव और पर्यावरण के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन मात्र है। सविन्द्र सिंह (1993) ने इसकी परिभाष इस प्रकार की गई है कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अन्तर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अर्न्तसम्बन्धों एवं विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अर्न्तसम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है।

तकनीकी प्रगति में मानव सभ्यता इतनी व्यस्त रही कि उसे पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय संकट के बढ़ते कारणों की ओर ध्यान देने तथा मूल्यांकन करने का समय ही नही मिला और इसी बीच ये पर्यावरणीय समस्याएं उग्र रूप धारण करती रहीं जो कि जल–प्रदूषण, धूम्र प्रदूषण घटते वन्य जीवन, पर्यावरण के कीटनाशक रसायनों द्वारा विषकरण, विकिरण के जैविक दुष्प्रभावों, अस्थिर पारिस्थितिक तंत्रों, प्राकृतिक सम्पदा के दुरुपयोग जनसंख्या में असमान वृद्धि, लोगों के छोटे–छोटे ग्रामीण क्षेत्रो में बढ़ती भीड़ के रूप में परिलक्षित होती है। यह सब व्यक्तिगत तथा सामाजिक पर्यावरण को न समझ पाने तथा मानव एवं पर्यावरण की परस्पर क्रिया–प्रतिक्रिया को ग्रहण न कर पाने के फलस्वरूप ही हुआ है। इस तरह ग्रामीण पर्यावरण संकट को उत्पन्न करने में मुख्य कारकों के रूप में, जनसंख्या विस्फोट, अशिक्षा एवं अज्ञानता, गरीबी, आर्थिक विकास में व्याप्त असमानता, उच्च भौतिक जीवन स्तर को प्राप्त करने की होड़ एवं प्रौद्योगिकी एवं प्राविधिकी का तीव्र विकास आदि सहायक सिद्ध हुये हैं ।

पर्यावरण के बीच अन्तक्रियाओं को भली–भांति स्पष्ट करने के लिये पारिस्थितिकी शास्त्र में अनेक पर्यावरणीय शोध प्रकाशित हुये जिनमें ई.वारमिंग (1905) ने जीवों का उनके पर्यावरण के सम्बन्ध में अध्ययन किया है, फ्रेसर डार्लिंग (1963) ने बताया कि 'पारिस्थितिकी समस्त पर्यावरण के सन्दर्भ में जीवों का तथा उनके अन्तर्जातीय एवं आपसी अर्न्तसम्बन्धों का विज्ञान है।' ई.पी. ओडम (1964,1971) ने प्रतिपादित किया कि 'पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना तथा कार्य का अध्ययन है' सी.सी.पार्क (1980) ने पारिस्थितिकी को समस्त जैविक समुदाय के सम्पूर्ण समाज का अध्ययन माना है। J. Maddox (1972) इसे मस्तिष्क की दशा मानते है। R.F. Dasmann (1974) पारिस्थितिकी को 'एकीकृत करने वाले सामाजिक आन्दोलन' के रूप में लेते है मसलन, बैरी कॉमनर (1971), पी. दुविगेंड, एम.टंगी (1967), ई.प. गेरासिगोव (1986), ये.क.फ्योदोरोव (1977) ने पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में अध्ययन किये है। जबकि

N.Simon तथा P.Gerondet (1970) ने पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय समस्याओं के सन्दर्भ में पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण योगदान तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता तथा संतुलन के लिये पारिस्थितिकीय अध्ययन की सार्थकता को उजागर किया है। K. Friederichs (1958) ने बताया कि पारिस्थितिकी समस्त प्रकृति के सदस्यों के रूप में जीवधारियों का विज्ञान है। जे.होलिमन (1974) ने प्राकृतिक पर्यावरण की समष्टि प्रकृति के पर्यावरण–नियमों का प्रतिपादन किया है। R.L. Lindeman (1942) ने प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों के मध्य सम्बन्धों के नियमों का प्रतिपादन किया है। D.B. Botkin E.A. Keller, (1983), C.S. Elton (1958), P.H. Mach Arthur (1955), सी.सी.पार्क (1980), T. Dobzhanksky (1950), एफ.ई. क्लीमेंटस (1916), S. Carlquist (1974), E.P. Odum (1962), R.H. Whittakar (1953) आदि ने पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन को प्रतिपादित किया है। M.J. Bradshaw (1979), ई. पी.ओडम (1959), P.A. Furley तथा N.N. Newey (1983), M.J. Dunbar (1973) आदि ने पारिस्थितिक तंत्र के सन्दर्भ में अपने विचारो को व्यक्त किया है। J. Tivy (1982), A.N. Strahler तथा A.H. Strahler (1976), R.F. Dasmann (1976) ने जीवमण्डल/पारिस्थितिक तंत्र एवं पर्यावरण के संघटक को एक समान मानते हुये कहते है कि इन तीनो को अलग–अलग रुपों में नही माना जा सकता, अर्थात भौतिक पर्यावरण तथा जीवमण्डल में रहने वाले जीव एक दूसरे से इतने घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है कि उनकों एक दूसरे से अलग नही किया जा सकता। आयन साइमन्स (1982), R.H. Whittakar तथा G.M. Woodwell (1971) C.S. Elton (1927) ने पारिस्थितिकीय उत्पादकता एवं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सम्बन्ध में पर्यावरणीय विचार व्यक्त किये हैं इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मानव पर्यावरण सम्बन्धों में पारिस्थितिकी का महत्व बढ़ने लगा है।

भारत में बढ़ता पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संकट-

पर्यावरणीय सम्बन्धों को दुरावस्था तक लाने वाली शक्तियॉ नई अथवा अपरिचित नही है जब से मानव जीव जगत की प्रमुख जाति के पद पर पहुंचा तथा इसने अपनी इच्छानुसार परिस्थितिकी तंत्र के निर्माण अथवा उसमें फेरबदल की शक्ति अर्जित की तब से ही ये शक्तियां धीरे–धीरे संचित हो रही है तकनीकी प्रगति में मानव सभ्यता इतनी व्यस्त रही कि उसे इस ओर ध्यान देने तथा मूल्यांकन करने का समय ही नही मिला इसी बीच में पर्यावरणीय समस्याएं उग्र रूप धारण करती रही विगत सौ वर्षों में मानव ने आर्थिक, भौतिक एवं सामाजिक जीवन के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की है इन क्षेत्रों में प्रगति का मात्र एक ही उद्देश्य था कि उसका स्वयं का कल्याण हो उसने इनके सम्पूर्ण पर्यावरण पर सामाधानिक प्रभावों की ओर भी ध्यान नही दिया। कृषि में उसने केवल उन्ही फसलों का चुनाव किया जिन्हें वह पसंद करता था तथा दूसरों को विनिष्ट किया। औषधियों के प्रयोग में इसका उद्देश्य संक्रामक परजीवी तथा आहार सम्बन्धी पेट के रोगों, मानसिक विकारों अपहासक विकारों तथा अन्य रोगों को नियंत्रित करने तक ही सीमित था इसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई जिसके फलस्वरूप उसने अपनी आबादी में अत्यधिक वृद्धि कर ली। इस कारण मनुष्य की इस धारणा को प्रोत्साहन मिला कि प्रौद्योगिकी में सदा भलाई ही निहित रहती है और यही भावना पर्यावरण एवं परिस्थितिकी संकट का मूल कारण बना। इस प्रगति का मूल हमने परिस्थितिकी की वृहद समस्याएं उत्पन्न करके चुकाया है जो कि जल प्रदूषण, धूम्र प्रदूषण, घटते वन्य जीवन, पर्यावरण के कीटनाशक रसायनों द्वारा विषकरण विकिरण के जैवीय दुष्प्रभावों, अस्थिर परिस्थितिक तंत्रों, प्राकृतिक सम्पदा के दुरुपयोग, जनसंख्या में असमान वृद्धि, लोगों के छोटे–छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती भीड़ के रूप में परिलक्षित होती है। यह सब व्यक्तिगत तथा सामाजिक पर्यावरण को न समझ पाने तथा मानव एवं पर्यावरण की परस्पर क्रिया–प्रतिक्रिया को ग्रहण न कर पाने के फलस्वरूप ही हुआ है। इस

तरह ग्रामीण पर्यावरण संकट को उत्पन्न करने में मुख्य कारकों के रूप में जनसंख्या विस्फोट, अशिक्षा एवं अज्ञानता, गरीबी, आर्थिक विकास में व्याप्त असमानता, उच्च भौतिक जीवन स्तर को प्राप्त करने की होड़ एवं प्रौद्योगिकी एवं प्राविधिकी का तीव्र विकास आदि सहायक सिद्ध हुये है।

पर्यावरण प्रदूषण- (Environmental Pollution)

विभिन्न समुदाय एवं वर्ग के लोग प्रदूषण को विभिन्न दृष्टिकोंणों से देखते हैं, भूगोलवेत्ता सामान्य रूप से तथा पर्यावरण भूगोलवेत्ता मुख्य रूप से पर्यावरणीय समस्या के रूप में, समाज विज्ञानी सामाजिक समस्या के रूप में, अर्थशास्त्री आर्थिक समस्या के रूप में, पारिस्थितिकी विदं पारिस्थितिकीय समस्या के रूप में आदि, अतः प्रदूषण विभिन्न रूपों में ifjHkkf"kr fd ;k tk rk gS R.E. Dasmann (1975) 'उस दशा या स्थिति को प्रदूषण कहतें है जब मानव द्वारा पर्यावरण में विभिन्न तत्वों एवं ऊर्जा का इतनी अधिक मात्रा में संग्रह हो जाता है कि वे पारिस्थितिक तंत्र द्वारा आत्मसात करने की क्षमता से अधिक हो जातें हैं।' पर्यावरण अवनयन एवं पर्यावरण प्रदूषण के भयावह रूप को देखते हुये R.E. Dasmann (1976) ने कहा है कि 'मानव दौड़ हाथ में ग्रेनेड लिए बंदर के समान है। कोई यह नहीं जानता है कि वह कब ग्रेनेड से पिन खींच लेगा तथा विश्व तहस–नहस हो जायेगा।' J.Poelmans- Kirschen (1974) ने पर्यावरण अवनयन तथा उससे उत्पन्न विश्वस्तरीय पर्यावरण संकट के लिये निम्न कारणों का अभिनिर्धारण किया है–

1. विगत 25 वर्षों में उत्पादन–विभव (Production Potentiol) में तेजी से वृद्धि।
2. वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय खोज तथा विकास में तीव्र वृद्धि।
3. विश्व जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि।

पर्यावरण प्रदूषण को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है।

1. भौतिक प्रदूषण– भौतिक प्रदूषण को पुनः स्थल प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण में

विभाजित किया जाता है।

2. सामाजिक प्रदूषण को पुनः 5 उपप्रकारों में विभाजित किया जाता है– विभाजित किया जाता है– निर्धनता एवं बेरोजगारी के आधार पर आर्थिक प्रदूषण, धार्मिक प्रदूषण (दंगा–फसाद, धार्मिक हिंसा आदि) राजनैतिक प्रदूषण (युद्ध), जातीय प्रदूषण (दंगा–फसाद) यथा पाकिस्तान के सिन्ध में, भारत के कश्मीर और पंजाब में) सामाजिक प्रदूषण (विभिन्न प्रकार के अपराध यथा– लूट–पाट, बलात्कार, डकैती, हत्या) आदि। प्रदूषण द्वारा प्रभावित क्षेत्र एवं प्रदूषकों के उत्पत्ति स्रोत के आधार पर प्रदूषण को नगरी प्रदूषण, ग्रामीण प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, कृषि प्रदूषण आदि प्रकारों में विभाजित किया जाता है।

पर्यावरण प्रदूषण के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने अपने–अपने विचार व्यक्त किये है। सुरेन्द्र नीमावत (1996) ने पर्यावरण प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव के सम्बन्ध में अध्ययन किया है। डा० दुर्गा प्रसाद अग्रवाल (1996), भवर लाल चौहान (1996) सुरेन्द्र नीमावत (1996), डा. एच.एन. गोविल (1996), उत्तम सिंह राठौर (1996), मुकेश कुमार शर्मा (1996), लोकेश श्रीवास्तव (1996), बी.डी.एस. गौतम (1996), सीताराम सिंह पंकज (1993), सुभद्रा मेनन (1998), सी.सी.पार्क (1980), ई.के. फेडरोव (1983) आदि ने पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धी अध्ययन किये हैं।

पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण विनाश एवं पर्यावरण प्रकोप से सम्बन्धित जो घटनायें घटती है। उनके सन्दर्भ में एम. हसीजम (1989), ए.एन. स्ट्रेलर तथा ए.एच. स्ट्रेलर (1976), जे.ई. हॉब्स (1980), के. निम्पूनो (1989), आर.एफ. दासमैन (1976), जे. पॉलमेनस् क्रिसीन (1974), ई.के. फेडरोव (1983) आदि के अध्ययन महत्वपूर्ण हैं।

ग्रामीण जनसंख्या : उनका पर्यावरण-

सर्वप्रथम जब मनुष्य इस पृथ्वी पर अवतरति हुआ तो समस्त पृथ्वी वन्य क्षेत्र थी तथा भौतिक पर्यावरण अपने प्राकृतिक दशा में था। परन्तु जैसे–जैसे मनुष्य की जनसंख्या तथा

उसकी बुद्दि एवं कौशल में वृद्धि होती गयी, अधिकाधिक 'प्राकृतिक क्षेत्र' कृषि फार्मों, गांवों, नगरों तथा कस्बों, सड़क मार्गों तथा कई आर्थिक प्रतिष्ठानों एवं सामाजिक संस्थानों में बदलते गये। इस कारण प्राकृतिक या वन्य क्षेत्रों में ह्रास हो गया है। जब प्राकृतिक साधनों की अपेक्षा जनसंख्या अधिक होती है तो निर्धनता, बेरोजगारी, शोषण और निम्न जीवन–स्तर की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस समस्या की आने वाली विकरालता के सन्दर्भ में अर्थशास्त्री माल्थस (1968) ने 'An Essay on Principles of Population में लोगों को चेतावनी दी थी। माल्थस ने कहा था कि खाद्य सामग्री अंकगणितीय गति (1, 2, 3, 4, 5....समान्तर श्रेणी में) से बढ़ती है जबकि अनियंत्रित जनसंख्या की वृद्धि सदैव ज्यामितीय गति (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64....) से होती है। आज माल्थस की 200 वर्ष पूर्व की गयी परिकल्पना भारत पर पूरी तरह खरी उतरती नजर आ रही है।

विशेष बात यह है कि सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था गांव की जनसंख्यात्मक विशेषताओं से प्रभावित होता है। इस दृष्टिकोंण से बाँदा जनपद में महुआ ब्लाक के इन चारो गाँवों की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संरचना के विभिन्न पक्षों को समझने के लिये ग्रामीण जनांकिकी का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है।

महुआ ब्लाक के इन चारो गाँवो में जनसंख्या वृद्धि से जन घनत्व में तेजी से वृद्धि हुई है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 1981 की जनगणना के अनुसार ग्राम सभा बड़ोखर बुजुर्ग–4079, मलहरा निवादा–2614, जरर–1566, छिबांव–2615 कुल आबादी रही है लेकिन 14 अक्टूबर 1996 को प्रकाशित ज़नपद सूचना के आधार पर ग्राम सभा बड़ोखर बुजुर्ग में 4705, मलहरा निवादा–2886, जरर–1863, छिबांव में 2975 जनसंख्या बढ़ गयी अर्थात इन चार ग्रामों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

प्रतियोगिता किरण नवम्बर 1998 में प्रकाशित वैसे तो जनसंख्या की विकरालता ने

पूरे भारत को अपने चपेट में लिया 2 सितम्बर 1998 को ' संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund, UNPF) ने 'विश्व जनसंख्या रिपोर्ट' 1998' (World Population Report, 1998) प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 97.58 करोड़ है। इस अवधि के बाद इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। इस प्रकार सन 2025 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 1.38 अरब तक पहुंच जायेगी।

इतनी बढ़ती हुई आबादी के लिये मूलभूत आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था करना सरल नही है। रोटी, कपड़ा और मकान सभी को चाहिये। मकान के लिये जमीन सभी को चाहिये। जमीन सीमित है। इस पृथ्वी के अतिरिक्त जो मानव जाति को ईश्वर से विरासत में मिली है। अन्य भूमि उन्हे अब मिलने वाली नही है। बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी के कारण प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता उत्तरोत्तर घटती जा रही है। गोपीनाथ श्रीवास्तव (1996) का अनुमान है कि शताब्दी के अन्त तक भूमि विहीन ग्रामीणों की संख्या इस देश में 4.4 करोड़ हो जायेगी। प्रियरंजन त्रिवेदी (1995) ने भी यही विचार व्यक्त किये है कि विकासशील देशों में जनसंख्या आगामी 50 या 60 वर्षों में दुगुनी या तिगुनी हो जायेगी। इस बढ़ती हुई जनसंख्या से गांवों में कृषि के लिये आवश्यकतानुसार जमीन का उपलब्ध न होना ही जंगल कटान का एक मुख्य कारण है। चन्द्रशेखर आजाद (1993) का कहना है कि भारतवर्ष में लगभग 750 लाख हेक्टेअर भूमि में जंगल मौजूद है जो देश की कुल भूमि का 5वां हिस्सा बैठता है। जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार उचित पर्यावरण बनाये रखने के लिये कुल भूमि कम से कम 33 प्रतिशत हिस्सा वनों से ढका रहना चाहिये। डा. भारतेन्दु प्रकाश (1996) के अनुसार बाँदा जनपद के 762400 हेक्टेअर क्षेत्र में से 57,782 हेक्टेअर क्षेत्र (7.6 प्रतिशत) में ही वन है। वनाच्छादित नही है जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यन्त कम है। बढती जनसंख्या के कारण इन चारो गांवों में जोतों का आधार घट रहा है। प्रति व्यक्ति जमीन कम होती जा रही है। मकानो, सड़कों आदि के लिये

जमीन का संकट खड़ा हो गया है। जंगल कटते जा रहे है। पर्यावरण दूषित हो रहा है। यह समस्या केवल इन गांवों की ही नही बल्कि (डा.डी.एन.तिवारी 1993) भारत में बढ़ती जनसंख्या के लिये हमें हर वर्ष 22 लाख मकान, 1 करोड़ 11 लाख क्विंटल अनाज, 35 लाख 40 हजार नौकरियां, 17 लाख मीटर कपड़े, 1 लाख 30 हजार स्कूलों और 3 लाख 30 हजार शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। पर इतना पूरा नही हो रहा है। अतः नतीजा साफ है अधिक अशिक्षित बच्चे, गंदी बस्तियों की बढती संख्या कुपोषण और अनेक बीमारियां निर्धनता एवं बेकारी जैसे सामाजिक पर्यावरण प्रदूषण के रूप में दिखलाई पड़ रहे है।

जनसंख्या तथा पर्यावरण प्रदूषण का सह-सम्बन्ध

स्त्रोत पुस्तक, यूनेस्को प्रकाशन –1980

जनसंख्या तथा पर्यावरण प्रदूषण का सह-सम्बन्ध-

गांवों में बढ़ती जनसंख्या के कई दुष्परिणाम वर्तमान में देखने को मिल रहे है। कुपोषण, स्वच्छ वातावरण, जलापूर्ति के साथ—साथ आज इन गांवों में आवास की भी समस्या जटिल होती जा रही है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक गर्भवती महिलायें तथा लगभग 53 प्रतिशत बच्चे कुपोषण बनते जा रहे है। ग्रामीण जनता प्राकृतिक संपदाओं के अधिकाधिक शोषण के लिये विवश हो रही है। दिन—प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिये निर्धन जनता विवश होकर प्राकृतिक साधनों का आश्रय लेती है। निर्धन वर्गों में यह स्थिति पर्यावरण निम्नीकरण का कारण है। आज ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि से वनों का नाश, भूमि का अधिकाधिक उपयोग, जैविकी विपुलता की क्षति विनाश, प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के प्रयास में प्रारम्भ होती है। जनसंख्या वृद्धि एवं निर्धनता पर प्रियरंजन त्रिवेदी (1995) ने व्यक्त किया है कि जनसंख्या की अपार वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में कमी, प्रति व्यक्ति उपभोग की वस्तुओं में कमी, जीवन स्तर में निम्नता, प्राकृतिक संपदा के शोषण की स्थिति, निर्धनता प्रदूषण का कारण है। 'सीडा' विकास जनसंख्या अनुसंधान अध्ययन 1989 पृ0 सं0 29 एवं मायर्स लिखित मानव एवं पर्यावरण मानव, 17,1 (1990) पृ0 सं0 4 परिवार नियोजन की दृष्टि से विशेष रूप से स्त्री शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के कार्यक्रम। एल.आर.ब्राउन 'विश्व व्यापी कार्य प्रणाली' मानव 17, 38 एवं सीडा द्वारा प्रकाशित विकास एवं जनसंख्या अनुसंधान अध्ययन 1989 पृ0सं0 28। आदि जनसंख्या में स्थिरता लाने के लिये कार्य किये।

बढ़ती जनसंख्या पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर रही है जो ग्रामीण मानव जाति के भविष्य के लिये घातक सिद्ध होगी। आबादी बढ़ने से गांवों में भोजन, ऊर्जा, आवास, यातायात जैसी समस्यायें बढ़ रही है जो पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करती है। मसलन जनसांख्यिकीविद वे.त्स.उलीनिस (1972) ने कहा कि पृथ्वी पर प्रदूषण की समस्या तभी हल होगी जब पृथ्वी की आबादी स्थिर रहे।

जनसंख्या वृद्धि का जीवन पर प्रभाव

जनसंख्या वृद्धि का ग्रामीण मानव जीवन पर प्रभाव-

गांवों में यदि कृषक के पास अपनी भूमि है तो उसके परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने पर उसकी भूमि कई पुत्रों में बटती जा रही है, जिससे प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि में कमी आती जा रही है। जिस कृषक के पास बाग–बगीचे थे वह भी पुत्रों के बटवारे में उजड़ गये है। फलतः ऐसे परिवार के लिये जितनी मात्रा में खाद्यान्न अपेक्षित है उसमें भी कमी होने लगी है। परिवार के सभी सदस्यों के लिये कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम कम होते जा रहे है और उनकी प्रति व्यक्ति आय भी घट रही है। जिसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ रहा है। और सभी सदस्यों को आवश्यकतानुसार पूर्ण मात्रा में पौष्टिक आहार सुलभ करना दुष्कर होता जा रहा है। पौष्टिक आहार के अभाव का बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों को उस ढंग की जीवनोपयोगी तथा प्रासंगिक शिक्षा नही मिल पा रही है। जैसा कि उनके लिये अपेक्षित है इसका परिणाम यह हो रहा है कि गांवों में अपनी शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही विद्यालय छोड़ देते है। इस प्रकार गांवों में प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा में खासकर लडकियों की शिक्षा में ह्रास की समस्या बढ़ रही है। गांवों में जनसंख्या वृद्धि का एक परिणाम यह भी हो रहा है कि बड़ोखर बुजुर्ग, मलहरा निवादा, जरर, छिबांव इन चारो गांवों के कुछ लोग अपने मूल निवास को छोड़कर बाँदा जनपद में आ बसे है। अरुण कुमार सरावगी (1989) ने बढ़ती जनसंख्या का मानव जीवन के प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया है।

पर्यावरण संतुलन-

स्वतन्त्रता के बाद हमें राजनैतिक आजादी तो मिल गयी परन्तु सामाजिक व आर्थिक आजादी के लिये हमें कई सोपान तय करने होगें जो बगैर जन सहयोग के प्राप्त नही हो सकते है। साथ ही जब तक हमारी कथनी व करनी एक नही होगी हम आजादी व विकास के सही अर्थ नही पा सकेंगे। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद

से सम्बोधित करते हुये जिलाधिकारी दीपक त्रिवेदी ने 1 सितम्बर 1997 को कहा कि विगत 50 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि पर रोक एवं पर्यावरण सन्तुलन पर राष्ट्रीय विचार तो हुआ है लेकिन इसका कारगर व प्रभावी प्रस्तुतीकरण करने में हम आज तक असफल रहे है। इसी प्रकार भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से अवध ग्रामीण संस्थान द्वारा आयोजित प्रदूषण पर रोक एवं नियंत्रण (पर्यावरण संरक्षण) शिविर गोष्ठी को सम्बोधित करते हुये जिला न्यायाधीश (सुल्तानपुर) श्री आर.पी.यादव ने 24 अप्रैल (1998) में कहा– प्राकृतिक संपदा के हरण व दोहन के लिये समाज जिम्मेदार है। पर्यावरण के असंतुलन के लिये हम सभी दोषी है प्रत्येक व्यक्ति को अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुये वन अपराधों की बढ़ती संख्या को रोकने का प्रयास करना चाहिये। श्री यादव ने यह भी कहा कि वृक्षों की अवैध कटाई करने वालों को दण्डित होने का भी भय होना चाहिये साथ ही जो वृक्ष लगाये उन्हें पुरस्कृत भी करना चाहिये उन्होंने कहा कि नीम, पीपल, तुलसी, आंवला सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष है।

डा.डी.एन.तिवारी (1993) ने कहा कि 'पर्यावरण सन्तुलन के लिये कुल भू भाग के क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत वृक्ष वनस्पतियों से ढका होना चाहिये।' कभी भारत देश की 70 प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित थी। कटते–कटते वह मात्र 22 प्रतिशत अवशेष बची है अनिवार्य पर्यावरण सन्तुलन सीमा से भी यह 11 प्रतिशत कम है दूसरे प्रगतिशील देशों ने कडाई के साथ वन–संपदा को नष्ट करने पर रोक लगा दी है। फिनलैण्ड में अब भी 66 प्रतिशत भूमि में वन है। जापान जैसे औद्योगिक राष्ट्र जहां कि ईंधन की अधिक आवश्यकता उद्योगों के लिये पड़ती है में भी 62 प्रतिशत क्षेत्रफल पेड़ पौधों से हरा–भरा है। रूस के कुल क्षेत्रफल के 34 प्रतिशत तथा अमरीका के 33 प्रतिशत भाग में वन है।'' सर्वाधिक अदूरदर्शिता का परिचय अपने देशवासियो ने दिया है। अधाधुंध वृक्षों की कटाई के कारण असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस स्थिति को कड़ाई से रोकना होगा तथा सन्तुलन के लिये वृक्षारोपण जैसे पुनीत भौतिक

और आध्यात्मिक लाभ देने वाले कार्य को अविलम्ब करना होगा।

यह जगत केवल मनुष्यों का ही नही है। समस्त प्राणियों का यह एक जगत है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को पंचभूत माना गया है जबकि भगवान महावीर ने आकाश को छोड़ सबको जीव माना है। उनके अनुसार समूचा भू–मण्डल जीवों से भरा पड़ा है इस प्रकार इस समूचे जीव जगत को हम एक प्राणी समुदाय कह सकते है। समुदाय का अपना एक सिद्धान्त होता है। अपना एक आदर्श होता है और यह सिद्धान्त और आदर्श मात्र परस्परता पर अवलम्बित है जैन मत के अनुसार इसे 'परस्परोपग्रहो जीवानाम' कहा गया है। पर्यावरण सन्तुलन के लिये 'परस्परोग्रहो जीवानाम्' सिद्धान्त सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। शुमुपटवा (1998) आज जिस पर्यावरण असन्तुलन की चिन्ता समूचे विश्व को सता रही है उसके मूल में परस्परोपग्रहो जीवानाम् का खण्डित हो जाना है। इसके खण्डित होने का मूल कारण बढ़ती हुई तृष्णा और असंयम है पिछले दो सौ सालों में जिस प्रकार के औद्योगिक विकास की लहर चली है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जिस प्रकार से अपना शिकंजा कसा है कुदरत से अधिक से अधिक खींचकर भौतिक साधन सम्पति जितनी बढ़ाई जा सके उतनी बढाने की जो योजनायें चल निकली है वह पर्यावरण असंतुलन का मूल है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है– 'यह धरती सबका पेट भर सकती है पर किसी एक का भी लालच पूरा नही कर सकती'। महावीर स्वामी कहते है– 'इच्छा हु आगाससमा अणंतिया' इच्छा आकाश के सामान अनन्त है। अनन्त को पाना है तो विनाश अवश्य है।

जल, जंगल और जमीन ये पर्यावरण के तीन मुख्य आधार है। जैन सिद्धान्त और दर्शन में इनके संरक्षण, पोषण और संयम पूर्वक उपभोग का व्यापक और विविध रूपों में उल्लेख है लेकिन आज का जगत जो अत्यधिक वैज्ञानिक और यंत्रीकृत है इन सिद्धान्तों को विस्मृत

करता जा रहा है लेकिन यदि हम इस धरती को धरोहर मानकर इसे अगली पीढी को जस की तस सौंपने को आतुर हो तो हमें एक नई रीति और बर्ताव की ओर उन्मुख होना होगा बापू ने कहा है तुम्हारे ज्ञान की कीमत तुम्हारे कामों से होगी। पुस्तकें मस्तिष्क में भरने के बजाय उस ज्ञान को व्यवहार में उतारने पर ही उसका मूल्य होता है।

पर्यावरण असन्तुलन से उत्पन्न समस्यायें-

इस समय सम्पूर्ण विश्व पर्यावरणीय प्रदूषण समस्याओं के जाल में घिरा है। पृथ्वी का पर्यावरण स्वयं में एक सम्पूर्ण निकाय है जिसमें न कुछ बाहर से आकर जुड़ता है और न कोई पदार्थ बाहर छूट कर जाता है। भूमि के विभिन्न अवयवों जैसे वन, दलदल जल स्त्रोत आदि के बीच एक जटिल अंर्तसंबन्ध होता है जो पर्यावरण में सन्तुलन को कायम रखते है। मनुष्य इन अंर्तसंबन्ध को जाने समझें बिना किसी एक अवयव का शोषण शुरू कर देता है और परिणाम होता है पर्यावरण में असंतुलन।

'क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा' पर्यावरण के ह्रास से बदलाव महसूस कर रहे है कटते जंगल एवं घटते वन क्षेत्र, जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि एवं जल पर दबाव बांधों के निर्माण, कार्य एवं औद्योगिकीकरण से प्राकृतिक संसाधनो की कमी तथा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। भूमिगत जल के अमर्यादित दोहन से सूखा तथा रेगिस्तान फैलने का खतरा बढा है परमाणु ऊर्जा, खनिज ईंधन, खेती में रसायनिक द्रव्यों का प्रयोग तथा औद्योगिकी एवं शहरी प्रदूषण की समस्यायें विकसित तथा विकासशील देशों को समान रूप से सता रही है ओजोन की परत लगातार सिकुड़ रही है परन्तु इसकी मौजूदगी जीवन के लिये आवश्यक है क्योंकि यह सूर्य की पराबैगनी विकिरण का 99 प्रतिशत छान लेती है अगर ओजोन की परत का इसी तरह सिकुड़ना जारी रहा तो धरती पर पराबैगनी किरणों का विकिरण बढेगा जिससे खाल के कैंसर, पेड़–पौधों के घने पन में रूकावट तथा मौसम एवं जलवायु में बदलाव का खतरा पैदा हो जायेगा

पर्यावरण की अवहेलना कर धरा पर जीवन कायम रखना असंभव होगा पर्यावरण के सहयोग से ही विकास संभव हो सकता है।

'पर्यावरण सन्तुलन कायम करने हेतु बंजर एवं अनुपयोगी जमीन पर हरियाली प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं का हल भूमिगत जल का मर्यादित दोहन ऊर्जा के अन्य स्रोतों का विकास, भूमि की उर्वरता बढाना तथा देश के 33 प्रतिशत क्षेत्र को वनाच्छादित करना होगा।' इस कार्य हेतु लोगों की सक्रिय भागीदारी तथा प्रतिबद्धता आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण-

21वीं सदी की दहलीज पर खड़ी मानव जाति के समक्ष सबसे प्रमुख समस्या आज पर्यावरण संरक्षण की है। इस स्थिति के लिये कोई और नही वह स्वयं ही जिम्मेदार है। समस्या की भयावहता ने जाति के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। जिसकी झलक राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय स्तरों पर होने वाले रियो डीजेनेरो जैसे सम्मेलनों में मिल चुकी है। यद्यपि पर्यावरण को बचाने के काफी सारे प्रयास कई देशी–विदेशी संस्थानों द्वारा दिये जा रहे है परन्तु हल सूक्षता नही। वस्तुतः पर्यावरण विनाश का प्रमुख कारण है प्रकृति से हमारी बढ़ती दूरी, अनियंत्रित रूप से फैलता उपभोक्तावाद और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की प्रवृत्ति। जब तक इन प्रवृत्तियों पर काबू नही किया जाता तब तक पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण की बातें बेमानी है। व.न.लास्कोरिन (1986:128) ने औद्योगिक विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के सन्दर्भ में कहा है कि पर्यावरणीय सुरक्षा एक पेचीदा प्रश्न है जिसका सारे समाज से भी संबंध है और प्रत्येक व्यक्ति से भी। इसके अध्ययन में विज्ञान की लगभग सभी शाखाएं जुटी है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्राकृतिक और आर्थिक भूगोल के तथा पारिस्थितिकी, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र और मुख्य रूप से औद्योगिक टेक्नोलाजी के अध्ययन का विषय है। डा. शिवानन्द नौटियाल (1991) नवीन चन्द्र बाजपेयी (1977) जे. ऐ. सलमानी (1995) हरिविश्नोई (1996), सुखदेव प्रसाद

(1997), अनिल अग्रवाल (1997–98), चन्द्रशेखर आजाद (1993), अ०प० सिंदोरेको (1986), ब०न० लास्कोरिन (1996), जयप्रकाश प्रेमदेव (1993) आदि ने भी पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में अध्ययन किये हैं। 1972 में स्टाकहोम सम्मेलन में इंदिरा गांधी ने विचार दिया था कि जब तक हमारे एक ही ग्रह में कई दुनियाएं हिस्से बंटाती रहेगी तब तक इस पर जीवन का अस्तित्व बनाये रखने के लिये हम अधिक कुछ नही कर सकते। आज यह स्पष्ट हो गया है कि हम विकास के वायदे के बिना पर्यावरण का संरक्षण नही कर सकते। और पर्यावरण के संरक्षण के बिना हम स्थायी विकास भी नहीं कर सकते। इस संतुलन को समझ लेना ही मात्र ऐसा एक स्थायी आधार है। जिसके आधार पर यह सम्मेलन अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है।

विश्व में पर्यावरण संवर्धन व संरक्षण के लिये अर्न्तराष्ट्रीय संगठन या संस्थायें कार्यरत है जिनमें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific & Cultural Association- UNESCO) 1945, इण्टरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम (International Biological Programme- IBP) 1964, मैन एण्ड बायोस्फीयर प्रोग्राम (Man and Biosphere Programme- MAP) 1970, सांइटिफिक कमेटी आन प्रोब्लम्स आफ एनवायरमेन्ट SCOPE 1969, यूनाइटेड नेशन्स एनवायरमेन्टल प्रोग्राम UNEP 1972, वर्ल्ड वाच प्रोग्राम (WWP) 1972, विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO), वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फण्ड– (WWLF), एनवायरमेन्ट प्रोटेक्सन एजेन्सी, इण्टरनेशनल यूनियन फार कन्जरवेसन आफ नेचर एण्ड नेचुरल रिसोर्सेज, (IUCNNR) इन्टरनेशनल कांउसिल आफ सांइटिफिक यूनियन (ICSU) वर्ल्ड कमीशन आन एनवायरमेन्ट एण्ड डवलेपमेन्ट (WCEP) 1984, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी (EEC), सांइटिफिक कमेटी आन ओसीनिक रिसर्च, इन्टरनेशनल सेन्टर फार इण्टीग्रेटिड माउण्टेन डवलेपमेन्ट (ICIMP), इण्टरनेशनल एटामिक इनर्जी एजेन्सी (IAEA), पर्यावरण मानक परिषद (CE) 1969।

पर्यावरण संरक्षण में अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास-

1. सर्वप्रथम 1968 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक स्वीडिश प्रतिनिधि ने मानवीय पर्यावरण पर एक सम्मेलन 3 दिसम्बर 1968 को स्वीकृत किया। 1969 में महासभा ने सम्मेलन के आयोजन एवं तैयारी का पूर्ण दायित्व महासचिव को सौंपा और उनकी सहायता के लिये 27 सदस्यीय एक समिति गठित की।
2. संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव पर्यावरण सम्मेलन स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम में 5 से 16 जून 1972 तक आयोजित किया गया। उक्त सम्मेलन मानव पर्यावरण के संरक्षण में सर्वप्रथम प्रयास था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मानव पर्यावरण के संरक्षण में सरकारों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दिशा निर्देश देना तथा प्रोत्साहित करना था।
3. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nation Environment Pro grammeUNEP) 15 दिसम्बर 1972 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिये नियामक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। परिषद में स्टॉकहोम सम्मेलन के प्रस्ताव के विपरीत 58 सदस्य रखे गये जबकि सम्मेलन ने 54 सदस्यों की सिफारिश की थी। सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा तीन वर्षों के लिये किया जाता है।
4. क्रियान्वयन परिषद ने अपनी प्रथम बैठक 1993 में जेनेवा में की। फिर इसने कई बैठकें पर पर्यावरण सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर चर्चा की तथा वायुमंडल, समुद्री पर्यावरण, पेयजल, भू–पर्यावरण, खाद्य एवं कृषि, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरणीय प्रदूषण, मानव एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में रपटें तैयार की।
5. 1976 में आयोजित 'आवास सम्मेलन' (Hapital Conference) क्रियान्वयन परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आवास सम्मेलन में यह घोषणा की गयी कि मानव की जैव मंडल (Biosphere) के समस्त संसाधनो की लम्बी अवधि तक बनाये रखने के लिये प्रदूषण से

मुक्त रखना चाहिये।

6. 5 दिसम्बर 1980 को महासभा द्वारा पर्यावरण कार्यक्रम क्रियान्वयन परिषद की विशेष बैठक के आयोजन का निर्णय किया गया। तदनुसार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्रियान्वयन परिषद की विशेष बैठक 10–18 मई, 1982 को केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित की गई। सम्मेलन में नैरोबी घोषणा–पत्र सर्व सम्मति से पारित किया गया।

7. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की (UNEP) उपलब्धियों (1984–1992) का आकलन।

8. ओजोन सतह के संरक्षण संबन्धी वियना संधि, 1985 । यह संधि 22 मार्च 1985 को एक पूर्ण सम्मेलन द्वारा स्वीकार की गयी जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया था। संधि 22 सितम्बर 1988 को प्रभाव में आई। संधि का प्रमुख उद्देश्य ओजोन सतह के संरक्षण की दिशा में कार्य करने हेतु राज्यों को एक अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक ढांचा उपलब्ध कराना था।

9. ओजोन ह्रास को बढाने वाले पदार्थों के नियंत्रण से संबधित सितम्बर 1987 मांट्रियल संधि एवं 1990 में उसमें किये संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विकास हुये।

10. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन (United Nations Conference on Environ ment & Divilopment UNCED) 1992 अथवा 'पृथ्वी सम्मेलन'(EarthSummet) अथवा 'रियो भू– शिखर सम्मेलन' (1992), जिसमें विभिन्न देशों के 182 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने दो प्रमुख प्रस्ताव पारित किये। ये हैं 'कार्यक्रम–21' (Agenda-21) तथा पर्यावरण एवं विकास पर 'रियो घोषणा पत्र' एवं वन नीति पर एक अबाध्यकारी वक्तव्य तथा दो अंतर्राष्ट्रीय संधियां।

11. 'रियो+5', डेनवर 1997 में एक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें 170 देशों के प्रायः 3,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष राजली इस्माइल (जो इस

सम्मेलन के भी अध्यक्ष थे) ने अफसोस जाहिर किया कि पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्षों के बाद भी हम कुछ खास प्रगति नही कर सके। 27 जून 1997 का यह सम्मेलन बिना किसी आम सहमति और निष्कर्ष के समाप्त हो गया।

संरक्षण के भारतीय प्रयास-

- स्वाधीनता के बाद सरकारी स्तर पर वन संपदा की संवृद्धि पर अधिक जोर दिया जाने लगा। 1950 में केन्द्रीय सरकार में कृषि मंत्री श्री के.एम. मुंशी ने इस अभियान को 'वन महोत्सव' की संज्ञा दी। औपचारिक रूप से देश में वन महोत्सव की पंरपरा तभी से चली आ रही है।
- संसद द्वारा 12 मई 1952 को 'राष्ट्रीय वन नीति' (National Forust Policy) पारित की गई जिसके अनुसार स्वस्थ्य पर्यावरण के लिये देश का कम से कम 33.3 प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित रहना चाहिये।
- 1952 में देश में 'भारतीय वन्य जीव मंडल' की स्थापना की गई। 1 से 7 अक्टूबर तक 'वन्य प्राणी सप्ताह' (Wild life week) प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
- वन्य जीव कोष की एक शाखा (National Appeal) 1967 से भारत में कार्य कर रही है। इस संस्था की सहायता से भारत में बहुत सी परियोजनाओं पर कार्य हुआ है जैसे कि मद्रास में सर्प उद्यान (Snake Park) का बनाना, बाघ, भारतीत वस्टर्ड तथा नीलगिरि टाइगर आदि का संरक्षण आदि।
- 1972 में सरकार ने 'राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजन व समन्वय समिति' गठित की। इसका मार्च 1981 में पुर्नगठन किया गया।
- वन्य प्राणियों की सुरक्षा के 1972 में 'वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम' (Wild life Protec tion Act) पारित हो चुका है जिसके अंतर्गत किसी भी वन्य प्राणी को मारने पर भारी दंड

की व्यवस्था है। भारतीय 'वन्य जीवन संरक्षण नीति' (1972) में संकट ग्रस्त जातियों (Endungered Species) के पूर्ण संरक्षण की अनुशंसा की गई है।

- 1972 में देश में बाघों की नस्लों को बचाने के लिये 'बाघ परियोजना' (Project Tiger) चलाई गई। इस समय देश में 23 टाईगर वन क्षेत्र है।
- आज देश में 80 राष्ट्रीय उद्यान, 401 सैक्चुरीज, 23 बाघ वन संरक्षण क्षेत्र 13 स्त्रो लेपर्ड संरक्षण क्षेत्र स्थापित है।
- देश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य (Sancturies) लगभग 148,700 वर्ग किमी0 क्षेत्र में विस्तारित है।
- जल-प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 23 मार्च 1974 से लागू कर दिया गया है। उक्त अधिनियम की धाराओं को लागू करने और उनके क्रियान्वयन के लिये सितम्बर 1974 में केन्द्रीय जल-प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण बोर्ड (Central Board for the Control and Prevention of Water Pollution) गठित किया गया। जो जनवरी 1982 से पर्यावरण विभाग से संबद्ध कर दिया गया है।
- वायु-प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम (1981) भी 16 मार्च 1981 से लागू है। इस अधिनियम की धाराओं को लागू करने के लिये 'केन्द्रीय वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण बोर्ड' (Central Board for the Control and Prevention of Air Pollution) गठित किया गया है।
- जल और वायु-प्रदूषण नियंत्रण के लिये केन्द्रीय बोर्ड के पैटर्न पर राज्य स्तरीय बोर्ड भी गठित किये गये है।
- भारत सरकार ने केन्द्र में 1 नवम्बर 1980 से पर्यावरण विभाग (Deptt of Environ ment) की अलग से स्थापना की। केन्द्र की ही भांति राज्य सरकारों ने भी पर्यावरण

विभागों की स्थापना की है। अलग से पर्यावरण विभाग की स्थापना करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश है।

- डा.शिवराज सिंह सेंगर (1996) ने व्यक्त किया कि पर्यावरणीय समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुये भारत सरकार ने 1985 में प्रथम 'पर्यावरण, वन और वन्य जीव मन्त्रालय' स्थापित किये।

समाज तथा पर्यावरण-

''मानव सभ्य हो या बर्बर, प्रकृति की संतान है उसका स्वामी नही। यदि उसे अपने पर्यावरण पर प्रभुत्व बनाये रखना है तो उसके लिये कतिपय प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलना आवश्यक है। वह जब प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तभी वह प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट कर बैठता है जिस पर उसका जीवन निर्भर है और जब उसका पर्यावरण तेजी से बिगड़ने लगता है तब उसकी सभ्यता का पतन भी होने लगता है।,

समाज और पर्यावरण विषय पर व.अ.गेओदाक्यान (1973) इ.व. नोविक (1976) प्रकृति पर मनुष्य के प्रभाव का अध्ययन कार्ल मार्क्स और फ्र. एंगेल्स (1978) में, जी.पी. मार्श (1864) ने मानव के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर दुनियां का ध्यान आकर्षित किया। मानव का पर्यावरण पर प्रभाव विषय पर वैज्ञानिकों द्वारा 20वीं शताब्दी के प्रथम दो दशक में अति मन्द रहा। सन 1920 से 1950 के मध्य, 30 वर्षों में आर.एल. शलॉक (1922) एस. ट्रगिल (1981), जी.पी.जेक्स एण्ड ह्वाइट (1939) ने Man as a Gealogical Agent और Rape of the Earth, नामक पुस्तकों में, ई.एच. ब्राउन (1970) के शोध लेख ने दुनियां का ध्यान पर्यावरण के असन्तुलन के प्रति आकर्षित किया। सन 1955 में अमेरिका के प्रिन्स्टन नामक स्थान पर 'पृथ्वी के स्वरूप को बदलने में मानव की भूमिका' नामक विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एल.आर.सिंह (1983), सविन्द्र सिंह (1983),

आर.सी.तिवारी (1983), आर.पी.श्रीवास्तव (1983) आदि के अध्ययन महत्वपूर्ण हैं।

प्रकृति के साथ समाज की अंतक्रिया इतनी व्यापक है कि उससे सारी मानव जाति को प्रभावित करने वाला प्रश्न उत्पन्न हो जाता है यह पर्यावरणीय प्रश्न कहलाता है। प्रकृति मानव की पोषक है किन्तु लोभी मानव ने उसे अपने उपभोग की वस्तु मान लिया है। इस प्रकार आज प्रकृति का स्वामी बनने की प्रवृत्ति ही मानव और प्रकृति के बीच उत्पन्न खाई का कारण है। काफी समय पहले पिछली सदी में फ्रेडरिक एंगेल्स (1978) ने आगाह किया था। 'परन्तु प्रकृति पर अपनी मानवीय विजयों के कारण हमें आत्म प्रशंसा में विभोर नही हो जाना चाहिये, क्योंकि वह हर ऐसी विजय का हमसे प्रतिशोध लेती है यह सही है कि प्रत्येक विजय से प्रथमतः वे ही परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका हमने भरोसा किया था पर द्वितीयतः और तृतीयतः उसके बिल्कुल ही भिन्न तथा अप्रत्याशित परिणाम होते हैं।' प्रो. ई.एफ.शूमाखर (1995) ने अपनी बहुचर्चित कृति में भी यही दृष्टिकोंण उद्धृत करते हैं– 'सभ्य मानव लगभग सदा ही अपने पर्यावरण पर अस्थायी प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता प्राप्त करता रहा है। उसकी मुख्य कठिनाई तभी आरम्भ हुई जब वह इस भ्रम का शिकार हो गया है कि उसका प्रभुत्व अस्थायी नही बल्कि स्थायी है। वह प्रकृति के नियमों को ठीक से समझने में गल्ती करते हुये भी अपने आपको दुनिया का मालिक समझने लगा।' टामडेल औन बर्नन गिल कार्टन (1995) ने भी अपने विचार इसी प्रकार से व्यक्त किये हैं।

पर्यावरणीय प्रक्रमों पर मनुष्य के प्रभाव-

भौतिक/पर्यावरणीय प्रक्रमों को प्रभावित करने में मनुष्य की भूमिका का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि ये पर्यावरणीय प्रक्रम और जीवमण्डलीय पारिस्थितिक तंत्र की इस एकता तथा समस्थिति पर मनुष्य का अस्तित्व तथा उसके आर्थिक/सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक संगठन निर्भर करते है। मनुष्य द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण तथा उसके प्रक्रमों पर पड़ने

वाले प्रभावों में औद्योगिक क्रान्ति (1860) के बाद अधिक वृद्धि प्रारम्भ हुई परन्तु इस दिशा में जी. पी.मार्श (1864) की पुस्तक 'Man and Nature' को प्रथम कार्य माना जाता है। इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से पर्यावरणीय प्रक्रमों पर मनुष्य के प्रभावों को प्रदर्शित किया है तथा मनुष्य द्वारा पर्यावरण में किये गये परिवर्तनों के परिणाम के प्रति समाज को आगाह तथा सचेत किया है। R.L. Sherlock (1922) ने 'Man as a Geological Agent' तथा इनके शोध लेख 'The infuences of man as an Agent inGeographical change', (1923) द्वारा यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि पर्यवरणीय प्रक्रमों के परिवर्तन तथा रूपान्तर में मनुष्य की अहम् भूमिका होती है।

ज्ञातव्य है कि 1950 तक पर्यावरणीय प्रक्रमों को परिवर्तित करने में मनुष्य की भूमिका के अध्ययन पर कम ध्यान दिया जाता था। परन्तु मानव पर्यावरण के मध्य सम्बन्धों का श्री गणेश उस समय हुआ जबकि 1955 में 'पृथ्वी के स्वरूप को बदलने में मनुष्य की भूमिका'(Man's Role in Changing the Face Of the Earth) नामक विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन प्रिन्स्टन (New Jersey, U.S.A.) में किया गया। 1956 में इस संगोष्ठी की कार्यवाही का W.L.Thomas द्वारा प्रकाशित किया गया। विलकिन्सन (H.Wilkinson,1936) ने अपने शोध लेख के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य के कार्य–कलापों के शक्तिशाली प्रभावों को उजागर किया। E.Felse (1965) ने मानव जनित भू आकृतिक प्रक्रमों के अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी तरह E.H.Brownb (1970) ने अपने शोध लेख ' Man Shapes the Earth' के माध्यम से पर्यावरणीय प्रक्रमों पर मानव क्रियाओं के प्रभावों को विज्ञानी समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किया। R.J.Chorley तथा B.A.Kennedy (1973, Physical Geography A System Approach) ने भौतिक भूगोल में तंत्र उपागम की शुरुवात की। K.J.Gregory तथा D.E.Walling (1981) ने पर्यावरणीय प्रक्रमों पर मनुष्य के प्रभावों से सम्बन्धित विचारों के विकास को

सारांशित किया है। S.Judson (1968) ने रोम (इटली) के निकट अपरदन की वर्तमान दर का आकलन किया। W.M.Denevan, (1967) संयुक्त राज्य अमेरिका में अबनलिका अपरदन पर प्रभाव, J.G.Nelson तथा A.B.Byrne, (1966) ने कनाडा के अलबर्टा प्रान्त की Bow Valley में वनाग्नि तथा बाढ पर प्रभाव, T.J.Gandler, (1965) लन्दन की नगरीय जलवायु पर प्रभाव, S.Gilwerka (1964), ने भौगोलिक पर्यावरण में परिवर्तन पर प्रभाव, प्रकृति तथा प्राकृतिक प्रक्रमों पर मनुष्य के प्रभावों में R.Carson, कर्सन (1962), Silent Springs, R.Arvill (1967), Man and Environment, M.Nicholson, (1972) आदि के अध्ययन प्रमुख हैं।

पर्यावरण पर मनुष्य के प्रभावों से उत्पन्न हुये तथा भविष्य में होने वाले दूरगामी दुष्परिणामों के प्रति विज्ञानियों ने कई शोध लेखों शोध मोनोग्राम तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। जिनमें– I.R.Manner तथा M.W.Mipessell (1974), 'Enviromental Problems T.R.Detwyler (1971), 'Man's Impact on Environment' D.R.Coates (1972–73) 'Environmental Geomorphology and Landscope Conservation' दो खण्डों में, D.R.Detwyler तथा M.G.Marcus ने (1972) 'Urbanisation and Environment' D.R.Coates (1976) 'RUrban Geomorphology' A.N Strahler and A.H. Strahler, '(1976), Geography and Man's Environment; J.E. Hobbs, (1980) ' Applied Climatalogy, K.J. Gregory and D.E. Walling, (1981), 'Man and Environmental Processes', Ian Douglas and T. Spencer, (1985), 'Environmental change and Tropical Geomorphology' L.R. Singh, Savindra Singh, R.C. Tiwari and R.P. Srivastava, (1983), 'Environmental Management', Savindra Singh and R.C. Tiwari, (1989), ' Geomorphalogy and Environment', आदि प्रमुख पुस्तकें मानव पर्यावरण तथा मानव पर्यावरणीय प्रक्रमों के बीच सम्बन्धों पर किये गये शोध कार्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

इस प्रकार प्रथम अध्याय में हमने पर्यावरण से सम्बन्धित आवश्यक तथ्य प्रस्तुत किये हैं। जिसमें प्रदूषण की भयावहता का पता चलता है। इससे छुटकारा पाने के लिये जहां एक ओर मशीनीकृत प्रयास हो रहें है वहीं दूसरी ओर मानव संसाधनों का प्रयोग कर प्रदूषण से बचने का प्रयास जारी है अब इसकी प्रबल आवश्यकता है कि हम अधिकतम लोगों को पर्यावरण प्रदूषण से अवगत करायें तथा उससे बचने के उपाय सुझायें। इस दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन वर्तमान में महिलाओं में पर्यावरण एवं उसमें उत्पन्न होने वाले प्रदूषणों की जानकारी से सम्बन्धित है। अपेक्षा है कि ऐसे अध्ययन से स्थानीय स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। जिससे आगे आने वाले समय में ऐसी समस्याओं से निजात पाने में प्रस्तुत अध्ययन मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

द्वितीय—अध्याय

द्वितीय अध्याय

पद्धति शास्त्र

सामाजिक जीवन व घटनाओं के बारे में अधिक से अधिक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 'अनुसन्धान प्रक्रिया' का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक एंव सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिये अध्ययन से सम्बन्धित विषय—वस्तु , घटना का निष्पक्ष व्यवस्थित एंव क्रमबद्व अध्ययन किया जाता है। बर्जेस (1916) ने एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक की रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया, इसकी दशाओं एंव आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (1977) ने कहा कि अनुसंधान चाहे जिस कोटि के हो उसके निम्नलिखित सोपान होते है—समस्या का चुनाव, अनुसंधान विषय से सम्बन्धित वैज्ञानिक साहित्य का सर्वेक्षण, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, प्राकल्पना का निर्माण, आंकड़ो का संकलन, आंकड़ो का उपयोगीकरण, आंकड़ो का निर्वचन, सामान्यीकरण।

यह सभी प्रक्रियायें समग्र रुप से पद्वतिशास्त्र के ही अंग हैं। किसी शोध के लिए समस्या का चयन प्रारम्भिक चरण है। समस्याओं में से समस्या का चयन स्वयं एक समस्या होती है। इस सम्बन्ध में डा0 श्यामधर सिंह (1986) ने कहा समस्याओं का चयन समस्या का समाधान का आरम्भिक बिन्दु स्पष्ट रुप से एक विशेष समस्या के चयन का समाधान बनता है। इस दृष्टि से समस्या का चयन ही शोध प्रारुप का निर्धारण करता हैं। पी0 वी0 यंग (1968), गुड

एवं हॉट (1952), ने अपने विचार इसी प्रकार से व्यक्त किये हैं।

अध्ययन की आवश्यकता–

ग्रामीण समाज के अध्ययन वर्तमान समाजशास्त्रियो के लिये एक अपरिहार्य एंव अनिवार्य विषय बन गए हैं। ए0 आ0 देसाई द्वारा रचित पुस्तक भारतीय ग्रामीण समाज शास्त्र जब 1956 में प्रकाशित हुई तो विद्वान लेखको ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय ग्रामों में होने वाले परिवर्तनों से सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना में जो अन्तर आए है उसे समझे बगैर कोई भी पुर्न निर्माण कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। देसाई की चेतावनी के बाद से अब तक ढेर सारे प्रयास ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में हुये है, ग्रामीण समाज के अनेक अंगो एवं उपायों का वैज्ञानिक अध्ययन हो चुका है। कुछ अध्ययनों का तो पुर्न परीक्षण भी हुआ है। परन्तु कुछ क्षेत्र अभी भी अछूते बचे हुये हैं। अथवा इन क्षेत्रो मे हुए कार्य नगण्य ही है। इसी श्रंखला में ग्रामीण महिलाओ और विशेषकर ग्रामीण पर्यावरण के स्वच्छ वायु, जल, मिट्‌टी, पेड़–पौधे तथा प्राणी (जन्तु) के बीच समन्वित रुप से रह रही है परन्तु क्या वे इस पर्यावरण की अनुक्रियाओं से पूर्ण परिचित है। यह जानने का विषय है, जिस पर कुछ विशेष कार्य नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।

अध्ययन का सन्दर्भ-

भारत के ग्रामीण एवं वानाच्छादित क्षेत्रों में आधुनिकता की तीव्र–लहर का अभाव दिखाई पड़ रहा है। आज जबकि आधुनिकीकरण विश्वव्यापी घटना बन चुकी है। ग्रामीण अंचलो में उपरोक्त साधनों के अभाव में अपेक्षाकृत आधुनिकता कम दिखलाई पड़ती है। यही कारण है कि नगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय चेतना पूर्णतया व्याप्त नही हैं। समाजशास्त्रियों की दृष्टि इस विषमता की ओर अभी उतनी नहीं पहुंची है जितनी की उनसे उपेक्षा की जाती है। पर्यावरणीय प्रक्रिया के प्रमुख अंग, वायु, जल, मिट्‌टी, पेड़–पौधो, प्राणी (जन्तु) जैसे विषय पर ग्रामीण अंचलो में अपेक्षाकृत

कम अध्ययन हुए है। पर्यावरण सम्बन्धी शोधो का जहॉ तक प्रश्न है। इस पर न केवल प्राकृतिक वैज्ञानिक वरन् सामाजिक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में अनेक कार्य किये है। जिनमें इ0 त0 फ्रलोव (1986), फ्रेडरिक एंगेल्स (1978), कार्ल मार्क्स (1978), वी0ई0 लेनिन (1974), ई0प0 गेरासिमोव (1986), ई0प0 गेरासिमोव (1986), जगदीश चन्द्र पाण्डेय (1986) प0इ0 वेर्नाद्स्की (1965), मार्क्स ऐंगल्स (1975), फ्रडरिक ऐगंल्स (1974), स0न0 स्मिर्नोव (1986), इ0व0 नोविक (1974), ब0न0 लास्कोरिन (1986), ई0एच0 ब्राउन (1970), जी0वी0 जेक एंव आर ओ0 व्हाइट (1939), ओ0स0 कोल्बासोव, डी0एस0सी0 (1986),प0अ0 गेओदाक्यान (1973), जी0पी0 (1864), आदि ने इस क्षेत्र में कार्य किये है।

जहॉ एक ओर भूगोल क्षेत्र में पर्यावरण के सम्बन्ध में अनेक शोध प्रकाशित हुएं है जिसमें अमेरिकन भूगोलविद् कुमारी एलेन चर्चिल सेम्पुल (1910), एल0 ग्रासमैन (1977), ए0 एन स्ट्रेलर एण्ड ए0 एच0 स्ट्रेलर (1976), आर0 डी0 दीक्षित (1984), पीटर हैगेट (1972), एस0 आर0 इयर (1964), डी0 आर0 स्टुडार्ट (1965), आई0 जी0 सीमांस (1966), के0 हेविट तथा एफ0 के0 हेरी (1973), डी0 बी0 बोटकिन तथा ई0 ए0 केलर (1982), आदि के अध्ययन महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरणीय संसाधनो का संरक्षण तथा प्रदूषण का नियंत्रण, पर्यावरण नियोजन की आवश्यक पूर्ण दशायें एंव पर्यावरण के बीच अन्तर्क्रियाओं को भली–भाँती स्पष्ट करने के लिए अनेक पर्यावरणीय शोध प्रकाशित हुए जिनमें ए. जी. टान्सले (1935), आर. एल. लिण्डमैन (1942), ई. पी. ओम (1962), जे. मेडोक्स (1972), सी. सी. पार्क (1980), एल . आर सिंह, सविन्द्र सिंह (1983), जे0एन0 जफर (1973) एल0 जॉवलर (1962) आर0 एफ. दासमैन (1976) सी.सी. पार्क (1980) डी. आर. हेलीवेल (1969), आर. जी. एच. बुन्स तथा एम. डब्लू. सॉव (1973), डब्लू. अल्टफादर तथा ई. एस. क्रोशियर (1971), जे. पी. ग्रीम (1974), एम. ई. पिकरिंग (1977), आर. ए. हवीज तथा आर0जे0 हड्सन (1976) एफ0वी0 गोल्ड स्मिथ (1975) सी.आर. डब्स तथा जे.

डब्लू ब्लैकपूड (1971), जी. एफ. पेटरकेन (1975), एफ. आर. गैलबैच (1975), ई. पी. ओडम (1971), एफ. एच. पेरिंग तथ एल. फैरेल (1977), माइकेल बैटिसी (1986), पी. जोशी (1990), आदि के अध्ययन महत्वपूर्ण है।

महिलाओं सम्बन्धी अध्ययन–

महिलाओं में सामाजिक अन्याय एवं सामाजिक समस्याओं के सन्दर्भ में, पर्दा, अशिक्षा, बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह प्रतिबन्ध, देवदासी प्रथा, दहेज एवं दहेज हत्या, बलात्कार, शारीरिक क्षति महिलाओं के कुपोषण, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति आदि से सम्बन्धी अध्ययन एम. ई. कजिन (1923), (1941), एस. के नेहरू (1934), के. डी. चट्टोपाध्याय (1939) एन. ए. देसाई (1957), ए. एस. माथुर एवं बी. एल गुप्ता (1965), की वेश्वावृत्ति सम्बन्धी अध्ययन पी. मेहता (1975), का चुनाव प्रकार एवं सामूहिक प्रभाव में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन, एच. आर. त्रिवेदी (1976) द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं के शोषण सम्बन्धित अध्ययन प्रमिला कपूर (1978) द्वारा कालगर्ल के जीवन शैली एवं व्यावसायिक व्यवहार सम्बन्धी अध्ययन जे. सी. दास एवं एम के राय द्वारा आदिवासी भोटियां महिलाओं के आर्थिक रूपान्तरण का अध्ययन एम. ए. खान एवं नूर आयशा (1982) द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति सम्बन्धी अध्ययन तथा एन. ए. देसाई एवं एम. कृष्णा राज (1987) द्वारा भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्बन्धी इसी श्रेणी के अर्न्तगत रखे जा सकते है।

प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रस्थिति सम्बन्धी अध्ययन अनेक विद्वानों द्वारा किए गए है, जिनमें से डी. एन. मित्तल (1913) द्वारा हिन्दू कानून में स्त्रियों की स्थिति, सी बादर (1925), ने अर्वाचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन किया। ए० एस. अल्टेकर (1938), ने हिन्दू सम्यता में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन, एम. ए. इन्द्र (1940) ने सामान्य रूप से भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन, एम. ए. इन्द्र (1940) ने सामान्य रूप से भारतीय समाज में

स्त्रियों की स्थिति का अवलोकन किया है। दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने महिलाअें की परिवर्तित होती हुई स्थिति का अध्ययन किया है, जिसमें से ए. अप्पा दुराई (1954) ने दक्षिण एशिया में महिलाअें की प्रस्थिति का, एस. श्री देवी (1965) ने भारतीय महिलाआं के एक शतक में मदिरापान का अध्ययन किया है जबकि सी. ए. हाटे (1969) ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं में परिवर्तित प्रस्थिति का अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त डी. जैन (1975), डिसूजा (1975), बेग (1976), रवना एवं वर्गिस (1976) ने इसी सन्दर्भ में अध्ययन किये है। एक विस्तृत रिपोर्ट महिलाओं के सम्बन्ध में यूनेस्कों ने 1985 एवं 85 के मध्य भारतीय महिलाओं के सम्मुख उत्पन्न होने वाली चुनौतियों एवं उनमे होने वाले परिवर्तनों का सफल अध्ययन एन. ए. देसाई एवं विभूति पटेल ने (1987) में प्रस्तुत किया है।

महिलाओं के जीवन से सम्बन्धित अध्ययन में के. एम. कापाड़िया (1958) द्वारा किया गया 'भारत में विवाह एवं परिवार' ए.डी. रोज (1961) द्वारा शहरी क्षेत्र में हिन्दू परिवारों का अध्ययन एम. एस गौर (1968) द्वारा नगरीकरण एवं परिवारिक परिवर्तन सम्बन्धी इस बात के साक्षी हैं कि परिवार विवाह जैसी संस्थाओं में स्त्रियों की क्या स्थिति रही है इसी प्रकार कार्यरत महिलाओं एवं उनके समायोजन से सम्बन्धित अध्ययन प्रमिला कपूर (1974) ने किया जिसमें महिलाओं की बदलती हुई प्रस्थिति की चर्चा की। इसे आधार लेकर अन्य विद्वानों ने महिलाओं के आर्थिक प्रस्थिति को लेकर अध्ययन करवाये। पी.सेन गुप्ता (1960) ने भारत में कार्यरत समस्त महिलाओं का सर्वेक्षण किया। पी.एम. घारपूरे (1959) ने पूना में घरेलू सेवकों के जीवन से सम्बन्धित अध्ययन अपने शोध प्रबन्ध में प्रस्तुत किया, जबकि देविका जैन (1980) ने भोजन, कपड़ा, मकान के लिये अन्याय क्षेत्रों में महिलायें संगठित होकर कार्यरत हुई। ए0बी0सेन (1969) ने शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन किया। महिलाओं के स्वास्थ्य विषयक समस्याओं का सफल अध्ययन पदमा प्रकाश (1986) ने किया है। जहां तक महिलाओं की राजनीतिक प्रस्थिति एवं उनकी सहभागिता

का प्रश्न है। इस विषय पर एम.कौर (1968) के.सिन्हा (1974) तथा वी. मजूमदार (1979) ने बौद्धिक कार्य प्रकाशित किये। भारतीय महिलाओं के आन्दोलनों से सम्बन्धित अध्ययन पी. अस्थाना एवरेट (1979) के.डी. चटोपाध्याय (1983) का स्वतंत्रता के लिये भारतीय महिलाओं का संघर्ष तथा कुमुद शर्मा (1984), नन्दिता गाँधी (1986) विभूति पटेल (1986) सुधा नाग (1989) के अध्ययनों से अन्याय एवं शोषण के खिलाफ संगठित होती हुई महिलाओं के अध्ययन को चित्रित किया गया है। इस तरह से महिलाओं के विकास के विभिन्न आयामों पर वैज्ञानिक दृष्टि से अनेक अध्ययन प्रकाश में आ चुके है।

पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन–

पर्यावरण का विषय अब मात्र भूगोल एवं पारिस्थिति शास्त्र तथा उससे सम्बन्धित विषयों तक ही सीमित नही है, वरन अब वह जन साधारण का भी विषय बन चुका है। लेकिन समाजशास्त्रियों की दृष्टि इस विषमता की ओर अभी उतनी नही पहुंची जितनी की उनसे अपेक्षा की जाती है। वैसे तो पर्यावरण के अध्ययन में शोधार्थियों ने पर्यावरणीय पक्षों पर भी प्रकाश डाला गया है जिनमें टी.आर.डेटवायलर (1971), आर.एफ.दासमैन (1974), जे.फ्रासलैण्ड (1978), बी.डब्ल्यू.एटकिशन (1987), पी.के.कर्मा (1982), एच.एस.शर्मा (1983), ए गाउडी (1984), जे. सिंह (1988), आर.सी. तिवारी (1989), ए.एन.स्ट्रेलर तथा ए.एच.स्ट्रेलर (1976), सी.सी.पार्क (1980), ए0 गाउडी (1984)के. आर. दीक्षित (1984), सविन्द्र सिंह और ए. दुबे (1983), जे.सिंह (1984), डाउन्स (1972), पी.एन.फेडरोव (1983), गासमैन (1977), आर.डी.दीक्षित (1984), जे.ई.हाब्स (1980), एम.कोल (1971), डेविस तथा पिन्सेंट (1975), ई.एच.डेरिक (1965, 1966,1969), ग्रीनवर्ग (1964 तथा 1967), जे.बी.हेन्सन तथा एस.ए.पेडर्सन (1972), डी.बी.बॉटकिन तथा ई.के.केलर (1982), ई.के.फेडरोव (1983), डा. शिवानन्द नौटियाल (1991), डा.मत्स्येन्द्र नाथ शुक्ल (1992–93) आदि के अध्ययन महत्वपूर्ण हैं।

अध्ययन का उद्देश्य–

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कार्यक्रम प्रारम्भ मे सन् 1982 में 50 चुने हुये जिलों में शुरू किया गया तभी से सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण महिलायें जागरूक होती जा रही हैं। उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी एवं उनके दिशा–निर्देश के लिये आवश्यक हो जाता है कि ग्रामीण महिलाओं पर्यावरण सम्बन्धी चेतना एवं प्रभावकारिता का विशेष एवं गहन अध्ययन किया जाये। वर्तमान समय में नारियों में अपने स्थिति के प्रति एक विशेष चेतना का उदय हुआ परन्तु जितनी सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक चेतना नगरीय महिलाओं में हुई उसकी तुलना में यह चेतना ग्रामीण महिलाओं में अपेक्षाकृत कम हुई है। इस दृष्टि से ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरणीय सम्बन्धी चेतना का महत्व बढ़ जाता है।

पर्यावरणीय (सुरक्षा) अधिनियम 19 नवम्बर 1986 में बनाया गया है इसके द्वारा देश के पर्यावरण से सम्बन्धित सभी मामलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। जिससे नगरीय समाजों में पर्यावरण के प्रति सजगता आई परन्तु क्या यह चेतना ग्रामीण समाजों में है। और क्या ग्रामीण महिलायें इस पर्यावरणीय चेतना से प्रभवित है। इसी सम्बन्ध में साक्षात्कार अनुसूची में ग्रामीण महिलाओं से अनेक प्रश्न पूछें गये हैं परन्तु अनमें से कुछ के उत्तरों के माध्यम से उनकी सामाजिक चेतना जानने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में इन महिलाओं से परिवार लघुता एवं दीर्घता, विवाह के सम्बन्ध में विधवा विवाह सम्बन्धी दृष्टिकोंण, दहेज जैसे अभिशाप के बारे में दृष्टिकोण, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, एवं राजनीतिक, प्रस्थिति में परिवर्तन जैसे विषयों में जानकारी प्राप्त की गई है। तथा यह भी जानने का प्रयास किया गया कि जिस पर्यावरण में वे रह रहीं हैं उसके साथ कितना तादात्म्य स्थापित कर पा रही है। अर्थात जिस समाज में ये ग्रामीण महिलायें रह रही है उस समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक पर्यावरण से कितना अधिक प्रभावित हो रही है यह जानने का प्रयास किया गया है।

इसके लिये चारो गाँवों में उक्त प्रश्नो के उत्तरो का विश्लेषण सांख्यकी विधि से किया जा रहा है।

ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति एवं उनकी मनोवृत्तियों में कितना परिवर्तन आया है, इसका अध्ययन निम्न बिन्दुओं में प्रस्तावित है।

1. ग्रामीण समाज की महिलाओं की क्या स्थिति एवं भूमिका है और वे जिस पर्यावरण में रह रही है उससे कितना तादाम्य स्थापित कर पायी हैं यह जानकारी का अवलोकन।

2. ग्रामीण महिलाओं की सांस्कृतिक विशेषता तथा जीवन मूल्य, रीति–रिवाज, धार्मिक प्रभाव, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संरचना एवं पर्यावरण के सह –सम्बन्धों के विषय में जानना भी आवश्यक है।

3 ग्रामीण महिलाओं स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों तथा रोजगार दक्षता प्रशिक्षण तथा श्रम तथा अन्य सहायक सेवाओं से ग्रामीण महिलाओं के स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है। पर्यावरण के प्रभाव में इस सन्दर्भ में कितना अन्तर आया है। यह जानने का विषय बन जाता है। यातायात, संचार एवं सन्देशवाहन की पर्याप्त सुविधा न प्राप्त होने से ग्रामीण महिलायें उतनी सजग नही हो पायी है क्या इन साधनों के अभाव का प्रभाव ग्रामीण महिलाओं के पर्यावरणीय चेतना पर है? यह जानकारी का विषय बन जाता है।

4. साथ ही प्राकृतिक पर्यावरण–वन, मरुस्थल, वायु, जल, भूमि, भूमण्डलीय पर्यावरण, प्रदूषण, मिट्‌टी, पेड़–पौधे तथा प्राणी (जन्तु) पर्यावरण परिस्थितिकी का ग्रामीण महिलाओं की क्रिया–कलापों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तथा इस परिप्रेक्ष्य में उनकी भूमिका में क्या परिवर्तन हुये है। यह जिज्ञासा का विषय है।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण विकास, गरीबी निवारण कार्यक्रम के लाभार्थियों के संगठन,

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अर्न्तगत पेय जल स्वयं सेवी संगठनों की सहायता उपलब्ध कराई जाने से ग्रामीण जीवन पर इनकी प्रभाव की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

6. महिलाओं में शिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोंण का अवलोकन।

7. परिवार में महिलाओं की प्रस्थिति एवं भूमिका।

8. महिलाओं में पुत्र एवं पुत्री के सन्दर्भ में दहेज सम्बन्धी दृष्टिकोण का अवलोकन।

9. पर्यावरण पारिस्थितिकी का ग्रामीण महिलाओं की क्रिया–कलापों पर प्रभाव का अवलोकन।

10. ग्रामीण पंचायत एवं चुनाव के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका एवं दृष्टिकोण।

11. धार्मिक उत्सव एवं संस्कारों में महिलाओं की भूमिका।

1.2 सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं का महिलाओं पर प्रभाव।

13. पुत्रियों की अपने परिवार के अन्य सदस्यों के सन्दर्भ में प्रस्थिति एवं भूमिका।

14. .महिला के रूप में प्रताड़ित होने की दशा का आकलन।

15. .परिवार में बहुओं की प्रस्थिति एवं भूमिका।

16. .ग्रामीण महिलाओं में जीवन मूल्य, रीति–रिवाज, धार्मिक प्रभाव, सामाजिक, आर्थिक संरचना एवं पर्यावरण के सह सम्बन्धों का अवलोकन।

ग्रामीण महिलायें जिस पर्यावरण में रह रही है उस गांव में पेयजल की क्या स्थिति है। शिक्षा के अवसर गांव के बड़े परिवारों का गरीब महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार है। महिलायें मजदूरी के रूप में सरकारी, गैर सरकारी कार्यों में क्या पाती है। मजदूरी वर्ष में कितने दिन सुलभ है। महिलायें तथा उनके बच्चों के लिये कोई सरकारी योजना है क्या? बच्चों एवं महिलाओं को कोई टीके लगाने आता है क्या? स्वास्थ्य सुविधायें क्या है। सस्ता कपड़ा,

तेल,चीनी, समय से मिलती है क्या? ईंधन की क्या समस्या है, महिलाओं का कहीं कोई एकत्रीकरण होता है क्या? आदि प्रश्नो से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास प्रस्तुत अध्ययनन का उद्देश्य है।

उद्देश्य की पूर्ति एवं नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिये अध्ययनकर्ता ने इस सम्बन्ध में कुछ उपकल्पनाओं का निर्माण किया है जिसे वैज्ञानिक पद्धति से जाचने का प्रयास किया गया है। पद्धतियों की चर्चा पद्धतिशास्त्र खण्ड में विस्तार से प्रस्तुत है।

उपकल्पनाएं-

1. ग्रामीण महिलाओं की जाति का प्रभाव उसके पर्यावरण सम्बन्धी चेतना पर पड़ता है।
2. ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा के अभाव पर्यावरण सम्बन्धी चेतना अल्प है।
3. ग्रामीण महिलाओं को पर्यावरण सम्बन्धी चेतना पर उनके निवास स्थान एवं पारिवारिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है।
4. ग्रामीण महिलाओं की पर्यावरणीय चेतना पर उनके आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है।
5. ग्रामीण महिलाओं की सांस्कृतिक व्यवस्था से उनकी पर्यावरणीय चेतना प्रभावित होती है।
6. सन्देश वाहन के उपयुक्त साधनो के अभाव के कारण ग्रामीण महिलायें पर्यावरणीय चेतना से भिज्ञ नही है।

ग्रामीण महिलाओं के नगरीय एवं अन्य सम्पर्क के अभाव के कारण उनकी पर्यावरणीय चेतना प्रभावित होती है।

अध्ययन क्षेत्र–

उत्तर–प्रदेश में सन 1998 तक 19 मण्डल (कमिश्नरी) है जिनमें 83 जिलें है। 1997 में उत्तर–प्रदेश में हुये सत्ता परिवर्तन के बाद उत्तर–प्रदेश सरकार ने नये मण्डल का सृजन किया जिसका नाम चित्रकूटधाम मण्डल बाँदा है। इसका क्षेत्र झांसी मण्डल में आने वाले 4

जिलों हमीरपुर, महोबा, बाँदा, चित्रकूट इन चारों जिलों को झांसी मण्डल से अलग करके सृजित किया गया है। इस मण्डल का नामकरण भगवान श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट के नाम पर है लेकिन इसका मुख्यालय बाँदा जनपद में है।

प्रस्तुत अध्ययन इसी चित्रकूटधाम मण्डल बाँदा से सम्बन्धित है। नन्दकिशोर गुप्ता (1999) के अनुसार बाँदा जनपद की जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण 10,85,304 नगरीय 18,0839 इस प्रकार कुल जनसंख्या 1266143 है। पूर्व में भरतकूप से पश्चिम में मटौंध तक विस्तृत बांदा जनपद का क्षेत्रफल 4112 किमी. है। इस जनपद में कुल ग्रामों की संख्या 718 है। जिसमें कुल आबाद गांव 675 व गैर आबाद गांव की संख्या 43 हैं। 4 तहसील, 8 विकास खण्ड, 72 न्याय पंचायत, ग्रामीण बैंक 54, गल्ले की दुकानें 663, गोबर गैस संयत्र 1660, साक्षरता का प्रतिशत 33, औद्योगिक संस्थान 3, राजकीय चिकित्सालय 110, परिवार तथा शिशु कल्याण केन्द्र 111, विद्युतीकृत गांव 510, हरिजन बस्तियां 418, पशु चिकित्सालय 19, पशु धन सेवा केन्द्र 21 है। इस जनपद के उत्तर में फतेहपुर जनपद, दक्षिण में छतरपुर, पन्ना, सतना (म0प्र0) है। पूर्व में इसी जनपद से अलग हुआ भाग चित्रकूट एवं रींवा (म0प्र0) है तथा पश्चिम में हमीरपुर जनपद इसकी सीमा में स्थित है। बांदा जनपद उत्तर में चन्दवारा नाम से दक्षिण में कालींजर तक का विस्तार लिये हुये है। प्राकृतिक रचना की दृष्टि से यह जिला यमुना नदी, केन नदी बागे नदी तथा दक्षिण में पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। इसका कुछ भाग ऊँचा-नीचा है। शेष भाग समतल है। जिले का ढाल दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर है। भारतेन्दु प्रकाश (1996) के अनुसार इस जिले के उत्तरी सीमा में यमुना नदी 215 किमी. तक प्रवाहित होती है। जिले के सभी नदी नाले पूर्व उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होकर इसी यमुना नदी में मिलते है। पूरा जिला यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत है।

प्रस्तुत अध्ययन इसी जनपद के अतर्रा तहसील के अर्न्तगत महुआ विकास खण्ड के

निम्न 4 गाँव के अध्ययन पर आधारित है। महुआ विकास खण्ड बांदा मुख्यालय से बांदा इलाहाबाद रोड में बांदा से 15 किमी. की दूरी में स्थित है। इसमें कुल 119 गांव आते है इनकी ग्रामीण जनसंख्या कुल 152411 है। शोध छात्रा ने इस ब्लाक के 4 बिखरे हुये गांव से महिलाओं को उत्तरदात्रियों के रूप में चुना है। ये 4 गांव है– बड़ोखर बुजुर्ग, मलहरा निवादा, जरर, छिबांव। 14 अक्टूबर 96 को प्रकाशित जनपद सूचना के आधार पर इन 4 ग्रामों की जनसंख्या इस प्रकार है।

ग्राम	परिवार	पूर्णजनसंख्या	ग्राम पंचायत सदस्य संख्या	अनुसूचित जाति
बड़ोखर बुजुर्ग	780 / 162	4705	15	1243
मलहरा निवाद	565 / 113	2886	13	883
जरर	325 / 65	1863	11	324
छिबाँव	600 / 120	2975	13	1082

महुआ विकास खण्ड बांदा मुख्यालय से बांदा इलाहाबाद रोड में बांदा से 15 किमी. की दूरी में स्थित है। बांदा से बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम 15 किमी., मलहरा निवादा 12 किमी., जरर ग्राम 17 किमी., छिबांव ग्राम 16 किमी. की दूरी पर स्थिति है। इन क्षेत्रों में बस से जाना पड़ता है। इसके तीन ग्रामों में सड़क यातायात की समुचित व्यवस्था न होने से निवादा ग्राम में 3 किमी. , जरर ग्राम में 3 किमी. छिबांव ग्राम में 2 किमी. पैदल चलना पड़ता है।

बांदा जनपद से महुआ विकास खण्ड के जिन 4 ग्रामों को शोध छात्रा ने चुना है। यह 4 ग्राम महुआ विकास खण्ड से कितनी दूरी पर बसते है। तथा यह ग्राम महुआ ब्लाक से किस दिशा की ओर पड़ते है जिनका वर्णन इस प्रकार है–

विकास खण्ड महुआ से चार ग्रामों की दिशा एवं दूरी-

1. बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम पश्चिम–दक्षिण के बीच 5.08 किमी. की दूरी पर अवस्थित है।
2. मलहरा निवादा ग्राम पश्चिम–दक्षिण के बीच 3.3 किमी. की दूरी पर अवस्थित है।
3. जरर ग्राम दक्षिण–पश्चिम के बीच 8.89 किमी. की दूरी पर अवस्थित है।
4. छिबांव ग्राम पूर्व–दक्षिण के बीच 7.24 किमी. की दूरी पर अवस्थित है।

महुआ विकास खण्ड के इन चारो गांव की महिलाओं का सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवेश एक दूसरे से भिन्न है। इसी विविधात्मक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में इस शोध प्रयास द्वारा यह जानने की कोशिश की गयी है कि ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरणीय चेतना के स्वरूप में क्या समानतायें और विभिन्नतायें है। उनका विस्तृत विवरण यहां दिया जा रहा है।

उपरोक्त 4 गांव के उत्तरदात्रियों के परिवेश में भिन्नता को सबसे उत्तम जानकारी चयनित प्रत्येक ग्राम पुरवे, मुहल्ले के समग्र चित्र से ही मिलती है। यद्यपि इस शोध प्रबन्ध के विभिन्न अध्यायों में सांख्यकीय सामान्यीकरण प्रस्तुत किये गये है और कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले गये किन्तु सामाजिक यथार्थ का सही चित्र सारणियों के आंकड़ों से कदापि नही मिलता। महिलाओं की स्थिति दूसरे समूहों की तुलना में कैसी है। उनकी आर्थिक व्यावसायिक स्थिति कैसी है तथा उनके बीच क्या–क्या परिवर्तन आ रहे है और उनकी पर्यावरणीय चेतना एवं सहभागिता का स्तर कैसा है इन सब बातों का अधिक सही चित्र तो इस पृष्ठभूमि के विवरणों से ही मिलता है। इसीलिये इसे यहां महत्वपूर्ण सामग्री मानकर दिया जा रहा है। फिर भी विवरण को यथा संभव संक्षिप्त रखा जा रहा है। इस विवरण में सम्बन्धित मंजरो/ग्राम/मुहल्लों के बारे में निम्नलिखित सूचनायें विशेष रूप से दी गयी है। कुल जनसंख्या, ग्रामीण परिवारों की संख्या, क्षेत्रफल, भूमि वितरण, आय, व्यवसाय, शिक्षा, यातायात, चिकित्सा सुविधायें, महिलाओं

चेतनात्मक परिवर्तन तथा उनमें पर्यावरणीय चेतना तथा सहभागिता के सन्दर्भ में उनका भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का आगामी विवरण इस क्रम से दिया जा रहा है–

(अ) बड़ोखर बुजुर्ग

(ब) मलहरा निवादा

(स) जरर

(द) छिबांव

(अ) बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम

भौगोलिक संरचना-

बांदा शहर से बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम नरैनी रोड पर 16 किमी. की दूरी पर सड़क के किनारे बसा हुआ है। बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम तहसील नरैनी, विकास खण्ड महुआ में स्थित है। इस ग्राम के उत्तर की ओर निवादा 2 किमी. पूर्व में तेरा पतउरा 2 किमी., दक्षिण में पैगम्बरपुर 2 किमी., पश्चिम में मनीपुर 2 किमी. है। इस ग्राम की मुख्य सड़क पक्की है जिस पर बांदा, गिरवां के लिये बसें प्रत्येक 10–15 मिनट के अर्न्तगत उपलब्ध हो जाती है। टैम्पू, टू सीटर, विक्रम 10 मिनट के अर्न्तगत उपलब्ध हो जाते है। बांदा से गिरंवा की ओर जाने वाले सभी ट्रक एवं बस इसी मार्ग से होकर गुजरते है। इस ग्राम के उत्तर में पश्चिम से पूर्व की ओर नहर बह रही है जो इस क्षेत्र की कृषि को सिंचाई की सुविधा देती है। इस गांव के 3 तरफ तालाब बने हुये है जिसमें सिंघाड़े की पैदावार, मछली उत्पादन कार्य किया जाता है। गर्मी के दिनों में पशुओं के लिये पानी पीने की सुविधा इसी तालाबों से है। दक्षिण की ओर 6 किमी. दूर विन्ध्यवासिनी देवी का खत्री पहाड़ स्थित है, जहां हर सोमवार को मेला लगता है। बडोखर बुजुर्ग ग्राम की कुछ जमीन काली मिट्टी (मरवा) की है जिसमें गेंहू, जौ, अरहर, मूंग, चना मसूर इत्यादि पैदा होता

है। कुछ जमीन पडुवा है। जिसमें धान पैदा होता है। एक चौथाई भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है। तथा एक तिहाई क्षेत्र की मिट्टी धान की फसल के लिये उपयुक्त है। इस ग्राम में महुआ, बबूल, नीम, आम, पीपल, बरगद, जामुन आदि के वृक्ष खेतों में लगे हुये है। तथा यूकेलिप्टस, नीम आदि के वृक्ष बस्ती में लगे हुये है इन सभी वृक्षों में महुआ एवं बबूल के वृक्षों की अधिकता अधिक है। इस गांव की मुख्य उपज धान है तथा सड़क के किनारे चमरउडा बस्ती से पश्चिम–दक्षिण कोने में गैरी तालाब स्थित है। जिसमें पशु–पक्षी, महिलायें एवं अन्य सभी जीव इस तालाब के पानी का इस्तेमाल करते है। इस तालाब का पानी बहुत गन्दा है।

बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम के कोरउडा मुहल्ले के उत्तर–पूर्व में संकटमोचन का सार्वजनिक मन्दिर स्थित है। इस मन्दिर का निर्माण कार्य श्री रणछोरदास जी महाराज की प्रेरणा से कायस्थों ने बनवाया था। ठोकरउडा मुहल्ले में गांव के दो प्रसिद्ध मन्दिर स्थित है, जिसमें ठीक पूर्व की ओर भगवान श्रीराम व सीता माता का भव्य मन्दिर कुंआ एवं बाग–बगीचे है। गांव के ठीक दक्षिण की तरफ हनुमान जी का मन्दिर एवं 8–10 बीघा में पक्की ईंटों से बना बहुत प्राचीन तालाब स्थित है। इस ग्राम के ठोकरउडा मुहल्ले में 3 फार्म हाउस बने है। जिसमें कृषि का कार्य होता है। हटवारा मुहल्ले में ग्राम का डाकखाना (पोस्ट आफिस) स्थित है। बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम के बस स्टाप में तुलसी ग्रामीण बैंक स्थिति है। यहीं पर व्यापारिक दृष्टि से 15–20 पक्की दुकाने, पान का डिब्बा, जनरल स्टोर, कपड़े की दुकान, फर्नीचर, हलवाई आदि की दुकानें है। यहीं पर सड़क के किनारे–किनारे 4 चक्की घर हैं। दो चक्की ब्राम्हणों की हैं। जिनमें से एक चालू हालत में है। दूसरी बन्द पड़ी है। एक कायस्थ की और एक काछी की है। यहीं पर पी. सी.ओ. हीरालाल त्रिपाठी के यहां है। गांव के सड़क से पश्चिम की तरफ नहर के किनारे एलोपैथिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है।

एलोपैथिक स्वास्थ्य केन्द्र के बगल में टेलीफोन एक्सचेन्ज का टावर बना है। इसके

पश्चिम–दक्षिण के कोने में चमरउडा मुहल्ले में प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी कन्या स्कूल व जूनियर हाई स्कूल, खाद गोदाम व किसान सहायक का निवास स्थान स्थित है। किसान सहायक हरीराम पंचाल ये किसानो को सलाह देते हैं तथा उनकी समस्या का समाधान करते है। यहीं पर गांव का सबसे प्रसिद्ध व प्राचीन मुरली मनोहर का मन्दिर स्थित है जिसमें भगवान श्री राधाकृष्ण व पुरुषोत्तम रामजानकी, हनुमान जी की मूर्तियां स्थित हैं। यह मन्दिर गांव की सम्पूर्ण जनता का श्रद्धा व भक्ति का केन्द्र है। जिसमें हर जाति हर धर्म के लोग आते है। इस मंदिर के बाहर भव्य स्टेज बना हुआ है जिसमें प्रत्येक वर्ष रामलीला का आयोजन किया जाता है। गांव के दक्षिण में नरैनी रोड के किनारे एक स्टोन क्रेशर (बलराम सिंह) का लगा है।

(ब) मलहरा निवादा

भौगोलिक संरचना–

बांदा शहर से नरैनी रोड से 12 किमी. की दूरी पर मलहरा निवादाग्राम बसा हुआ है। इसके पूर्व में महुआ ब्लाक 3.3 किमी. की दूरी पर तथा पश्चिम में बांधा पुरवा 3 किमी. दूरी पर बसे हुये है। इस ग्राम के उत्तर में डिंगवाही 3 किमी. की दूरी पर तथा दक्षिण में बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम 4 किमी. की दूरी पर बसे है। बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम से आती हुई जो नहर मलहरा निवादा ग्राम से निकलती है इसी नहर के किनारे–किनारे जाने से महुआ ब्लाक मिलता है। इस ब्लाक के सबसे नजदीक यह गांव बसा हुआ है। जिससे कि इस गांव के लोगों को इस ब्लाक से पेड़–पौधों, बीज, खाद चिकित्सा सुविधायें, टीकाकरण के लिये डाक्टरी नर्स तथा अन्य प्रकार की सुविधायें एवं जानकारी मिलती रहती है। इस गांव में जाने के लिये यातायात की सुविधा बस है जो बांदा के प्राईवेट बस स्टैण्ड से नरैनी रोड पर 12 किमी. की दूरी पर बांधा पुरवा में उतरना पड़ता है वहां से निवादा जाने के लिये 3 किमी. पक्की रोड़ मलहरा निवादा ग्राम के लिये जाती है। 10 वर्ष पूर्व इस गांव में जाने के लिये कोई सड़क सुविधा नही थी तथा बड़ोखर बुजुर्ग से

जो जहर निकलती है उसी नहर के किनारे–किनारे से होकर इस गांव में जाना पड़ता था लेकिन अब इस गांव में जाने के लिये बांधा पुरवा से पक्की सड़क बन गयी है इस सड़क का निर्माण कार्य (1986–87) में किया गया पूर्व प्रधान राधेकृष्ण त्रिपाठी ने किया था। यह रोड खेतों के बीचो–बीच से निकाली गयी थी जिससे गांव के बहुत से लोगों की जमीन इस कार्य में चली गयी। लोगों की जमीन तो चली गयी लेकिन अब ग्राम वासी को बांदा शहर आने जाने में कोई परेशानी नही होती, साइकिल, मोटर साइकिल, तांगा, स्कूटर, जीप कार, सब इस गांव तक जा सकते है। इस रोड के अगल–बगल खेत पड़ते है। इस रोड से चलने पर 1 किमी. की दूरी पर एक नहर मिलती है इसके बाद थोड़ी दूर चलने पर दाहिनी तरफ खेत के बीचो–बीच सार्वजनिक ऐतिहासिक बड़ी देवी का मंदिर दिखाई पड़ता है तथा सड़क के बांयी ओर खेत में आरख का मंदिर (शंकर जी का) दिखाई देता है। नहर से आधा किमी. की दूरी पर सड़क के बगल में दाहिनी तरफ बहना का तालाब (मछली पालने के लिये) है। जिसका ठेका नाबिया बेहना लिये है। इसके बांयी ओर से गांव में जाने के कच्ची सड़क प्रारम्भ होती है। इस सड़क के प्रारम्भ में ही जिला परिषद द्वारा प्राथमिक कन्या पाठशाला पड़ता है। (इस स्कूल में हर जाति की लड़कियां पढ़ती है) इसके बाद 20–25 कदम चलने पर मलहरा बस्ती प्रारम्भ होती है। इस बस्ती में सबसे ज्यादा बेहना (मुसलमान) रहते है। इसी बस्ती में गांव के वर्तमान प्रधान रामनारायण जी चमार रहते है तथा अन्य जाति के लोग भी रहते है। इसी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय (लड़को का) है। इसी बस्ती में ही एक तालाब के किनारे भाट का मन्दिर (देवी जी का) है। इसके 10–12 कदम चलने पर मीठा कुंआ तथा एक मंदिर (शंकर जी का) पड़ता है। यहीं से निवादा बस्ती प्रारम्भ होती है।

जल व्यवस्था–

इस ग्राम में सरकारी हैण्डपम्प 20 लगे है। सब चलते है तालाब के पास 2 हैण्डपम्प

लगे है 1 हैण्डपम्प मंदिर में लगा है, 4 ब्राम्हणों के मुहल्ले में , 5 चमरउडा में, 2 अहिरउडा में तथा 6 मलहरा बस्ती में लगे है। बड़ोखर ग्राम से निवादा के लिये जो नहर निकली हुई है जिसका मुख्य स्रोत केन नदी है तथा ये नहर बरियारपुर बांध से छोड़ी जाती है ये नहर ही ग्रामीणों के लिये कृषि सिंचाई का मुख्य साधन है। गांव में 4 तालाब भी है जिनमें भोखरी तालाब, गांव के बीचो–बीच बस्ती में मंदिर के पास एक तालाब है। मलहरा बस्ती से बाहर नहर के उस पार मछली पालने का तालाब आदि है। इस गांव में पानी पीने का साधन केवल हैण्डपम्प ही नही है बल्कि दूसरा साधन कुंयें भी हैं जिनमें चौदहा कुंआ जिसका पानी खारा है (बस्ती में)। रजवा काछी का कुंआ (खेत मे) सुन्दर पांडे का कुंआ (खेत में), शिवनारायण मुखिया का कुंआ (खेत में), पाला बढ़ई का कुंआ (उत्तर की तरफ डिंगवाही जाते), आरख का कुंआ (पश्चिम से बांधा पुरवा की तरफ), मैकू काछी का कुंआ (बांधा पुरवा निकास पर) हलवाई का कुंआ (बांधा पुरवा निकास में), कल्लू चमार का कुंआ (दक्षिण की तरफ बड़ोखर जाते), हरिदास काछी का कुंआ (बड़ोखर और महुआ के बीच) कुछ कुंयें मलहरा बस्ती में है जिनमें पगुवा काछी का कुंआ, चुनवादी काछी का कुंआ, कलरिया कुंआ, मीठा कुंआ (तालाब के किनारे मंदिर के पास) आदि है।

<u>कृषि एवं वृक्ष</u>-

निवादा ग्राम में यूकेलिप्टस के वृक्ष खेतों की मेंड़ों पर लगे हुये है। खरीफ की फसल (सावन–भादौं) जून जुलाई में बोई जाती है तथा (कार्तिक–अगहन) अक्टूबर तक काट ली जाती है। इस फसल में धान ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, काकुन आदि पैदा करते है। इस सभी पैदावारों में धान अधिक उत्पन्न होता है। रबी की फसल माह अक्टूबर (अगहन–पूस) में बोते है तथा मार्च (चैत्र, बैसाख) में काटते है। इस फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसो, मसूर, अलसी, मटर होते है। गेहूं की उपज इस फसल में अधिक होती है। इस ग्राम में तीन प्रकार की मिट्टी पायी जाती

है।

1. मार 2. काबर 3. पडुवा

मार में केवल एक ही फसल होती है लेकिन जो लोग बोरिंग लगवाये हुये है उनके दो फसल होती है इस मिट्टी में मूंग, उर्दा होती है। क्योंकि इसमें नहर का पानी नही जाता है तथा यहां कि मिट्टी काली है। नहर के किनारे जहां धान पैदा होता है वहां की भूरी मिट्टी (पडुवा की मिट्टी) है। काबर जो एक प्रकार की काली मिट्टी है उसमें भी धान पैदा होता है। इन् वृक्षों के बीज महुआ ब्लाक से 50 पैसे का एक लाते है। दुर्गा काछी की बगिया गांव के भीतर है। इस बगिया में आम, अमरूद, जामुन, अनार, सब्जियां आंवला आदि है। श्याम बिहारी की बगिया में आम अमरूद, नीबू, जामुन, अनार, सब्जियां, आंवला आदि है। श्याम बिहारी की बगिया बस्ती से बाहर खेत में है। जिसमें महुआ, आम, अमरूद, नीबू आंवला, जामुन, अनार। इस ग्राम में 5200 बीघा जमीन है। सबसे ज्यादा जमीन करबरिया बाबा के 150 बीघा है।

(स) जरर ग्राम

भौगोलिक संरचना-

बांदा जनपद से जरर ग्राम 17 किमी. की दूरी पर बसा हुआ है। 14 अक्टूबर 96 को प्रकाशित जनपद सूचना के आधार पर जरर ग्राम की पूर्ण जनसंख्या 1863 है जिनमें 324 अनुसूचित जातियां निवास करती है। इस ग्राम के पूर्व में खोही, गिरवां 1 किमी. की दूरी पर एवं पश्चिम में प्रीतमपुर 1 किमी. की दूरी पर बसे हुये है। जरर ग्राम के उत्तर में पतरहा ग्राम, पैगम्बरपुर ग्राम 3 किमी. की दूरी पर एवं इसके दक्षिण में अकबरपुर ग्राम बसे हुये है। इस क्षेत्र में नरैनी रोड से बस द्वारा जाने पर 16 किमी. की दूरी पर पैगम्बरपुर ग्राम पड़ता है। इस ग्राम में जाने के लिये इसी पैगम्बरपुर में उतरना पड़ता है। बस से पैगम्बरपुर उतरने पर वहां तीन–चार दुकाने दिखाई पडेगीं, जिसमें एक पान की दुकान है यहीं पर 4–5 घर बने हुये है

वहीं से जरर ग्राम जाने के लिये कच्ची सड़क मार्ग बनी हुई है। ये कच्ची रोड 3 किमी की है। पैगम्बरपुर से 600 मीटर चलने पर एक नहर पड़ती है। इस नहर से 200 मीटर चलने पर शुक्लन का पुरवा पड़ता है। यहीं से पहाड़ प्रारम्भ होता है। इस पुरवा से 50 मीटर की दूरी पर एक नाला बहता है। इस नाला के समीप ही कपरिया का तालाब है। इस तालाब में गांव के लोग नहाते है तथा जानवर इसका पानी पीते है। इस तालाब से 50 मीटर की दूरी पर बस्ती प्रारम्भ हो जाती है। इस ग्राम की पूरी बस्ती पहाड़ की तलहटी पर बसी हुई है। यह पहाड़ 800 किमी. की परिधि में फैला हुआ है। इस पर्वत पर शंकर जी का ऐतिहासिक पुराना स्थान एवं मुसलमानो की ऐतिहासिक दरगाह भी है। इसी पहाड़ में ग्रेनाइट गिट्टी प्रचुर मात्रा में पायी जाती है। ग्रेनाइट गिट्टी तोड़ने का कार्य इस ग्राम के मजदूर एवं गांव के बाहर के मजदूर वर्ग करते है। जो कि यह गिट्टी, फतेहपुर, रायबरेली, बांदा आदि जिलों में भेजी जाती है। इसी पर्वत श्रंखला में भेल, अमोल, अमरवेल, अकोल, अरूष, बवई लकेर आदि जड़ी बूटियां पायी जाती है। इस पहाड़ का ठेका कई व्यक्ति लिये है जिनमें कुछ है रामरतन सिंह (बांदा), वीरप्रकाश तिवारी (बांदा), युनुस खां (बांदा), फरिहत– गोइरा (मटौंध) इत्यादि है।

इस ग्राम के दक्षिण की ओर 2.5 किमी. की दूरी पर केन नदी प्रवाहित होती है, जो उत्तर–प्रदेश व म0प्र0 की सीमा को काटती है। केन नदी के किनारे की 500 बीघा जमीन बंजर (बलुई) है केन नदी की बालू का ठेका जन्मेजय सिंह लिये हुये है। जो जमालपुर का रहने वाला है। यहां बालू ढोने का काम मजदूरी में करते है ये बालू ट्रैक्टर में भरकर कई जिलों में जाती है।

इस ग्राम के पश्चिम में एक बड़ा तालाब है तथा तीन बड़े तालाब और भी है। एक नहर तथा एक नाला भी है। इस नाला का स्रोत नहर से है। इस नाला और नहर के पानी से खेतों की सिंचाई होती है। महिलायें एवं पुरुष इस नहर एवं नाला के पानी में स्नान करते है।

पशु–पक्षी इनका पानी पीते है। इस नाला के समीप में कपरिया का तालाब है। इन सभी तालाबो का पानी वहां के लोग नही पीते जानवर पीते है। इन तालाबों का जल स्नान करने एवं कृषि कार्य के लिये ही प्रयोग होता है। ग्रामवासी कुंये एवं हैण्डपम्प का ही पानी पीते है। गांव में कुंओं की संख्या 25 है। गांव के किनारे दो या तीन कुंयें ऐसे है जिसका पानी कोई नही पीता न ही स्नान करते।

इस ग्राम के लोगो से प्राप्त सूचना के आधार पर 10,000 बीघा जमीन है। गेंहूं, धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, चना, लाही, बिजरी आदि फसलों की पैदावार होती है। महुआ, आम, बबूल, बेल, बेर, नीबू, जामुन आदि के वृक्ष लगे हुये है। इन वृक्षों में महुआ के वृक्ष सबसे अधिक लगे हुये है। इस प्रकार यह ग्राम सभा एक प्रकार से पहाड़ी इलाकों के बीच में आबाद है। यह इलाका बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बांदा जिले का एक छोटा सा हिस्सा है। यहां की भौगोलिक स्थिति गांव के अन्य हिस्सों से भिन्न है।

(द) छिवांव ग्राम

भौगोलिक संरचना-

छिबांव ग्राम सभा बांदा शहर से 16 किमी. की दूरी पर स्थिति है। इस ग्राम के पूर्व में करगेहना ग्राम 2 किमी. की दूरी पर तथा पश्चिम में खुरहण्ड ग्राम 2 किमी. की दूरी पर बसे है। इस ग्राम के उत्तर में 9 किमी. की दूरी पर बेलगांव ग्राम तथा दक्षिण में कर्वी रोड में इटरा खुर्द ग्राम 3 किमी. की दूरी पर बसे हुये है। बांदा जनपद से छिबांव ग्राम जाने के लिये बस एवं ट्रेन दोनो सुविधायें उपलब्ध है। यातायात की पहली सुविधा रेल व्यवस्था है। बांदा से इलाहाबाद की ओर जाने वाले रेलमार्ग पर पहला स्टेशन डिंगवाही तथा दूसरा स्टेशन खुरहण्ड पड़ता है। इसी खुरहण्ड स्टेशन में उतरकर बांयी तरफ 1 किमी. कच्ची सड़क जिसके दोनो ओर खेत है छिबांव के लिये जाती है। इसी सड़क के बगल से नहर निकली है जो रेलवे स्टेशन से आधा

किमी. दूर रेलवे क्रासिंग से होकर बिलगांव के लिये जाती है। इस सड़क से आधा किमी. चलने पर छोटा तालाब मिलेगा यहीं पर एक व्यक्ति पान का डिब्बा रखे हुये है। यहीं से गांव प्रारम्भ होता है। छिबांव जाने के लिये दूसरी सुविधा बस है।यदि बस द्वारा जायें तो रोडवेज बस स्टाप से इटरां खुर्द उतरना पड़ता है, यहीं से आधा किमी. चलने पर रेलवे क्रासिंग पड़ती है। यहीं पर एक नाला बहता है। और एक हैण्डपम्प भी लगा है, यहीं से 2 किमी. की पक्की रोड छिबांव के लिये जाती है। 25–30 कदम चलने पर खेत में सड़क के दाहिनी तरफ जूनियर हाईस्कूल दिखाई पड़ता है। जिसमें लड़के लड़कियां एकसाथ पढ़ते है। 2 प्राथमिक स्कूल करगहना रोड में पड़ते है। जिसमें एक लडकियों का है तथा दूसरा लड़को का है। इस प्रकार से विद्यालयों की संख्या कुल 3 है। यह तीनो सरकारी स्कूल है। 20–25 कदम आगे चलने पर वहीं से छोटा तालाब दिखाई पड़ने लगता है उस छोटे तालाब से ही छिबांव ग्राम की बस्ती प्रारम्भ होती है। इसी बस्ती से शोध छात्रा ने अपना पहला सर्वेक्षण कार्य रामकुमार द्विवेदी के घर से प्रारम्भ किया। इस प्रकार यह पूरा ग्राम लगभग 1 किमी. की परिधि में बसा हुआ है।

जल व्यवस्था–

छिबांव ग्राम में लगभग 40 कुंयें है। 3–4 कुंयें ऐसे है जिनका कोई पानी नही पीते और न ही किसी चीज में प्रयोग लाते है, क्योंकि इन कुओं का पानी खारा व गन्दा है। ग्रामीण वासियों का कहना है कि जब सरकारी हैण्डपम्प लगे है तब से इन कुंओं का पानी कम ही प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन जिस बस्ती में हैण्डपम्प की सुविधा नही है वह लोग कुंओं का पानी पीते है तथा कार्यों में भी प्रयोग करते है। राजकुमार द्विवेदी के घर के सामने कुंआ है, और इसी कुंयें से 15–20 कदम चलने पर एक दूसरा कुंआं भी है जिसका पानी इतना गन्दा एवं प्रदूषित हो गया है कि जानवर तक इस कुंयें का पानी नही पीते। कृषि के सिंचाई के लिये नहर और नाला है। इस नाला में 1988–89 के बीच बाहर के पानी से इतना उफन गया था कि इस नाले

के समीप हरिजनों की बस्तियों के 40–50 परिवार इस नाला के बाढ़ के पानी से ढह गये। तभी से ये हरिजन, बस्ती से थोड़ा बाहर रहते है। इस ग्राम मे सरकारी हैण्डपम्प 20–25 लगे हुये है।

छिबांव में 4 तालाब है। इसमें से एक छोटा तालाब और एक बड़ा तालाब और दो छोटे तालाब है जो बरसात में भर जाते है और गर्मियों में सूख जातें है। लेकिन छोटे और बड़े तालाब का पानी कभी नही सूखता। छोटा तालाब बड़े तालाब से आधा किमी. की दूरी पर है। 1989 में सरकार राहत कार्यक्रम के अर्न्तगत इस तालाब की खुदाई करवायी गयी तालाब के चारो तरफ पक्की ईंटों का किनारा एवं सीढियां बनवाई गयी। और इस तालाब को नहर से जोड़ दिया गया तभी से इसका पानी कभी नही सूखता छोटे तालाब में मछली पालन का व्यवसाय होता है, इस तालाब का ठेका कल्लू कहार लिये हुये है। इस तालाब की मछलियां अतर्रा तहसील से सील होकर कलकत्ता ट्रकों द्वारा भेजी जाती है। बड़े तालाब के किनारे–किनारे छोटे–बड़े पेड़–पौधे लगे है क्योंकि इस तालाब में पक्की ईटों का किनारा नहीं है। मछलियां भी इस तालाब में कम है जिससे इस तालाब का पानी गन्दा एवं अस्वच्छ भी है। बड़ा तालाब सार्वजनिक तालाब है। जिसमें पुरुष महिलायें, जानवर, पक्षी सभी इस तालाब के पानी का इस्तेमाल करते है। इस तालाब के वर्षों से भरे जल में सफाई कार्य नही किया जाता तो वह इसका पानी वहां के लोग सालोभर इस्तेमाल करते है। इसलिये इस तालाब का जल प्रदूषित होता चला जा रहा है। इस तालाब के जल के प्रदूषित होने का एक और कारण है कि पहले इस तालाब के जल का स्रोत नहर से था जिससे इसका जल नहर के जल से परिवर्तित होता रहता था लेकिन बरसात के मौसम में इस तालाब का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ जाता था। इसलिये तालाब के नहर स्रोत को बन्द कर दिया गया, तथा जिस स्थान पर नहर का स्रोत था वहां मिट्टी के ढेर से इस स्थान को बन्द कर दिया गया तभी से उस तालाब में पानी का मुख्य

स्रोत नही रहा, केवल बरसात का पानी ही इस तालाब में वर्ष भर भरा रहता है। गर्मियों के दिनो में इसका पानी कम हो जाता है और इस तालाब का जल गन्दा एवं प्रदूषित हो जाता है। छिबांव ग्राम का यह बड़ा तालाब काफी ऊँचाई पर बना हुआ है।

कृषि एवं वृक्ष–

छिबांव ग्राम में साल में दो फसल होती है। धान, गेहूं, मसूर, की पैदावार अधिक होती है। खेतों की सिचाई निजी ट्यूबवेल, नहर तथा नाला से होती है। यह नाला रेलवे क्रासिंग पर जो नाला पड़ता है। वह बड़े नाले में जाकर मिलता है और वह बड़ा नाला जूनियर हाई स्कूल पीछे है जिसका पानी यमुना नदी में मिलता है। यह यमुना नदी इलाहाबाद तक जाती है। छिबांव ग्राम में खरीफ की फसलों में धान की पैदावार अधिक होती है मिट्टी एवं सिंचाई की सुविधा के कारण धान अधिक उत्पन्न होता है। खरीफ की फसल जून, जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर तक काट ली जाती है। इस फसल में ज्वार, जवा, मूंग, उर्द, रिंउछा आदि की पैदावार होती है। रबी की फसलों में गेंहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, अलसी, मटर आदि पैदावार होती है। बांस के वृक्ष भी इस गांव के लोग लगाते है। कौशल किशोर द्विवेदी, और रामकुमार द्विवेदी के बगिया है जिसमें आम, अमरुद, आंवला, नीबू, सन्तरा, बेर, जामुन आदि के वृक्ष लगे हुये है। इन वृक्षों के फल ठेके में बांदा बेच देते है। 500 या 600 एकड़ जमीन में खेती होती है। 30 या 40 एकड़ बंजर पड़ी है। इस बंजर जमीन में जानवर घास चरते है। बटाई में लगभग 100 एकड़ जमीन उठी है। पट्टे पर जमीन नही है।

बड़ोखर बुजुर्ग, मलहरा निवादा ग्राम से जो नहर निकलती है इसका मुख्य स्रोत केन नदी है। केन नदी म०प्र० के दमोह जिले से निकलकर बांदा जनपद में तहसील नरैनी के बिल्हरका ग्राम के पास प्रवेश करती है। तहसील नरैनी से केन नदी की तीन शखायें फूटती है पहली अतर्रा से होकर कमासिन तक, दूसरी बांदा जिले के नहरों आदि से नवाब टैंक, तथा बांदा

से सभी तालाबों में आती है और बांदा नगर होते हुये चिल्ला में यमुना नदी मे मिल जाती है। इस नहर में पानी बरियार बांध से छोड़ा जाता है। बरियारपुर अजयगढ से 5,6 किमी. आगे पड़ता है। 15 सितम्बर 1992 के बीच बांदा नगर में जब केन नदी का जलस्तर 14 सितम्बर को 113. 27 मीटर तक पहुंच गया था तब सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बिना पूर्व सूचना दिये इसी बरियारपुर बांध, रनगंवा, गंगऊ बांध का पानी एकाएक खोल दिया गया था। जिससे बांदा जनपद को इस प्रलयकारी बाढ का सामना करना पड़ा। जनपद की इस प्रलयकारी बाढ़ से सरकारी सम्पत्तियों की क्षति लगभग 16 करोड़ रुपये और जनता की निजी क्षति लगभग 170 करोड रुपये की हुई। इस भयावह बाढ से जनपद के 598 गांव तथा 597485 जनसंख्या प्रभावित हुई। 37 लोगों की मृत्यु हुयी और 1016 पशु बह गये। गांववार किये गये सर्वेक्षण के आधार पर 6801 मकान पूर्णतया ध्वस्त हो गये अथवा बह गये व 6269 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुये। बाढ़ से क्षतिग्रस्त खरीफ फसलों से आच्छादित कृषि भूमि का क्षेत्रफल 74247 हेक्टेअर है जिसमें करोडों रुपये की फसल नष्ट हुई। इस विभीषिका से बांदा नगर के एक चौथाई से अधिक भागों में 10 से 15 फिट तक पानी चढ आया था नगर के निचले भागों में स्थित मुहल्ले निम्नीपार, खुटला, करबला, मढ़ियानाका, छोटीबाजार, कंचनपुरवा, छिपटहरी, छाबी तालाब आदि बुरी तरह से प्रभावित हुये। इसके अतिरिक्त पयस्वनी, बागें, गड़रा व उसरा नाला आदि बाढ से प्रभावित हुये। केन नदी की यह बाढ़ इस शताब्दी की सबसे बड़ी व भयंकर बाढ मानी जाती है। जिसकी चपेट में बांदा नगर बांदा व नरैनी का अधिकतर भाग प्रभावित हुआ जिससे बांदा चारो ओर से कट सा गया। बांदा फतेहपुर मार्ग तिन्दवारी के पास सेमरी नाला के विकराल रूप धारण करने के कारण कट गया। जसपुरा और पैलानी के बीच कई किमी. तक सड़क पर 5–6 फिट पानी का तेज प्रवाह होने से बांदा, हमीरपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया। मटौंध कस्बे के पास भी यही स्थिति होने से बांदा महोबा मार्ग टूट गया और बांदा इलाहाबाद मार्ग भी मऊ कस्बे के

पास अनेक रपटों के विकराल रूप धारण कर लेने से अवरुद्ध हो गया था। इस प्रकार से बांदा जनपद के पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन होते रहते है।

अध्ययन पद्धति–

इस अध्ययन के उद्देश्यों एवं उपकल्पनाओं के सन्दर्भ में ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरणीय चेतना के बारे में यथा सम्भव वस्तु स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त करने तथा आवश्यक तथ्यों को एकत्रित करने के लिये समय और साधन की सीमाओं के अर्न्तगत प्रस्तावित 4 ग्रामों के कुल 2278 परिवारों का 'दैव निदर्शन' (Random Sampling) के नियमित अंकन प्रणाली (Regular Marking Method) से अध्ययन किया गया। कुल परिवारों में से 20 प्रतिशत का चयन उक्त पद्धति से किया गया। परिवारों के चयन में ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त परिवार रजिस्टर को आधार बनाकर प्रत्येक 5वें परिवार को संमक (युनिवर्स) के रूप में चुना गया। इन परिवारों के मुखियाओं की पत्नी को उत्तरदात्री के रूप में प्रयुक्त किया गया। इस पद्धति से जाति, आयु, शिक्षा जैसे परिवृत्तों की विविधता प्राप्त हो सकी।

अध्ययन को गहन एवं वैज्ञानिक बनाने की दृष्टि से अनुसंधान की साक्षात्कार–अनुसूची प्रविधि का सहारा लिया गया। वास्तव में साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि के अर्न्तगत शोध छात्रा ने ग्रामीण महिलाओं को आमने–सामने बैठाकर कुछ प्रश्न पूंछकर अध्ययन विषय से सम्बन्धित सूचनायें संकलित करने का प्रयत्न किया गया। साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यकि निर्वाचन कर अन्त–सम्बन्धात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। साक्षात्कार अनुसूची (Interview Technique) की रचना इस प्रकार से की गयी है जिससे कि हमारी उपरोक्त उपकल्पनाओं की भली–भांति जांच सम्भव हो सके। उत्तरदात्रियों से साक्षात्कार के समय अपेक्षित तथ्यों के संकलन के साथ–साथ गांव के सामाजिक जीवन, भौगोलिक संरचना, आर्थिक संरचना, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आदि से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी प्राप्त की गई।

सामान्यता शोध छात्रा ने इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग सहायक सूचनाओं की प्राप्ति व संग्रहित सामग्री के परीक्षात्मक अध्ययन के लिये प्रयोग की है। गवेषिका का व्यक्तिगत रूप से ग्रामीण महिलाओं से मिलना, अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्नो का उत्तर प्राप्त करना इस अनुसूची का मुख्य उद्‌देश्य रहा है। जिससे कि शोध छात्रा साक्षात्कार के दौरान वर्गीकरण व व्यवस्थित क्रम में आवश्यक तथ्यों को एकत्र कर सके। अधिकतर ग्रामीण महिलायें अशिक्षित थी इसी लिये गवेषिका ने साक्षात्कार अनुसूची में संक्षिप्त, सरल व उत्तर देने में समर्थ प्रश्नो को ही सम्मिलित किया है। ग्रामीण महिलाओं में विचारो अथवा भावनाओं की पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिये 'क्यों, क्या, कब, कैसे' वाले प्रश्नो को सम्मलित किया है। अनुसूची में सन्देहपूर्ण (Ambiguous), अस्पष्ट (Vaque) विशिष्ट एवं बहु अर्थक प्रश्नो का प्रयोग नही किया गया बल्कि संयोजित प्रश्न (Structured Questions) दोहरे प्रश्न (Dichotomous Questions) श्रेणीबद्ध प्रश्न (Ranking Item Question) बहुवैकल्पिक प्रश्न (Multiple Choice Questions) को सम्मलित किया गया। साक्षात्कार–अनुसूची के माध्यम से प्रत्येक गांव की महिलाओ की मनोवृत्तियों को जानने का प्रयास किया गया।

तथ्यों के संकलन के लिये गहन अवलोकन से उत्तरदात्रियों की सहभागिता को दृष्टव्य करते हुये निरीक्षण–प्रविधि (Obsevation Technique) का भी प्रयोग किया गया, जिससे उत्तरदात्रियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन तथा उनके समान परिवेश की पर्यावरण सम्बन्धी व्यवहारों की सही जानकारी के लिये अवलोकन का आश्रय लेना अत्यन्त आवश्यक था। केवल उत्तरदात्रियों के साक्षात्कार के आधार पर अनुसूची के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के वास्तविक एवं समग्र स्वरूप समझना सम्भव नही था। इस दृष्टि से अर्ध–सहभागी अवलोकन विधि (Quasi-Participant Observation) एवं सहभागी निरीक्षण विधि (Participant Observation) का सहारा लिया गया। गवेषिका को अध्ययन के

लिये चुने गये गांवों में से प्रत्येक में तीन या चार बार तक जाना पड़ा। बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम जो गवेषिका का ननिहाल है यहां अनेक अवसरो पर अनेक दिनों तक प्रवास करते हुये सहभागी निरीक्षण विधि (Partcipant Observation) द्वारा महिलाओं में 'पारस्परिक एवं कार्य–कारण सम्बन्धों को मालूम करने का उद्देश्य कार्य पूर्ण किया गया। प्रत्येक गांव की जनसंख्या, क्षेत्रफल, भूमि की प्रकृति, भूमि स्वामित्व, व्यवसाय प्रतिमान, यातायात, शिक्षा, चिकित्सा आदि मात्राओं को एकत्र करने के लिये प्रत्येक गांव की एक ग्राम अनुसूची बनाई गई। इसलिये उनसे सम्पर्क करने हेतु शोध छात्रा को ग्रामीण महिलाओं की बस्तियों (चमरउडा मुहल्ला, अहिरउडा, कुरउडा मुहल्ला) आदि में अनेक बार कभी–कभी 4–5 बार तक जाना पड़ा।

तथ्य संकलन के दौरान शोध छात्रा को यह अनुभव हुआ कि ग्रामीण महिलाओं की बस्तियों में केवल उत्तरदात्रियों से ही भेंट करना पर्याप्त नही था बल्कि ग्रामीण महिलाओं की सभी पहलुओं की जानकारी के लिये गांवो में रहकर अवलोकन करना आवश्यक हो गया। प्रत्येक गांव एवं बस्ती के संबंध में अवलोकन तथा बातचीत के माध्यम से जो सूचनायें प्राप्त हुई उन्हे एक फील्ड डायरी में लगातार नोट किया गया। इस फील्ड डायरी में आवश्यक सूचनाओं तथा महिलाओं की प्रतिक्रियाओं को अंकित किया गया। शोधकार्य के लिये यह डायरी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई। वास्तव में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक स्थिति तथा उनके परिवर्तनीय परिवेश का जो समग्र चित्र डायरी में अंकित तथ्यों से प्राप्त हुआ है। वह साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त होना सम्भव नही था। इसी क्रम में बहुजातीय गांवों के प्रमुख व्यक्तियों, महिलाओं, नेताओं एवं नवयुवकों से भी सम्पर्क स्थापित किया गया। इसी क्रम में ग्राम अनुसूची तथा फील्ड डायरी में जनसंख्या, परिवारों की संख्या आय के साधन आदि के अतिरिक्त सरकारी कार्मचारियों, राजनीतिक नेताओं, भूमिपतियों, ठेकेदारों, ग्रामीण राजनीतिज्ञों, महिलाओं के दृष्टिकोण एवं

व्यवहार आदि के विषय में आवश्यक जानकारी हासिल की गई।

ग्रामीण स्थायी निवासिनी महिलाओं के साथ सम्पर्क के अलावा दूसरे लोगों से सम्पर्क किया गया जो इन क्षेत्रों में सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यों में लगे हुये है। ऐसे लोग गांव की सामाजिक वास्तविकताओं को समझने में काफी सहायक सिद्ध हुये है। इसी प्रकार विकास क्षेत्रों कार्यकर्ताओं से भी उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। अनेकबार जाने से वहां के लोगों से मैत्री एवं सदभावनापूर्ण सम्पर्क हो जाने से महिलाओं के सामाजिक जीवन और उसमें होने वाले परिवर्तनों की जानकारी मिली। अध्ययन क्षेत्र में व्यापक परिचय स्थापित हो जाने की वजह से उत्तरदात्रियों से साक्षात्कार करने में भी शोध छात्रा को बहुत सुविधा हुई। प्राथमिक तथ्यों को प्रामाणिक एवं पुष्ट बनाने के लिये क्षेत्र समिति, जनपद के आंकड़े एवं विद्वानो के अध्ययन, पुस्तकें, विशिष्ट कमेटियों की रिपोर्ट, रिकार्ड, समाचार पत्र व पत्रिकाओं में प्रकाशित सूचनाओं आदि को अपने अध्ययन में द्वितीयक स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया है।

तृतीय—अध्याय

तृतीय अध्याय

ग्रामीण महिलाओं का सामान्य परिचय

मानव तथा पृथ्वी के अन्य जीवधारियों के जीवन का उनके चातुर्दिक विद्यमान पर्यावरण के साथ अन्योन्याश्रितता का सम्बन्ध रहा है। पृथ्वी गृह पर प्राणियों का अस्तित्व एवं विकास आस पास के पर्यावरण से नियन्त्रित एवं निर्धारित होता रहा है। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण के अवयव एक दूसरे के पूरक है तथा एक दूसरे के आस्तित्व को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है अधिकांश लोगो की जीविका कृषि पर निर्भर है। कृषि, जो कि प्रमुखतः जलवायु आश्रित है वर्षा प्रणाली की क्रमभंगता से सभी व्यक्तियों की भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई सिचाई एवं जल निकासी प्रणाली विकसित करने में करोड़ो डालर के पूंजी निवेश की आवश्कता है। विश्व पार्यवरण एवं विकास आयोग की बैठक (1987) में औद्योगिक तथा विकासशील दोनो प्रकार के देशो के लिए ऐसे विकास का सुझाव दिया गया है जिसमें सभी जीवों का सुरक्षित विकास हो सके। प्राकृतिक संसाधनो का उपयोग भी इस प्रकार किया जाय कि वर्तमान में आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे ओर भविष्य में भी ये सुरक्षित रहे।

पिछले 46 वर्षो के योजना काल का यदि सूक्ष्मता से अध्ययन करे तो वास्वत में भारत के इन ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से विकास की किरणे इतनी नही दिखाई दे रही है जितनी की आशा की आती है। आज इन गांवों में बेरोजगारी तथा गरीबी में तीव्र वृद्धि हो रही है। निवादा, बडोखर, छिबॉब के ग्रामों में पढ़े–लिखे बेरोजगार नवयुवक अपराधी प्रवृत्ति की ओर

बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।

ग्रमीण क्षेत्रों में विकासोन्मुखी अधिकाधिक रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं कदाचित इन उपायों में ढूँढ़ी जा सकती है– बजंर भूमि का पुनरूद्वार पूर्ण हो चुके प्रमुख सिचाई परियोजनाओं के जल का बेहतर उपयोग, छोटी सिंचाई परियोजनाओं का विकास दोहरी फसल को सम्पूर्ण देश में एक अदभुत घटना बना देना, पीने योग्य जल की उपलब्धता में सुधार, दुग्ध उत्पादन केन्द्रों, मत्स्य पालन एवं सामाजिक वानिकी का विकास तथा विद्यमान लोक निर्माण जैसे– सड़के, स्कूल भवन, औषद्यालयों आदि का जीर्वोद्धार और पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार। दीर्घकालीन विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण होगा। इसलिए ग्रामीण रोजगार को विकास का उपोत्पाद समझने की बजाय इसे विकास का अभिकर्ता और प्रेरक मानना चाहिए श्रमिक या किसान केवल संपदा का उत्पादक ही नही है, वह उसका अंतिम लाभभोगी भी है।

चार ग्रामों की भौगोलिक संरचना का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत अध्ययन के द्वितीय अध्याय पद्धतिशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में कर चुके है। इसके पूर्व कि हम उसमें पर्यावरणीय चेतना का अध्ययन करे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना का विस्तृत आकलन कर लिया जाय। इस दृष्टि से इस अध्ययाय में बड़ोखर, निवादा, जरर और छिवाव ग्राम की महिलाओं की समाज में स्थिति, जाति, आयु शिक्षा व्यवसाय, आमदनी एवं परिवार की स्थिति की चर्चा की जा रही है जिससे कि आगे के अध्यायों में उनकी पर्यावरणीय चेतना और प्रदूषण सम्बन्धी चेतना पर प्रभाव डालने वाले कारको का विश्लेषण हो सके। यह तो स्पष्ट ही है कि चार ग्रामों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरचना काफी मिलती जुलती है, भौगौलिक एवं राजनीतिक संरचना मे ही भिन्नताए देखने को मिलती है।

प्रस्तुत अध्याय में हम चार ग्रामों की महिलाओं का सामान्य परिचय उनकी सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविबधयों एवं राजनीतिक सथिति का आकलन प्रस्तुत

कर रहे है।

ग्राम–बडोखर बुजुर्ग

बाँदा शहर से बडोखर बुजुर्ग ग्राम नरैनी रोड़ पर 16 किलोमीटर की दूरी पर सड़क के किनारे बसा हुआ है। बडोखर बुजुर्ग ग्राम तहसील नरैनी, विकास खण्ड महुआ में स्थित है। विकास खण्ड महुआ से बडोखर बुजर्ग ग्राम की दूरी दक्षिण पश्चिम के बीच 5.08 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है। इस ग्राम की मुख्य सड़क पक्की है जिस पर बांदा गिरवां के लिए प्रत्येक 5,10 मिनट के अन्तर्गत उपलब्ध हो जाती है बांदा से गिरवां की ओर जाने वाली सभी ट्रक व बस इसी मार्ग से होकर गुजरते है। बडोखर ग्राम के बस स्टाप पर तुलसी ग्रामीण बैंक है। हटवारा मुहल्ले में पोस्ट आफिस स्थित है। ठकुरउडा मुहल्ले में तीन फार्म हाउस बने हैं। बस स्टाप मे ही हरीलाल त्रिपाठी का पी0सी0ओ0 है। गांव के सडक से पश्चिम की तरफ नहर के किनारे एलोपैथिक प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र है। स्वास्थ केन्द्र के बगल में टेलीफोन एक्सचेन्ज का टावर बना है। चमरउडा मुहल्ले में 2 प्राइमरी स्कूल एक लडको का एक लडकियों का और एक जूनियर हाईस्कूल लडकियों एवं लडकों का। इस ग्राम में एक चौथाई भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसमें गेहूं ज्वन्डी अरहर मूंग चना मसूर इत्यादि पैदा होता है और एक तिहाई क्षेत्र की मिट्टी धान की फसल के लिए उपयुक्त है। ग्राम का सांख्यकीय विवरण अन्त में दिये गये परिशिष्ट में वर्णित है।

सामाजिक संरचना-

बडोखर बुजुर्ग ग्राम में जातिगत आधारपर वहाँ कि सामाजिक संरचना में अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है जातिगत मुहल्लों में शहरीकरण का प्रभाव देखने को मिल रहा है पहले प्रत्येक जाति के अलग मुहल्ले रहा करते थे। लेकिन अब मुहल्ले का नाम तो वही है परन्तु अब उन मुहल्लों में हर जाति के लोग निवास करने लगे है। चमरउडा मुहल्ले में

पहले चमार जाति के लोग ही रहा करते थे लेकिन अब आबादी बढ़ने के कारण एवं जमीन की कमी होन के कारण उन मुहल्लों में अन्य जाति के लोग भी रहने लगे है– जैसे धोबी, बहना, कुम्हार, डोमार, लोहार, ब्राम्हण इत्यादि। इसी प्रकार पुराना डोमरउडा मुहल्ला जो गांव के उत्तर की दिशा में पश्चिम की तरफ पड़ता है। जिसकी अबादी बढ़ने के कारण व लोगो का शहर की तरफ पलायन होने के कारण डोमर जाति के घरो को अहीर जातियों ने खरीद लिया है। अब डोमरउडा मुहल्ला जो गांब के उत्तर की दिशा में पश्चिम की तरफ पड़ता है इस मुहल्ले की आबादी कई जाति से मिली जुली आबादी हो गयी है अब इस मुहल्ले में अहीर जातियां सबसे अधिक निवास करती है। डुमार, काछी, कायस्त, आरख, कोरी आदि जातियाँ भी निवास करती हैं। कोररउडा मुहल्ला गांव के उत्तर–पूर्व में स्थित है इस मुहल्ले में पहले कोरी जाति के लाग ही रहते थे लेकिन अब इस मुहल्ले में कोरी, कुशवाहा, भरभूजा, कायस्थ आदि जातियां रहती है।

कहरउडा मुहल्ला गांव पूरब की ओर स्थित है इस मुहल्ले में ठाकुर, काछी, भरभूंजा आदि जातियां रहती है। इसी मुहल्ले के दो लोग तीन पंचवर्षीय योजनाओं में प्रधान रह चुके है।

1. बाबू लाल कुशवाहा वर्ष 1980 से 1990 तक प्रधान रहे।

2. 90 से 95 गेदालाल कुशवाहा प्रधान रहे। इस ग्राम में पिछड़े वर्ग की संख्या में काछी जातियां अभी तक प्रधान बनती आयी है। ठोकरउडा मुहल्ले में ठाकुर जाति अधिक है लेकिन काछी, बढ़ई तेली, ब्राम्हण जातियां भी निवास करती है। इस मुहल्ले से ठीक पूरब की तरफ गांव से लगा हुआ भाटो का पुरवा है, वहां पर भाटो के 25–30 घर बने है। हठवारा मुहल्ला गांव के दक्षिण में स्थित है। ये मुहल्ला ठोकरउडा व चमरउडा मुहल्ला से मिला हुआ है इस मुहल्ले में ठाकुर तेली, काछी, कायस्थ, बनिया, चमार आदि जातियाँ निवास करती है। व भनउडा मुहल्ले में पहले ब्राम्हण जाति रहती रहीं हैं लेकिन अब वर्तमान में ब्राम्हण, कायस्थ, धोबी, बनियां, नाई आदि

जातियां निवास करने लगी है इसलिए अब इस मुहल्ले का नाम बदलकर राजधानी मुहल्ला कर दिया गया है। ये मुहल्ला गांव के केन्द्र में, बस स्टाप के करीब ही स्थित है। गांव से दक्षिण की तरफ जगना का पुरवा स्थित है जिसमें काछी के 8,10 घर निवास करते है। उन्ही में से एक घर गांव के वर्तमान प्रधान सत्यनारायण कुशवाहा का भी है।

सामाजिक एवं सास्कृतिक संरचना-

बडोखर बुजुर्ग ग्राम में सबसे प्रसिद्ध एवं प्राचीन मुरली मनोहर का मन्दिर स्थित है। जिसमें भगवान श्री राधा कृष्ण व भगवान श्री राम जानकी व हनुमान जी की मूर्तियां स्थिति हैं। इस मन्दिर के बाहर बने भव्य स्टेज पर सन् 1902 से लगाकर प्रत्येक वर्ष माह के महिने में रामलीला का आयोजन होता आ रहा है। जिसमें आस–पास के क्षेत्र से तथा बहुत दूर–दराज से 15 हजार तथा 20 हजार की संख्या मे लोग रामलीला देखने के लिए एकत्रित होते है। गांव के अधिकतर घरों के रिश्तेदार कानपुर, मनिपुर, इटावा, फतेपुर आदि स्थानों से लोग रामलीला का आयोजन देखने के लिए आते है प्रतिवर्ष किया जाने वाला रामलीला के इस आयोजन को सन् 2002 से भब्य शताब्दी समारोह के रूप में किया जाना सुनिश्चित हुआ है।

इस ग्राम के प्रत्येक वर्ग पर शहरीकरण का प्रभाव अधिक हो रहा है लेकिन उच्च वर्ग की महिलाओं पर शहरीकरण का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। ये महिलायें पहनने–ओढ़ने के तरीके एवं रहन–सहन के स्तर को शहरों के समान लाने का प्रयास कर रहीं है। जबकि पिछड़े वर्ग के लोग आर्थिक रूप से काफी सम्पन्न होने के बावजूद सुख–सुविधाएं उनके घरों में देखने को नहीं मिली जो उच्च वर्ग में है। टी0 वी0, समाचार पत्र, रेडियों ये संसार की सुविधाएं, शहरीकरण, एवं पढ़े लिखें लोगो के सम्पर्क में रहने से यहाँ की महिलाये काफी हद तक जागरूक हो गयी है। उच्च वर्ग की महिलाओं पर इसका असर ज्यादा देखा गया। क्योंकि इनके घर की लड़कियों की शादियां शहरों में की गई है तथा इनके ज्यादातर रिश्तेदार

शहरों से सम्बन्धित है तथा इनके घर के लड़के अच्छी सरकारी सर्विस में है इसलिए इनके घर की महिलाओं पर रहन–सहन के स्तर के अन्तर दिखलाई पड़ता है। इस बडोखर बुजुर्ग ग्राम के लड़के, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, मेरठ, बनारस, दिल्ली जैसी युनिवर्सिटियो में शिक्षा के लिए जाते हैं इसलिए यहां शहरीकरण का प्रभाव अन्य गांव की तुलना में अधिक है।

इस ग्राम में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग की महिलाओं एवं पुरूषों में कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता। हर जाति एवं हर वर्ग के लोग एक दूसरों की सहायता करते हैं तथा प्रत्येक सार्वजानिक कुंए, मन्दिर, तालाब, हैण्डपम्प में हर जाति की महिलायें सद्भावना एवं सहयोग से काम करती हैं बताया जाता है। कि इस गांव में ऐसा इसलिए है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ मुरली–मनोहर मन्दिर के भव्य स्टेज पर रामलीला को देखने के लिए प्रत्येक जाति की महिलाये पुरूष एवं बच्चें एक साथ एकत्रित होकर सद्भावना एवं सहयोग के साथ इस समारोह में भाग लेते हैं। और उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं।

ग्राम–मलहरा निवादा

बाँदा शहर से नरैनी रोड़ में 12 कि0 मी की दूरी पर बांदा पुरवा से निवादा रोड़ में उतरकर 3 कि0 मी0 पैदल चलकर मलहरा निवादा ग्राम बसा है। इसके पूरब में महुआ ब्लाक 3.3 कि0 मी0 की दूरी पर उत्तर में डिग्वाही 3 कि0 मी0 की दूरी पर दक्षिण में बड़ोखर बुजुर्ग 4 कि0 मी0 की दूरी बसा है। चयनित गांवो में यह गांव महुआ ब्लाक के सबसे नजदीक बसा है। इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं। टीकारण एवं चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी महुआ ब्लाक की डाक्टरी नर्सो से मिलती है। इस ग्राम में अर्जुन त्रिपाठी के घर में पोस्ट आफिस बना हैं। इस गांव की जहां से वस्ती प्रारम्भ होती है वहीं पर बाये तरफ प्राथामिक कन्या पाठशाला और दायी तरफ एक तालाब है जिसमें व्यवसाय की दृष्टि से मछली पालन किया जाता है। इस ग्राम में तीन प्रकार की मिट्टी पायी जाती है। 1. मार 2. काबर 3. पडुवा। मार में केवल

एक फसल मूंग और उर्द की होती है। जिनके बोरिंग लगी है उनके दो फसले। काबर जो एक प्रकार की काली मिट्टी है इसमें भी धान पैदा होता है। पडुवा (भूरी मिट्टी) जो धान की फसल के लिए ही उपयुक्त होती है। इस ग्राम में दो बड़ी बगिया है एक दुर्गा काछी की दूसरी श्याम बिहारी की। जिसमें आम, अमरूद, नीबू, जामुन, अनार, आंवला, महुआ तथा सब्जियां आदि हैं। ग्राम का साख्यकीय विवरण अन्त में दिये गये परिशिष्ट में वर्णित है।

सामाजिक संरचना-

निवादा ग्राम में हर जाति के मुहल्ले हैं। जैसे– चमार जातियों का– चमरउडा मुहल्ला इस मुहल्ले में जूनियर हाई स्कूल है जिसमें बालक, बालिकायें शिक्षा ग्रहण करते हैं। अहीरो की जातियों के लिए– अहिरउड़ा मुहल्ला एवं कोरी जाति के लिए– कुकरउडा मुहल्ले बसे हुए हैं मलहरा बस्ती एक ऐसी बस्ती है जिसमें प्रत्येक जाति के लोग बसें हुए है, लेकिन इस बस्ती में बहना (मुसलमान) जाति के लोग बसें हुए हैं इस गाँव में सबसे चमार जाति के लोग बसे हुए हैं। इसके बाद ब्राम्हण फिर मुसलमान, कुम्हार, धोबी, तेली, बनियां, अहीर इत्यादि जातियों निवास करती हैं।

इस गांव में ठाकुर जाति एक भी नहीं है, तथा दर्जी एवं माली जातियां भी नही है। इसलिए दर्जी न होने पर शादी–ब्याह में दूल्हें के लिए जामा इत्यादि वस्त्र सिलने के लिए दर्जी गिरी का काम चमार एवं मुसलमान जातियां करती हैं। इस गांव में पहले एक माली रहता था लेकिन उसका लड़का शहर में इंजीनियर हो गया है और अपने पूरे परिवार को साथ ले गया है। इसलिए वहां माली न होने से से शादी में दूल्हे के लिए मौर बनाने का काम चमार जाति के लोग करते हैं, तथा ये लोग अपना नेंग भी लेते हैं।

कुछ वर्ष पूर्व सब जातियां अपना–अपना व्यवसाय करते थे लेकिन अव कुछ लोग अपना व्यवसाय नहीं करते। शादी में नाई जातियां अब पत्तल नहीं उठाते ओर न ही किसी के

जूठे बर्तन धोते है। शोध छात्रा ने जब उनसे पूछा कि आप अपना यह व्यवसाय क्यों नही करती हैं। उनका कहना था कि हमारे जाति के लोग इस कार्य को न करने के लिए दामाद, लड़का एवं गंगामाई की कसम धरायें हुए हैं। लेकिन ये जाति धार्मिक अवसरो पर अपना काम करते हैं एवं उसका नेंग भी लेते हैं। धोबी जातियां कपड़े नहीं धोती, लेकिन शादी–ब्याह में अपना नेंग लेती हैं। डोमार जातियां मैला नही ढ़ोती है। इसलिए जितने ब्राम्हण या उच्चवर्ग के लोग है, उनके घर में फ्लश टट्टी बनी हुई है जिनके घर में फ्लश टट्टी नहीं है, वह महिलाओं गांव बाहर खेतों में जाती हैं।

साक्षरता अभियान से जुड़ी हुई महिलाओं एवं पुरूषों की संख्या 1998 के अनुसार 67 है। जिनमें कुछ महिलाये गीता रैदास, मिन्ता कुशवाहा, सुषमा निगम, कु0 विद्यावती मिश्रा, मीरा देवी, कु0 पिन्की तिवारी और भी बहुत सी महिलाये हैं। इन महिलाओं में मीरादेवी सर्वप्रथम महिला है जो सन् 1976 से इस कार्य में लगी हुई हैं। इस कार्य के साथ–साथ अन्य कार्यो से भी जुड़ी हुई हैं। बच्चों को पढ़ाना, लड़कियों को सिलाई कढ़ाई संगीत सिखाना तथा लोगो के मन में भक्ति भाव पैदा करना आदि। इस सम्बन्ध में उन्हें कई प्रमाण–पत्र भी मिले हैं। मीरा देवी रामचरित्र मानस क्षेत्रीय समिति की सदस्या, कांग्रेस की सदस्या, वर्तमान में भाजपा की भी सदस्या हैं। निवादा ग्राम में आंगनबाडी से जुड़ी महिलाओं की संख्या 3 है। (1) श्रीमती रमा चर्तुवेदी (2) सरोजमाला चमार (3) खमार जाति। ये तीनों महिलाये इसी ग्राम की हैं। इस ग्राम के पटवारों का नाम विद्याशंकर द्विवदी है यह भउंरी ग्राम (कर्वी और मऊ के बीच) का रहने वाला है। इस ग्राम में एक पोस्ट आफिस है। जो अर्जुन तिवारी के यहाँ है। और टेलीफोन कनेक्शन ओमप्रकाश बाजपेयी के यहाँ है।

आर्थिक संरचना-

निवादा ग्राम के चमार तथा बहना जाति के लोग खेती का काम खत्म करके

परिवार सहित फतेहपुर ईटा बनाने के लिए निकल जाते हैं। 2 महीने में 10–12 हजार रूपये कमा लेते है। गांव के अधिकतर चमार जाति के पास निजी खेती नहीं है, लेकिन इनकी स्थिति ब्राम्हणों से कम नहीं, ये लोग बाहर से मजदूरी करके कमा लेते है, लेकिन ब्राम्हण जाति के लोग जितना है उसी मे काम चलाते हैं। इस गांव के सवर्णो के पढ़े लिखे लड़के अपने ही खेतो में मजदूरी का काम नही करते क्योंकि ये युवक अपने ही जनपद या गांव में मजदूरी करना शर्मिन्दगी समझते हैं लेकिन जब उन्हें पैसे की जरूरत हुई तो यह युवक मजदूरी का काम करने के लिए अपना गांव–घर छोड़कर पंजाब, दिल्ली, सूरत आदि शहरों में चले जाते है। चाहे उन्हें शहरो में कितने ही कष्टो का सामना क्यो न करना पड़े। यें युवक 6 माह या 1 वर्ष बाद फिर वापस इसी गांव में आ जाते है। तथा बहुत से ब्राम्हण तो बांदा जनपद में ही आ गये हैं। कुम्हार जातियां बर्तन, ईट बनाते हैं। लेकिन ये लोग किसी के घर बर्तन देने नहीं जाते, बल्कि ग्राम–वासी इनके घर से बर्तन खरीद कर ले जाते है। तथा ये लोग बर्तन शहरी मूल्य पर बेचते है। मिट्टी के खपने तथा ईट बनाने में एक गैरी की पथाई 15–20 किलो गेहूं लेते है। वर्ष 1998 में निवादा ग्राम की ब्राम्हण परिवार की महिलाये सब कृषि कार्य के लिए खेतो में गयी, जबकि इनके घर की बहुंए जो कि कभी घर से बाहर नही निकलती थी लेकिन वो भी खेत काटने के लिए खेतो में गई। तथा इनके घर के बड़े–बूढ़े सभी कृषि कार्य के लिए खेतो में गये। क्योंकि जितने मजदूर वर्ग थे वह सब गांव से बाहर खेत काटने को निकल गये थे क्योकि यहां उन्हें कम मजदूरी मिलती थी इसलिए अधिक धन कमाने के लिए ये लोग गांव बाहर खेत काटने के लिए चले गये, वहां उनको 20 ठोका में 1 ठोका मिलता था (गेंहू की बालियो को 1 पूरा कहा जाता है और 5 पूरे को एक ठोका कहा जाता है)

अनुसूचित जाति के जिन लोगो के पास खेती नही है वह लोग बांदा शहर में

रिक्सा, तांगा, चलाते है रेजा एवं बेलदारी का काम करते है तथा रात को फिर अपने गांव में चले जाते हैं। पिछड़ी तथा सामान्य जाति के लोग दूध बेचने बांदा आते है। गांव के कुछ लोग जो सरकारी नौकरी में है वो बांदा में ही रहते हैं। चमड़े का ठेका फूल वरन कुरील लिए हुए है इसका फार्म गांव से थोड़ा बाहर नहर के उस पार है, इस फार्म में मशीनों से हड्डी पीसते है। पहले जिसका जानवर मरता था उसको 20 रूपये देते थे लेकिन अब इसका ठेका जिला परिषद के द्वारा दिया जाता है जिला परिषद के लोग मरे जानवर उठा ले जाते है लेकिन जिसका जानवर होता है उसे कोई मूल्य नहीं देते। जो लोग मरे हुए जानवर (ठोल–बच्छडा) को उठाते है, उन्हें रंगिया कहते हैं।

राजनीतिक संरचना-

निवादा गांव में आज निम्न जातियाँ और निम्न वर्ग समूह संगठित होकर शक्ति प्राप्त करने के लिए उच्च जातियों तथा वर्गो से प्रतिस्पर्धा कर रहें है। जातिगत स्तर पर यह प्रवृत्ति गुटवाद को जन्म दे रही हैं। जाति पर आधारित गुटबन्दी न केवल ग्रामीण समुदाय में विघटन की स्थिति उत्पन्न कर रही है। बल्कि ग्रामीण जीवन में सामाजिक तनावों तथा असुरक्षा की भावना को भी जन्म दे रही हैं। यह स्थिति आज की ही नहीं हैं। बल्कि 30 वर्ष पहले उच्च जातिय वर्ग तथा निम्न जातिय–वर्गो में एक आन्दोलन छिड़ जाने के कारण हुआ था। उच्च जातियों और उच्च वर्गो की शक्ति के कारण उन्हें गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यह आन्दोलन 1968 में निम्न जाति के नेता दुर्जन एमेले तथा उच्च जाति के बीच हुआ, जिसमें दोनों में विरोध पैदा हो गया था। इसीलिए हरिजन के नेता दुर्जन विधायक ने इसका कड़ा विरोध किया। उच्च वर्ग उसके इस विरोध को सहन नहीं कर सके और मुलुआ जौहरिया ने दुर्जन विधायक को मारा उच्च वर्ग के इस र्दुव्यवहार से निम्न जाति वर्ग के लोगों ने मुलुआ जौहरिया को मारा, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गयी। इस तरह यह बात बढ़कर अदालत

तक पहुच गयी। हरिजनों की तरफ से 352 धारा लगायी गई जिसमें उन्होनें कहा कि घर में घुसकर मारा गया है। सवर्णो की तरफ से 325 धारा लगाई गयी, जिसमें उन्होनें कहा कि जौहरियें की हड्डी टूट गयी है, इस प्रकार से अदालत में मुकदमा चलता रहा। तभी से आज तक इस गांव में निम्न जातियों ने अपनी संख्या शक्ति के आधार पर उन्होने गांव पंचायतो के पदो पर अधिकार कर लिया। इसके फलस्वरूप हरिजन जाति के सदस्यो में राजनैतिक जागरूकता उत्पन्न हो गई, जिससे पंचायत के चुनावों में सभी पदों पर अधिकार कर लिया, ग्राम पंचायत के प्रधानी के चुनावों में हरिजन जातियों के ही प्रधान बनते चले आ रहे है। इसके फलस्वरूप निम्न जातिय वर्ग के समूहों ने अपने विवादों को निपटाने के लिए उच्च वर्ग समूहों के पास जाना बन्द कर दिया है। इस प्रकार से गांव की शक्ति संरचना में मूलभूत पविर्तन हुए है। पूर्व में इस गांव में ब्राम्हणों को शक्ति संरचना में सर्वोच्च स्थान मिला हुआ था, जो कभी बडी भूमि के स्वामी थे, आज वही शक्ति संरचना के नर्माण में एक समूह की संख्या शक्ति अधिक महत्पूर्ण हो गयी है। विल्फ्रेडो पैरेटो, ने उच्च वर्ग, निम्न वर्ग के चक्रीय परिवर्तन के सिद्धात में यह स्पष्ट कर दिया था कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग का शासन 'शेरों' और 'लोमडियों' के शासन की भाँति आता जाता रहता हैं। पैरेटो की यह शक्ति संरचना निवादा ग्राम में भी देखने को मिल रही हैं इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि ग्रामीण शक्ति संरचना आज भी जातिगत मनोवृत्तियों से प्रभावित है। निवादा ग्राम सभा से जुडी तीन महिलाये है–

1. राजकुमारी पान्डे 2. उमिया चमार 3. केशर पाण्डे

निवादा ग्राम में प्राकृतिक संसाधनो का विदोहन-

वर्तमान शताब्दी में निवादा ग्राम की जनसंख्या में बृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। परिणाम स्वरूप निरन्तर बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए इन प्राकृतिक संसाधनो का लोलुपतापूर्ण धुआंधार विदोहन हो रहा हैं निवादा

ग्राम में 30 वर्ष पहले कुछ स्थान ऐसे थे जहां घनघोर जंगल एवं बाग–बगीचे रहा करते थे जिनमें नारी हार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर महुआ के बहुत अधिक वृक्ष थे, आम मकुइया, करौदा, भटकटइया, गोखरू, हर्र, बहेरा, आदि औषधियां पायी जाती थी। शेर, हिरन, डगरा, सियार लोमड़ी, नील गाय, वनरोज, बन्दर, चीता आदि वन जीव पाये जाते थे लेकिन अब उस स्थान पर वन्यजीवों एवं वृक्षों के स्थान पर गेहूं ज्वार उर्द, मूंग इत्यादि की खेती होती है यहीं पर बरसाती नाला है। तथा इस नाले का स्त्रोत नहर से भी है इसी नाले से नारी हार के खेतो की सिचाई होती है, दूसरा स्थान छपरी है, जहां बरगद कैथे महुआ, आम, बबूल आदि के वृक्ष थे अब स्थान पर केवल दो वृक्ष ही है। बाकी वृक्ष के स्थान खेतों में परिवर्तित कर दिये गये है। तीसरा स्थान बरकरी हार है इस स्थान पर भी नारी हार की तरह जामुन, कैथी, तथा प्रत्येक किस्म के पेड़ थे, बगीचा था लेकिन अब इस स्थान पर खेती होने लगी है चौथा स्थान बारी बगीचा, जो नहर के किनारे स्थित था जिससे आम के छः पेड़ महुआ के आठ पेड़ थे लेकिन अब ये वृक्ष खेतो में परिवर्तित हो गये हैं। 10 वर्ष पहले लम्बरदार के बगिया थी, लेकिन अब उनके लड़कों ने यहां मकान बना लिये है।

ग्राम–जरर

बांदा से नरैनी रोड बस द्वारा जाने पर 16 किमी की दूरी पर पैगम्बरपुर पड़ता है इसी पैगम्बरपुर ग्राम में उतरकर जरर ग्राम जाना पड़ता है। जरर ग्राम जाने के लिये यहीं से 3 किमी की कच्ची सड़क गयी हुई है। इस ग्राम की पूरी वस्ती पहाड़ की तलहटी पर बसी हुई है। यह पहाड़ 800 किमी की परिधि में फैला हुआ है। इस पहाड़ में ग्रेनाइट गिट्टी प्रचुर मात्रा में पायी जाती है जो फतेहपुर रायबरेली, बांदा आदि जिलों में भेजी जाती है। इस पर्वत में अनेक जड़ी बूटियां भी पायी जाती हैं। इस ग्राम के दक्षिण की ओर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर केन नदी प्रवाहित होती है। केन नदी के किनारे की 500 बीघा जमीन बंजर बालुई है। जिसका

ठेका जनमेजय सिंह लिए हुए है। इस ग्राम में गेहू, धान, ज्वार, वाजरा, अरहर, चना, लाही, बिजरी आदि फसलों पैदा की जाती है। महुआ आम, बेल, बेर , नीबू जामुन आदि वृक्षों में महुआ के वृक्ष सबसे अधिक लगे हुए है। इस ग्राम की भौगोलिक स्थिति अन्य तीन चयनित ग्रामों से भिन्न है। इस ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। लड़के, लड़कियों की पढ़ाई के लिए भी कोई सरकारी या गैर सरकारी स्कूल नहीं है पढ़ाई के लिए 1 किमी की दूरी पर प्रतीमपुरा ग्राम में सभी लड़के लड़कियां जाते हैं। ग्राम का सांख्यकीय विवरण अन्त में दिये गये परिशिष्ट में वर्णित है।

सामाजिक एवं आर्थिक संरचना-

जरर ग्राम सभा में ब्राम्हण, यादव, गुप्ता, हरिजन तथा अन्य जाति के लोग निवास करते हैं। लेकिन इस ग्राम में दर्जी, कहार, मुसलमान तथा ठाकुर ये चार जातियां एक भी नहीं है। ये चार जातियां न होने से इन जातियों का व्यवसाय अन्य जाति के लोग करते है। दर्जी न होने से शादी–ब्याह में दूल्हे के लिए जामा आदि सिलने का कार्य चमार जातियां करती हैं। धोबी, कुम्हार, नाई, जातियां दरी बुनने का कार्य करती हैं। इस सभी जतियों में ब्राम्हण तथा यादव जातियां अधिक निवास करती हैं। इस ग्राम की प्रत्येक जाति अपना–अपना व्यवसाय करती हैं। बारी पत्तल का काम, नाई बर्तन धोने का काम, लेकिन डोमार जाति की महिलायें मल ढोने का काम नहीं करती हैं बल्कि महिलाओं में प्रसव का काम करती हैं तथा पुरुष वर्ग अपनी रोजी–रोटी के लिए, दिल्ली, सूरत पंजाब आदि शहरों में चले जाते हैं या फिर कुछ लोग बैण्ड बाजा बजाने, सूपा, डलिया बनाने का काम करते हैं यहां महिलाओं के प्रसव के समय नर्स व दाई की सुविधा सुलभ नहीं है, बल्कि ये काम गांव की नाउन, डुमारिन तथा उनके घर की पौढ़ महिलाये ही इस कार्य को करती हैं। इस ग्राम में चिकित्सा की भी कोई सुविधाएं सुलभ नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो समीप के गांव के शेरपुर में बरई बैद्य रहता है। पिथौरागढ़ में

एक काक्षी तथा एक ब्राम्हण वैद्य है, जरर ग्रामवासी इन्हीं वैद्य के पास जाते हैं या फिर इन वैद्यों को ही अपने गांव बुलाते हैं। जब कोई ज्यादा अधिक बीमार हुआ तभी ये जनपद बांदा शहर में आते हैं। इस ग्राम में शौच जाने की प्रथा खुले खेतों एवं पहाड़ों में है खेतों में जब फसल होती है उस समय रात अंधेरे में वे रास्ते में बैठतीहै चार पांच घरों में फ्लैश टट्टी बनी हुई है। जरर ग्राम के पहाड़ी पर चोर आदि लगते हैं रात में 10, 11 बजे कोई निकले तो वहां के चोर लोगों को लूट लेते हैं। इस ग्राम का प्रत्येक आदमी जुंआ खेंलता है। आर्थिक यातायात के क्षेत्र में यह गांव अन्य गांव की तुलना में काफी पिछड़ा है इस ग्राम में महुआ के वृक्षों की अधिकता होने से ग्रीष्म ऋतु के फल इकट्ठा कर लेते हैं बाद में सुखाकर रख लेते हैं और इन्हें भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं महुआ की डोबरी बनाते हैं तथा इसे डोबरी को दूध, सत्तू या गुण के साथ खाते हैं। महुआ का प्रयोग ये भोजन पदार्थ के अतिरिक्त नशे के पेय पदार्थ के रूप में भी करते हैं। जरर ग्राम का क्षेत्र पंचायत गिरवां हैं। साक्षरता अभियान विश्व बैंक तक से सम्बन्धित है एक जूनियर हाई स्कूल (लड़के–लड़कियों) तथा 1 किमी की दूरी पर प्रीतमपुर में 2 प्राथमिक पाठशाला, जिसमें लड़के, लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं जरर ग्राम में चमड़े का ठेका जिला परिषद द्वारा नहीं दिया जाता है बल्कि खोही मुहल्ला में मरे जानवरों को उठाने वाले रंगिया रहते हैं ये लोग मरे हुए जानवरों की खाल उतारकर बांदा में बेंचते हैं वर्तमान में इस ग्राम का पटवारी, अलखराम अवस्थी जो पैलानी ग्राम का रहने वाला है इसके पूर्व पटवारी था शिवसहाय।

राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संरचना-

ग्राम पंचायत, लोकसभा, विधानसभा के वोट जरर ग्राम के प्राथमिक पाठशालाओं में पड़ते हैं। ग्राम सभा की सदस्या में तीन महिलायें हैं। दो ब्राम्हण जाति की एक चमार जाति की।

जरर ग्राम में 1/2 किमी की दूरी पर गिरवां ग्राम में विन्ध्यवासिनी देवी का ऐतिहासिक पुराना

प्रसिद्ध मंदिर है। इस गांव की महिलायें नवरात्रि में विन्ध्यवासिनी देवी में जल चढ़ाने के लिए आती हैं। इस देवी मंदिर में दूर–दूर से शहरों एवं गांवों के लोग आते हैं। नव दिन तक मेला लगा रहता है। जरर ग्राम के बस्ती में रामजानकी का मंदिर है। इस मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है तथा सम्पूर्ण गांव के लोग इस उत्सव में भाग लेते हैं। जरर ग्राम के पहाड़ पर शंकर जी का ऐतिहासिक पुराना स्थान है, जिसमें प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को क्षेत्रीय मेला लगता है। दूर–दूर से लोग इस मेला में भाग लेते हैं। इस पहाड़ की दक्षिण तलहटी पर ऐतिहासिक मुसलमानों की दरगाह है। ये दरगाह हिन्दू, मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कहा जाता है कि मुस्लिम काल में एक मुस्लिम राजा यहां ठहरा हुआ था, उसने कालींजर के राजा से सहायता मांगी थी, सहायता न मिलने पर वह लड़ते–लड़ते वहीं मर गया था तब से ये दरगाह प्रसिद्ध है। इस दरगाह में आस–पास के गांव से मुस्लिम समुदाय के लोग चादर चढ़ाने के लिए आते हैं जरर ग्राम में एक भी मुसलमान नहीं है, लेकिन समीप के ग्राम पिथौरागढ़ से अधिक मुसलमान यहां मन्नत मानते हैं और कोई कोई हिन्दू भी मन्नत मानते हैं पूरी होने परचादर चढ़ाने के लिए आते हैं।

ग्राम–छिबांव

छिबांव ग्राम बांदा शहर से 16 किमी की दूरी पर स्थिति है। चार चयनित ग्रामों में यही एक ग्राम है जहां यातायात की पहली सुविधा रेल व्यवस्था है दूसरी बस। बांदा से इलाहाबाद की ओर जाने वाले रेल मार्ग पर पहला स्टेशन डिंगवाही तथा दूसरा स्टेशन खुरहण्ड पड़ता है खुरहण्ड स्टेशन में उतरक बांयी तरफ 1 किमी कच्ची सड़क है, जिसके दोनों ओर खेत हैं कच्ची सड़क खत्म होते ही एक छोटा तालाब है। जो चारों तरफ से पक्का है नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां है। इसी तालाब से छिबांव ग्राम की वस्ती प्रारम्भ होती है। यह पूरा गांव 1 किमी की परिधि में फैला हुआ है। इस ग्राम की प्रमुख विशेषता यह है कि जबसे भारत स्वतंत्र

हुआ तबसे आज तक ब्राम्हण वर्ग ही प्रधान बनता आया है वर्तमान समय में 23 जून 2000 में हुए ग्राम प्रधान चुनाव में कौशल किशोर वर्तमान प्रधान चुने गये। इस ग्राम में साल में दो फसल पैदा होती है। धान, गेहूं, मसूर की पैदावार अधिक होती है ,खेतों की सिंचाई निजी ट्यूबबेलों, नहर तथा नाला से होती है, ग्राम में दो प्राथमिक पाठशाला हैं जो करगेहना रोड पर हैं,इनमें एक लड़कों और एक लड़कियों का। यदि बस द्वारा छिबांव जायें तो रोडवेज बस स्टाप से इटराखुर्द उतरना पड़ता है यहां से आधा किलोमीटर चलने पर रेलवे क्रासिंग पड़ती है। यही एक नाला बहता है यहीं से छिबाव के लिए 2 किमी पक्की रोड जाती है 20–30 कदम चलने पर खेत में सड़क के दाहिनी तरफ जूनियर हाईस्कूल दिखाई पड़ता है। जिसमें लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं इस प्रकार यहां कुल तीन विद्यालय हैं और यह तीनों सरकारी हैं। ग्राम का सांख्यकीय विवरण अन्त में दिये गये परिशिष्ट में वर्णित है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना-

छिबांव ग्राम में ब्राम्हण और हरिजनों की संख्या बराबर है। बनियां, ठाकुर, धोबी, दर्जी जातियां इस ग्राम में नहीं हैं। बनिया का धंधा सभी जातियां करती हैं। कुम्हार, आरख, चमार, डोमार, मुसलमान, अहीर, कहार, आदि जातियां निवास करती हैं। इस ग्राम में दर्जी जाति न होने से दर्जी का कार्य गुलाब देवी (कायस्थ) का लड़का अच्चू, महिलाओं एवं पुरूषों के कपडे सिलता है। नाई जातियां पतरी नहीं उठाते और नही बर्तन धोते, ये सब काम बारी पैसा लेकर करते है। रामकुमार द्विवेदी, बद्रीप्रसाद द्विवेदी, राजू, नत्थू द्विवेदी, रामाधार द्विवेदी, हृदय नारायण द्विवेदी, कौशलकिशोर द्विवेदी, नारायणदास द्विवेदी, रविशंकर द्विवेदी, बालाप्रसाद द्विवेदी, कपिलदेव त्रिवेदी, कमलेश त्रिपाठी, रमाशंकर द्विवेदी इन 12 लोगों के पास ट्रैक्टर है। रामधार द्विवेदी, कोशलकिशोर, रामकुमार, इन 3 लोगों के पास जीप है। नारायण दास, कौशलकिशोर और रामकुमार इन 3 लोगों के पास मोटर साइकिल है। इस ग्राम में तीन लोगों

के पास गैस चूल्हा है। कौशलकिशोर, राजाराम, नारायण इन लोगों के पास टेलीफोन की सुविध
ा है। चमरउडा मुहल्ले में चमार जातियां ही रहती हैं। कुम्हारों में आज भी बाल विवाह होते हैं। इनकी शादियों में दान–दहेज नहीं दिया जाता, लेकिन इनकी शादी में लड़की को गले की सुतिया देना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार कहारों में भी दान–दहेज अन्य जातियों की अपेक्षा कम दिया जाता है तथा इनकी शादियों में शराब पीने व पिलाने की प्रथा 50 प्रतिशत है। इस ग्राम में तांत्रिक ओझा में 80 प्रतिशत लोग विश्वास करते है। छिबांव ग्राम के सबसे रईस (धनी) आदमी कौशल द्विवेदी जिनके लगभग 500 बीघा जमीन है। इन्हीं के धर के सामने बस्ती के भीतर एक बड़ा मंदिर है। जिसमें सभी देवता निवास करते हैं। दूसरा मंदिर बड़े तालाब के ऊपर देवी जी का मंदिर है। जिसमें बधाई पूंजी जाती है। तीसरा मंदिर छोटे तालाब के समीप ही एक पीपल का वृक्ष है। इसी वासुदेव पीपल के वृक्ष के पास भगवान शंकर जी का मंदिर है। इस मंदिर में छिबांव ग्राम की 50–100 महिलायें कार्तिक के महीने में प्रत्येक दिन पूजा के लिए जाती है। महिलायें पूर्णिमा के दिन तुलसा की शादी करती है। पंडित पूरे महिने प्रत्येक दिन मंदिर में पूजा कराने के लिए आते है। इस ग्राम की बनियां और ब्राम्हण जाति की महिलायें यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाती है। यहां की महिलायें धार्मिक कर्मकाण्ड में अधिक विश्वास करती है। यदि किसी महिला के घर के लोग ब्राम्हण को दान देने के लिए अनाज नहीं देते, तब यह महिलायें खेत से गेहूं शिला बाली बीनकर ले आती है। और फिर इन गेहूं की बाली को कूटकर, गेहूं निकालकर पंडित को दान देती हैं। पूरे कार्तिक के महीने ये महिलायें एक अनाज को खाना छोड़ देती है। पूर्णिमा के दिन सभी तरह के पकवान मीटा, पूड़ी खीर, हलुवा, और भी अन्य भोजन की समग्री बनाने के महिलायें पूर्णिमा के दिन मंदिर में इसी पकवान का भोग लगाती हैं तथा जिस महिला के पास कोई भोग सामग्री या पकवान नहीं होता उसे सभी महिलायें पूजा एवं भोजन की सामग्री देती हैं। रात्रि भर इसी मंदिर के पीपल के वृक्ष के नीचे कृष्ण भगवान के गीत

गाती है।, और अखण्ड घी का दीप जलाती है।

छिबांव ग्राम सभा का न्याय पंचायत महुआ ब्लाक है। इस ग्राम कापटवारी ब्राम्हण है जो चौसद बल्लान का रहने वाला है। यहां के लोगों का कहना है कि 300 वर्ष पहले से ही रेलवे लाइन निकली है। स्टेशन में पोस्ट आफिस है। प्राइवेट विद्यालय नहीं है। खुरहण्ड स्टेशन में ही एक सरकारी तीन प्राइवेट स्वास्थ्य केन्द्र है, जहां गांव के लोग जाते हैं। ब्लाक की तरफ से दो व्यक्ति हैं, जो दवा देते हैं इनका काम है, खानापूर्ति करना है, क्योंकि गांव के लोग खुरहण्ड में ही दवा करवाते हैं बड़े तालाब के बगल से देवी जी का मंदिर है, जहां नौ दर्गा में देवी पूजन होता है। छोटे और बड़े तालाबों में मछली का ठेका कल्लू कहार लिये है। चमड़े का ठेका पूर्व प्रधान रामजस द्विवेदी का लड़का बड़ा लाला लिये हुए है। मृत जानवरों की छीलने छालने, चमड़ा निकालने का काम चमार जाति के लोग करते हैं, ठेके का मालिक लाला है। यह चमड़ा बांदा जिले में बेंचा जाता है।

छिबांव ग्राम के चमार जाति के लोग धार्मिक कर्मकाण्ड, पूजा, पाठ में अधिक विश्वास करते हैं।10 वर्ष पहले चमार जाति के लोग खेतों में कपड़े में बांध कर रोटी ले जाते थे, या फिर आटा ले जाकर वहीं खेतों में बनाकर खाते थे, लेकिन अब ये लोग खेतों में रोटी न ले जाकर पूड़ी परेठा आदि पक्का खाना टिफिन में ले जाते हैं। जो लोग खेतों में खाना नहीं ले जाते, वह घर में आकर स्नान करके रोटी खाते हैं तथा इनकी घर की महिलाये बिना स्नान एवं पूजा पाठ किये बिना खाना नहीं बनाती, और न ही खाती है। ब्राम्हणों से अधिक धार्मिक कर्मकाण्ड एवं पूजा पाठ करते हैं।

आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना-

हरिजन जाति के लोग किसी भी धनी वर्ग के घर में सेवा कार्य नहीं करते, बल्कि ये लोग अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए गांव से शहरों में रोजनदारी का काम करतें है,

या गांव में ही अन्य व्यवसाय, खेती आदि का कार्य करते हैं। अपनी निजी खेती का काम या फिर बटाई में खेती करते हैं, तथा कुछ लोग तो खेती तिहाई करते हैं। बीज, सींच का तिहाई हिस्सा देते हैं तथा जो अनाज खेती में उत्पन्न होता है उसका तिहाई इन्हें मिलता है। जो मजदूरी में खेती करते हैं उन्हें धान माड़ने में 13 टोकरी में 1 टोकरी मिलती है, 12 टोकरी खेत के मालिक को मिलती है। इस ग्राम में प्रतिदिन की मजदूरी 40 रूपया पुरूषों को तथा 20 रूपया महिलाओं को मिलता है। यहां अधिकतर हरिजन गाय, भैंस, बैल रखते हैं खेती का काम समाप्त करके खाली समय में ईंट बनाने का काम, किसी का टैक्टर चलाना, मजदूरी करना, पान की दुकान रखना, बाजा बजाना, दूध बेंचना, लकड़ी का काम, निजी दूध का व्यापार ईंट बनाना, दर्जी एवं लुहार गिरी का काम इत्यादि व्यवसाय करते हैं। खेती की जुताई 125 या 150 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से करते हैं। ब्रिटिश पीरियड में बाद कौशल किशोर के पिता राममनोहर द्विवेदी प्रधान रहे इसके बाद इन दो पंचवर्षीय चुनाव में रामजस द्विवेदी और इसके बाद अब वर्तमान में पूर्व प्रधान रामजस द्विवेदी की पुत्री सुधा द्विवेदी प्रधान रहीं हैं। वर्तमान में जून 2000 से कौशल किशोर द्विवेदी प्रधान है। ग्राम सभा की सदस्या गुलाब देवी कायस्थ और एक ब्राम्हण तथा दो हरिजन महिला हैं। 1997–98 में गुलाब देवी कायस्थ इस गांव में साक्षरता अभियाचलाती रहीं है। इस गांव के राजनीतिक वोट प्राथमिक पाठशाला में पड़ते हैं।स्टेशन से पक्की सड़क का बनना, खुदाई, सफाई कार्य, पिचिंग करना (किनारा बांधना) आदि कार्यकम 1997 में हुए।

प्रत्येक व्यक्ति एवं समूह की अपनी पहचान की कुछ विशेषताए होती है। ये विशेषताए व्यक्ति के व्यक्त्वि से परिलक्षित होती है। मनोवैज्ञानिको का कहना है कि व्यक्तित्व सम्पूर्ण व्यवहार का दर्पण है। मालती सारस्वत (1994) ने व्यक्त किया है कि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति व्यक्ति के आचार विचार, व्यवहार क्रियाओं एवं उसकी गतिविधियों द्वारा होती है। व्यक्ति के आचारण व्यवहार में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक गुणों का मिश्रण

होता है, जो व्यक्ति की बदलती आयु के साथ परिवर्तित होता रहता है। व्यक्ति का समस्त व्यवहार समाजिक परिवेश से अनुकूलन करने के लिए होता है। प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक में अपने, विशेष व्यक्तित्व के कारण, व्यवहार करने के ढंग में भिन्नता पायी जाती है। सामाजिक परिवेश में अपने को समायोजित करने के लिए वह जिस प्रकार का व्यवहार करता है। उससे व्यक्ति के व्यवहार पर उसकी आन्तरिक भावनाओं और वाह्य वातावरण का प्रभाव दिखाई पडता है।

सारणी क्रमांक- 3.1

ग्राम एवं आयु के सम्बन्ध

आयुगत विवरण							
ग्राम आयु–	20–40		40–60		60से ऊपर		योग
|	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
बड़ोखर बुजुर्ग	84	51.8	60	37.0	18	11.1	162
मलहरा निवादा	59.	52.0	39	34.5	15	13.2	113
जरर	38.	58.4	21	32.3	6	9.2	65
छिवांव	66	55.0	50	41.6	4	3.3	120
योग	247	53.6	170	36.9	43	9.3	460

चित्र संख्या—3.1
ग्राम एवं आयु के सम्बन्ध
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
84
60
18
59
39
15
38
21
6
66
50
4
बड़ोखर बुजुर्ग
मलहरा निवादा
जरर
छिवांव
20—40
40—60
60 से ऊपर

ग्राम एवं आयु के सम्बन्ध -

प्रस्तुत सारिणी में 3.1 चयनित चार ग्रामों (बडोखर, निवादा, जरर, छिबाव) की महिलाओं की ग्रामीण पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आयु के आधार पर इन ग्रामीण महिलाओं को चार भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम आयु वर्ग में 20–40 आयु की महिलाओं को सम्मलित किया गया है। इस आयु वर्ग की महिलायें अधिक सचेत, जागरूक, कार्यशील होती है जैसा कि ग्रहस्थ आश्रम में कहा गया है कि जिस प्रकार वायु के बिना जीवन की सम्भावना नहीं की जा सकती है उसी प्रकार अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कियें बिना जीवन के अगले सोपान में प्रवेश नहीं कर सकता हैं द्वितीय आयु वर्ग में जिन उत्तरदायित्यों को सम्मलित किया गया है उनकी उम्र 40–60 निर्धारित की गयी है इस आयु वर्ग की महिलाएं इतनी कार्यक्षम नहीं होती है जितनी कि प्रथम आयु वर्ग की। लेकिन इतनी निष्क्रिय भी नहीं होती है जितनी तृतीय आयुवर्ग । तृतीय आयु वर्ग में वो उत्तरदात्रियाँ आती है जितनी जिन्दगी का आधा से अधिक जीवन बिता चुकी होती है अर्थात 60 वर्ष से ऊपर की आयु हो जाने पर शायद ही किसी महिला के अन्दर कुछ कार्य करने की इच्छा शेष रहती है। इस अवस्था में आते आते महिलाये पूरी तरह से थक चुकी होती है क्यो कि महिलाओं का जीवन प्रारम्भ से ही संघर्षमय जीवन होता है।

ग्रामीण महलाओं में पर्यावरणीय चेतना के बारे में यथा सम्भव वस्तु स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए चार ग्रामों के कुल 2278 परिवारो का 'दैव निदर्शन' के नियमित अंकन प्रणाली से अध्ययन किया गया। कुल परिवारों में 20 प्रतिशत का चयन उक्त पद्धति से किया गया। इस प्रकार चयनित चारों ग्रामों की 460 उत्तरदात्रियों को उत्तरदात्री के रूप में चुना गया जिसमें बडोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रिया है इन उत्तरदात्रियों को जब हम आयु के आध ार पर तीन भागों में बांटते है तो ज्ञात है कि बडोखर में 20–40 आयु वर्ग की 84 (51.8) प्रतिशत

उत्तरदात्रियां है 40–60 आयु वर्ग की 60 (37.0) प्रतिशत उत्तरदात्री और 60 से ऊपर आयु वर्ग की 18 (11.1) प्रतिशत उत्तरदात्रियां, उत्तरदत्रियां के रूप में चुनी गई है।

इसी प्रकार निवादा ग्राम में जो जनसंख्या की दृष्टि से एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से बडोखर से छोटा है लेकिन जरर ग्राम से बडा है। इस ग्राम में 113 महिलाआं को उत्तरदात्री के रूप में चुना गया है जिनमें 20–40 आयु वर्ग की 59 (52) प्रतिशत उत्तरदात्रिया, 40–60 आयु वर्ग की 39 (34.5) प्रतिशत उत्तरदात्रियां और 60 से ऊपर आयु वर्ग 15 (13.2) प्रतिशत महिलाएं उत्तरदायी के रूप में सम्मिलित की गयी है।

जरर एक ऐसा ग्राम है जो जनसंख्या की दृष्टि से अन्य तीनों ग्रामों से कम व छोटा लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से निवादा ग्राम से बड़ा है यहां मात्र 800 किलोमीटर क्षेत्र में पहाड़ ही स्थित है और इसी पहाड़ की तलहटी में जरर ग्राम बसा है। इस ग्राम में जिन महिलाओं को उत्तरदात्री के रूप में चुना गया है उनकी संख्या 65 है जिसमें 20.40 आयु की 38 (58.4) प्रतिशत से 40 से 60 आयु वर्ग की 21 (32.3) प्रतिशत 60 से ऊपर आयु वर्ग 6 (9. 2) प्रतिशत महिलायें उत्तरदात्री के रूप में चुनी गई।

इसी प्रकार छिबांव ग्राम में जिन महिलाओं को उत्तरदात्री के रूप में चुना गया। उनकी संख्या 120 है। विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर 20.40 आयु वर्ग की 66 (55.0) प्रतिशत, 40.60 आयुवर्ग की 50 (41.6) प्रतिशत 60 से ऊपर आयु वर्ग की 4 (3.3) प्रतिशत उत्तरदात्री है।

उपरोक्त सारिणी का विवरण करने के पश्चात ज्ञात होता है कि चारों ग्राम की 460 उत्तरदात्रियों में विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर जिन महिलाओं को उत्तरदात्री के रूप में चुना गया उनमें 20.40 आयु वर्ग 247 (53.6) प्रतिशत 40.60 आयु वर्ग की 170 (30.9) प्रतिशत से 60 से ऊपर आयु वर्ग की 43 (9.3) प्रतिशत महिलाओं को उत्तरदात्री के रूप में चुना गया है।

सारणी क्रमांक- 3.2

ग्राम एवं जातिगत सम्बन्ध

ग्राम	जातिगत विवरण						योग
	उच्च		मध्यम		निम्न		
	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
बड़ोखर बुजुर्ग	50	30.8	75	46.2	37	22.8	162
मलहरा निवादा	30	30.7	40	38.4	43	30.7	113
जरर	20	30.7	25	39.1	20	30.7	65
छिवांव	40	33.3	40	33.3	40	33.3	120
योग	140	30.4	180	39.1	140	30.4	460

चित्र संख्या– 3.2
ग्राम एवं जातिगत सम्बन्ध
80
60
40
20
0
50
75
37
30
40
43
20
25
20
40
40
40
बड़ोखर बुजुर्ग
मलहरा निवादा
जरर
छिवांव
उच्च
मध्यम
निम्न

ग्राम एवं जातिगत सम्बन्ध -

भारत में व्यवसाय जन्म आयु गुण स्वाभाव और प्रजातीय भिन्नता के आधार पर जिस सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण हुआ वह आरम्भ में वर्ण व्यवस्था और संयक्त परिवार के संस्तरण के रूप में था लेकिन कालान्तर में जातियों के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ हो जाने से विभिन्न जातियों द्वारा बनने वाले सामाजिक स्तरीकरण काएक नया स्वरूप सामने आया जिसने एक वर्गगत स्तरीकरण को जन्म दिया इसके अन्तर्गत विभिन्न समूहों की स्थिति जन्म अथवा स्वाभाव से निर्धारित न होकर उनके व्यवसाय और आर्थिक स्थिति के द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन ग्रामीण समाजों में जातिगत स्तरीकरण का महत्व आज भी कम नहीं हुआ जिसका एकमात्र आधार व्यक्ति का जन्म अथवा आनुवंशिकता है।

प्रस्तुत सारिणी में गवेषिका ने चारों ग्राम की उत्तरदात्रियों को जाति के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया है। उच्च, मध्यम निम्न/उच्चवर्ग में उन महिलाओं को रखा गया है। जो सामान्य वर्ग की है। माध्यम वर्ग में वो महिलाएं सम्मिलित की गयी हैं जो पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आती हैं। तृतीय वर्ग में जिन महिलाओं को रखा गया उनमें अनुसूचित जाति की उत्तरदात्रियाँ हैं। जिनकी समाज में स्थिति अत्यधिक कमजोर है। इस सारिणी का जब हम ग्रामवार विवरण प्रस्तुत करते हैं तो ज्ञात होता है कि बड़ोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 30. 8 प्रतिशत उत्तरदात्रियां उच्च अर्थात सम्भ्रांत वर्ग की है। 46.7 प्रतिशत उत्तरदात्रियां माध्यम वर्ग अर्थात पिछड़े वर्ग की हैं जिनकी स्थिति संतोष जनक नहीं है। 22.8 प्रतिशत उत्तरदात्रियां निम्न अर्थात कमजोर वर्ग की हैं जिनकी स्थिति असंतोषजनक है। इसी प्रकार मलहरा निवादा ग्राम की उत्तरदात्रियों की संख्या 113 है जिनमें प्रथम वर्ग अर्थात उच्च (ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य) जाति की उत्तरदात्रियां 30.7 प्रतिशत हैं। माध्यम वर्ग अर्थात पिछड़ी जाति की उत्तरदात्रियां 38.4 प्रतिशत हैं। तृतीय वर्ग अर्थात निम्न वर्ग की उत्तरदात्रियां 30.7 प्रतिशत है। जरर ग्राम जो एक

छोटा और पिछड़ा हुआ ग्राम है यह सम्पूर्ण ग्राम 800 किलोमीटर तक फैले पहाड की तलहटी में बसा हुआ है। इस ग्राम में चयनित उत्तरदात्रियों की संख्या 65 हैं जिनमें उच्चवर्ग 30.7 प्रतिशत उत्तरदात्रियां हैं इस ग्राम में उच्च वर्ग के अन्तर्गत आने वाली उत्तरदात्रियों में अधिकांशतया उत्तरदात्री ब्राम्हण एवं वैश्य परिवार की हैं। क्षत्रिय जाति की कोई भी उत्तरदात्री नहीं है क्योंकि इस ग्राम में ठाकुर जाति निवास ही नहीं करती है। द्वितीय वर्ग अर्थात मध्यम वर्ग में 39.1 प्रतिशत उत्तरदात्रियां पिछडे वर्ग की है। जिनकी आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति अच्छी है लेकिन संतोषप्रद नहीं कही जा सकती है। क्योंकि इन परिवारों के सदस्यों के पास न ज्यादा खेती होती है न बड़ा व्यापार तृतीय वर्ग अर्थात निम्न वर्ग की उत्तरदात्रियों का प्रतिशत इस ग्राम में 30.7 प्रतिशत है। इस ग्राम में निम्न वर्ग की स्थित अत्यधिक कमजोर है। निम्न जाति के परिवारों में आमदनी स्रोत सबसे अधिक स्वतंत्र व्यवसाय है। जैसे–दरी बुनना, मुर्गी पालन, दूध का व्यवसाय, पान की दुकान, मिठाई की दुकान, कपड़े सिलना, अन्य लघु उद्योग आदि। इसी प्रकार छिबांव ग्राम में महिला उत्तरदात्रियों की संख्या 120 है। प्रथम वर्ग में आने वाली उत्तरदात्रियाँ उन परिवारों की हैं जिन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। और जिनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस ग्राम में ब्राम्हण वर्ग अधिक है और इनकी स्थिति भी अधिक मजबूत है, क्योकि इनके पास खेती कीर अधिकता है और बड़े–बड़े उद्योग धंधों एवं व्यापार में संलग्न है ऐसे उच्च एवं प्रतिष्ठित परिवार की महिला उत्तरदात्रियों का प्रतिशत 33.3 है। मध्यम वर्ग अर्थात पिछड़े वर्ग में भी महिला उत्तरदात्रियों का प्रतिशत 33.3 उच्च वर्ग के बराबर है। तृतीय वर्ग अर्थात निम्न वर्ग जिन्हें अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं ऐसी उत्तरदात्रियों का प्रतिशत भी उच्च एवं मध्यम वर्ग के बराबर 33.3 प्रतिशत है। इस ग्राम में उच्च जाति, मध्यम जाति एवं निम्न जाति के परिवारों की संख्या बराबर है। जबकि अन्य ग्रामों के विवरण से ऐसा ज्ञात नहीं होता अन्य सभी ग्राम में उच्च, मध्यम एवं निम्न जाति का प्रतिशत भिन्न–भिन्न है।

उपर्युक्त सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि चयनित चार ग्रामों की 460 उत्तरदात्रियों में प्रथम वर्ग जिसे हम उच्च, संभ्रान्त, सम्मानित, प्रतिष्ठित वर्ग मानते हैं और समाज में जिनकी स्थित सर्वोच्च समझी जाती है ऐसे परिवारों की उत्तरदात्रियां 30.4 प्रतिशत है, जबकि द्वितीय वर्ग जिसे हम मध्यम एवं पिछड़ा वर्ग कहते हैं ऐसे परिवारों की उत्तरदात्रियां 39.1 प्रतिशत हैं तृतीय वर्ग जिसे हम निम्न एवं अनुसूचित जाति कहते हैं ऐसे परिवारों की उत्तरदात्रियां 30.4 हैं। उपरोक्त सारिणी का विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि चार ग्रामों में पिछडे वर्ग की अधिकता है इसका कारण यह है कि पिछड़ा वर्ग जिनकी स्थिति न अधिक अच्छी है न अधिक खराब है अर्थात इन परिवारों के पास कुछ खेती भी है और कुछ रोजगार करके कमा लेते हैं लेकिन उच्च वर्ग में जो परिवार सम्पन्न हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं जो लड़के पढ़कर नौकरी करने लगते हैं या कहीं रोजगार करने लगते हैं वो फिर गांव कम आते हैं इसी प्रकार निम्न जाति के लोग भी है जिनके पास खेती नहीं है रोजगार का भी साधन नहीं है वो गांव छोड़कर शहरों व नगरों में जाकर छोटे–छोटे धंधे या मजदूरी का कार्य करने लगते है।। इसलिए ग्रामों में उच्च एवं निम्न वर्ग की अपेक्षा पिछड़े वर्ग की अधिकता है।

सारणी क्रमांक- 3.3

ग्राम एवं शिक्षागत विवरण

ग्राम	शिक्षागत विवरण						योग
	शिक्षित		साक्षर		निरक्षर		
	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
बड़ोखर बुजुर्ग	53	32.7	23	14.1	86	53.0	162
मलहरा निवादा	21.	18.5	32	28.3	60	53.0	113
जरर	5.	7.6	16	24.6	44	67.6	65
छिवांव	14	11.6	30	25.0	76	63.3	120
योग	93	20.2	101	21.9	266	57.8	460

सारणी क्रमांक 3.3
ग्राम एवं शिक्षा गत विवरण
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
53
23
86
21
32
60
5
16
44
14
30
76
बड़ोखर बुजुर्ग
मलहरा निवादा
जरर
छिवांव
शिक्षित
साक्षर
निरक्षर

ग्राम एवं शिक्षागत विवरण-

प्रस्तुत सारिणी 3.3 चयनित ग्रामों की उत्तरदात्रियों के शिक्षा के स्तर को दर्शाती है। इस सारिणी में हमने चारों ग्राम की उत्तरदात्रियों को शिक्षा के आधार पर तीन वर्गों में विभक्त किया गया है। प्रथम वर्ग में वे महिलाएं सम्मिलित की गई है। जो शिक्षित है। शिक्षित महिलाओं से हमारा आशय उन महिलाओं से है। जो लिख पढ़ सकती है। द्वितीय वर्ग में वे महिलाएं सम्मिलित है। जो मात्र अक्षर ज्ञान या हस्ताक्षर कर पाती है। तृतीय वर्ग में पूर्णतया निरक्षर महिलाए सम्मिलित हैं जो न लिख सकती है न पढ़ सकती है।

ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरणीय चेतना के तीव्र प्रभाव को जानने तथा स्त्री शिक्षा का बढ़ता प्रभाव एवं उससे स्त्रियों में होने वाले तीव्र गत्यात्मक प्रभावों को जानने के लिये चयनित चार ग्राम की उत्तरदात्रियों की शिक्षा सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गयी है। क्या शिक्षा का सम्बन्ध महिलाओं की व्यक्तिगत , सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन से भी है। जिसके कारण ग्रामीण महिलाएं पढ़ना लिखना सीख रही हैं या पढ़ने लिखने के प्रति आज भी वे उदासीन है। इस दृष्टि से शिक्षा के विषय में संदर्भित ग्रामों की उत्तरदात्रियों से जानकारी प्राप्त की गयी ।

प्रस्तुत सारिणी में शिक्षा का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि शिक्षा का स्तर आज भी गिरा हुआ है। 460 उत्तरदात्रियों में 20.2 प्रतिशत उत्तरदात्रियां ही शिक्षित है साक्षर महिलाओं का स्तर भी अच्छा नहीं है। 21.9 प्रतिशत महिलायें ही साक्षर है। निरक्षर महिलाओं की संख्या आज भी सबसे अधिक 57.8 प्रतिशत हैं। इसे जब हम ग्रामवार देखते हैं तो बड़ोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 32.7 प्रतिशत उत्तरदात्रियां शिक्षित है। जो चारों ग्राम की अपेक्षा सबसे अधिक है। इसका कारण यह है कि यह ग्राम सड़क से जुड़ हुआ है यहां आवागमन की सुविध

ा के कारण पढ़ने लिखने के अच्छे साधन सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं इसलिए यहां शिक्षित

महिलाओं की संख्या अधिक है। साक्षर महिलाओं का प्रतिशत 14.1 है निरक्षर महिलाओं का प्रतिशत 53 प्रतिशत है। इसी प्रकार निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में 18.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियां पढ़ी लिखी हैं अर्थात शिक्षित है। 28.3 प्रतिशत उत्तरदात्रियां मात्र अक्षर ज्ञान अर्थात साक्षर है। 53 प्रतिशत उत्तरदात्रियां अनपढ़ अर्थात पढाई लिखाई करना जानती ही नहीं है। जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में मात्र 7.6 उत्तरदात्रियां ही शिक्षित हैं जरर एक छोटा ग्राम है यहां पढने लिखने की अच्छी सुविधा न होने के कारण ग्राम के व्यक्ति अपनी लडकियों को पढने नहीं भेजते हैं इसलिए शिक्षित स्त्रियों की संख्या यहां सबसे कम है। 24.6 प्रतिशत उत्तरदात्रियां साक्षर है। और 67.6 प्रतिशत सबसे अधिक उत्तरदात्रियां यहां निरक्षर है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि एक जूनियर हाई स्कूल जरर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और इस स्कूल में लडके एवं लडकियां साथ.साथ पढते है। इसी कारण गांव की लड़कियां पढ़ने से वंचित रह जाती है। यह सर्वविदित है कि जो स्वयं शिक्षित नहीं है वो शिक्षा के महत्व व आगामी पीढी को इसका ज्ञान कैसे दे सकता है। इसी प्रकार छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में 11. 6 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ शिक्षित हैं 25 प्रतिशत साक्षर हैं 63.3 प्रतिशत निरक्षर है।

उपरोक्त सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि स्त्रियों में शिक्षा का स्तर बिल्कुल अच्छा नही है। यद्यपि महिलाओं का स्तर शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीनकाल से ही अच्छा नहीं और आज भी अच्छा नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में बढोतरी अवश्य हुई है और आज महिलाएं शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो गयी हैं लेकिन ग्रामीण अंचलों के कुछ भाग आज भी शिक्षा से बहुत दूर हैं जो ग्राम शहरों के पास हैं नगरों के समीप हैं वहां शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है और जो ग्राम नगरों शहरों से काफी दूर हैं अनेक साधनों का अभाव है वहां शिक्षा का स्तर आज भी बहुत कम है।

सारणी क्रमांक- 3.4

ग्राम एवं व्यवसाय का सम्बन्ध

ग्राम	व्यवसाय								योग
	कृषि		नौकरी		मजदूरी		स्वतंत्र व्यवसाय		
	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
बड़ोखर बुजुर्ग	79	48.7	27	16.6	22	13.5	34	20.9	162
मलहरा निवादा	59.	52.2	6	5.3	25	22.1	23	20.3	113
जरर	35.	53.8	2	3.0	7	10.7	21	32.3	65
छिवांव	64	53.3	10	8.3	24	20.0	22	18.3	120
योग	237	51.5	45	9.7	78	16.9	100	21.7	460

चित्र संख्या–3.4
ग्राम एवं व्यवसाय का सम्बन्ध
100
80
60
40
20
0
79
59
35
64
27
6
2
10
22
25
7
24
34
23
21
22
कृषि
नौकरी
मजदूरी
स्वतंत्र व्यवसाय
बड़ोखर बुजुर्ग
मलहरा निवादा
जरर
छिवांव

ग्राम एवं व्यवसाय का सम्बन्ध-

प्रस्तुत सारिणी 3.4 में चयनित ग्रामों के व्यवसाय कार्य को दर्शाया गया है। जहाँ शहरो में नौकरी, मजदूरी, औद्योगिकी, मशीनरी जैसे व्यवसायों की प्रधानता है वही गावों में कृषि जैसे व्यवसाय की प्रधानता हैं। ग्रामीण अंचलो में कृषि प्रमुख व्यवसाय अवश्य है लेकिन यहाँ बसने वाले व्यक्ति कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो को भी करने में संलग्न हैं। इस सारणी में हमने व्यवयाय कार्य को चार भागों में विभक्त किया है। प्रथम वर्ग में कृषि के रखा गया है। कृषि का ताप्पर्य यहाँ पाई जाने वाली फसलों (गेहू, चना, अरहर, मूग, मशूर, धान, ज्वार, बाजरा, आदि) से है। द्वितीय वर्ग में नौकरी को रखा गया है जिनमें कुछ परिवारों के सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी, एवं संस्थाओं से संलग्न हैं। तृतीय वर्ग में मजदूरी कार्य को रखा गया है मजदूरी कार्य का ताप्पर्य प्रतिदिन किये जाने वाले उस श्रम से है। जिसकी कोई निर्धारित धनराशि नहीं होती बल्कि प्रतिदिन के श्रम के आधार पर दिया जाता है। चतुर्थ वर्ग में स्वतन्त्र व्यवसाय को रखा गया है स्वतन्त्र व्यवसाय का ताप्पर्य उन उद्योगों से है जिसमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मशीनरी उद्योग धन्धे सम्मलित है।

उपरोक्त सारणी में व्यवसाय को चार भागों में विभक्त किया गया है और उन व्यवसाय कार्य में लगे सदस्यों की संख्या को भी दर्शाया गया है। जो प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यवसाय में भिन्न–भिन्न है। इस प्रकार जब हम इसे ग्रामवार देखते है तो ज्ञात होता है कि बडोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 48.7 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के परिवार के सदस्य कृषि कार्यो में संलग्न है। 16.6 प्रतिशत उत्रदत्रियों के परिवार के सदस्य नौकरी कार्य में संलग्न है। जैसा कि इस सारिणी से स्पष्ट होता है कि इन चार ग्रामों में अन्य तीन ग्रामों की अपेक्षा बडोखर ग्राम में नौकरी करने वाले सदस्यो की संख्या अधिक है। क्योकि यह बड़ा गांव है। और यहाँ सभी प्रकार की सुविधाए उपलब्ध है। बस स्टाप में तुलसी ग्रामीण बैंक है। हटवारा मुहल्ले में

पोस्ट आफिस है। नहर के किनारे एलोपैथिक प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र है एक जूनियर हाई स्कूल है। संचार साघनों का भी अभाव नहीं है। जैसा कि साारिणी नं0 3.3 में स्पष्ट है कि अन्य ग्रामों की अपेक्षा बड़ोखर ग्राम की स्त्रिया (32.7 प्रतिशत) सबसे अधिक शिक्षित है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब स्त्री शिक्षित होगी तो उसका परिवारिक वातावरण कुछ अलग होगा उनका रहन–सहन का स्तर, व्यवहार का ढ़ग, बच्चो की शिक्षा–दीक्षा आदि सब पर शहरीकरण का प्रभाव अधिक होगा। यही कारण है कि यहाँ नौकरी करने वाले सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। इस ग्राम में मजदूरी का कार्य करने वाले उत्तरदात्रियो के परिवारो की सदस्य संख्या का प्रतिशत 13.5 प्रतिशत है। इस ग्राम में जिनका अपना स्वयं का व्यवसाय है उन उत्तरदत्रियो के परिवारो की सदस्य संख्या का 20.9 प्रतिशत है। इसी प्रकार निवादा ग्राम की 113 उत्तरदत्रियो में 52.2 प्रतिशत उत्तरदात्रियो के परिवार के सदस्य कृषि कार्य करते है। 5.3 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के परिवार के सदस्य नौकरी कार्य में संलग्न है। मजदूरी का कार्य करने वाले व्यक्तियो का प्रतिशत 22.1 है। वे परिवार जिनका अपना स्वतन्त्र व्यवसाय है उनका 20. 3 प्रतिशत है। इसी प्रकार ग्राम जरर में 65 उत्तरदात्रियों में 53.8 प्रतिशत परिवार ऐसे है जो कृषि कार्य में संलग्न है जबकि नौकरी कार्य में संलग्न परिवार मात्र 3 प्रतिशत अन्य ग्राम की अपेक्षा सबसे कम है। यद्यपि यह एक छोटा ग्राम है और सड़क से दूर है। न तो यहाँ आवागमन का साधन है न ही बच्चो के पढ़ने के लिए स्कूल, यहाँ योग्य व्यक्तियो की न कमी है न अभाव बल्कि सुविधाए उपलब्ध न हो पाने के कारण जो व्यक्ति नौकरी करते है वे गांव छोड़कर शहर चले जाते है इसलिए यहाँ नौकरी करने वाले व्यक्तियो की संख्या कम है। इस ग्राम में मजदूरी करने वाले परिवार 10.7 प्रतिशत है। वे परिवार जिनका अपना स्वतन्त्र व्यवसाय है या जो अपना स्वयं के धन्धे से जीविका चलाते है कुछ परिवार ऐसे है जिनके पास खेती है और अपना स्वतन्त्र

व्यवसाय भी, और कुछ परिवार जिनके पास मात्र अपना व्यवसाय है खेती नहीं। इस प्रकार स्वतन्त्र व्यवसाय करने वाल परिवारो की संख्या अन्य ग्रामों की अपेक्षा 32.3 प्रतिशत सबसे अधिक है। इसका कारण यह है कि यह ग्राम 800 किलोमीटर क्षेत्र में बसे पहाड के चारो ओर बसा हुआ है। यहाँ खेती योग्य भूमि की कमी है वैसे भूमि की अधिकता है लेकिन बहुत कुछ भूमि कंकरीली, पथरीली है और बालुई है। क्योकि यहाँ कई अन्य शहरों ग्रामों के व्यक्ति पहाड का ठेका लिए हुए है और 2.5 किलो मीटर की दूरी पर केन पदी प्रवाहित है इस नदी के किनारे किनारे का क्षेत्र बालुई है जिसका ठेका जनमेजय सिंह लिए है और बहुत से व्यक्ति अपना छोटा धन्धा करके कमाते है जैसे दूध बेचना, दरी बुनना, मुर्गी पालना, कपड़े सिलना, दुकान खोलना, आदि कार्यो द्वारा जीविका के साधनो को जुटाना आदि है। इसी प्रकार छिबाव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियो में 53.3 प्रतिशत उत्तरदात्रियो के परिवार कृषि कार्यो में संलग्न है। 8.3 प्रतिशत परिवार नौकरी करते है। 20 प्रतिशत उत्तरदात्रियो के परिवारो में मजदूरी का कार्य होता है। 18. 3 प्रतिशत उत्तरदात्रियो के परिवारो में व्यक्ति अपने स्वतन्त्र कार्यो में संलग्न है।

उपरोक्त सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि चयनित चार ग्रामो की 460 उत्तरदात्रियो के परिवारो में कृषि कार्यो में संलग्न परिवारो का 51.5 प्रतिशत सबसे अधिक है। इसके बाद द्वितीय स्थान स्वतन्त्र व्यवसाय का है जो स्वयं अपने निजी व्यसाय पर आधारित है। इनका 21.7 प्रतिशत है। तृतीय स्थान उन परिवरो का जिनके 16.9 सदस्य मजदूरी का कार्य करते है। चतुर्थ स्थान पर वे परिवार आते है जो नौकरी कार्य में संलग्न है इनका 9.7 प्रतिशत है।

ग्राम एवं आमदनी का सम्बन्ध -

भारत कृषि प्रधान देश है, अधिकांश लोगो की जीविका कृषि पर निर्भर है। कृषि या खेती के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध होनी चाहिए। जमीन सीमित है और जनसंख्या अधिक

इतनी बढ़ती हुई आबादी के लिए भौतिक सुख–सुविधाओं के साधनों को जुटाना तो दूर, इनके लिए मूलभूत आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था सरल नहीं है। रोटी, कपडा और मकान सभी को चाहिए जिसके लिए व्यक्ति दिन–रात कठिन परिश्रम करके अधिक से अधिक धन कमाने में लगा रहता है।

स्वाधीनता के पश्चात जब हमने नियोजित विकास का पथ चुना तो ऐसा भी सोचा जा रहा था कि देश के आर्थिक पिछडेपन एवं गरीबी के लिए उद्योगीकरण का न्यून स्तर ही उत्तरदायी हैं इसलिए हमारी पंचवर्षीय योजना से योजनाओं में औद्योगिक विकास को विशेष प्राथमिकता दी गयी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से आरम्भ करते हुए पश्चात वर्ती प्रत्येक योजना में एक अध्याय ऐसा अवश्य रखा जा रहा है जो रोजगाार उत्पन्न करने और आर्थिक विपन्नता के निवारण से सम्बन्धित हो। केन्द्र सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन अनेक ठोस कार्यक्रम आरम्भ किये गये है। राज्य सरकारो ने भी विविध कार्यक्रम आरम्भ किये है। जैसे महाराष्ट्र में रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, मध्यप्रदेश में 'भूमि सेना योजना' तथा तमिलनाडु में एक परिवार एक काम योजना। डा० डी० एन० तिवारी (1993) सरकार द्वारा रोजगार सम्बन्धी अनेक कार्यक्रम शुरू करने के पश्चात् भी ग्रामीण क्षेत्रो की स्थिति आज भी चिन्ताजनक बनी हुई है।

सारणी क्रमांक– 3.5

ग्राम एवं आमदनी का सम्बन्ध

ग्राम	आमदनी 100–1000		1000–3000		3000 से ऊपर		योग
	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
बड़ोखर बुजुर्ग	16	9.8	114	70.3	32	19.7	162
मलहरा निवादा	22	19.4	81	71.6	10	8.8	113
जरर	14	21.5	44	67.6	7	10.7	65
छिवांव	40	33.3	72	60.0	8	6.6	120
योग	92	20.0	311	67.6	57	12.3	460

चित्र संख्या– 3.5
ग्राम एवं आमदनी का सम्बन्ध
120
100
80
60
40
20
0
114
16
32
81
22
10
44
14
7
72
40
8
बड़ोखर बुजुर्ग
मलहरा निवादा
जरर
छिवांव
100—1000
1000—3000
3000 से ऊपर

प्रस्तुत सारिणी में 3.5 चयनित चार ग्रामो की आमदनी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। इस सारिणी में व्यक्ति की आमदनी को तीन भागों में विभक्त करके उनकी आर्थिक स्थिति का आकंलन करने का प्रयास किया गया। प्रथम वर्ग में उन उत्तरदात्रियो को सम्मलित किया गया है। जिनके 20 परिवार के सदस्यों की कुल आमदनी 100—1000 तक है। यह समाज का वह वर्ग है जो अत्यधिक परिश्रम करते हुये अपनी दैनिक समस्याओं में जूझकर कष्टसाध्य जीवन व्यतीत करते है। द्वितीय वर्ग में उन उत्तरदात्रियों को रखा गया है जिनके 66.6 प्रतिशत परिवार के सदस्यों की आमदनी 1000 से 3000 तक है। ये समाज का वह वर्ग है जो अपनी दैनिक समस्याओं को पूरा करने के साथ—साथ अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने भी प्रयास करते है। तृतीय वर्ग में वो उत्तरदात्रियां सम्मलित की गयी है, जिनके 12.3 प्रतिशत परिवार के सदस्यों की आमदनी 3000 से ऊपर है अर्थात जिनकी आर्थिक स्थिति एवं उनके रहन—सहन का स्तर अच्छा है और सर्वेक्षण के माध्यम से पता चला कि कुछ परिवार ऐसे भी है जिनके पास भौतिकता के सभी साधन उपलब्ध है।

उपरोक्त सारिणी को आमदनी के आधार पर तीन भागों में विभक्त करने के पश्चात इसका जब हम ग्राम वार विवरण प्रस्तुत करते है तो ज्ञात होता है कि बडोखर बुजुर्ग ग्राम में कुल उत्तरदात्रियों की संख्या 162 है जिनमें 100 से 1000 तक की आमदनी वाले परिवार 9.8 है। 1000 से 3000 तक की आमदनी वाले परिवार 70.3 प्रतिशत है। 3000 से ऊपर की आमदनी पाने वाले परिवार 19.7 प्रतिशत है। 3000 से ऊपर की आमदनी वाले परिवारों का प्रतिशत अन्य तीन ग्रामों की अपेक्षा बडोखर बुजुर्ग ग्राम में सबसे अधिक हैं। इसका कारण यह है कि इस ग्राम में नौकरी वाले व्यक्तिओं का प्रतिशत 16.6 सबसे अधिक है। जैसा कि सारिणी 3.4 में स्पष्ट किया गया है।

इसी प्रकार मलहरा निवादा ग्राम में कुल उत्तरदत्रियों की संख्या 113 है। जिनमें

100 से 1000 तक की आमदनी वाले परिवारों का प्रतिशत 19.4 है। द्वितीय वर्ग में 1000 से 3000 तक की आमदनी वाले मध्यमवर्गीय परिवारो का प्रतिशत अन्य चार ग्रामों की अपेक्षा सबसे अधिक 71.6 प्रतिशत है। इसका कारण यह है कि इस ग्राम में नौकरी और स्वतन्त्र व्यवसाय करने वाले सदस्यों की संख्या कम है। कृषि और मजदूरी करने वाले परिवारो की संख्या अधिक है। क्योंकि इस ग्राम में उच्च जाति में ब्राम्हण और निम्न जाति में चमार जाति की संख्या अधिक है। समाज का यह निम्न वर्ग जिनके पास खेती कम है उन परिवारो के सदस्य अपने ही गांव में या अन्य ग्रामों में बुआई, फसलो की कटाई, जैसा काम मजदूरी में करते है। तृतीय वर्ग में 3000 से ऊपर की आमदनी वाले परिवारो का प्रतिशत 8.8 है।

जरर ग्राम में जिन उत्तरदात्रियों को साक्षात्कार के लिए चुना गया उनकी कुल संख्या 65 है। जिनमें 100 से 1000 तक की आमदनी वाले परिवार 21.5 प्रतिशत है। द्वितीय वर्ग में 1000 से 3000 तक आमदनी वाले परिवार 67.6 प्रतिशत है। 3000 से ऊपर की आय वाले परिवार 10.7 प्रतिशत है। इस ग्राम में जनसंख्या को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह एक छोटा ग्राम है, जो सड़क से दूर है फिर भी अधिक से अधिक आमदनी बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत है। चाहे वो आमदनी छोटेमोटे स्वतंत्र व्यवसाय द्वारा कमाई जाये या कृषि एवं ठेकेदार पहाड एवं बालू के रूप में कार्य करके प्राप्त की जाये।

छिबांव में कुल उत्तरदात्रियों की संख्या 120 है। जिनमें प्रथम वर्ग के 100 से 1000 तक की आमदनी वाले परिवारों का प्रतिशत 33.3 अन्य चार ग्रामों की अपेक्षा सबसे अधिक है। इस ग्राम में ब्राम्हण जाति एवं चमार जाति की संख्या बराबर है। फिर भी ब्राम्हण वर्ग अधिक प्रभावी है क्योंकि चार पंचवर्षीय चुनावों में ब्राम्हण वर्ग ही प्रधान बनते आये है। इसीलिए निम्न जाति के सदस्य अधिक विकास नहीं कर पाते और अपनी जीविका चलाने के लिए सभी प्रकार के कार्य करते है। द्वितीय वर्ग में 1000 से 3000 तक की आमदनी वाले परिवार 60.0

प्रतिशत है। 3000 से ऊपर तक की आमदनी वाले परिवारों का प्रतिशत 6.6 अन्य तीन ग्रामों की अपेक्षा सबसे कम है।

उपरोक्त सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि चारों ग्राम की 460 उत्तरदात्रियों में 100 से 100 की आमदनी वाले परिवार 20 प्रतिशत, 1000 से 3000 तक आमदनी वाले 66.6 प्रतिशत और 3000 से ऊपर की आमदनी वाले 12.3 प्रतिशत हैं जैसा कि उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट होता है।

ग्राम एवं परिवार के स्वरूप का सम्बन्ध-

परिवार सामाजिक संरचना की एक केन्द्रीय इकाई है जो सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने में अपना मौलिक योगदान नहीं करती है बल्कि समाज की निरन्तरता के बनाये रखने और व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं, जैसे भोजन, आवास और यौन संतुष्टि के क्षेत्र में भी परिवार एक महत्वपूर्ण माध्यम है जैसा कि एण्डसन ने कहा था कि परिवार के दो रूप होते हैं एक वह जिसके हम जन्म लेते हैं और दूसरा रूप वह जिसमें हम बच्चों को जन्म देते हैं

वास्तव में उनका यह कथन पारिवारिक सार्वभौमिक निरन्तरता को स्पष्ट करता है यदि इन दोनों रूपों में से किसी एक रूप को हटा दिया जाय तो समाज रूपी संरचना की कल्पना नहीं की जा सकती है।

वर्तमान समय में परिवार दो भागों में विभक्त है प्रथम संयुक्त परिवार दूसरा एकांकी परिवार। समय के इस बदलते वातावरण में क्या ग्रामीण समाज इस बदलते परिवेश को अपना रहे हैं अर्थात एकाकी परिवार में रहना चाहते हैं या इस बदलते परिवेश से समझौता ही नहीं करना चाहते अर्थात संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। प्रस्तुत सारिणी 3.6 में यही जानने का प्रयास किया गया है।

सारणी क्रमांक- 3.6

ग्राम एवं परिवार के स्परूप का सम्बन्ध

ग्राम	परिवार का स्वरूप				
	सयुक्त		एकांकी		योग
	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
बड़ोखर बुजुर्ग	83	51.2	79	48.7	162
मलहरा निवादा	56	49.5	57	50.4	113
जरर	30	46.1	35	53.8	65
छिवांव	60	50.0	60	50.0	120
योग	229	49.7	231	50.2	460

चित्र संख्या– 3.6
ग्राम एवं परिवार के स्वरूप का सम्बन्ध
100
80
60
40
20
0
83
79
56
57
30
35
60
60
बड़ोखर बुजुर्ग
मलहरा निवादा
जरर
छिवांव
संयुक्त
एंकाकी

प्रस्तुत सारिणी 3.6 में चारों ग्राम की 460 उत्तरदात्रियों को जब हम परिवार के स्वरूप के आधार पर स्पष्ट करते हैं तो ज्ञात होता है कि चारों ग्राम की 460 उत्तरदात्रियों में 229 (49.7) संयुक्त परिवार में रहती है और 231 (50.2) प्रतिशत एकाकी परिवार को अपना रही हैं परिवार के स्वरूप के आधार पर जब हम इन दोनों स्वरूपों का विश्लेषण करते हैं तो कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता है।

जब हम इस सारिणी का ग्रामवार विवरण प्रस्तुत करते हैं तो ज्ञात होता है कि बड़ोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 51.2 प्रतिशत उत्तरदात्रियां संयुक्त परिवार के पक्ष में है और 48.7 प्रतिशत उत्तरदात्रियां एकाकी परिवार के पक्ष में है। मलहरा ग्राम में कुल महिला उत्तरदात्रियों की संख्या 113 है जिनमें 49.5 प्रतिशत उत्तदात्रियों ने विस्तृत परिवार अर्थात संयुक्त परिवार के पक्ष में उत्तर दिये और 50.4 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने लघु परिवार अर्थात एकाकी परिवार के पक्ष में उत्तर दिये इस ग्राम में लघु एवं दीर्घ परिवारों के सम्बन्ध में दिये गये उत्तरों की संख्या लगभग बराबर है। जरर ग्राम में कुल महिला उत्तरदात्रियों की संख्या 65 है जिनमे से 46.1 प्रतिशत संयुक्त परिवार से सम्बन्धित है और 53.8 प्रतिशत उत्तरदात्रियां एकाकी परिवार से सम्बन्धित है। छिबांव ग्राम में विस्तृत परिवार एवं लघु परिवार के पक्ष में उत्तरदात्रियों की संख्या बराबर है।

चारों ग्राम की महिला उत्तरदाताओं से प्राप्त विवरण के प्रतिशत के आधार पर यह देखने में आता है कि बड़ोखर ग्राम में संयुक्त परिवार की प्रधानता है क्योंकि अधिकांश व्यक्ति कृषि पर आधारित हैं और जो पढ़े लिखे नौकरी करते हैं वे शहरों में रहते हैं और जो बड़े उद्योग धंधे करते हैं वे सब साथ–साथ करते हैं, साथ साथ रहते हैं जबकि जरर ग्राम में 53.8 प्रतिशत सबसे अधिक एकाकी परिवार से सम्बन्धित है या लघु परिवार के पक्ष में है। इसका कारण यह है कि इस ग्राम में न तो किसी के पास अधिक खेती है न किसी के पास बड़े–बड़े

उद्योग धंधे हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के रोजगार पर अधिक कार्य करते हैं कुछ पहाड़ की गिट्टी तोड़ने का ठेका लेने वालों के ठेकेदार के रूप में कार्य करते हैं तो कुछ मजदूरी करते हैं और कुछ लघु उद्योग धंधे से अपनी जीविका चलाते हैं इससे स्पष्ट हो जाता है कि सभी व्यक्ति अपना–अपना कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं इसलिए यहां एकाकी परिवार की प्रधानता है। जबकि छिबांव ग्राम से प्राप्त विवरण से स्पष्ट होता है कि यहां लघु एवं दीर्घ परिवारों के 50–50 प्रतिशत हैं इसका कारण यह है कि यहां उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग के लोग भी बराबर है। निम्नवर्ग के लोग उच्च जाति के समान अपना स्तर लाना चाहते हैं यही कारण है कि जिस प्रकार के कार्य, व्यवहार, उच्च जाति के व्यक्ति करते हैं वैसे ही निम्न वर्ग का व्यक्ति भी करता है इसलिए यहां परिवारों का प्रतिशत बराबर है।

चतुर्थ—अध्याय

चतुर्थ अध्याय

ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरणीय चेतना

वास्तव में पर्यावरण से तात्पर्य किसी वस्तु के पास पड़ोस से है। उदाहरणार्थ किसी पौधे का पर्यावरण वे परिस्थितियां हैं जो इसकी वृद्धि में सहायक होती हैं पंजाब की पर्यावरणीय परिस्थितियां गेहूं की खेती के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं। लेकिन पश्चिमी बंगाल की परिस्थितियां गेहूं की खेती के लिये अनुकूल नहीं हैं पर्यावरणीय परिस्थितियां एक स्थान से दूसरे स्थान में भिन्न–भिन्न होती हैं इसलिए हमारे लिए पर्यावरण का महत्व बहुत अधिक है पृथ्वी हमारा आवास है हम अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण से करते हैं। डा. जयप्रकाश प्रेमदेव (1993) ने कहा है कि पर्यावरण एवं पृथ्वी संरक्षण अन्तराष्ट्रीय राजनीति में एक उभरता हुआ मुद्दा है।

पर्यावरण और मानव के क्रिया कलापों का घनिष्ठ सम्बंध है। डा. मत्स्येन्द्रनाथ (1992–93) ने लिखा है कि पर्यावरण के महत्व को हमारे पूर्वजों ने सदियों पूर्व ही समझ लिया था। प्रकृति के विविध अंगों को अपने जीवन में महत्व दिया था। पर्यावरण को शुद्ध एवं सन्तुलित रखने हेतु वृक्षों की पूजा हमारे देश में सदा से ही होती रही है। वट सावित्री व्रत में बरगद, सोमवती अमावस्या, को पीपल की पूजा होती है। कार्तिक मास में स्त्रियां आंवले के वृक्ष के नीचे प्रातः स्नान करती हैं उसके नीचे भोजन करती हैं, तुलसी का वृक्ष हर घर में लगाया जाता है उसकी पूजा की जाती है। गांवों में अभी भी लोग अपने घरों के बाहर नीम का पेड़ लगाते हैं। यह सब इसी कारण था कि वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं साथ में हमें कुछ देते हैं हमारे ऋषि

मुनियों का जीवन तो वृक्षों की छांव में ही बीता था। वन पर्वत तथा वन्य जीव –जन्तुओं के संरक्षण में प्राचीन ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

प्रकृति स्वतः ही एक दूसरे के पूरक है। आक्सीजन जीवधारियों के लिए अति आवश्यक गैस है यही अग्नि प्रज्वलित करने के लिए इतनी ही आवश्यक है जीवधारी आक्सीजन ग्रहण करके प्रदूषित हवा निकालते हैं। इसी प्रकार लकड़ी जलाने पर कार्बन डाई आक्साइड निकालते हैं। हमारे पेड़ पौधे इन्हें परिवर्तित करके फिर से आक्सीजन गैस में परिवर्तित कर देते है। आज का मनुष्य पृथ्वी का दोहन करके पेट्रोलियम पदार्थ, (डीजल पेट्रोल) पृथ्वी से निकालकर के वाहनों एवं मशीनों को चलाने में इस्तेमाल कर रहा है जिससे प्रदूषण अधिक बढ़ रहा है, उतना उसको शोषित करने के लिए उतने जंगल नहीं है तथा वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित कर दिये गये हैं। नतीजा यह निकलता है कि हमारे पृथ्वी में कार्बन डाई आक्साइड अधिक हो गयी है आक्सीजन की मात्रा कम हो गयी है इसी प्रकार कैमिकल कारखाने अनेक प्रकार के गैस बना रहे हैं जो जीवधारी के लिए हानिकारक है इसी तरह की गैस ने भोपाल गैस त्रासदी को जन्म दिया है। हमारे वायुमण्डल में (c.f.c) के कारण ओजोन परत क्षीण हो रही है जो जीवमण्डल के लिए घातक है, तथा जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं वह जीवधारी के विनाश का कारण बन सकती हैं इस खतरे से बचने के लिए विश्व सम्मेलन में चर्चा हुई लेकिन इसका कोई निष्कर्ष सामने नहीं आ रहा है। इसी प्रकार जल के प्रदूषण आज सारे विश्व की समस्या बन गयी है। महानगरों से निकलता हुआ प्रदूषित जल नदियों में जा रहा है। उस जल को दूसरे शहर वाले इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण तरह–तरह की बीमारियां फैलती है। कुछ नदियां जिनकों धार्मिक रूप से पवित्र माना जाता है। उनका जल प्रदूषित होने से सरकार प्रयत्नशील है लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो पायी है। वायुप्रदूषण बड़े–बड़े शहरों की समस्या बन गयी है। वाहनों से निकला हुआ धुआं, मानव स्वास्थ्य के लिए घातक हैं, यहां तक कि बड़े

बडे, शहरों में आदमी, बच्चे, नाक में रूमाल दवायें हुए चलते है। फिर भी गैसों से बचा नहीं जा सकता है। बड़े–बड़े शहरों में धुआं इतना अधिक होता है जिससे अनेक प्रकार की घातक बीमारियां जन्म लेती है सरकार इस प्रदूषण से बचने के लिए प्रयत्नशील है लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है।

ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरण सम्बन्धी चेतना-

नगरीय महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरणीय चेतना की गति बहुत धीमी है, लेकिन गांवो में भी आज महिलाओ की प्रस्थिति, व्यवसाय, शिक्षा मनोवृत्तियों तथा व्यवहारो में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगा है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में आज संक्रमण की एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि एक और तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलायें नवीन सामाजिक मूल्यों तथा व्यवहार प्रतिमानो को ग्रहण करना चाहती है, जबकि दूसरी ओर ग्रामीण महिलायें अनेक परिस्थितियों के प्रभाव से अपनी पराम्परागत विशेषताओं को पूर्णतया नहीं छोड़ सकती हैं।

इस बात से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाली वे सभी भौगौलिक एवं समाजिक दशाएं है जो महिलाओं के व्यवहारों, संस्कृति, सभ्यता, आचार–विचार, खान–पान, रीति–रिवाज, कला आदि को एक बड़ी सीमा क प्रभावित करती हैं ये सभी पर्यावरणीय दशाएं है जो ग्रामीण महिलाओं को चारो ओर से घेरे हुए है यह उनका पर्यावरण है।

ग्रामीण महिलाओं में स्व चेतना स्वरूप -

हीनता की भावना से ग्रसित ग्रामीण महिलाये सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्र में पुरूषों के समान प्रत्येक सामाजिक पद सोपान में अपने जीवन स्तर को उच्च करने के प्रयास में हैं आज गांव की महिलायें बच्चों के पालन पोषण और परिवार को व्यवस्थित करने के

अतिरिक्त खेती में भी सहयोग दे रही है और पशुओं खलिहान तथा फसल की देख–रेख भी करती है। बरसात के मौसम में पशुविष्ठा (गोबर) को एकत्रित कर खाद बनाना, फसल बोना और काटना, हल चलाना, हल की मरम्मत करना, कटिया कतरना, हरियाली उखाड़ना, धान लगाना, पशु विष्टा के उपले बनाना, पशुओं के चारा, भूसा डालना, बैलगाड़ी की मरम्मत करना, बाजार में फसल बेचना आदि सभी कार्यो को महिलायें स्वयं ही करने लगी है। आर्थिक व्यवस्था को उच्च करने के प्रयास में ग्रामीण महिलाओं को इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी उनकी समाज की आर्थिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि उन्हें जीवन की अनिवार्य सुविधाएं भी कठिनता से प्राप्त हो रही है। फिर भी ग्रामीण महिलायें साजाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति के प्रति जागरूक हो रही है। यदि सामाजशास्त्रीय ढ़ंग से विश्लेषण किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि किसी समुदाय विशेष की महिलाये अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पर्यावरण के प्रति कितनी क्रियाशील एवं जागरूक है। नर्मदेश्वर प्रसाद (1958) ने इसी चेतना के सम्बन्ध में व्यक्त किया है कि किसी भी सामाजिक समूह के अपने स्वतन्त्र आस्तित्व को चेतना के लिए मुख्यतः दो बातें आवश्यक हैं प्रथम उस समूह के सदस्यों के बीच एक दूसरे की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की समानता की चेतना, द्वितीय, सामाजिक पद सोपान में अपने से ऊपर के स्तर के एंव नीचें के स्तर के व्यक्तियों या समूहों की तुलना में क्रमशः हीनता या उच्चता की भावना, इन दो प्रकार के संवेगों पर ही किसी सामाजिक समूह की चेतना निर्भर करती हैं इनके अभाव में समूह चेतना पूरी तरह प्रस्फुटित नहीं हो सकती। सामान्यतः किसी समूह विशेष के सदस्यों में समानता का एक भाव होता है और यही समानता का भाव उनमें समूह की स्पष्ट चेतना पैदा करता है। जिसके कारण कोई समूह क्रियाशील होता है।

महिलाओं का प्रत्येक सामाजिक पद सोपान में क्रियाशील होने के बाद भी आज महिलाओ के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में भेदभाव पूर्ण प्रवृत्ति पायी जा रही है,

यही स्थिति जाति व्यवस्था में भी पायी जाती है। इसी सम्बन्ध में नर्मदेश्वर प्रसाद, (1973) ने व्यक्त किया है कि भारत जैसे देश में यह विभाजन जाति व्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक–आर्थिक निर्योग्यताओं के आधार पर अभिव्यक्ति पाते है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विषमता के आधार पर विभाजन सर्वत होता रहा है, जब किसी समूह के सभी सदस्यों की पद स्थिति एक समान होती है, तब समूह बोध का उदय होता है। जिसके परिणाम स्वरूप उनमें एकता की भावना विकसित होती है।

परिणाम स्वरूप व्यवसाय, पद एवं प्रतिष्ठा में एकरूपता का अभाव ही महिलाओं में संघर्ष से निपटने एवं उनमें एकता की भावना विकसित होने की स्थिति उत्पन्न होती है। अनेक स्थानों पर पर्यावरण विनाश जैसे कारणों से ग्रामीण महिलाओं से अधिक कोई अन्य समूह प्रभावित नहीं होता है। प्रत्येक सुबह उनके लिए ईधन, चारा और पानी की तलाश की विवशता से आरम्भ होती है। इसमे भी कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि महिलाए, वृद्ध, युवती अथवा मातृत्व के बोझ से दबी हुई है। प्रतिदिन की घरेलू आवशकताओं की पूर्ति तो होनी ही चाहिए डा0 डी एन तिवारी (1993) ने लिखा है कि परम्परा से स्वीकृत पारिवारिक श्रम विभाजन स्त्रियों के कंधो पर घरेलू आवश्यकताओं हेतु ईधन, चारा और पानी जुटाने का दायित्व डाल देता है। ये सब कठिनतर होते जा रहे है। अतः स्त्रियों को घरेलू कार्यो के अतिरिक्त मनमाना समय इन्हे जुटाने के लिए खर्च करना पड़ता है कृषि कार्य और पशु भरण पोषण तो इनसे जुडे हुए ही हैं। बढ़ती हुई गरीबी, कृषि उत्पाद का परिवहन तथा पुरूषों का प्रवासी जीवन से अनेक क्षेत्रों में परिस्थितिया और भी विगड़ती जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तन सामान्य रूपेण स्त्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे है। थकी हुई, काम के बोझ में दबी, कुपोषित, मूक, शक्तिहीन और असंगठित आज भारतीय ग्रामीण गरीब महिलाओं की यही नियति हैं

पर्यावरण प्रदूषण

पर्यावरण प्रदूषण नगरीकरण, औद्योगिक क्रान्ति प्रोद्योगिकी में विकास प्राकृतिक संसाधनो के लोलुपता पूर्ण अंधाधुध विदोहन पदार्थ तथा उर्जा के विनियम की बढ़ी दर तथा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थो, नगरीमल–जल तथा न सड़ने–गलने वाली उपभोक्ता सामाग्रियों को उत्पादन में निरन्तर वृद्धि का ही परिणाम है। शिवराज सिंह सेगर (1996) ने प्रदूषण के सम्बन्ध में लिखा है कि मानव की समस्त उन्नत सम्यताओं का विकास प्रकृति के उन्मुक्त वतावरण में ही हुआ है। प्रगति के नाम पर मनुष्य ने अपने आसपास की प्राकृतिक सम्पदा का दोहन कर पर्यावरण के विभिन्न भौतिक एवं जैविक कारको के मध्य परस्पर पूरकता की श्रंखलाओं को छिन्न–भिन्न कर एक ऐसे दैत्य को जन्म दिया जो जनसंख्या वृद्धि और औद्योगीकरण के साथ–साथ बढ़ता गया और विकराल होता गया। इस दैत्य को पर्यावरण की शब्दावली में ''प्रदूषण'' के नाम से जाना जाता है।

''पर्यावरण प्रदूषण'' को भूगोलविदो, समाजशास्त्रियों अर्थशास्त्रियों परिस्थितिकीविदो एवं चिकित्साशात्रियों ने अपने–अपने ढंग और विषय के अध्ययन को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। सहजता से संक्षेप में पर्यावरण प्रदूषण को निम्नवत समझा जा सकता है प्रकृति में अस्वाभाविक परिवर्तन द्वारा अथवा मनुष्य के इच्छित एवं अनच्छित कार्यो द्वारा प्राकृतिक परिस्थितिक तंत्र में इतना अधिक परिवर्तन हो जाना कि वह परिस्थितिक तंत्र की सहन शक्ति से अधिक जो जाय और परिणाम स्वरूप पर्यावरण की गुणवत्ता में आवश्यकता से अधिक

ह्रास होने से मानव समाज पर दूरगामी हानिकारक प्रभाव पड़ने लगे उसे पर्यावरण प्रदूषण कहेगें। एन ई आर सी (1976), एम आई टी (1970), डी. एम. डिक्शन (1972), आर ई दासमैन (1975), लार्ड कैनेट, सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार समिति के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को अलग–अलग दृष्टिकोणों से देखते हुए परिभाषित किया गया है।

1. नेशनल इनवायरमेंटल रिसर्च काउंसिल– "मनुष्य को क्रिया कलापो से उत्पन्न अवशिष्ट उत्पादो के रूप में पदार्थो एवं उर्जा के विमोचन से प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तनो को प्रदूषण कहते है।"

2. मेसाचुएटस इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी– "वस्तुओ के उत्पादन एवं उपभोग के प्रत्येक चरण में अपशिष्ट पदार्थो का जनन होता है। ये अपशिष्ट पदार्थ उस समय प्रदूषक या पर्यावरणीय समस्या होते है। जबकि उनका वायुमण्डली, महासागरीय या पार्थिव पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।"

3. डी० एम० डिक्शन (1972)– "प्रदूषण के अन्तर्गत मनुष्य एवं उसके पालतू मवेशियों के उन समस्त इच्छित एवं अनिच्छित कार्यो तथा उनसे उत्पन्न प्रभावों एवं परिणामों को सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य को अपने पर्यावरण से आनन्द एवं पूर्ण लाभ प्राप्त करने की उसकी क्षमता को कम करते हैं।"

4. आर० ई० दासमैन (1975)– "के अनुसार उस दशा या स्थिति को प्रदूषण कहते है जब मानव द्वारा पर्यावरण में विभिन्न तत्वों एवं ऊर्जा का इतनी अधिक मात्रा में संग्रह हो जाता है कि वे परिस्थितिक तंत्र द्वारा आत्मसात करने की क्षमता से अधिक हो जाते है।"

5. लार्ड केनेट– " उन तत्वों या ऊर्जा की रिथति को पर्यावरण में उपस्थिति को प्रदूषण

कहते है जो मनुष्य द्वारा अनचाहे उत्पादित किये गये है, जिनके उत्पादन का उद्‌देश्य अब समाप्त हो चुका हो, जो अचानक बच निकले हो या जिनका मनुष्य के शरीर पर अकथनीय हानिकारक प्रभाव पड़ता हो।''

6. सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार समिति– ''मनुष्य के कार्यो द्वारा उर्जा प्रारूप, चिकित्सा प्रारूप, भौतिक एवं रासायनिक संगठन तथा जीवो की बहुलता में किये गये परिवर्तनो से उत्पन्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण आस पास के पर्यावरण में अंवाटित एवं प्रतिकूल परिवर्तनो को प्रदूषण कहते है।''

प्रदूषक

उपरोक्त परिभाषाओं की अध्ययन के पश्चात एक सहज प्रश्न उठता है कि पर्यावरण में कौन–कौन से तत्व ऐसे है जो जल्द ही प्रदूषण से प्रभावित होते है और उनके प्रदूषक क्या है। वायु, जल मृदा और ध्वनिये सभी तत्व मनुष्य और समाज के लिए आवश्यक तत्व है और प्रदूषक का प्रभाव भी इन पर आसानी से पड़ता है। इन सभी तत्वों के प्रथक–प्रथक प्रदूषक है। प्रदूषको को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।

1. प्राकृतिक प्रदूषक– इसके अन्तर्गत मृदा अपरदन, भूमिस्खलन, ज्वालामुखी उदगार तथा पौधों एवं जन्तुओं के विद्यटन एवं वियोजन को सम्मलित किया जाता है।
2. मानव निमित प्रदूषक– इसके अन्तर्गत औद्योगिक, औद्योगिक प्रदूषक तथा औद्योगिक अपशिष्ट जल, रासायनिक प्रदूषक– (क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, अमोनिकल नाइट्रोजन, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स) आदि भारी धात्विक पदार्थ यथा–पारा सीसा, जस्ता, तांबा, कार्बनिक रासायनिक यौगिक, रेडियो ऐक्टिव अपशिष्ट आदि नगरीय प्रदूषक यथा– सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन (नगरों में स्वचालित वाहनों तथा अन्य रूपों में जीवाश्म ईधनों के दहन से उत्सर्जित वायु प्रदूषको के वर्षा के जल द्वारा

घुलन से उत्पन्न), कैल्शियम तथा वाइकार्बोनेट आयन (नगर में स्थित उद्यानों में प्रयुक्त चूना एवं रासायनिक उवर्रको से उत्पन्न), नगरीय सीवेज जल में स्थित कई प्रकार के रासायनिक आयन, मनुष्य एवं मृत शरीरों से उत्पन्न फासफेट तथा नाइटेट आयन, कृषि जात प्रदूषक– रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी, रोगनाशी एवं शाकनाशी, कृत्रिम रसायन, खर पतवार तथा पौधो को अवशिष्ट भाग तथा समाजिक स्त्रोतो सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्मेलनों के समय एकत्रित जनसमूह, उदाहरण– गंगा यमुना नादियों के संगम स्थल अर्थात इलाहाबाद में कुम्भ के अवसर पर कारकों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है प्रदूषक को।

1. **भौतिक प्रदूषक**– रंग, गंदलापन, अवसाद, ज्वालामुखी धूलि तथा राख, तेल ग्रीज, धुले तथा निलम्बित ठोस, सकल ठोस पदार्थ आदि।

2. **रासायनिक प्रदूषक**– क्लोराइड सल्फाइड, कार्बोनेट अमोनिकल नाइट्रोजन, नाइट्राइटस, नाइट्रेस कीटनाशी रोगनाशी तथा शाकनाशी, कृत्रिम रसायन, अन्य प्रकार के कृत्रिम रसायन यौगिक आदि।

जल प्रदूषण

अथर्ववेद में कहा गया है– ''जल सृष्टि का प्राण है।'' यह अक्षरशः सत्य भी है। मनुष्य के शरीर में 70 से 80 प्रतिशत जल ही होता है मानव शरीर की प्रत्येक क्रिया में जल भाग लेता है। पर्याप्त जल के बिना शरीर में रक्त अच्छी तरह प्रवाहित नहीं हो सकता। इस पृथ्वी पर पाये जाने वाले सभी पदार्थो का 75 प्रतिशत भाग जल ही है, चाहे वे फल हो, पौधे हो या अन्य प्राणी। जीवन और स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल अमृत है, जबकि गंदा प्रदूषित जल कीटाणुयुक्त होता है।

जल ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपो में पाया जाता है। मनुष्य इन तीनो रूपों में जल का उपयोग करता है विश्व की कुल जलराशि का लगभग 97 प्रतिशत भाग समुद्रों के खारे जल के

रूप में है। जिसकी शुद्ध मात्रा 1.31×10^{24} घन सेमी0 है। शेष 3 प्रतिशत ताजा जल हैं। इस ताजे जल का तीन चौथाई भाग हिमनदों तथा बर्फीली चोटियों के रूप में है। शेष एक चाथाई सतही जल के रूप में है। झीलो तथा नदियों में विद्यमान ताजा जल कुल ताजे जल का 0.035 प्रतिशत है। डा. दिनेश मणि (1995) ने जल के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष दिया कि यह बात ध्यान देने योग्य है कि पृथ्वी पर जितना पानी है उसका केवल 0.3 प्रतिशत भाग ही साफ और शुद्ध है और इसी पर सारी दुनिया निर्भर है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9.6 प्रतिशत लोगो को ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 70 प्रतिशत अन्तः जलीय साधनो का पानी पीने योग्य नहीं है हमारे गांवों में केवल 22 प्रतिशत लोगो के लिए पेयजल की व्यवस्था है। भारत सरकार द्वारा कराये गये 1972 के सर्वेक्षण के अनुसार 1.52 लाख गांवो के 7.5 करोड़ लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। 90,000 गांवो में 1.6 किलो मीटर दूरी तक और 10 से 15 मीटर गहराई तक पानी उपलब्ध नहीं है।

वस्तुतः जल प्रदूषण का अर्थ– हनिकर अनुपात में विजातीय सामग्री का जल में प्रवेश। जल प्रदूषण की व्यवस्था इस प्रकार की गई जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 में प्रदूषण की व्यवस्था इस प्रकार की गई "जल प्रदूषण से तात्पर्य जल के ऐसे संदूषण या जल के भौतिक रासायनिक या जैव गुणो में ऐसे परिवर्तन या जल में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मलमूत्र या व्यवसायिक निःस्त्रव या किसी अन्य द्रव या ठोस पदार्थ के उत्सर्जन से है, जो जल संकट उत्पन्न करे या कर सके या जो ऐसे जल को सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए या जो घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषिगत वैद्य उपयोग के लिए या जो जानवरो, पौधों या जलीय जीवों के जीवन या स्वास्थ्य के लिए हानिकर या क्षतिकर हो।"

जनसाधारण के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भारत की जनसंख्या एवं विस्तार को ध्यान में रखते हुए अपने आप में सरकार एवं सामाजिक संस्थाओं के लिए एक महत्पूर्ण दायित्व है जल आपूर्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित आवश्यकताएं विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है प्रियरंजन त्रिवेदी (1995) ने जनजीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित जल की मात्रा को इस प्रकार व्यक्त किया—

1. जन समुदाय जिनकी जनसंख्या 10,000 तक है 70 से 100 लीटर/प्रति व्यक्ति
2. जन समुदाय जिनकी सनसंख्या 10,000 से 50,000 100 से 125 प्रति व्यक्ति
3. जन समुदाय जिनकी सनसंख्या 50,000 से अधिक 125 से 200 प्रति व्यक्ति

5 अक्टूबर 1998 (आज सामाचार पत्र) राष्ट्रपति श्री नारायणन ने जल संरक्षण आवश्यकता पर बल देकर एक ज्वलन्त समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया विश्व इस समय जल संकट के कगार पर है भारत भी उससे अछूता नहीं है। स्वतन्त्रता के पचास साल बाद भी देश के सैकडों गावों में पीने लायक पानी उपलब्ध नही हो सका ग्रामीण गन्दा पानी पीकर जी रहे है। कालाज्वर, मस्तिष्क, मस्तिष्क ज्वर, मलेरिया और आन्तशोध से मौत का सिलसिला बना हुआ है पर शुद्ध पेयजल सुलभ नहीं है। पर्यावरण विनाश के दुष्परिणाम सर्वत्र दिखाई पड़ने लगे है। 25 दिसम्बर 1997 (आज) में विश्व की प्रदूषित नदियों का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि यूरोप की डेन्यूब नदी बुरी तरह प्रभावित है अनेक नगरों का कूडा और मलमूत्र इसमें उदारता पूर्वक प्रवाहित किया जाता है लंदन के निकट 'टेम्स' नदी उतनी गन्दी और प्रदूषित है, जितनी वाराणसी में गंगा/न्यूयार्क के पास 'हडसन' नामक नदी मल—मूत्र की ही धारा बनकर रह गयी है उसे देखकर एक बार सिनेटर राबर्ट कनेडी ने टिप्पणी की थी "हे भगवान अगर तुम इस नदी में गिर जाओ तो तुम डूब नही सकते............ क्योकि पानी गंदा होकर इस कदर भारी हो गया है "जल समस्या विश्व की भीषण समस्या तो है ही साथ ही भारत में भी सदी पुरानी है दिल्ली

में यमुना नदी मलमूत्र से भरी और अपने ही जल में धुलते जा रहे जहर से दम तोड़ रही हैं 31 मई 1998 (आज) 5 करोड़ 70 लाख लोग यमुना जल का प्रयोग विभिन्न कार्यो में करते है केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड ने यमुना जल की जांच में अल्फा और बीटा आइसोमर (कैन्सर का तत्व) पाये थे दिल्ली विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार यमुना पेय जल में डी. डी. टी. एल्डरिन, डाइएल्डरिन, होटा क्लोर, बेन्जीन, हैक्साक्लोराड और एण्डो सलफान जैसे घातक जहर घुले होते है। इस पानी में मौजूद अमैनोक्लोरीन मानव शरीर में कैसर पैदा करने की चेतावनी दी।

यमुना में रोजाना सयुक्त रूप से 26147 लाख लीटर गन्दगी डालते है। केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के अनुसार आगरा में यमुना जल में घुला बी. एच. सी. 1733.2 नैनाग्राम प्रति लीटर तथा डी. डी. टी. 1802.58 नैनो ग्राम प्रतिलीटर था आगरा में यमुना जल को जैसे तैसे पीने लायक बनाने के लिए नगरपालिका–54 किलोग्राम क्लोरीन दस लाख गैलन पानी में रोजाना मिलाती है दिल्ली में सिर्फ 15 किलोग्राम क्लोरीन/दस लाख गैलन पानी में मिश्रित की जाती है। 28 अप्रैल (1998) 'आज' विज्ञप्ति के अनुसार लखनऊ नगर में गोमती नदी का प्रदूषण मुख्यतः गोमती नदी में गिरने वाले 26 मुख्य नालो के उत्प्रवाह से होता है उत्तरप्रदेश सरकार ने गोमती नदी में निरन्तर बढ रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए 50.29 करोड़ रूपये की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की

दैनिक जागरण 31 दिसम्बर (1997) केन्द्र सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण विहीन करने के लिए एक ओर जहां 2500 करोड़ रूपये की योजना बनाई है वही दूसरी ओर उसका दावा है कि गंगा का पानी साफ हो चुका है जबकि बात ऐसी है नही। अभी भी गंगा में मल–मूत्र कूड़ाकरकट अधजले शव डाले जा रहे है गोपीनाथ श्रीवास्तव (1996) उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे स्थित 190 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का उच्चतम न्यायालय ने सितम्बर 1993

में आदेश दिया था क्योकि ये इकाइया अपने निःस्त्रव उपचारित किये बिना नदी में उत्सर्जित करती रहती है। इसी प्रकार आगरा में 400 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश हो चुके है। प्रदूषण से दामोदर नदी का जल आसनसोल से दुर्गापुर तक बिल्कुल काला हो गया है केरल की चेलियार नदी का जल भूरा होता जा रहा है। कश्मीर की डल झील जो पर्यटको का आर्कषण केन्द्र रही है उसी झील में 80 हजार टन गाद और मिट्टी बैठ रही है झील का 65 एकड़ क्षेत्रफल प्रतिवर्ष संकुचित हो रहा है और अब केवल 10 वर्ग किलोमीटर रह गया है। बालू, गन्दगी, कूडा करकट, मलमूत्र से झील में चपाचय की क्रिया बुरी तरह प्रभावित हो गयी है झील में फासफोरस और नाइट्रोजन पोषको के कारण झील की परिस्थितिकी गडबडा गई है।

कृषि में अवांछनीय खरपतवार और कीट नष्ट करने के लिए विभिन्न रसायन उपयोग में लाये जाते है ये तालाबों नहरों, झीले नदियों और सागरो जैसे जलाशयो में पहुंच जाते है और अवाछनीय तृणादि को नष्ट करने के साथ–साथ अन्य परिस्थितिकी व्यवस्थाओं में भी प्रबिष्ट हो जाते है। उदाहरणार्थ मच्छरों को मारने के लिए प्रयुक्त डी. डी. टी. का कुछ भाग नदियों में पहुंच जाता है, फिर सागरों तक। यही नही ऐसे रसायन जलीय पौधों और खाद्य झंखला द्वारा मछलियों, पक्षियों और आदमियों के शरीर में भी प्रविष्ट हो जाते है इस प्रकार पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इन कीटनाशी औषधियों के गंभीर पार्श्व परिणाम होते हैं।

जलराशि में कीटनाशी के पहुंचने के मुख्य स्त्रोत है। खेतो की सतह से बहकर जलराशि में पहुंचना, हवा की गतिविधियों के औषधि--छिडकाव व अपवहन, कीटनाशी औषधि में छिडकाव के समय वातावरणीय धूलकणों का अपवहन और उसका नीचे वह जाना, मलमूत्र, औद्यौगिक निःस्त्रव और मच्छरों के नियत्रण के लिए निचली नमभूमि तथा छिछली जलराशि में सीधे दवा बुरकना और उनका छिडकना। ऐसी नदियों और जलराशियों में जिनके चारों ओर खेत हो, डी. डी. टी. के अवशेषों का होना सामान्य बात है। खरपतवार के नियत्रंण के लिए शाकनाशी

सारिणी क्रमांक 4.1

नदियो एवं तालाबो का प्रदूषित जल मनुष्य एवं जीव जन्तुओं के लिए हानिकारक है

ग्राम		हाँ		नहीं			
	शिक्षा	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	योग	ग्राम योग
बड़ोखर बुजुर्ग	शिक्षित	46	86.7	7	13.2	53	162
	साक्षर	15	65.2	8	34.7	23	
	निरक्षर	39	45.3	47	54.4	86	
मलहरा निवादा	शिक्षित	71	15.4	6	28.5	21	113
	साक्षर	19	59.3	13	40.6	32	
	निरक्षर	23	38.3	37	61.6	60	
जरर	शिक्षित	3	60.0	2	40	5	65
	साक्षर	4	25.0	12	75.0	16	
	निरक्षर	4	9.0	40	90.9	44	
छिबांव	शिक्षित	2	14.2	12	85.7	14	120
	साक्षर	14	46.6	16	53.3	30	
	निरक्षर	26	34.2	50	65.7	76	
योग		210	45.6	250	54.3	460	460

औषधियां इस्तेमाल की जाती है। ये भी बहकर जलराशि में पहुच जाती है। कुछ कीटनाशी बहुत विसाक्त होते है ओर वे सीधे जानवरो के स्नयुतंत्र पर आक्रमण करते है कुछ कीटनाशी औषधियों जैस मेथिल आसोसिअनेट पर्यावरणिक प्रदूषक है डा. डी. एन. तिवारी (1993) ने कहा है कि कृषिजन्य अवशिष्ट पदार्थ शीघ्र ही सतही जल में समाविष्ट हो वर्ष में किसी भी समय उसके नाइट्रेट की मात्रा में भारी वृद्धि कर देते हैं यह अतिरेक समृद्धि का कारक पीने के जल आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है।

नदियों एवं तालाबों का प्रदूषित जल जीव जन्तुओं के लिये हानिकारक-

प्रस्तुत सारिणी 4.1 चारो ग्राम की उत्तरदात्रियों की नदियो एवं तालाबों के प्रदूषित जल का मानव एवं जीवो पर पड़ने वाले प्रभाव अर्थात चेतना को दर्शाती है इस सारणी में सभी उत्तरदात्रियों को शिक्षा के आधार पर तीन भागों में विभक्त किया गया है पहली शिक्षित, द्वितीय साक्षर, तृतीय निरक्षर। आमदनी के आधार पर भी सभी उत्तरदात्रियों को तीन भागों में विभक्त किया गया है प्रथम 100–1000 तक की आमदनी वाले, द्वितीय 1000–3000 तक तृतीय 3000 से अधिक आमदनी प्राप्त करने वाले परिवार को रखा गया।

इस सारणी में समस्त चारों ग्राम की 460 उत्तरदात्रियों में विभिन्न आयवर्ग की 210 (45.6) प्रतिशत शिक्षित, साक्षर, निरक्षर महिलायें प्रदूषित जल से प्रभावित होने वाले जीव जन्तुओं के सम्बन्ध में हाँ कहती है और 250 (54.3) प्रतिशत महिलायें नही कहती है। इस सारिणी को जब हम ग्रामवार देखते है तो ज्ञात होता है कि बड़ोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 53 शिक्षित उत्तरदत्रियां है जिसमें 46 (86.7) प्रतिशत उत्तरदात्रियां नदियों एवं तालाबों के प्रदूषित जल से होने वाली हानि के बारे में परिचित है जबकि 7 (13.2) प्रतिशत उत्तरदत्रियां प्रदूषित जल के प्रभाव से अपरिचित है। 23 साक्षर महिलाओं में 15 (65.2) प्रतिशत उत्तरदत्रियां यह

जानती है कि नदियों एवं तालाबो का प्रदूषित जल मनुष्य एवं जीव जन्तुओं के लिए हानिकारक है जबकि 8 (34.7) प्रतिशत साक्षर उत्तरदात्रियां इस बारे में कुछ नहीं जानती हैं 86 निरक्षर महिलाओं में 39 (45.3) प्रतिशत उत्तरदात्रियां यह स्वीकार करती है कि बरसात में बहते हुए व्यर्थ पदार्थ जो नदियों तालाबों नहरों में मिल जाते है उसका मनुष्य एवं जीव जन्तुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता। जबकि 47 (54.6) प्रतिशत निरक्षर महिलाएं यह बात अस्वीकार करती है।

इसी प्रकार निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियाँ में 21 उत्तरदत्रियाँ शिक्षित हैं जिनमें 15 (71.4) प्रतिशत उत्तरदात्रियां नदियों एवं तालाबों के प्रदूषित जल से मानव एवं जीव जन्तुओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में हां कहती है। जबकि 6 (28.5) प्रतिशत नहीं कहती 32 साक्षर महिलाओं में 19 (59.3) प्रतिशत उत्तरदात्रियां ऐसी हैं जिनमें जल पदूषण सम्बन्धी चेतना है जबकि 13 (40.6) उत्तरदात्रियां में जल प्रदूषण सम्बन्धी कोई चेतना दिखाई नहीं पड़ती है। 60 निरक्षर महिलाओं में 23 (38.3) प्रतिशत उत्तरदात्रियां को जल प्रदूषण सम्बन्धी जानकारी है जबकि 37 (61.6) प्रतिशत उत्तरदात्रियों को कोई जानकारी नहीं है।

जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में 5 शिक्षित उत्तरदात्रियां है जिनमें 3 (60) प्रतिशत उत्तरदात्रियां यह जानती हैं कि बरसात में विभिन्न व्यर्थ पदार्थों के पानी में मिल जाने से नदियों एवं तालाबों का जल प्रदूषित हो जाता है जबकि 2 (40) प्रतिशत उत्तरदात्रियां यह नहीं जानती है कि प्रदूषित जल का कारण क्या है। 16 साक्षर महिलाओं में 4(25) प्रतिशत उत्तरदात्रियां प्रदूषित जल से होने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में जानकारी रखती हैं जबकि 12(75) उत्तरदात्रियों को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। 44 निरक्षर महिलाओं में 4(9) प्रतिशत उत्तरदात्रियों को नदियों एवं तालाबों से मनुष्य एवं जीव जन्तुओं पर होने वाले हानिकारक प्रभावों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी है। जबकि 40 (90.9) प्रतिशत उत्तरदात्रियों को इस सम्बन्ध में कोई

जानकारी नहीं है।

इसी प्रकार छिबावं ग्राम में कुल 162 उत्तरदात्रियां हैं इनमें शिक्षित वर्ग की 14 हैं जिनमें 2 (14.2) प्रतिशत उत्तरदात्रियां ऐसी हैं जिन्हें नदियों एवं तालाबों के पूदषित जल से मनुष्य एवं जीवजन्तुओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानती हैं जबकि 12 (85.7) प्रतिशत उत्तरदात्रियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षर वर्ग की 30 उत्तरदात्रियों में 14 (46.6) प्रतिशत उत्तरदात्रियां प्रदूषित जल से मानव एवं जीवजन्तुओंपर होने वाले हानिकारक प्रभावों के सम्बन्ध में हां कहती हैं जबकि 16 (53.3) प्रतिशत उत्तरदात्रियां यह नहीं जानती हैं कि प्रदूषित जल क्या होता है और इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। निरक्षर वर्ग की 76 उत्तरदात्रियों में 26 (34.2) उत्तरदात्रियां ऐसी हैं जिन्हें यह जानकारी है कि बरसात में नदियों एवं तालाबों का जल प्रदूषित हो जाता है जिसका प्रभाव जल पीने वाले सभी मनुष्यों एवं जीवजन्तुओं पर पड़ता है अर्थात जल प्रदूषण सम्बन्धी जानकारी है इसलिए अपने प्रश्न का उत्तर हां में देती हैं जबकि 50 (65.7) उत्तरदात्रियों को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है अर्थात जल प्रदूषण सम्बन्धी चेतना अभी अल्प है।

वायु प्रदूषण

आज वायु प्रदूषण सामाजिक चिन्ता का विषय बनता जा रहा है। इस समस्या का सीधा सम्बन्ध मानव स्वास्थ्य से है। वायु प्रदूषण की व्यापकता एवं विविधता मुख्य रूप से समाज के लिए एक चुनौती है। पृथ्वी के वायुमंडल में 6 लाख अरब टन हवा है। एक सामान्य स्वस्थ्य आदमी एक दिन में 22,000 बार सांस लेता है इस तरह एक व्यक्ति प्रतिदिन आक्सीजन युक्त वायुमंडल से 35 गैलन या 16 किलोग्राम वायु का सेवन करता है। भवरलाल चौहान (1996) ने कहा है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त वायु के सामान्य संगठन में गुणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन ही वायु प्रदूषण है। घनश्याम सुखवाल (1996), किरण द्विवेदी (1996), हिमांशु (1996), वंदना शिवा

(1996), श्यामसुन्दर पुरोहित (1996), एम. पाण्डेय (1996), यादवेन्द्र (1996), अशोक सुमन (1996), आदि प्रमुख पुस्तकें वायु प्रदूषण से सम्बन्धित हैं।

वायुमंडल एक गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं तथा वायु विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है इसमें नाइट्रोजन (78.09) प्रतिशत आक्सीजन (20.95) प्रतिशत आर्गन (0.93) प्रतिशत तथा कार्बन डाइआक्साइड (0.03) प्रतिशत विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है इनमें नाइट्रोजन (78.09) प्रतिशत आक्सीजन (20.09) प्रतिशत अन्य गैसें 1 प्रतिशत से भी कम हैं आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, वह दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। खाना बनाने के आदि के लिए ईधन के प्रयोग से लेकर बढ़ती हुयी जनसंख्या, परिवहन साधनों में वृद्धि, औद्योगीकरण प्रदूषणों के विभिन्न प्रकार, उनकी व्यापकता एवं धातकता से उत्पन्न सामाजिक प्रभांव इस समस्या को बहुआयामी बना देते हैं। ब.न. लस्कोरिन (1986) ने औद्योगिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में कहा है कि ''अपने उत्पादों की विविधता के कारण, विशिष्ट रासायनिक पेट्रो रासायनिक उद्योगों के अपशिष्ट पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। अ.व. सिंदोरेको (1986) ने सोवियत संघ में पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक साधनों का तर्कसंगत उपयोग में स्वीकार किया है कि मनुष्य पर्यावरण में औद्योगिक व घरेलू अपशिष्टों की विराट मात्राओं का विसर्जन करता है। दुनिया में प्रतिवर्ष 4 अरब टन तेल और गैसा का, 2 अरब टन से ज्यादा कोयले लगभग 20 अरब टन खनिज व चट्टानों का निष्कर्षण होता है इस प्रकिया के दौरान पारम्परिक ईधन खनिज व चट्टानें वायु मिट्टी और पानी में प्रविष्ट हो जाती हैं।

आज कारखानों से निकलने वाली गैसों, धुओं, पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाले दूषित पदार्थ इस तरह से शहरी वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं कि इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियन्त्रिकी अनुसन्धान संस्थान नागपुर

के वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्षा के मौसम को छोड़कर दिल्ली में सबसे अधिक वायु प्रदूषण रहता है। 15 अक्टूबर (1998) आज कानपुर विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है जहां वायु प्रदूषण से हर वर्ष 6200 से अधिक लोग असामयिक मौत का शिकार हो रहे है। पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण दिल्ली के अध्यक्ष भूरेलाल ने कहा है कि हर दिन 3000 टन विषैले वायु का उत्सर्जन हो रहा है। राजधानी दिल्ली में वाहनों की संख्या 28.5 लाख है जो तीनों अन्य महानगरों में कुल वाहनों की संख्या से अधिक है। 10 मार्च 1998 ''दैनिक जागरण'' वाराणसी जिलाधिकारी श्री बचित्तर सिंह ने बताया कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 की धारा 115, 34 धारा–2 के अन्तर्गत सभी प्रकार के मोटर वाहनों को एक नियंत्रित मानक तक ही जलरीली गैसों के उत्सर्जन के लिए अधिकृत किया गया है। निर्धारित मानक से अधिक उर्त्सजित जहरीली गैस, जो कि वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है, पाये जाने पर सम्बन्धित वाहन स्वामियों एवं चालकों के विरूद्ध अभियोजन तथा अधिक दण्ड का प्राविधान किया गया है अधिनियम की धारा 190, उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रथम अपराध पर रूपये 1000/– तथा अनुवर्ती (द्वितीय अपराध) पर रूपये 2000/–जुर्माना किया जायेगा श्री सिंह ने बताया कि जिन वाहन स्वामियों/चालाकोंद्वारा प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं दिखाया जायेगा, उनके विरूद्ध मोटर वाहन नियमावली 1989 की धारा–116, उपधारा 8 के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह निलम्बित किये जाने की कार्यवाही भी कर दी जायेगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट 23 नवम्बर 1999 आज के मुताबिक मौजूदा समय कुल प्रेट्रोल और डीजल की खपत में से सिर्फ 35 प्रतिशत भाग सभी प्रकार के वाहन में खर्च हो रहा है जबकि 65 प्रतिशत पेट्रोल व डीजल का उपयोग कारखानों व बिजली उत्पादन में किया जा रहा है लेकिन आश्चर्य चकित तथ्य यह है कि 35 प्रतिशत वाहनों में प्रयोग किया

जाने वाला ईंधन 65 प्रतिशत प्रदूषण फैला रहा है जबकि 65 प्रतिशत ईंधन से सिर्फ 35 प्रतिशत प्रदूषण फैला रहा है।

ग्रामीण पर्यावरण में वायु प्रदूषण-

वायु प्रदूषण एक गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हैं। वायु प्रदूषण मुख्य रूप से गैसीय ठोस तथा तरल कणों वाले प्रदूषणों द्वारा होता है। डा. साविन्द्र सिंह (1997) ने वायु प्रदूषकों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कार्बन डाइआक्साइड, फ्लूरो कार्बन नाइट्रोजन आक्साइड, सल्फर कम्पाउंड, अपशिष्ट उष्मा, जलवाष्प, अमोनिया, हाइड्रोकार्बन, मीथेन, मेथिल ब्रोमाइड किप्टान–85 एयरोसाल आदि। वायु प्रदूषण के स्त्रोत में, प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषकों के अतिरिक्त मानव जनित वायु प्रदूषण अधिक हानिकारक होता है मानव जनित वायु प्रदूषक भारत के शहरी क्षेत्र में ही नहीं हो रहा है, यदि हम भारत के ग्रामीण इलाकों पर नजर डाले तो इन गांवों में कृषि उच्छिष्ट पदार्थ, घरेलू धुएं नलकूप, पम्पिंग सेट से डीजल का उत्सर्जन, क्रेसर उद्योग से निकले सूक्ष्म कण कृषि उद्योग के धूल कण आदि पदार्थों से वायु प्रदूषण हो रहा है।

ग्रामीण ईंधन से वायु प्रदूषण एवं डीजल–

ग्रामीण इलाकों में खेती की सिंचाई के लिए कटिया कतरने के लिए, गेहूं मड़ाई व पिसाई के लिए पम्पिंग सेट का प्रयोग किया जा रहा है, धान कुटाने वाली मशीन में ट्रैक्टर में डीजल का उपयोग भारी मात्रा में किया जाता है। डीजल उत्सर्जन गैस वायु को प्रदूषित कर रही है अनिल अग्रवाल (1997) का कहना है कि भारत में डीजल में सल्फर की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। सरकार की डीजल में सल्फर की मात्रा के सन 2000 तक 0.25 प्रतिशत तक नीचे लाने की योजना है। जबकि यूरोप और अमेरिका में यह अभी ही 0.05 प्रतिशत है डीजल वाहनों, डीजल यंत्रों से निकलने वाले प्राथमिक उत्सर्जनों में सल्फर की उच्च मात्रा की वजह से उसमें

एस.पी. एम. खासकर पी.एम.10 व पी.एम.2.5 का मिश्रण बहुत अधिक होता है। वायु प्रदूषण से होने वाली ज्यादातर बीमारियां और मोटे पी.एम. 10 व पी.एम. 2.5 कणों से होती है ये बेहद जहरीले कण है। जिनका व्यास 10 माइक्रोन (एक मीटर का लाखवां भाग) व 2.5 माइक्रोन होता है। अपने अत्यन्त सूक्ष्म आधार की वजह से ये कम आसानी से मनुष्य की सांस के साथ उसके फेफडो में घुस जाते है और उसके स्वास्थ्य के लिए घातक साबित होते है। पी.एम. 10 को अकाल मृत्यु (श्वास रोगो व ह्दय रक्त वाहिका से सम्बन्धित रोगो से होने वाली मौते) और रोगदर के बढ़ने दीर्घकालिक गतिरोध फेफड़े से सम्बन्धित बीमारियों, खासकर ब्राकइटिस (श्वसनी शोथ पीड़ित) तथा श्वास नली के ऊपरी एवं निचले भाग में संक्रमण की बढ़ती संख्या के साथ सीधे रूप से जोड़ा जाता है। पी.एम. 2.5 के तो विशेषज्ञ पी.एम. 10 से ज्यादा जहरीला एवं खतरनाक कण मानते हैं। बड़ोखर बुजुर्ग गांव रोड के किनारे बसा हुआ है। इस सड़क पर वाहनों का अत्यधिक संचार है, सभी प्रकार के मोटर वाहनों (दो व चार पहिया) जो पेट्रोल, डीजल द्वारा चालित वाहनों से उत्पन्न होने वाली जहरीली गैसों के उत्र्सजन से मानव जीवन पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है बल्कि इस सड़क के दोनों ओर कृषि क्षेत्र पर भी इस प्रदूषण का प्रभाव देखा जा रहा है। यहां के किसान उपजाऊपन बढ़ाने वाले अच्छी किस्मों की खाद का प्रयोग कर रहे हैं फिर भी जिस किसानों के खेत सड़क के समीप स्थिति है उनकी कृषि उपज में बीजों का वजन कम हो रहा है, जबकि अन्य गाँव इस प्रदूषण से कुछ दूरी पर है जिनका असर कृषि पर कम पड़ रहा है।

भारत व पाकिस्तान में किये गये अध्ययनों का निष्कर्ष अमर उजाला 22 अगस्त (1997) में दिल्ली में हुए सम्मेलन में प्रस्तुत किया कि वाहनों से उत्पन्न होने वाली ओजोन तथा नाइट्रोजन आक्साइड धीरे–धीरे आसपास के वातावरण में फैल रही है। पाकिस्तान में लाहौर में स्थिति पंजाब विश्वविद्यालय में किये गये एक अध्ययन में सोयाबीन की उपज पर ओजोन के

सरिणी क्रमांक 4.2

वनों की कटाई से पर्यावरण पर प्रभाव सम्बन्धी जानकारी

ग्राम	शिक्षित								साक्षर								निरक्षर								
	हां				नहीं				हां				नहीं				हां				नहीं				योग
आयु	20–40	40–60	60सेऊ.	योग	20–40	40–60	60सेऊ.	योग	20–40	40–60	60सेऊ.	योग	20–40	40–60	60 सेऊ.	योग	20–40	40–60	60सेऊ.	योग	20–40	40–60	60 सेऊ.	योग	
बड़ोखर बुजुर्ग	30 62.5	17 35.4	1 2.0	4.8 29.6	3 60.0	2 40.0	–	5 3.0	11 61.1	5 27.7	2 11.1	18 11.1	3 60.0	2 40.0	–	5 3.0	16 34.0	29 51.7	2 4.2	47 29.0	21 53.8	5 12.8	13 33.3	39 24.0	162
मलहरा निवादा	15 78.9	3 15.7	1 5.2	19 16.8	2 100	– –	– –	2 1.7	13 56.5	6 26.0	4 17.3	23 20.3	6 66.6	3 33.3	– –	9 7.9	4 14.8	19 70.3	4 14.8	27 23.8	19 57.5	8 24.2	6 18.1	33	113
जरर	3 75.0	1 25.0	–	4 6.1	1 100%	–	–	1 1.5	3 30.0	6 60.0	1 10.0	10 15.3	6 100%	–	–	6 9.2	6 75.0	1 12.9	1 12.5	8 12.3	19 52.7	13 36.1	4 11.1	36 55.3	65
छिवांव	8 80.0	2 20.0	– –	10 8.3	4 100%	–	–	4 3.3	8 44.4	8 44.4	2 11.1	18 15.0	10 83.3	2 16.6	–	12 10.0	20 55.5	14 38.8	2 5.5	36 30.0	16 40.0	24 60.0	–	40 33.3	120
योग	96 69.0	23 28.3	2 2.4	81 17.6	10 83.3	2 16.6	0	12 2.6	35 50.7	25 42.0	9 13.0	69 15.0	25 78.1	7 21.8	0	32 6.9	46 38.9	63 53.3	9 7.6	118 25.6	75 50.6	50 33.7	23 15.5	148 32.1	460

प्रभाव का आकलन किया गया इस संदर्भ में एक बात यह भी प्रकाश में आयी कि इस तरह के असर सिंचित फसलों में ज्यादा होते हैं। परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण का प्रभाव कृषि फसलों पर भी पड़ता है।

सामजिक संस्था नागार्जुनम के अध्यक्ष वैद्य अशोक कुमार सोनी (1998) ने वन पर्यावरण संतुलन की विश्वव्यापी समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विशालकाय वृक्ष वर्षा के जल का पृथ्वी का गर्म में जल संरक्षण तो करते हैं। पशुपक्षियों का आश्रय स्थल है। प्राण वायु के भण्डार है, बादलों का आकर्षण कर समय समय पर वर्षा भी करते रहते हैं और पृथ्वी के तापमान को स्थिर रख वातावरण को समसीतोष्ण रखते हैं जिसमें मौसम चक्र यथावत चलता रहता है।

चयनित ग्राम की महिलाओं में वायु प्रदूषण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिए वनों की कटाई से पर्यावरण पर प्रभाव सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर में जो जानकारी प्राप्त हुई उसे निम्न सारिणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

वनो की कटाई से पर्यावरण पर प्रभाव सम्बन्धी जानकारी-

प्रस्तुत सारिणी 4.2 चयनित ग्रामों की उत्तरदात्रियों की आयु, शिक्षा, और वनों की कटाई से पर्यावरण पर प्रभाव को दर्शाती है। इस सारिणी में चारों ग्राम की उत्तरदात्रियों को आयु के आधार पर तीन भागों में विभक्त किया गया है और शिक्षा के आधार पर तीन भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम आयु वर्ग में 20–40 आयु वर्ग की, द्वितीय आयुवर्ग में 40 से 60 आयु की। तृतीय आयुवर्ग में 60 से ऊपर आयु की शिक्षा के आधार पर प्रथम वर्ग में शिक्षित महिलाओं को, द्वितीय वर्ग में साक्षर महिलाएं जिन्होंने अक्षर ज्ञान एवं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, तृतीय वर्ग में निरक्षर महिलाएं जिन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं है।

इस सारिणी का यदि हम ग्रामवार विवरण प्रस्तुत करें तो पता चलता है कि बडोखर

ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 20.40 आयु वर्ग की 30 (62.2) प्रतिशत शिक्षित महिलाएं यें कहती हैं कि वृक्षों की कटाई से पर्यावरण पर प्रभाव पडता है जबकि 3 (60) प्रतिशत कहती हैं कि वृक्षों की कटाई से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। 40.60 आयु वर्ग 17 (35.4) प्रतिशत शिक्षित उत्तरदात्रियां ये जानती हैं कि वृक्षों की कटाई से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। जबकि 2 (40) प्रतिशत शिक्षित उत्तरदात्रियाँ कहती है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 60 से ऊपर आयु वर्ग की केवल 7 (2.0) प्रतिशत उत्तरदात्रियां ही वृक्षों की पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को जानती हैं साक्षर महिलाओं में 20.40 आयु वर्ग की 11 (61.1) प्रतिशत उत्तरदात्रियां वृक्षों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव से परिचित हैं जबकि 3 (60.0) प्रतिशत नहीं। 40–60 आयु वर्ग की 5 (27.7) प्रतिशत उत्तरदात्रियां ये मानती हैं कि वृक्षों का पर्यावरण पर बहुत असर पडता है जबकि 2 (40) प्रतिशत साक्षर महिलाएं इस बात को नहीं मानती हैं 60 से ऊपर आयु की 2 (11.1) प्रतिशत उत्तरदात्रियां ही वृक्षों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान रखती हैं।

निरक्षर महिलाओं में 20–40 आयु वर्ग की 16 (34.2) प्रतिशत उत्तरदात्रियां वृक्षों की कटाई से पडने वाले प्रभाव को जानती हैं जबकि 21 (53.8) प्रतिशत नहीं 40.60 आयु वर्ग की निरक्षर महिलाओं में 29 (61.7) प्रतिशत वनों के महत्व से परिचित हैं जबकि 5 (12.8) प्रतिशत निरक्षर उत्तरदात्रियां इस बात को नहीं जानती हैं।

इसी प्रकार निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में शिक्षित वर्ग के अन्तर्गत 20–40 आयु की 15 (78.9) प्रतिशत उत्तरदात्रियां ये जानती है कि वनो का ग्रामीण जीवन या ग्रामीण पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जबकि 2 (100) प्रतिशत उत्तरदात्रियां यह कहती है कि वनों का पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 40 से 60 आयु वर्ग की 3 (15.7) और 60 से ऊपर आयु वर्ग की 1 (5.2) प्रतिशत उत्तरदात्रियां भी वृक्षों के पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव से सहमत है साक्षर महिलाओं में 20–40 आयु वर्ग 13 (56.5) प्रतिशत महिलाएं वनों की कटाई से पडने वाले प्रभाव को जानती है जबकि 6 (66.6) प्रतिशत उत्तरदात्रियां नहीं। 40–60 आयु वर्ग की 6 (26) प्रतिशत उत्तरदात्रियों ये मानती है कि वृक्ष कटने से न केवल मानव जीवन प्रभावित होता है बल्कि सम्पूर्ण पर्यावरण भी

प्रभावित होता हैं जबकि 3 (33.3) इस बात को नहीं जानती हैं। 60 से उपर आयु वर्ग की मात्र 4 (17.3) प्रतिशत ही हाँ कहती हैं। निरक्षर वर्ग के अन्तर्गत 20–40 आयु वर्ग की 4 (14.8) उत्तरदात्रियां वनों की कटाई से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को स्वीकार करती है जबकि 19 (57.5%) उत्तरदात्रियां इस बात से सहमत नहीं है। 40 से 60 आयुवर्ग की 19 (70.3%) निरक्षर महिलाएं वृक्षों की कटाई से प्रभावित पर्यावरण के बारे में जानती है। जबकि 8 (24.2%) नहीं जानती हैं। 60 से ऊपर आयु वर्ग की 4 (14.8%) उत्तरदात्रियां हाँ कहती है और 6 (15.1%) नहीं कहती हैं।

जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में शिक्षित वर्ग के अन्तर्गत 20–40 आयु वर्ग की 3 (75%) उत्तरदात्रियों को वनों की कटाई से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी है और 40 से 60 आयु वर्ग की 1 (25%) महिलाएं वृक्षों की कटाई से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को जानती हैं साक्षर महिलाओं में 20–40 आयु वर्ग की 3 (30%) उत्तरदात्रियां यह जानती है कि वृक्ष कट जाने से पर्यावरण प्रभावित होता है। जबकि 6 (100%) उत्तरदात्रियां यह कहती है वृक्षों का पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 40–60 आयु वर्ग की 6 (60%) और 60 से उपर आयु वर्ग की 1 (10%) महिलाएं ही वृक्षों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को जानती हैं निरक्षर महिलाओं में 20–40 आयु वर्ग की 6 (75%) महिलाएं वनों की कटाई से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जानती है जबकि 19 (52.7%) नहीं। 40–60 आयु वर्ग की निरक्षर महिलाओं में 1 (12%) पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को स्वीकार करती है। जबकि 13 (36.1%) नहीं। 60 से ऊपर आयु वर्ग की 1 (12%) उत्तरदात्रियां भी यह स्वीकार करती है कि वृक्षों से पर्यावरण सुरक्षित रहता हैं जबकि 4 (11.1%) उत्तरदात्रियां इस बात को अस्वीकार करती हैं।

इसी प्रकार छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में शिक्षित वर्ग के अन्तर्गत 20–40 आयु वर्ग की 8 (80%) और 40 से 60 आयु वर्ग की 2 (20%) उत्तरदात्रियां वनों की कटाई से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को जानती है। साक्षर वर्ग के अन्तर्गत 20–40 आयु वर्ग की 8 (44. 4%) उत्तरदात्रियां यह मानती हैं कि वनों की कटाई से पर्यावरण प्रभावित होता है। जबकि 10 (83.

3%) कहती है नहीं। 40–60 आयु वर्ग की 8 (44.4%) महिलाएं वृक्ष कटान से प्रभावित पर्यावरण के बारे में जानती हैं। जबकि 2 (16.6%) उत्तरदात्रियां इस बारे नहीं जानती हैं 60 से ऊपर आयु वर्ग की मात्र 2 (11.1%) उत्तरदात्रियां ही इस पर पड़ने वाले प्रभाव को स्वीकार करती है। निरक्षर वर्ग के अन्तर्गत 20 से 40 आयु वर्ग की 20 (55.5%) निरक्षर उत्तरदात्रियां भी यह जानती है वनों के कट जाने से पर्यावरण पर बहुत असर होता है जबकि 16 (40%) इस बात को अस्वीकार करती हैं। 40–60 आयु वर्ग की 14 (38.8%) उत्तरदात्रियां यह बात स्वीकार करती हैं कि वृक्षों से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। जबकि 24 (60%) इस बात से सहमत नहीं हैं। 60 से ऊपर आयु वर्ग की 2 (5.5%) उत्तरदात्रियां ही मात्र इस बात को मानती हैं।

इस सारिणी से प्राप्त सूचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी आयु वर्ग की उत्तरदात्रियों में वायु प्रदूषण सम्बन्धी चेतना अल्प है। यह सभी महिलाएं यह नहीं जानती कि वृक्षों की अंधाधुध कटान के फलस्वरूप सम्पूर्ण चराचर विश्व के वायुमंडल में प्राणवायु शुद्ध आक्सीजन की लगातार कमी व जहरीला हानिकारक गैसो में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप मनुष्य शरीर व स्वास्थ्य से दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। शारीरिक व मानसिक दृष्टि से धीमा विकलांग होता जा रहा है और मानसिक विकास का स्तर गिरता चला जा रहा है।

घरेलू वायु प्रदूषण-

घरेलू वायु प्रदूषण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के घरो से उत्सर्जित प्रदूषको को वायू प्रदूषण में सम्मलित करते है। इस प्रकार घरेलू वायू प्रदूषण के दो स्त्रोत हैं। 1. तम्बाकू का विभिन्न रूपों में धूम्रपान 2. रसोई घर से उत्पन्न धूम्र घर से उत्पन्न होने वाले प्रमुख वायु प्रदूषक इस प्रकार हैं– सिगरेट, बीड़ी, सिगार तथा अन्य प्रकार के धूम्रपान, कोयला, जलावन लकड़ी, गोबर से निर्मित उपले, किरोसिन तेल ,द्रवित पेट्रोलियम गैस के जलाने से उत्पन्न धूम्र।

ग्रामीण अंचलो के रसाईघरों से निस्सृत प्रदूषक धुंआ सर्वाधिक विस्तृत एवं हानिकारक वायु प्रदूषक है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है परिणामस्वरूप ग्रामीण समुदाय की महिलायें खाना पकाने के लिए रसोई घरों में उपला, लकड़ी, पत्तियां, घास फूस गन्ने

की खोई, अरहर के डंठल कोयला, धान की भूसी, किरोसिन तेल आदि जलाती है जिससे धूम्र एवं कालिख की अपार राशि का वायूमंडल में उत्सर्जन होता है तथा 430 गाँव के आस–पास वायु का प्रदूषण होता है। डा. सविन्द्र सिंह (1991) ने यह व्यक्त किया है कि घरेलू चूल्हों से उत्सर्जित प्रदूषको में कार्बन मोनोआक्साइड, कार्बन डाईआक्साइड, सल्फर डाइआक्साइड आदि अधिक महत्वपूर्ण है। लकड़ी कोयला तथा धानकी भूसी के अपूर्ण दहन से निसृत कार्बन मोनोक्साइड का बिना रोशनदान के रसोईघरों में सांद्रण 50 ppm तक हो जाता है। इस तरह से प्रदूषित वायु के कारण आँख की बिमारी तथा दम घुटन (श्वासावरोध) होने लगती है। गांवों में जाड़ों की रातो में लोग अक्सर मिट्टी के बर्तनों (बोरसी) में धान की भूसी जलाकर बंद कमरों में सोते है। परिणाम स्वरूप इससे निस्सृत कार्बन मोनोक्साइड के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। ईट के भट्टे भी प्रायः लकड़ी जलाकर ही पकाये जाते है। डा. शिवराज सिंह सेंगर (1996) एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 100 मिलियन टन लकड़ी जलाई जाती है जिसमे लगभग 31 लाख टन कणिकीय पदार्थ, 1 लाख टन कार्बन मोनो आक्साइड, 19.5 लाख टन सल्फर डाइआक्साइड, 4 लाख टन नाइट्रिक आक्साइड आदि कुल 84 लाख टन वायु प्रदुषक उत्पन्न होते है।

रसोई घर के धुए से वायु प्रदूषण-

आज इन गांवो में 95% से ऊपर परिवार की महिलाएं जलाऊ लकड़ी और गोबर से बने उपलो का प्रयोग कर रही है। इनमें भी अधिकांश लोगों के घरों की महिलायें गोबर जैसे– पशुविष्ठा से बने उपलो, भूसी तथा कृषि उच्छिष्ट पदार्थो (अरहर की खडियां आदि) का उपयोग कर रही है। जिससे ईधन से विर्सर्जित प्रदूषक तत्व वातावरण में फैल जाते है। गोपीनाथ श्रीवास्तव (1996) ने लिखा है कि लकडी के ईधन दहन से वातावरण में कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। पेड़ पौधे उत्सर्जित कार्बन डाइआक्साइड को उतने शीध्र इतेस्माल नही कर पाते कि वे उसे तोडकर आक्सीजन उन्मुक्त कर सके। सीताराम सिंह पंकज (1993) ने व्यक्त किया कि वातावरणीय प्रदूषण का तकरीबन 10–15 प्रतिशत प्रदूषण केवल घर में उपयोग होने वाले ईधन तथा चिमनियों के धुए से होता है।

गांवों में महिलायें जहाँ खाना पकाती है वह झोपडे छोटे होते है उनमें वायु संचार व्यवस्था बहुत खराब है क्योंकि बरसात के दिनों में ये ग्रामीण वासी छप्पर के छेदों को बन्द कर देते हैं। जिससे वायु संचार नाममात्र को नहीं रह जाता। फलतः धुए के भारी जमाव हो जाने के कारण इस झोपडे में प्रवेश करना कठिन हो जाता हैं गांवों में कुछ घरों की महिलायें एक से अधिक मुंह वाले चुल्हे का उपयोग शीघ्र भोजन पकाने अथवा अधिक लोगों के लिए भोजन बनाने में करती हैं। एक मुहे चूल्ले की तुलना में कुल विसर्जित प्रदूषक तत्वों से दोहरा खतरा होता हैं इतना ही नहीं इन गांवों में जाड़ों की रातों में ज्यादातर घरों में रात भर गोबर से निर्मित उपले, धान की भूसी को ठंण्ड से बचने के लिए जलाये जाते है। गांवों में लकडी की पर्याप्त मात्रा न होने से अधिकतर घरों में खाना बनाने के लिए गोबर से बने उपलों का प्रयोग कर रही है। सविन्द्र सिंह (1991) ने व्यक्त किया है कि भारत में प्रतिवर्ष 55 मिलियन टन गोबर से बने उपले जलाये जाते हैं। जिससे 7,20,000 टन कणिकीय पदार्थ, 38,000 टन कार्बन मोना आक्साइड, 450,000 टन सल्फर डाइआक्साइड, 90,000 टन नाइट्रिक आक्साइड, 5,40,000 टन हाइडोकार्बन सहित कुल 19,10,000 प्रदूषको का प्रति वर्ष वायुमंडल में प्रवेश होता है।

परिणामस्वरूप इन गांवों में गोबर के उपले भूसी, लकडी आदि के धुए से उत्सर्जित प्रदूषक तत्वों का अधिक मात्रा में सेवन कर रही हैं महुआ ब्लाक के इन चार गांवों में गवेषिका ने सर्वेक्षण में पाया कि कुछ निर्धन वर्ग की महिलायें कच्ची मिट्‌टी से बनी अटारियों में जिनका दरवाजा इतना छोटा था कि उसमें बैठकर अन्दर जाना पड़ता है। उस अटारी के अन्दर वह महिलायें कन्डे एवं लकड़ी से चूल्हे में खाना पकाती है। तथा उस अटारी का धुआ इतना सघन होता है कि उनकी पूरी अटारी में कालिख पुत जाती है और वायु संचार नहीं के बराबर होता हैं एक सामान्य महिला का उस स्थान पर 5 मिनट रूकना मुश्किल है। जब गवेषिका ने एक उत्तरदात्री के बन्द रसोईघर में प्रवेश किया तो देखा कि उस रसोई में ईधन का इतना अधिक धुआं भारा हुआ था कि खांसी आने लगी एवं वह महिला जो चूल्हे में खाना पका रही थी वह धुए की वजह से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी, यही नही वे महिला उस धुए से भरी झोपड़ी में खासती जा रही थी और खाना पका रही

सरिणी क्रमांक 4.3

ईधन के धुएं से वायु प्रदूषण सम्बन्धी चेतना

	शिक्षित								साक्षर								निरक्षर								
	हां				नहीं				हां				नहीं				हां				नहीं				योग
जाति	उ0	मा0	नि0	योग	उ0	मा0	नि0	योग	उ0	मा0	नि0	योग	उ0	मा0	नि0	योग	उ0	मा0	नि0	योग	उ0	मा0	नि0	योग	
बड़ोखर बुजर्ग	24 63.1	11 28.9	3 7.8	38 23.4	6 40.0	7 46.6	2 13.3	15 9.2	4 50.0	3 37.5	1 12.5	8 4.9	5 33.3	7 46.6	3 20.0	15 9.2	6 20.6	16 55.1	7 24.1	29 17.9	5 8.7	31 54.3	21 36.8	57 35.11	162
मलहरा निवादा	7 43.7	6 37.5	3 18.7	16 14.1	2 40.0	1 20.0	2 40.4	5 4.4	5 23.8	8 38.0	8 38.0	21 18.5	–	5 45.4	6 54.5	11 9.7	3 15.0	8 40.0	9 45.0	20 17.6	13 32.5	12 30.0	15 37.5	40 35.3	113
जरर	3 75.0	1 25.0	–	4 6.1	–	1 100%	–	1 1.5	2 33.3	2 33.3	2 33.3	6 9.2	6 60.0	2 20.0	2 20.0	10 15.3	2 28.5	1 14.2	4 57.1	7 10.7	7 18.0	18 48.6	12 32.4	37 56.9	65
छिबांव	10 71.4	2 14.2	2 14.2	14 11.6	– –	– –	– –	– –	14 58.3	4 16.6	6 25.0	24 20.0	4 66.6	2 33.3	–	6 5.0	2 4.7	20 47.6	20 47.6	42 35.0	10 29.4	12 35.2	12 35.2	34 283	120
योग	44 61.1	20 27.7	8 11.1	72 15.6	8 38.0	9 42.8	4 19.0	21 4.5	25 42.3	17 28.8	17 28.8	59 12.8	15 35.7	16 38.0	11 26.1	42 9.1	13 13.2	45 45.9	40 40.8	98 21.3	35 20.8	73 43.4	60 35.7	168 36.5	460

थी। फलतः धुएं के भारी जमाव हो जाने के कारण इस झोपडे में प्रवेश करने के कुछ क्षण पश्चात ही गवेषिका को बाहर आना पड़ा क्योकि उनका दम घुटने लगा था, लेकिन उन महिला रसोइयों के लिए यह रोज–मर्रा की बात है।

ईधन के धुएं से वायु प्रदूषण सम्बन्धी चेतना-

प्रस्तुत सारिणी (4.3) चारों ग्राम की उत्तरदात्रियों की जाति एवं शिक्षा के आधार पर ईधन के धुएं से वायु प्रदूषण सम्बन्धी चेतना को दर्शाती है। इस सारिणी में समस्त उत्तरदात्रियों को शिक्षा के आधार पर तीन भागों में शिक्षित साक्षर तथा निरक्षर और जातिस्तर के आधार पर भी तीन भागों में विभक्त किया गया है उच्च, मध्यम, निम्न। उच्च जाति का तात्पर्य सामान्य वर्ग से, मध्यम जाति में पिछडे वर्ग को सम्मलित किया गया और निम्न जाति में अनुसूचित जाति को रखा गया है।

शिक्षा के आधार पर ईधन के धुएं से वायु प्रदूषण सम्बन्धी चेतना का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि समस्त 460 उत्तरदात्रियों में 72 (15.6%) शिक्षित उत्तरदात्रियां हां कहती है। 21 (45%) शिक्षित उत्तरदात्रियां नही कहती है। साक्षर महिलाओं में 59 (12.8) साक्षर उत्तरदात्रियां हां कहती हैं। 42 (9.1%) नहीं कहती है। निरक्षर उत्तरदात्रियों में 98 (21.3%) उत्तरदात्रिया हां कहती है, 168 (36.5%) उत्तरदात्रियां नहीं कहती हैं।

इस सारणी का जब हम ग्रामवार विवरण प्रस्तुत करते है तो ज्ञात होता है कि बड़ोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 38 (23.4%) शिक्षित उत्तरदात्रियां जिनमें उच्च जाति की 24 (63.1%) मध्यम जाति की 11 (28.9%), निम्न जाति की 3 (7.8%) उत्तरदात्रियां यह कहती है कि ईधन के धुएं से वायु प्रदुषण होता है जबकि 15 (2.2%) उत्तरदात्रियां जिनमें उच्च जाति की 6 (40%), मध्यम जाति की 7 (46.6%), निम्न जाति की 15 (2.2%) उत्तरदात्रियां यह कहती है कि ईधन के धुए से कोई प्रदूषण नहीं होता है। साक्षर महिलाओं में 8 (4.4%) उत्तरदात्रियां जो हां कहती उनमें उच्च जाति की 4 (50%), मध्यम जाति की 3 (37.5%), निम्न जाति की। (12.5%) उत्तरदात्रियां है जिन्हें ईधन के धएं से होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में जानकारी है जबकि 15 (92%) जो नहीं कहती

है उनमें 5 (33.3%) उच्च जाति की, मध्यम जाति की 7 (46.6), निम्न जाति की 3 (20%) उत्तरदात्रियां है जिन्हे ईधन से धुएं से वायु प्रदूषित होती है इसका ज्ञान नहीं है। निरक्षर महिलाओं में हां कहने वाली उत्तरदात्रियां 29 (17.9%), जिनमें सामान्य वर्ग की 6 (20.6%), पिछडे वर्ग की 16 (55.1%), अनुसूचित जाति की 7 (24.1%), उत्तरदात्रियां जिन्हें वायु प्रदूषण सम्बन्धी जानकारी है। जबकि नहीं कहने वाली उत्तरदात्रियां, जिनमें उच्च जाति की 5 (8.7%), मध्यम जाति की 31 (54. 3%), निम्न जाति की 21 (36.8%) उत्तरदात्रियां ऐसी है जिन्हे ईधन के धुए से होने वाले प्रदूषण में सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं हैं।

इसी प्रकार निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में 16 (14.1%) शिक्षित उत्तरदात्रियां जिनमें सामान्य वर्ग की 7 (43.7%), पिछड़े वर्ग की 6 (37.5%), अनुसूचित जाति की 3 (18.7%) उत्तरदात्रियां ईधन के धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में हां कहती है जबकि 5 (4.4%) शिक्षित उत्तरदात्रियां जिनको सामान्य वर्ग की 2 (40%), पिछडे वर्ग की 1 (20%) अनुसूचित जाति की 2 (40%) नहीं कहती है साक्षर महिलाओं में 21 (18.5%) उत्तरदात्रियां ऐसी है जो यह मानती है कि ईधन के धुए से वायु प्रदूषण या मानव जीवन प्रभावित है जिनमें सामान्य वर्ग की 5 (23.8%) पिछडे वर्ग की 8 (38%), अनुसूचित जाति थी 1 (38%) उत्तरदात्रियां है और वे साक्षर उत्तरदात्रियां जो ऐसा नही मानती है उनमें पिछड़े की 5 (45.4%), अनुसूचित जाति की 6 (54.5%) हैं। निरक्षर महिलाओं में 20 (17.6) प्रतिशत उत्तरदात्रियां जिनमें सामान्य वर्ग की 3 (15%), पिछड़े वर्ग की 8 (40%), अनुसूचित जाति की 9 (45%) उत्तरदात्रियां यह स्वीकार करती है कि ईधन से धुए से वातावरण प्रभावित होता है। जबकि 40 (35.3%) उत्तरदात्रियां जिनमें उच्च जाति की 13 (32.5%), मध्यम जाति की 12 (30%), निम्न जाति की 15 (37.5%) उत्तरदात्रियां ईधन के धुएं से होने वाले प्रदूषण के बारे में जानती ही नहीं हैं।

जरर ग्राम जो 800 किलोमीटर की परिधि वाले पर्वत की तलहटी में बसा है यहाँ वायु प्रदूषण सबसे अधिक है। क्योकि इस पर्वत को तोड़कर गिट्टी बाहर भेजी जाती है और इस पर्वत पर अनेक जड़ी–बूटियां है जो कुछ लाभदायक है और कुछ हानिकारक भी। यहां की महिलाएं

जलाने के लिए इसी पर्वत की लकड़ियों का उपयोग करती है जिनमे हानिकारक धुआ निकलता है। यह धुआं स्वास्थ के लिए हानिकारक होता है जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में शिक्षित वर्ग की 4 (6.1%) उत्तरदात्रियां जिनमें सामान्य वर्ग की 3 (75%), पिछडे वर्ग की 1 (25%) उत्तरदात्रियां धुएं से होने वाले प्रदूषण के बारे में जानती है जबकि मध्यम वर्ग की मात्र 1 (100%) इस बारे में कुछ नहीं जानती है। साक्षर महिलाओं में ईधन के धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में हां कहने वाली 6 (9.2%) उत्तरदात्रियों में समान्य वर्ग की 2 (33.3%) पिछडे वर्ग की 2 (33.3%), अनुसूचित जाति की 2 (33.3) प्रतिशत उत्तरदात्रियां है। नहीं कहने वाली उत्तर 10 (15.3%) उत्तरदात्रियों में उच्च वर्ग की 6 (60%), मध्यम जाति की 2 (20%), निम्न जाति की 2 (20%) उत्तरदाात्रियां है। निरक्षर वर्ग की महिलाओं में 7 (10.7%) उत्तरदत्रियों में सामान्य वर्ग की 2 (28.5%), पिछडे वर्ग की 1 (14.2), निम्न वर्ग की 4 (57.1%) उत्तरदात्रियां धुए के प्रदूषण के बारे मे जानती हैं। जबकि 37 (56.9%) उत्तरदात्रियां जिनमें उच्च वर्ग की 7 (18.9%), मध्यम जाति की 18 (48.6%), निम्नजाति की 12 (32.4%) उत्तरदात्रियां नहीं जानती हैं।

इसी प्रकार छिबाव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में शिक्षित वर्ग की 14 (116%) उत्तरदत्रियां जिनमें सामान्य वर्ग की 10 (71.4%), पिछड़े वर्ग की 2 (14.2%), अनसूचित जाति की 2 (14.2%), उत्तदात्रियां जानती है कि ईधन के धुए से वातावरण प्रदूषित होता है। साक्षर वर्ग के अन्तर्गत 24 (20%) उत्तरदात्रियां जिनमें उच्च जाति की 14 (58.3%), पिछड़ी जाति की 4 (16.6%), निम्न जाति की 6 (25%) उत्तरदात्रियां ईधन के धुए से होने वाले प्रदूषण के बारे में हां कहती है। जबकि 6 (5%) उत्तरदात्रियां जिनमें उच्च जाति की 4 (66.6%) मध्यम जाति की 2 (33.3%) उत्तरदत्रियां नहीं कहती है। निरक्षर महिलाओं में 42 (35%) उत्तरदत्रियां जिनमें सामान्य जाति की 2 (4.7%), पिछडी जाति की 20 (47.6%) अनुसूचित जाति की 20 (47.6%) उत्तरदात्रियां ऐसी है जिन्हे धुए से होने वाले प्रदूषण के बारे में ज्ञान है जबकि 34 (28.3%) उत्तरदात्रियां जिनमें सामान्य जाति की 10 (29. 4%), पिछड़ी जाति की 12 (35.2%), अनुसूचित जाति की 12 (35.2%) उत्तरदात्रियों को प्रदूषण के बारे में कोई ज्ञान नहीं।

प्रस्तुत सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि निरक्षर महिलाओं में सामान्य पिछड़ी और अनुसूचित की सभी उत्तरदात्रियों में वायु प्रदूषण सम्बन्धी चेतना अल्प है जिन्हे थोड़ा बहुत ज्ञान भी है। तो वे इसे रोजमर्रा की जिन्दगी कहकर टाल देती है। ये महिलाए यह नहीं जानती कि प्रदूषक धुएं से उनके स्वास्थ पर कितना बुरा असर पड़ रहा है ये महिलाए चूल्हों से निस्सृत धुंओ की चपेट में रहती है। गवेषिका ने सर्वेक्षण के दौरान पाया कि धुआ बहुल ईधनों से कुछ महिलाओं में खांसी और बलगम श्वासरोध और फुस्फुस आदि विकृतियां तथा आंख नाक और गले में खराश उत्पन्न होना आदि पाया। इस अल्पकालीन स्वास्थ पर ये महिलाएं ध्यान नहीं देती किन्तु जब इनका रोग आसाध्य हो जाता है तब बाद में ये महिलाएं पेरेशान हो जाती है। गोपीनाथ श्रीवास्तव (1996) के निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ पर अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के असर पड़ते हैं– 'अल्पकालीन प्रभाव के कारण शारीरिक कार्य व्यापार के निर्वहन में वाधा पहुचती है। जब कि दीर्घकालीन प्रभाव के प्रदूषण से मनुष्य चिरकालिक श्वास सम्बन्धी रोगी हो जाता है। जैसे–पुरानी खांसी, वात स्फीति और फेफडे का कैंसर तक हो सकता है।'

इसी प्रकार अन्य चिकित्सको ने अपने अध्ययन से स्पष्ट किया कि धूम्रपान एवं वायु प्रदूषण के गहराने से ऐसे लोगो की मौत की सम्भावना बढ़ जाती है सयुक्त राष्ट विकास कार्यक्रम (यू0एन0डी0पी0) की मानव विकास रिपोर्ट (1998) में कहा गया है कि लाखों लोग जो बिजली अथवा दैनिक उपयोग के ईधनों से वंचित है। भोजन बनाने तथा दूसरे कार्यो के लिए लकड़ी और गोबर (उपलो) का इस्तेमाल करते हैं। नतीजा यह है कि गरीब घरों में परम्परागत ईधन के जलने से फैलने वाले दम घोटू धुओं से हर वर्ष 21 लाख मौते होती है। इसमें भी सर्वाधिक प्रभावित होती है महिलाएं और बच्चें। जो धुओं से भरें रसोईघरों में अपेक्षाकृत ज्यादा समय बिताते हैं।

ध्वनि प्रदूषण

औद्योगीकरण मे वृद्धि के फलस्वरूप जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के साथ–साथ शोर की मात्रा में भी दिनों–दिन वृद्धि होती जा रही है। ध्वनि प्रदूषण विशेषकर अधुनिकीकरण की ही देन है।

वायुयानों का शोर, मोटर गाड़ियों के हार्न, रेलगाड़ियों की सीटियां, कारखानों की मशीनों की खटपट, निर्माण कार्यो में होने वाली तोड़फोड़, बैंडबाजो की तेज धुन, लाउडस्पीकरों पर गूंजता अखण्ड रामायण, भगवती जागरण, जवाबी कीर्तन, फुलवाल्यूम से बजते रेड़ियों, 'हमारी मांगे पूरी करों', 'इन्कलाब जिन्दाबाद' जैसे नारों आदि से हमारे चारों ओर का वातावरण ध्वनि प्रदूषण का शिकार होता जा रहा है नोबल पुरस्कार विजेता राबर्ट कॉक ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि "भविष्य में एक दिन ऐसा आयेगा, जब मनुष्य के स्वास्थ के सबसे बुरे शत्रु के रूप में क्रूर शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। यह अधिुनिक युग का अभिशाप है और हमें इसके विषय में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।"

भारत के विभिन्न नगरों में किये गये शोध के ताजा आंकड़ों के अनुसार 1972 से 1982 के बीच शोर में 16 डेसीबल की वृद्धि हुई (शोर की माप डेसीबल) डा. शिवराज सिंह सेंगर (1996) 60 डेसीबल से 70 डेसीबल तक की ध्वनि सामान्य ध्वनि मानी जाती है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनियां मानव श्रवण सामर्थ तथा मस्तिष्क पर घातक प्रभाव डालती हैं। 70 डेसीबल से अधिक तीव्रता की ध्वनियां असहनीय होती हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रभुख स्त्रोत निम्नलिखित है। 1. ध्वनि विस्तारक यंत्र 2. डिस्को संगीत 3. स्वचालित वाहन 4. कल कारखाने।

ध्वनि स्त्रोत, ध्वनि प्रवलता तथा उसके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को अग्रलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

क्रम संख्या	ध्वनि स्त्रोत	ध्वनि प्रबलता	प्रभाव
1.	पत्तियों की खरखराहट – दिल की धड़कन	10–15 डेसीबल	शान्त
2.	एक मीटर की दूरी पर दिवाल घड़ी की टिकटिक	30 डेसीबल	सहनीय
3.	रात के समय शान्त वस्ती	50 डेसीबल	सहनीय
4.	सामान्य बातचीत	60 डेसीबल	सहनीय
5.	शान्त बस्ती में हल्का वाहन	65 डेसीबल	सहनीय
6.	अस्पताल परिसर, उपनगरीय बाजार	74–75 डेसीबल	असहनीय
7.	बारात के साथ बैंड बाजा, मोटर साइकिल व ट्रक की आवाज	82–92 डेसीबल	कर्णकट व हानिप्रद
8.	पटाखे अतिशवाजी, बस टैक्सी का शोर आरामशीन	90–115 डेसीबल	अनिद्रा
9.	शेर की दहाड (3–4) मीटर से	100–120 डेसीबल	अनिद्रा ब बहरापन
10	हवाई जहाज, डिस्को संगीत	120 डेसीबल	मानसिक तनाव
11.	जेट विमान व साइरन	150–160 डेसीबल	रक्तचाप में वृद्धि व बहरापन

भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्वीकृत ध्वनि स्तर

आवासीय क्षेत्रों में स्वीकृत बाहय ध्वनि स्तर		विभिन प्रकार के भवनों में आन्तरिक स्वीकृत ध्वनि स्तंर	
स्थिति	ध्वनि स्तर (औसत डेसीबल में)	स्थिति	ध्वनि स्तर (औसत डेसीबल में)
ग्रामीण	20–35	रेडियो तथा टेलीविजन स्टूडियो	25–30
उपनगरीय	30–40	संगीत कक्ष	30–35
नगरीय (आवासीय)	35–40	आडियो टोरियम, हास्टल, सम्मेलन कक्ष	35–40
नगरीय (आवासीय तथा व्यापरिक)	40–50	कोर्ट, छोटा कार्यालय तथा पुस्कालय	40–45
नगरीय	45–55	सार्वजनिक कार्यालय, बैंके तथा स्टोर आदि	45–50
औद्योगिक क्षेत्र	50–60	रेस्टोरेन्ट्स	50–55

ध्वनि वितरण तथा डेसीवल पैमाना

डेसीबल मान	ध्वनि अनुभव
120 तथा इससे अधिक	अत्यधिक कष्टदायक
100—120	असुदायी ध्वनि
75—100	बहुत ध्वनि
50—75	सामान्य ध्वनि
30—50	शान्त
15—30	अत्यधिक शान्त
15 से कम	केवल सुनाई देने योग्य

शोर के दुष्प्रभाव-

अधिकांश राष्टों ने ध्वनि की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 75 से 85 डेसीबल निर्धारित की गयी है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनियां स्वास्थ के लिए हानिकारक होती हैं। इसके दुष्प्रभाव निम्न प्रकार हैं–

1. उर्पयुक्त सीमा से अधिक तीव्रता की ध्वनिया हमारे श्रवण पर बुरा असर डालती हैं। 75 डेसीबलेसे अधिक ध्वनि लगातार कानों में पड़ने से मनुष्य बहरा हो जाता है, 100 डेसीबल की ध्वनि त्वचा को जला भी सकती है। चूंकि 200 डेसीबल की ध्वनि से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। अतः 200 या अधिक डेसीबल की ध्वनि पैदा करके मारक अस्त्रों का भी विकास किया जा चुका है।
2. ध्वनि प्रदूषण मानसिक विकृतियां उत्पन्न करता है तथा इससे मस्तिष्क सम्बन्धी बीमारियाँ भी होती है शरीरिक व मानसिक तानव बढ़ता है, फलस्वरूप कार्यक्षमता में कमी होती है तथा इससे झुझलाहट पैदा होती है।
3. ध्वनि प्रदूषण से कानों में बहरापन– मानसिक रोग, सिरदर्द, एग्जाइटी, डिप्रेशन, विक्षिप्तता, नेत्र व हदय सम्बन्धी बिमारियां भी पैदा हो जाती हैं।
4. ध्वनि प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती माताओं तथा शिशुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बच्चो में स्मरण शक्ति की कमी सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और बहरापन हो जाता है। गर्भस्थ शिशु विकंलाग हो सकता है।
5. शोर के कारण रक्त में कोलेस्टेराल तथा कार्टिजोन का स्तर बढ़ जाता है।
6. शहरों में होने वाले शेर 105 डेसीबल तक पहुंच जाता है। तीव्र शोर के कारण वायुमंडल का घनत्व बढ़ जाता है इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए मनुष्य को 1600 कैलोरीज की अतिरिक्त आवश्यकता होती है।
7. शोर से स्वरग्राही कोशिकाओं के संवेदी रोग नष्ट हो जाते है श्रवणदोष तथा धड़कने बढ़ जाती है मांसपेशिया सिकुड जाती है तथा आतो की शक्ति घट जाती है।

सारणी क्रमांक 4.4

तेज ध्वनि लगातार सुनने से मानसिक तनाव और याददाश्त की कमी बहरापन तथा महिलाओं की संतानी में जन्मजात विकृतियों की जानकारी सम्बन्धी चेतना–

		हाँ								नही									
ग्राम	शिक्षा–उम्र	शिक्षित		साक्षर		निरक्षर		योग		शिक्षित		साक्षर		निरक्षर		योग		योग	
		सं	प्र.	सं	प्र.	सं	प्र.	सं	प्र.	सं	प्र.	सं	प्र.	सं	प्र.	सं	प्र.		
बड़ोखर बुजुर्ग	20–40	27	52.9	7	13.9	17	13.33	51	60.7	4	12.1	7	21.2	22	66.6	33	39.2	84	162
	40–60	19	50.0	6	15.7	13	34.2	38	63.3	2	9.0	1	4.5	19	86.3	22	36.6	60	
	60 से ऊपर	1	8.3	2	16.6	9	75.0	12	66.6	–		–		6	100 %	6	33.3	18	
	योग	47	46.5	15	14.8	39	38.6	101	62.3	6	9.8	8	13.1	47	77.0	61	37.6	162	
मलहरा निवादा	20–40	8	44.4	9	50.0	1	5.5	18	30.5	9	21.9	10	24.3	22	53.6	41	69.4	59	113
	40–60	3	15.0	5	25.0	12	60.0	20	51.2	–		4	21.9	15	78.9	19	48.7	39	
	60 से ऊपर	1	9.0	4	36.3	6	54.5	11	73.3	–		–		4	100 %	4	26.6	15	
	योग	12	24.4	18	36.7	19	38.7	49	43.3	9	14.0	14	21.8	41	64.0	64	56.6	113	
जरर	20–40	2	28.5	2	28.5	3	42.8	7	18.4	2	6.4	7	22.5	22	70.9	31	81.5	38	65
	40–60	–		4	4.40	6	60.0	10	47.6	1	9.0	2	18.1	8	72.7	11	52.3	21	
	60 से ऊपर	–		1	20.0	4	80.0	5	83.3	–		–		1	100 %	1	16.6	6	
	योग–	2	9.0	7	31.8	13	59.0	22	33.8	3	6.9	9	20.9	31	72.2	43	61.1	65	
छिबाँव	20–40	4	22.2	4	22.2	10	55.5	18	27.2	8	16.6	14	29.1	26	54.1	48	72.7	66	65
	40–60	2	5.8	8	23.5	24	70.5	34	68.0	–		2	12.5	14	87.5	16	32.0	50	
	60 से ऊपर	–		2	50.0	2	50.0	4	100 %	–		–		–		–		4	
	योग–	6	10.7	14	25.0	36	64.2	56	46.6	8	12.5	16	25.0	40	62.5	64	53.3	120	
योग–		67	23.3	54	23.6	107	46.9	228	49.5	26	11.2	47	20.2	159	68.5	232	50.4	460	

8. तीव्र शोर हमें अन्धा भी बना सकता है क्योकिं नेत्रों तक जाने वाली तन्त्रिका का सम्बन्ध कानो से होता है। अन्धापन का एक खास कारण शोर भी है।

9. जोरदार शोर–शराबे से जी मिचलने लगता है, घबराहट होने लगती है नीद नही आती और रक्तचाप बढ़ जाता है। सरदर्द होने लगता है, एवं बेहोशी होने लगती है, स्वभाव चिडचिडा हो जाता है, गुर्दे की खराबी, अपच आदि का कारण ध्वनि प्रदूषण ही है।

ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव सम्बन्धी जानकारी-

प्रस्तुत सारिणी 4.4 चार ग्रामों की उत्तरदत्रियों की तेज ध्वनि सुनने से मानसिक एवं शरीरिक विकृतियों की जानकारी सम्बन्धी चेतना को दर्शाती है। इस सारिणी में सभी उत्तरदात्रियों को शिक्षा के आधार पर तीन भागों में विभक्त किया गया है प्रथम– शिक्षित, द्वितीय–साक्षर, तृतीय–निरक्षर। आयु के आधार पर सभी उत्तरदात्रियों को भी तीन भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम–20 से 40 आयु वर्ग की, द्वितीय 40–60 आयु वर्ग की, तृतीय 60 से ऊपर वर्ग की उत्तरदात्रियों को रखा गया है।

प्रस्तुत सारिणी में चयनित चार ग्राम की उत्तरदात्रियों से यह जानने का प्रयास किया गया कि लगातार तेज ध्वनि सुनने मानसिक तनाव और याददाश्त की कमी, बहरापन तथा महिलाओं की संतानो में जन्मजात आदि विकृतियों ध्वनि प्रदूषण का परिणाम है। ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी चेतना को जब ग्रामवार जानने का प्रयास किया गया तो ज्ञात हुआ कि बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम की 162 उत्तरदात्रियां ध्वनि प्रदूषण से होने वाली ध्वनि के सम्बन्ध में 51 (60.7%) उत्तरदत्रियां हां कहती हैं जिनमें 20 से 40 आयु वर्ग की 27 (52.9%) शिक्षित उत्तदत्रियां है, 7 (13.9%) साक्षर उत्तरदत्रियां, 17 (33.3%) निरक्षर उत्तरदत्रियां यह कहती है कि तेज ध्वनि लगातार सुनने से मानसिक तनाव एवं शारीरिक विकृतियों के सम्बन्ध में हां कहती है। जबकि 20 से 40 आयु वर्ग की 4 (12.1%) शिक्षित उत्तरदत्रियां, 7 (21.2%) साक्षर उत्तरदत्रियां, 22 (66.6%) निरक्षर उत्तरदत्रियां ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानि के सम्बन्ध में नहीं कहती है। 40 से 60 आयु वर्ग की 38 (63.3%) उत्तरदत्रियां ध्वनि प्रदूषण से मानसिक तनाव, याददाश्त, की कमी एवं शारीरिक विकृतियों के

सम्बन्ध में हां कहती है। जिनमें 19 (50%) शिक्षित उत्तरदत्रियां, 6 (15.7%) साक्षर उत्तरदत्रियों, 13 (14.2%) निरक्षर उत्तरदत्रियों यह स्वीकार करती है कि ध्वनि प्रदूषण से शरीरिक एवं मानसिक हानि होती है। जबकि 22 (36.6%) उत्तरदात्रियां यह कहती है कि ध्वनि प्रदूषण से शरीरिक एवं मानसिक हानि नहीं होती है जिनमें 2(9%) शिक्षित, 1 (4.5%) साक्षर, 19 (86.6%) निरक्षर उत्तरदात्रियां नहीं कहती है। जबकि 60 से ऊपर आयु वर्ग की 12 (66.6%) उत्तरदात्रियां हां कहती है जिनमें शिक्षित 1 (16.6%), निरक्षर 9 (75%) उत्तरदात्रियां हैं। 6 (33.3%) उत्तरदात्रियां जिनमें 6 (100%) उत्तरदात्रियां यह स्वीकार करती है कि ध्वनि प्रदूषण से कोई शारीरिक एवं मानसिक हानि नहीं होती है।

निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में 20–40 आयु वर्ग की 18 (30.5%) उत्तरदात्रियां ध्वनि प्रदूषण से होने वाली शारीरिक एवं मानसिक हानि के सम्बन्ध में हां कहती है जिनमें 8 (44.4%) शिक्षित, 9 (50%) साक्षर, 1 (5.5%) निरक्षर उत्तरदात्रियां है। जबकि 41 (69.4%) उत्तरदात्रियां जिनमें 9 (21.9%) शिक्षित, 10 (24.3%) साक्षर, 22 (53.6%) निरक्षर उत्तरदात्रियां ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानि के सम्बन्ध में नहीं कहती हैं 40 से 60 आयु वर्ग की 20 (51.2%) उत्तरदात्रियां जिनमें 3 (15%) शिक्षित, 5 (25%) साक्षर, 12 (60%) निरक्षर उत्तरदात्रियां यह कहती है कि तेज ध्वनि लगातार सुनने से याददाश्त की कमी बहरापन तथा महिलाओं की संतानो में जन्मजात विकृतियां होती हैं जबकि 19 (48.7%) उत्तरदात्रियां है जिनमें 4 (21%) साक्षर, 15 (78.9%) निरक्षर उत्तरदात्रियां इस सम्बन्ध में नहीं कहती है। 60 से ऊपर आयु वर्ग की 11 (33.3%) उत्तरदात्रियां हां कहती है जिनमें 1 (9%) शिक्षित, 4 (36.3%) साक्षर, 6 (54.5%) निरक्षर उत्तरदात्रियां है। जबकि 4 (24.6%) उत्तरदात्रियां है जिनमें मात्र निरक्षर वर्ग की 4 (100%) उत्तरदात्रियां ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानि के सम्बन्ध में नहीं कहती है।

जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में 20 से 40 आयु वर्ग की 7 (18.4%) उत्तरदात्रियां हां कहती है जिनमें 2 (28.5%) शिक्षित, 2 (28.5%) साक्षर, 3 (42.6%) निरक्षर उत्तरदात्रियां ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानि को स्वीकार करती है। जबकि 31 (81.5%) उत्तरदात्रियां ध्वनि प्रदूषण

से होने वाली हानि के सम्बन्ध में नहीं कहती है जिनमें 2 (6.4%) शिक्षित, 7 (22.5%) साक्षर, 22 (70.9%) उत्तरदात्रियां है। 40 से 60 आयु वर्ग की 10 (47.6%) उत्तरदात्रियां यह स्वीकार करती है कि लगातार तेज ध्वनि सुनने से याददाश्त की कमी बहरापन तथा महिलाओं की संतानों में जन्मजात विकृतियां होती है। जिनमें साक्षर वर्ग की 4 (40%), निरक्षर वर्ग की 6 (60%) उत्तरदात्रियां है। जबकि ध्वनि प्रदूषण से होने वाली शारीरिक विकृतियों के सम्बन्ध में 11 (52.3%) उत्तरदात्रियां नहीं कहती हैं जिनमें 1 (9.0%) शिक्षित, 2 (18.1%) साक्षर, 8 (72.7%) निरक्षर उत्तरदात्रियां है। 60 से उपर आयु वर्ग की 5 (83.3%) उत्तरदत्रियां है जिनमें साक्षर 1 (20%), निरक्षर 4 (80.0%) उत्तरदात्रियां ध्वनि प्रदूषण से होने वाले दुष्परिणामों से परिचित है। जबकि 1 (16.6%) उत्तरदात्रियों में निरक्षर वर्ग की 1 (100%) उत्तरदात्रियां ध्वनि प्रदूषण से होने वाले दुष्परिणामों से परिचित नहीं है।

इसी प्रकार छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियो में 20–40 आयु वर्ग की 18 (27.2%) उत्तरदात्रियां ध्वनि प्रदूषण से होने वाली शारीरिक एवं मानसिक हानि के सम्बन्ध हां कहती है जिनमें 4 (22.2%) साक्षर, शिक्षित 4 (22.2%), 10 (55.5%) निरक्षर उत्तरदात्रियां है जबकि 48 (72. 7) उत्तरदात्रियां जिनमें 8 (16.6%) शिक्षित 14 (29.1%) साक्षर, 26 (54.1%) निरक्षर उत्तरदात्रियां ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानि के सम्बन्ध में नहीं कहती है। 40 से 60 आयु वर्ग की 34 (68.0%) उत्तरदत्रियों में शिक्षित 2 (5.8%), साक्षर 8 (23.5%) निरक्षर 24 (70.5%) उत्तरदात्रियां ध्वनि प्रदूषण से होने वाली शारीरिक दुष्प्रभावों से परिचित हैं जबकि 16 (32.0%) उत्तरदात्रियों में साक्षर 2 (12. 5%) निरक्षर 14 (87.5%) उत्तरदात्रियां ध्वनि प्रदूषण से होने वाली शारीरिक विकृतियों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं रखती है। 60 से ऊपर आयु वर्ग की 4 (100%) उत्तरदात्रियों में साक्षर 2 (50%), निरक्षर 2 (50%) उत्तरदात्रियां ध्वनि प्रदूषण से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक विकृतियों की जानकारी रखती है।

प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट होता है कि समस्त चार ग्रामों में 60 से ऊपर आयु वर्ग की महिलाओं में तेज ध्वनि लगातार सुनने से मानसिक तनाव और याददाश्त की कमी, बहरापन तथा

महिलाओं की संतानी में जन्मजात विकृतियों की जानकारी सम्बन्धी चेतना अधिक है। 60 से ऊपर आयु वर्ग की महिलाओं में बडोखर बुजुर्ग ग्राम की 66.6 उत्तरदत्रियां, मलहरा निवादा ग्राम की 73.3 प्रतिशत, जरर ग्राम की 83.3 प्रतिशत, छिबॉव ग्राम की 100 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में अधिक जानकारी है। इसका कारण है कि अधिक तेज आवाज से ये महिलाएं सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, उलझन आदि को महसूस करती है। इनमें से कुछ महिलाओं का कहना है कि रेडियो, टी0 वी0, टेपरिकार्ड की अधिक तेज आवाज सुनने से कान बहरे पड़ जाते है इसलिए ये महिलाएं अपने कान बन्द कर लेती है। समस्त चार ग्रामों में बडोखर बुजुर्ग ग्राम की 53 उत्तरदात्रियों में 47 उत्तरदात्रियॉ तेज ध्वनि से होने वाली शारीरिक एवं मानसिक विकृतियों के दुष्परिणामों से अधिक परिचित है। समस्त चार ग्रामों में 93 शिक्षित महिलाओं में 67 उत्तरदात्रियॉ तेज ध्वनि के दुष्प्रभाव से परिचित है। अतः स्पष्ट होता है कि अधिक आयु वर्ग की महिलाएं तथा शिक्षित महिलाएं तेज ध्वनि लगातार सुनने से मानसिक तनाव और याददाश्त की कमी, बहरापन तथा महिलाओं की संतानी में जन्मजात विक्रतियों के सम्बन्ध में अधिक जानकारी रखती है।

भूमि प्रदूषण

भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी आवंछनीय परिवर्तन, जिसका प्रभाव मनुष्य या अन्य जीवों पर पडे या जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता में कमी आयें उसे भूमि प्रदूषण कहते है। तथा सामान्य रुप में शैलों के विघटन तथा वियोजन से प्राप्त ढीले एवं असंगठित भूपदार्थो को मृदा (मिट्टी) कहते है। J.S. Joffe (1949) के अनुसार मिटिट्यॉं जन्तु, खनिज एवं जैविक पदार्थो से निर्मित प्राकृतिक वस्तु होती है, जिनमें विभिन्न मोटाई के विभिन्न मण्डल होते है। मृदा के ये संस्तर आकारिकी, भौतिकी एवं रासायनिक संघटन तथा जैविक विशेषताओं के दृष्टिकोण से निचले पदार्थो से अलग होते है। अमेरिकी मृदा सर्वेक्षण विभाग (Soil Survey Staff) द्वारा 1975 में प्रस्तुत अमेरिकी मृदा वर्गीकरण (American Soil Taxonmy), E. Bridges द्वारा (1978) में जैव जलवायु मण्डलों के आधार पर प्रस्तुत मिटि्टयों का वर्गीकरण H.D.Foth (1978) द्वारा प्रस्तुत मृदा–श्रेणी, FAO (Food and Agriculture Orgnization) UNESCO

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) द्वारा लक्षण प्रधान या प्रतिनिधि संस्तरों के आधार पर मृदा–वगीकरण प्रस्तुत किया है। मानव क्रियाकलापों द्वारा तेज गति से होने वाले भूमि–प्रदूषण के सम्बन्ध में ए0एन0 स्ट्रेलर तथा ए0एच0 स्ट्रेलर, (1976), एन0 डब्लू0 हड्सन (1957), आलोक दुबे (1985), आदि के अध्ययन महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण क्षेत्रों का प्रमुख स्त्रोत कृषि कार्य है कृषि क्षेत्रों से जनित प्रदूषक रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी, शाकनाशी तथा रोगनाशी कृत्रित रसायन आदि हैं। जिन्हें फसलो की वृद्धि के लिए ग्रामीण किसान रासायनिक उर्वरको तथा फसलों को रोगो एवं कीटाणुओ से बचाने के लिए रोगनाशी एवं कीटनाशी कृत्रिम रसायनों का उपयोग कर रहे हैं इसी सम्बन्ध में ललित कुमार राका (1998) ने कहा है "कि वर्षा के साथ तमाम किस्म की जहरीली गैसे और रसायन जल के कारण खेतो से बाहर घुले एवं ठोस रूप में पानी में घुलकर जलाशयों नदियों, नहरो, कुओ, तालाबो और झीलो में पहुचते हैं तथा प्रदूषण करते है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नान प्वाइण्ट प्रदूषण के छोटी–छोटी नदियो पर पड़ने वाले प्रभावों के निर्धारण के लिए कई शोध किये गये है सविन्द्र सिंह (1991) ने बताया कि शोध से पाया गया कि कृषित क्षेत्रों की नदियो में फास्फोरस का सान्द्रण प्रति लीटर जल में 0.15 मिलीग्राम तथा वनाच्छादित भागों की नादियों में प्रति लीटर जल में मात्र 0.014 मिली ग्राम है। इसी तरह कृषित क्षेत्रो की नदियो में नाईट्रोजन का सान्द्रण एक लीटर जल में 4. 17 मिलीग्राम तथा वनाच्छादित भागों की नदियो में मात्र 0.85 मिलीग्राम (प्रतिलीटर जल में) पाया गया।

19 दिसम्बर 1998 ('आज') वैज्ञानिको का मानना है कि औद्योगिक इकाइयों से बहाये जाने वाले द्रवीय अपशिष्टों में ज्वलनशील विषैले और दुर्गन्धयुक्त तत्व विद्यमान रहते है। इसलिए इस द्रवीय कचरे से इन घातक तत्वो को अलग किये बगैर उससे लगातार सिचाई करने पर कई नुकसान होने लगते है। मसलन इससे मिट्टी के अन्दर रिक्त स्थानों की संख्या घटने से उसमें हवा का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे फायदेमंद सूक्ष्मजिवियों की श्वसन प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस कचरे से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पैदा होने लगती है, जिससे न केवल आसपास के क्षेत्रों में

दुर्गन्ध फैलने लगती है, बल्कि भूमि की उर्वरकता पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा उर्वरको का यह अंश भी नुकसान देह साबित होता है जो पौधों के उपयोग के बाद भी मिट्टी में बचा रहता है। खासकर नाइट्रोजन तथा फास्फोरस युक्त उव्ररकों की अवशिष्ट मात्रा नाइट्रेट तथा फास्फेट के रूप में जमीन के अन्दर रिसकर भूमिगत जल में जा मिलता है जो इस भूमिगत जल को पीना खतरे से खाली नहीं होता। इसी प्रकार सतही जल के साथ बहकर फास्फेट तालाबों में पहुंच जाता है, जिससे वहां शैवाल तथा अन्य जलीय पौधों की संख्या बढ़ जाती है और इन जलीय पौधों के विघटन के समय जैविक आक्सीजन की मांग बढ़ जाती है।

मृदा प्रदूषण के कारण-

1. वायुमण्डलीय प्रदूषक– औद्योगिक नगरो के वायुमण्डल में उत्सर्जित धूलकण तथा नाभिकीय विस्फोटों से उत्सर्जित रेडियो धर्मी पदार्थ वायुमण्डल से पृथ्वी पर झडते है तथा मिट्टी में मिलकर उसकी उर्वरता को प्रभावित करते हैं।
2. औद्योगिक अवशिष्ट– (i) सल्फर डाईआक्साइड, (ii) फ्लोराइड (iii) नाइट्रिक आक्साइड तथा पारा, कैडमियम आदि
3. घरेलू कचरा– कांच के टुकडे, प्लास्टिक व रबर के टुकडे, चमडे के टूटे–फूटे टुकडे ऐसे घरेलू कचरे है जो ठोस होने के कारण अपचयित नहीं होते है तथा मृदा को प्रदूषित करते है।
4. कीटनाशक दवाएं– डी0 डी0 टी0, टिक 20, बी0 एच0 सी0, टैक्सोफोन आदि का प्रयोग हम फसल की रक्षा के लिए करते है लेकिन ये कीटनाशक मिट्टी की उर्वरता को घटाते है।
5. रासायनिक खादे– हरित क्रान्ति के नाम पर कृषि उत्पादन बढाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। टाटा संस्थान के आर्थिक व सख्यिकीय विभाग के एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में 1960–1961 में 29.4 लाख टन रासायनिक खादो का प्रयोग हुआ जो सन् 1980–81 में बढ़कर 55.16 लाख टन हो गया। रासायनिक खादो के प्रयोग से मृदा की उर्वरता में हास हुआ तथा खाद्यानों की गुणवत्ता घट गयी।

6. भू–क्षरण– भू–क्षरण तीन प्रकार से होता है।

(i) वायु द्वारा– तेज हवाए मिट्टी में कटाव पैदा करती है रेगिस्तानों में चलने वाली तेज हवाओं के साथ बालू बड़ी मात्रा में हवा के साथ उडकर आसपास के क्षेत्र में मिट्टी की ऊपरी सतह पर जमकर उसे अनुत्पादक बनाती है।

(ii) डा. महातिम सिंह (1998) ने कहा है कि जब भी वर्षा की बूंदे भूमि सतह पर गिरती है भूमि कण धीरे–धीरे ढीले पडने लगते है और जैसे ही वर्षा का पानी मात्रा में अधिक होता है भूमि की सतह पर बह निकलता है जिसके परिणामस्वरूप पानी के साथ भूमि कण भी बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते है। भूमि कणों के एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन को भूक्षरण की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिसका ज्ञान बहुत ही कम किसानों को होता है। दृश्य रूप में वर्षा के पानी के साथ मिट्टी का मटमैले पानी का बहना, अन्ततोगत्वा भू–परत क्षरण की परिणति धीरे–धीरे खेत की सतह पर जगह जगह पतली नालियों का बनना होता है यदि इस प्रकार की नालियों को आरम्भ में ही नही रोका गया तो धीरे–धीरे बड़ी नालियों का बनना भी रोका नही जा सकता और अन्ततोगत्वा चम्बल के बीहडो का निर्माण भी सम्भव हो सकता है।

(iii)वर्ष 1967–68 में हरित क्रान्ति के आरम्भ से ही जैविक खादो का प्रयोग धीरे–धीरे कम होता गया और वर्तमान स्थिति उस सीमा तक पहुंच गयी है कि जैविक खादों जैसे–गोबर या कम्पोस्ट की खाद या हरी खाद, का प्रयोग प्रायः नहीं के बराबर होने लगा है। यह साधारण अनुभव की बात है कि जिन खेतो में जैविक खादो का प्रयोग बिल्कुल नही किया जाता या यदाकदा किया जाता है वहा की मिट्टी का क्षरण शीघ्रता से होता है और लघु अवधि में ही उपजाऊ मिट्टी की सतह शीघ्र ही कटकर बह जाती है और फसलो की उपज में तीब्रता से गिरावट आती है। इसके विपरीत जहां जैविक खादों का प्रयोग प्रतिवर्ष किया जाता है वहा की फसलो की उपज बढ़ती है या स्थिर बनी रहती है।

भूमि संरक्षण-

यदि भू–क्षरण को भली भाँति समझा जाय और उसकी रोकथाम के लिए उचित प्रयास किये जाय तो उपजाऊ खेत की मिट्‌टी हमेशा ही उपजाऊ बनी रह सकती है। भूमि सुधार के लिए जो भी उपाय सुझाये जाते है उनमें खेतों के जल निकास, गहरी जुताई कर जल निकास को बाधित करने वाली कड़ी परत का तोडना, जीवांशयुक्त पदार्थो का प्रयोग, सुधारक रसायनों का उत्तरोत्तर प्रयोग और ऐसी सस्यविधियों का अपनाना आता है जिससे ऊसर भूमि के लिए जिम्मेदार रासायनिक तत्वों की मात्रा में धीरे–धीरे कमी आना। परन्तु मुख्य रूप से यदि खेतो से जल निकास की व्यवस्था को ठीक रखा जाय तो खेतो की मिट्‌टी को ऊषर में परिर्वर्तित होने से बचाया जा सकता है लेकिन ऐसा करने के लिए खेतों की मेडबन्दी करना, एक निश्चित ढाल देने के लिए खेत में गहरी जुताई करना, खेतों का समतलीकरण और जीवांश खादों का भरपूर प्रयोग विशेषकर वर्षा पूर्व जुताई के समय आवश्यक माना जाता है। डा. महातिम सिंह (1997) ने भूमि संरक्षण उपायों में पादप पोषण में एकीकृत पद्धति को आवश्यक माना है।'' इस पद्धति में मुख्य रूप से तीन प्रकार की खादों (जीवांशयुक्त, रसायनिक उर्वरक और जैविक उर्वरक) के प्रयोग में समन्वय स्थापित करना आवश्यक समझा जाता है। वैसे मुख्य फसलों की कतारों के बीच ऐसे पौधों का अन्तः स्पयन भी एकीकृत पादप पोषण पद्धति का ही अंग माना जाता है जिसमें वातावरणीय नाइट्रोजन के एकत्रीकरण की क्षमता होती है। शिवमूरत यादव (1997) 'सयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम के प्रतिवेदन से पता चलता है कि लगभग 10 हजार लोग प्रतिवर्ष पौध संरक्षण रसायनो के प्रभावों से मरते हैं और 4 लाख लोग स्थायी रूप से विकलांग होते है क्योंकि सल्फास, डी0 डी0 टी0, बी0 एच0 सी0 और मेलाथियान जैसे कीटनाशक रसायन मूल्य कम होने के कारण किसानो में बहुत लोकप्रिय है इन रसायनों के अवशेष फसलों पर रह जाते है, जो एक सीमा पार करने के बाद उसे भक्षण करने वालों के स्वास्थ पर बुरा प्रभाव डालते है। सरकार की ओर से इनकी बिक्री पर पाबन्दी तो लगा दी गई किन्तु उत्पादन पर नही, जिससे लाचारी में किसान भी इनका उपयोग करते आ रहे है। इसी सम्बन्ध में उदय प्रताप सिंह (1998) ऐसी टिकाऊ खेती की आवश्यकता एवं सुरक्षा पर बल देते हुए'

कहा है कि उत्तम बीज उर्वरको का सन्तुलित मात्रा में प्रयोग तथा उससे भी महत्वपूर्ण जैविक खादों जैसे गोबर, कम्पोष्ट, हरीखाद, दलहनी फसलों से मिलने वाली खाद तथा केचुआ तथा वैकटीरिया द्वारा प्रदत्त खाद जैसे पी0 एस0 एम0, एजोटोबैक्टर, एजो स्पाईरिलम तथा एजोला जैसी जैविक खादों का यदि पूरा नही तो कम से कम पौधों की आवश्यकता की आधी मात्रा को इन जैविक खादों से प्रदान किया जाय तभी जाकर हमारी कृषि सतत टिकाऊ बनी रहेगी, साथ ही अधिक उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

इसी तरह रासायनिक कीटनाशक दवाओं की जगह पर तरह–तरह के कीड़ों और बीमारियों से फसलों की सुरक्षा हेतु जैविक कीटनाशी दवाएं जैसे ट्राइकोगामा क्राइस्पैरेला, एन0 पी0 वी0 एवं बी0 टी0 ट्राइकोडर्मा का अधिक से अधिक प्रयोग करके कीडों एवं बीमारियों के ऊपर नियत्रंण के साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

प्रदूषण का फसल पर प्रभाव-

वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण के साथ–साथ गांवो में भूमि प्रदूषण की समस्यायें गम्भीर रूप धारण करती जा रही हैं प्रदूषण का असर कृषि उपज पर भी पड़ रहा है। बडोखर बुजुर्ग ग्राम सड़क के किनारे वसा हुआ है। इस सड़क पर वाहनों का अत्यधिक संचार है, सभी प्रकार के मोटर वाहनों (दो व चार पहिया) जो पेट्रोल, डीजल द्वारा चालित वाहनों से उत्पन्न होने वाली जहरीली गैसों के उर्त्सजन से, इस सड़क के दोनों ओर कृषि क्षेत्र पर इस प्रदूषण का प्रभाव देख जा रहा है। यहां के किसान उपजाऊपन बढ़ाने वाले अच्छी किस्मों को उर्वरक खाद का प्रयोग कर रहे है फिर भी किसानों के खेत सड़क के समीप स्थिति होने से उनकी कृषि उपज में बीजों का बजन कम हो रहा है। जबकि अन्य गांव इस प्रदूषष से कुछ दूरी पर है जिनका असर कृषि पर कम पड़ रहा है। भारत व पाकिस्तान में किये गये अध्ययनों से भी यही निष्कर्ष जून में दिल्ली में हुए एक सम्मेलन में प्रस्तुत किया कि वाहनों से उत्पन्न होने वाली ओजोन तथा नाइट्रोजन अक्साइड धीरे–धीरे आस–पास के बातावरण में फैल रही है। पाकिस्तान में लाहौर में स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन में सोयाबीन की उपज पर ओजोन के प्रभाव का आंकलन

सारणी क्रमांक 4.5

प्रदूषित मृदा में उगाई जाने वाली फसल में विषैले तत्वों की मात्र

		हाँ								नही								
ग्राम	जाति	शिक्षिति		साक्षर		निरक्षर		योग / प्रति0		शिक्षिति		साक्षर		निरक्षर		योग / प्रति0		
		स.	प्र.	सं	प्र.	सं	प्र.	सं	प्र.	स.	प्र.	सं	प्र.	सं	प्र.	सं	प्र.	
बडोखर	उच्च	28	62.2	8	17.7	9	20.0	45	90	1	20.0	—	—	4	80.0	5	10	50
बुजुर्ग	मध्यम	13	36.1	6	16.6	17	47.2	36	48	6	15.3	5	12.8	28	71.7	39	52	75 } 162
	निम्न	4	28.5	1	7.1	9	64.2	14	37.8	1	4.3	3	13.0	19	82.6	23	62	37
मलहरा	उच्च	4	26.6	5	33.3	6	40.0	15	50	5	33.3	—	—	10	66.6	15	50	30
निवादा	मध्यम	5	23.8	9	42.8	7	33.3	21	52.5	2	10.5	4	21.0	13	68.7	19	47.5	40 } 113
	निम्न	4	19.0	9	42.8	8	38.0	21	48.8	1	4.5	5	22.7	16	72.7	22	51.1	43
जरर	उच्च	1	14.2	4	57.1	2	28.5	7	30.4	2	12.5	4	25.0	10	62.5	16	69.5	23
	मध्यम	1	14.2	1	14.2	5	71.4	7	35	1	7.6	3	23.0	9	69.2	13	65	20 } 65
	निम्न	—	—	1	25.0	3	75.0	4	18.1	—	—	3	16.6	15	83.3	18	81.8	22
छिवाँव	उच्च	4	33.3	4	33.3	4	33.3	12	30	6	21.4	14	50.0	8	28.5	28	70	40
	मध्यम	—	—	2	14.2	12	85.7	14	35	2	7.6	4	15.3	20	76.9	26	65	40 } 120
	निम्न	—	—	—	—	8	100	8	20	2	6.2	6	18.7	24	75	32	80	40
योग		64	31.3	50	24.5	90	44.1	204	44.3	29	11.3	51	19.9	176	68.7	256	55.6	460

किया गया। इसके लिए लाहौर के इर्द–गिर्द तीन स्थानों का चयन किया गया। शहर की सीमा में ही स्थित एक वनस्पतिक उद्यान, शहर से 35 कि0 मी0 दूर एक खेत (जो एक व्यस्त सड़क के नजदीक था) और 35 कि0 मी0 दूर एक अन्य खेत। इन तीनों ही स्थानों पर ओजोन स्तर फसल को नुकसान पहुंचाने वाले स्तर से कहीं ज्यादा था अध्ययन 30 प्रयोगिक पौध चुने गये। इनमें से 15 पौधों को इथायलीन डाई यूरिया नामक रसायन से उपचारित किया गया। यह जानी मानी बात है कि इथयलीन डाई यूरिया पौधों को ओजोन से बचाता है। अन्य पौधों को अरक्षित छोड़ दिया गया। पाया गया कि अरक्षित पौधों की उपज (यानी बीजों का वजन) 32 से 49 प्रतिशत तक कम रहा। निष्कर्ष था कि यह नुकसान मूलतः ओजोन के कारण ही हुआ था। इस संदर्भ में एक बात यह भी प्रकाश में आई है कि इस तरह के असर सिंचित फसलों में ज्यादा होते है। अमर उजाला कानपुर 22 अगस्त 1997,

प्रदूषित मृदा में उगाई जाने वाली फसल में विषैले तत्वों की मात्रा सम्बन्धी चेतना-

प्रस्तुत सारिणी (4.5) चारो ग्राम की उत्तरदात्रियों की प्रदूषित मृदा में उगाई जाने वाली फसल में विषैले तत्वों की मात्रा सम्बन्धी चेतना को दर्शाती है। इस सारिणी में सभी उत्तरदात्रियों को शिक्षा के आधार पर तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहली शिक्षित, द्वितीय साक्षर, तृतीय निरक्षर। जाति के आधार पर भी सभी उत्तरदात्रियों को तीन भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम उच्च जाति के जिसका सम्बन्ध सामान्य वर्ग के उत्तरदात्रियों से है, मध्यम जाति जिसका सम्बन्ध पिछडे जाति के उत्तरदात्रियों से है, और निम्न जाति जिसमें अनुसूचित जाति के उत्तरदात्रियों को रखा गया है।

प्रदूषित मृदा में उगाई जाने वाली फसल में विषैले तत्वों की मात्रा के सम्बन्ध समस्त चारो ग्राम की 460 उत्तरदात्रियों में 204 (44.3) शिक्षित, साक्षर, निरक्षर उत्तरदात्रियां हां कहती है। और 256 (55.6) शिक्षित, साक्षर, निरक्षर उत्तरदात्रियां नहीं कहती हैं।

प्रस्तुत सारिणी को जब हम ग्रामवार देखते हैं तो ज्ञात होता है कि बडोखर ग्राम की 162

उत्तरदात्रियों में उच्च जाति की 45 (90%) उत्तरदात्रियां जिनमें शिक्षित वर्ग की 28 (62.2%), साक्षर वर्ग 8 (17.7%), निरक्षर वर्ग की 9 (20%) उत्तरदात्रियां यह कहती है। कि प्रदूषित मृदा में उगाई जाने वाली फसलों में विषैले तत्वों की मात्रा होती है। जबकि 5 (10%) उत्तरदात्रियां जिनमें शिक्षित वर्ग की 1 (20%) और निरक्षर वर्ग की 4 (80%) उत्तरदत्रियां नही कहती है। मध्यम वर्ग की अर्थात पिछड़े वर्ग 36 (48%) उत्तरदात्रियां जिनमें शिक्षित वर्ग की 13 (36.1%), साक्षर वर्ग 6 (16.6%), निरक्षर वर्ग को 17 (47.2%) उत्तरदत्रियों ऐसी है जिन्हे प्रदूषित मृदा में पाये जाने वाले विषैले तत्वों के बारे में जानकारी है। जबकि 39 (52%) उत्तरदात्रियों जिनमें शिक्षित वर्ग की 6 (15.3%), साक्षर वर्ग को 5 (12.8%), निरक्षर वर्ग की 28 (71.7%) उत्तरदात्रियों को कोई जानकारी नही हैं निम्न जाति की अर्थात अनुसूचित वर्ग की 14 (37.8%) उत्तरदात्रियां जिनमें शिक्षित वर्ग की 4 (28.5%), साक्षर वर्ग की 1 (7.1%) निरक्षर वर्ग की 9 (64.2%) उत्तरदात्रियां, जो यह मानती है। कि प्रदूषित मृदा में उगने वाली फसलों में हानिकारक तत्वों की मात्रा पायी जाती है। जबकि 23 (62%) उत्तरदात्रियां जिनमे शिक्षित वर्ग की 1 (4.3%) साक्षर वर्ग की 3 (13.0%), निरक्षर वर्ग की 19 (82. 6%) उत्तरदात्रियों को यह जानकारी नहीं है कि प्रदूषित मृदा में विषैले तत्वों की मात्रा अधिक होती है।

इसी प्रकार निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियो में 15 (50%) सामान्य उत्तरदात्रियां जिनमें शिक्षित वर्ग की 4(26.6%) साक्षर वर्ग की 5 (33.3%) निरक्षर वर्ग 6 (40%) उत्तरदात्रियां जिन्हें यह जानकारी है कि मिट्टी में हानिकारक पदार्थों एवं रासायनिक खादों के मिल जाने से मिट्टी प्रदूषित हो जाती है और इस मिट्टी में उगाई जाने वाली विभिन्न फसले में भी हानिकारक पदार्थ छोड़ृ जाते हैं जबकि 15(50%) सामान्य उत्तरदात्रियां जिनमें शिक्षित वर्ग की 5 (33.3 %) निरक्षर वर्ग 10 (66.6%) उत्तरदात्रियां को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। मध्यम जाति अर्थात पिछडे वर्ग की 5 (23.8%) शिक्षित उत्तरदात्रियां 9 (42.8%) साक्षर उत्तरदात्रियां 7 (33.3%) निरक्षर उत्तरदात्रियां हां कहती हैं जबकि 19(47.5%) जिनमें 2 (10.5%) शिक्षित 4(21.%) साक्षर 13(68.4%) निरक्षर, उत्तरदात्रियां नहीं कहती हैं अनुसूचित जाति की 21(48.8%) जिनमें शिक्षित वर्ग

की 4 (19%) साक्षर वर्ग की 9(42.8%) निरक्षर वर्ग की 8 (38%) उत्तरदात्रियों को यह जानकारी है कि प्रदूषित मृदा में उगने वाली फसलों में अनेक हानिकारक एवं विषैले तत्वों की मात्रा होती है, जबकि 22 (51.1%) जिनमें शिक्षित वर्ग 1 (4.5%) साक्षर वर्ग 5 (22.7%) निरक्षर वर्ग की 16 (72.7%)उत्तरदात्रियों को कोई जानकारी नहीं है।

जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 7(30.4%) उत्तरदात्रियां जिनमें शिक्षित वर्ग की 1 (14.2%) साक्षर वर्ग की 4 (57.1%) निरक्षर वर्ग की 2 (28.5%) उत्तरदात्रियां ऐसी हैं जिन्हें यह जानकारी है कि प्रदूषित मृदा में उगाई जाने वाली फसलों में विषैले तत्वों की मात्रा होती है साथ ही यह मानव जीवन पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं जबकि 16 (69.5%) उत्तरदात्रियां जिनमें शिक्षित वर्ग की 2 (12.5%) साक्षर वर्ग की 4 (25%) निरक्षर वर्ग की 10(62.5%) उत्तरदात्रियां ऐसी हैं जिनमें मृदा प्रदूषण सम्बन्धी जानकारी का अभाव हैं पिछड़े वर्ग की 7(35%) उत्तरदात्री जिनमें शिक्षित वर्ग की 1 (14.2%) साक्षर वर्ग की 1 (14.2%) निरक्षर वर्ग की 5 (71.4%) उत्तरदात्रियां हां कहती हैं जबकि 13 (65%) उत्तरदात्रियां जिनमें शिक्षित 1 (7.6%) साक्षर 3 (23%)निरक्षर 9 (69.2%) उत्तरदात्रियां नहीं कहती हैं। अनुसूचित जाति के 4 (18.1%) उत्तरदात्रियां जिनमें साक्षर वर्ग की 1 (25%) निरक्षर वर्ग की 3 (75%) उत्तरदात्रियां प्रदूषित मृदा में उगाई जाने वाली फसलों में विषैले तत्वों की मात्रा पायी जाती है के सम्बन्ध में हां कहते हैं जबकि 18 (81.8%) उत्तरदात्रियां जिनमें साक्षर वर्ग 3 (16.6%) निरक्षर वर्ग की 15 (83.3%) उत्तरदात्रियां नहीं कहती हैं।

इसी प्रकार छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 12 (30%) उत्तरदात्रियों में जिनमें शिक्षित वर्ग की 4 (33.3%) साक्षर वर्ग की 4 (33.3%) निरक्षर वर्ग की 4 (33.3%)उत्तरदात्रियां जिन्हें यह जानकारी है कि प्रदूषित मृदा में उगाई जाने वाली कोई भी फसल प्रदूषित हो सकती है जबकि 28 (70%) उत्तरदात्रियां जिनमें शिक्षित वर्ग की 6 (21.4%) साक्षर वर्ग की 14 (50%) निरक्षर वर्ग की 8 (28.5%) उत्तरदात्रियां जिन्हें मृदा प्रदूषण की कोई जानकारी नहीं है। मध्यम जाति की 14 (35%) उत्तरदात्रियां जिनमें साक्षर वर्ग की 2 (14.2%) निरक्षर वर्ग की 12

(85.7%) उत्तरदात्रियां यह कहती हैं कि प्रदूषित मृदा में हानिकारक विषैले तत्व पाये जाते हैं जो फसलों को प्रभावित करते हैं जबकि 26 (65%) उत्तरदात्रियां जिनमें शिक्षित वर्ग की 2 (7.6%) साक्षर वर्ग की 4 (15.3%) निरक्षर वर्ग की 20 (76.9%) उत्तरदात्रियां यह कहती हैं कि गंदी मिट्टी का फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निम्न जाति अर्थात अनुसूचित जाति की 8 (20%) उत्तरदात्रियां जिनमें मात्र निरक्षर वर्ग की 8 (100%) उत्तरदात्रियां ही यह कहती है कि प्रदूषित मृदा में पाये जाने वाले हानिकारक या विषैले तत्वों से फसलें भी प्रभावित होती हैं जबकि 32 (80%) उत्तरदात्रियां जिनमें शिक्षित वर्ग 2 (6.2%) साक्षर 6 (18.7%) निरक्षर वर्ग की 24 (75%) उत्तरदात्रियां यह कहती हैं कि प्रदूषित मृदा का फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इस प्रकार प्रस्तुत खण्ड से हमने ग्रामीण महिलाओं से पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्बन्धी चेतना को जानने का प्रयास किया गया है। सारिणी क्रमांक 4.1 से स्पष्ट होता है कि चारों ग्राम की महिलाओं में जल प्रदूषण सम्बन्धी चेतना निरक्षर महिलाओं की अपेक्षा शिक्षित एवं साक्षर महिलाओं में अधिक है द्वितीय अध्याय में दी गयी उपकल्पना ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा के अभाव के कारण पर्यावरण सम्बन्धी चेतना अल्प है से सिद्ध होता है कि जो महिलाएं निरक्षर हैं अर्थात पढ़ी लिखी नहीं है उनमें पर्यावरणीय चेतना कम है। अर्थात उन्हें पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धी जानकारी का अभाव है और जो महिलायें साक्षर अर्थात अक्षर का ज्ञान रखती हैं उनमें और शिक्षित महिलाओं में पर्यावरणीय चेतना अधिक देखने को मिलती है। सारिणी 4.2 पर उपकल्पना क्रमांक 7(ग्रामीण महिलाओं के नगरीय एवं अन्य सम्पर्क के अभाव के कारण उनकी पर्यावरणीय चेतना प्रभावित होती है का प्रभाव देखा जा सकता है। निरक्षर वर्ग की अधिक आयु की महिलायें जिनका नगरों एवं अन्य संगठनीय सम्पर्कों से अभाव के कारण उनकी पर्यावरणीय चेतना कम प्रभावित होती है जबकि 20.40 आयु वर्ग की शिक्षित महिलायें और 40 से 60 आयु वर्ग की साक्षर महिलायें नगरीय सम्पर्क एवं संचार सुविधाओं के प्रभाव के कारण इनकी पर्यावरणीय चेतना पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

ग्रामीण महिलाओं में ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी चेतना को जानने का प्रयास सारिणी क्रमांक 4.4 से स्पष्ट होता है कि विभिन्न आयुवर्ग में 20 से 40 आयु वर्ग की शिक्षित महिलाओं में पर्यावरणीय

चेतना अर्थात ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी चेतना अधिक है और 60 से ऊपर आयुवर्ग की निरक्षर महिलाओं में ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी चेतना अधिक है। इसका कारण यह है कि कम आयु की ज्यादातर महिलायें पढ़ी लिखी हैं इसलिए उन्हें पर्यावरण अर्थात ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी जानकारी है और यें महिलाएं जो 60 से ऊपर अर्थात अधिक उम्र की है उन्हें शोरगुल वातावरण में रहने से शारीरिक व मानसिक हानि सरदर्द, झुझलाहट, याददाश्त में कमी आदि का अनुभव उनकी प्रदूषण सम्बन्धी चेतना को दर्शाता है।

इस प्रकार प्रस्तुत खण्ड से ग्रामीण महिलाओं से मृदा प्रदूषण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी है। प्रस्तुत सारिणी 4.5 में प्रदूषित मृदा में विषैले तत्वों की मात्राा के सम्बन्ध में जानकारी से स्पष्ट होता है कि उच्च्य जाति की शिक्षित महिलायें मृदा प्रदूषण के सम्बन्ध में अधिक जानकारी रखती हैं इसका कारण है कि ग्रामीण महिलाओं की जाति एवं शिक्षा का प्रभाव उनके पर्यावरण सम्बन्धी चेतना पर पड़ता है। निरक्षर एवं निम्न जाति की महिलाओं में पर्यावरण सम्बन्धी चेतना अल्प है।

पंचम—अध्याय

पंचम अध्याय

ग्रामीण महिलाओं मे सामाजिक एवं आर्थिक चेतना

चतुर्थ अध्याय में ग्रामीण महिलाओं की पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी चेतना की चर्चा की गयी है। प्रस्तुत अध्याय में उनके सामाजिक एवं आर्थिक चेतना पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक जीवन मूल्य, भौगोलिक स्थिति एवं परिवेश तथा सांस्कृतिक व्यवस्था से परिचालित होती है। वही नहीं इन मूल्यों में ठहराव के कारण व्यक्ति की चेतना भी शीघ्र प्रभावित नही होती है। किन्तु वर्तमान समय में होने वाले सामाजिक परिवर्तन एवं उसकी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मनुष्य की चेतना प्रभावित हुई है। जिसमें से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का सर्वाधिक असर दिखलाई पड. रहा है। परिवर्तन की स्थानीय एवं देशिक प्रकियाओं में सामाजिक पुर्नजागरण एवं पुर्नत्थान का भी असर सामाजिक एवं अन्य चेतनाओं पर भी पडता है।

प्रत्येक सामाजिक समूह को अपनी पहचान के लिये कुछ विशेषतायें रखनी पड़ती है। समूह के अस्तित्व के दो पक्ष होते है। प्रथम यथार्थ स्थिति से सम्बन्धित द्वितीय उसका वैचारिक या चेतना परक अस्तित्व। कार्ल मार्क्स ने इसे वर्ग के सन्दर्भ में स्पष्ट करते हुये कहा कि प्रत्येक वर्ग के दो पक्ष होते है। वस्तुगत एवं आत्मगत या चेतनागत। अर्थात एक वर्ग सही अर्थों में तभी वर्ग कहलाता है। जबकि उत्पादन प्रक्रिया में उसके सदस्यों की स्थिति न केवल एक समान हो बल्कि उन सदस्यों में अपनी तुलनात्मक स्थिति के बारे में यह चेतना भी हो कि वे सब एक वर्ग के सदस्य है, उनका हित एक दूसरे से जुड़ा है और वे अन्य वर्गों की तुलना में ऊपर या नीचे स्थिति है।

इस प्रकार मार्क्स की शब्दावली में एक वर्ग तभी वर्ग कहलाने योग्य है जब वह केवल अपने में वर्ग ही न हो वरन अपने लिये वर्ग भी हो। अपने में वर्ग, वर्ग स्थिति का वस्तुगत पक्ष है और अपने लिये वर्ग उसका चेतनात्मक पक्ष।

ग्रामीण महिलायें जिस वतावरण में रह रही है, चाहे वह प्राकृतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो या सांस्कृतिक उसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता ही है। ग्रामीण महिलाओं के पर्यावरण से तात्पर्य उनके किसी वस्तु के पास–पड़ोस एवं उनके आस–पास के क्षेत्रीय वातावरण से है जो उनके जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है। ग्रामीण समुदाय की जलवायु, भूमि, पशु–पक्षी फल–फूल, पेड़–पौधे, वहां की जनसंख्या घनत्व, आवास का स्वरूप कृषि कार्य लघु उद्योग, व्यवसाय की प्रकृति, धर्म, प्रथा, परम्परायें एवं जनरीतियां, ये सभी तत्व ग्रामीण महिलाओं के रहन–सहन के स्तर एवं उनके व्यवहार प्रतिमानो को विशेष रूप से प्रभावित करते है।

वास्तव में ग्रामीण पर्यावरण और महिलाओं के क्रिया–कलापों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। महिलाओं ने प्रकृति के विविध अंगो को अपने जीवन में महत्व दिया है। धार्मिक दृष्टि से पर्यावरण के शुद्ध एवं संतुलित रखने हेतु वृक्षों की पूजा महिलायें सदा से करती रही है। आज ग्रामीण महिलायें वट सावित्री वृक्ष में बरगद पूजा, सोमवती अमावस्या को पीपल पूजा एवं कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के नीचे प्रातः स्नान करती है। पूजन करती है और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करती है और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करती है। और उनकी पूजा करती है। गवेषिका ने देखा है कि गांवों में अधिकांशतः महिलाये तुलसी का वृक्ष अपने घर पर लगाती है। गांवों में आज भी घरों के बाहर नीम के पेड़ लगे हुये है जो कि गर्मी के दिनो इसी वृक्ष की छांव में घरों के लोग अपना समय व्यतीत करतें है।

यदि हम ग्रामीण समुदाय के महिलाओं की प्रस्थिति को जानना चाहते है तो ग्रामीण समाज की महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा उनकी व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमानों की विशेषताओं को समझना अत्यधिक आवश्यक है। वास्तव में नगरीय समुदायों की तुलना ग्रामीण समुदाय की महिलायें धर्म से कहीं अधिक प्रभावित होती है। इसका मुख्य कारण है कृषि व्यवसाय एवं उनका

प्रकृति पर निर्भर होना। आज इन चार ग्रामों में कृषि के आधुनिक उपकरणों के प्रयोग तथा शिक्षा के प्रसार के पश्चात भी ग्रामीण समुदाय अपनी परम्परा से जुड़े हुये है। उनकी आर्थिक क्रियायें आज भी प्राकृतिक दशाओं से प्रभावित है। ग्रामीण समुदाय की महिलायें प्राकृतिक शक्तियों के रहस्य को भी धर्म का अंग समझकर उनकी पूजा, उपासना एवं अराधना करती है।। Emile Durkhim ने The Elementary Forms of Religious life में धर्म को पवित्र वस्तुओं से सम्बन्धित विश्वासों एवं व्यवहारों से संगठित माना है जो उन व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना से बाँधती है।

सच तो यह है कि आज ग्रामीण समाज की महिलाओं में परिवर्तन की अनेक नवीन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप परम्परागत धार्मिक विश्वासों के प्रति ग्रामीण महिलाओं की आस्था कुछ दुर्बल पड़ने लगी है लेकिन तो भी उनका सामान्य जीवन धर्म से ही कटिबद्ध है। अकाल, तूफान, महामारी, सूखा, बाढ़, तथा वनस्पति जीवन से सम्बन्धित जितनी भी प्राकृतिक रहस्यमय घटनायें घटती होती है। इन सभी घटनाओं को ग्रामीण महिलायें दैवीय शक्ति का कारण मानती है। ग्रामीण महिलायें ये नही जानती कि इन सभी प्राकृतिक घटनाओं का कारण दैवीय शक्ति नही है बल्कि इनका कारण प्राकृतिक पर्यावरण में असन्तुलन पैदा होना है। अकाल, तूफान, महामारी बाढ, सूखा जैसी रहस्यमय घटनाओं का मूल कारण भौगोलिक पर्यावरण में असंतुलन का ही परिणाम है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ एक ओर धर्मान्तरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ग्रामीणों के जीवन मूल्य एवं नैतिकता में परिवर्तन आया है वहीं दूसरी ओर आधुनीकीकरण की प्रक्रिया के कारण पारिवारिक स्वरूप एवं जीवन शैली में भी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। यहां हम ग्रामीण महिलाओं से परिवार की लघुता एवं दीर्घता परिवार के सदस्यों की आमदनी एवं परिवार के सदस्यों के बीच पाये जाने वाले सम्बन्धों के विषयों में जानकारी प्राप्त की गयी है।

ग्रामीण समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति-

ग्रामीण महिलाओं को आज भी पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान तय करने एवं कायम रखने के लिये अनेक तरह की अपेक्षाओं, अवांछित हस्तक्षेपों एवं लांछनों का शिकार होना पड़ रहा है। महिलाओ पर अत्याचारों का कभी न थमने वाला सिलसिला जारी है अंधविश्वास, सामाजिक

रूढियों, बंधनों तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण ये महिलायें अनेक सुविधाओं से वंचित हो रही है। परिवार के साधनो में उन्हे सबसे कम हिस्सा मिल पाता है। और उन्हे जो भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिलता है प्रेम या मातृत्व के नाम पर उसका भी उत्सर्ग हो जाता है।

ऐसी बात नही है कि ये महिलायें अपनी स्थिति सुधार के लिये संघर्ष न कर रही हो परन्तु सदियों के लम्बे समय के बाद भी इन ग्रामीण महिलाओं ने समाज में अपनी जो स्थिति बनायी है वह नितान्त अपर्याप्त है। आज साक्षरता के नाम पर ये ग्रामीण महिलायें पुरूष से काफी पीछे है, उनके खिलाफ अत्याचार में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। दहेज हत्याओं की बढ़ती रफ्तार ने भी बेटी के पैदा होने का डर पैदा किया है दहेज ने स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों तथा महिलाओं के प्रति समाज का क्रूर व्यवहार और भी कई कारणों से होता है। महिलाओं की स्थिति के बारे में राष्ट्रीय समिति (1971–74) ने बताया है कि धर्म प्रथायें और विवाह की आयु कुछ ऐसे कारक है जिनके कारण महिलाओं का दर्जा कम हो जाता है।

इस अमानुषिक प्रवृत्ति ने स्त्री–पुरूष जनसंख्या के बीच गहरे और गम्भीर असंतुलन पैदा कर दिये है। 1991 की ताजा गणना के अनुसार प्रति एक हजार पुरूषों की तुलना में औरतों की संख्या 929 तक पहुंच गयी है यह सच है कि नारी की स्थिति में बदलाव आ रहा है पर इसकी गति इतनी कम है कि सामाजिक स्तर पर देश में महिला आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी बीमार परम्पराओं और रूढियों के बन्धनों में जकड़ा हुआ है।

ग्रामीण महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन-

नवाचारों से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन उत्पन्न होने लगे है। औद्योगीकरण, नगरीकरण, शिक्षा, राजनैतिक आन्दोलन तथा सामाजिक अधिनियम आदि ये दशायें तथा दूसरी और गांव पंचायत, साक्षरता, सामूहिक विकास कार्यक्रम तथा दूसरी विकास योजनायें इन सभी दशाओं से आज ग्रामीण समुदाय की महिलाओं की मनोवृत्तियों, मूल्यों तथा मान्यताओं में स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लगा है। जैसे कि–

1. भाग्यवादी, रूढिवादी धारणा के स्थान पर लौकिक मूल्यों, आधुनिक शिक्षा तथा प्रजातांत्रिक

मूल्यों का प्रभाव बढ रहा है तथा ग्रामीण महिलायें ये चाहती है कि हमारी बेटियों अब हमारे जैसी अनपढ न रहे।

2. ग्रामीण नेतृत्व अब सभी वर्गो की महिलाओं का सहभाग बढ गया है। क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के अर्न्तगत ग्राम पंचायतों में पंचायत पदाधिकारियों के निर्वाचन में सरकार द्वारा महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

3. पहले ग्रामीण महिलायें जादू–टोने और प्राकृतिक प्रकोप से सम्बन्धित गाथाओं पर आँख बन्द करके स्वीकार कर लेती थी लेकिन अब अपनी सफलता और असफलता का मूल्यांकन तर्क के आधार पर करने लगी है। इससे उनमें धार्मिक विश्वासों का प्रभाव कम हुआ है।

4. नगरीय मनोवृत्तियों से प्रभावित ये ग्रामीण महिलायें अब संयुक्त परिवार से अपना समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करती है तथा वह संयुक्त परिवार के नियन्त्रण में रहना पसन्द नही करती है। एलिन डी. रास (1961) का अध्ययन भी यही स्पष्ट करता है कि संयुक्त परिवार के परम्परागत स्वरूप में नगरीकरण फलस्वरूप उनके संरचना और सम्बन्धों में परिवर्तन आ रहा है। लघु संयुक्त परिवार सर्वाधिक लोकप्रिय परिवार का स्वरूप है महिलाओं का अधिक सुझाव एकल परिवार में अपने जीवन को जीने की ओर है नयी पीढी के अपेक्षाकृत अपने दूरस्थ सम्बन्धियों से बहुत कम सम्बन्ध रखने की ओर दिखाई देती है बन्धनों की आकांक्षा भी नगरीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप बदल चुकी है परिवार का नियन्त्रण ढीला होता जा रहा है तथा अन्तपारिवारिक वर्गों की अनेकता है।

पति–पत्नी के सम्बंधों में निकटता बढ रही है। प्रदत्त प्रस्थिति से अर्जित प्रस्थिति की ओर परिवर्तन दिखाई दे रहा है। एकल परिवार शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर लड़कियों की शिक्षा में नयी प्रवृत्तियों को विकसित किया है। जबकि श्यामाचरण दुबे (1955) का विचार है कि परिवार का आकार तथा वास्तविक रचना बहुधा उसके विकास सूचक विशिष्ट अवस्था को निर्दिष्ट करता है। साधारण परिवार का विकास विस्तृत परिवार के रूप में और टूटकर पुनः साधारण परिवार के रूप में होता है। योगेन्द्र सिंह (1986) इसलिये सोचते है कि इन परिवर्तनों के बावजूद संयुक्त परिवार

सारिणी क्रमांक 5.1

आय, परिवार की प्रकृति और सदस्यों के सम्बन्ध

	परिवार की प्रकृति	बहुत अच्छा				अच्छा				मध्यम				सामान्य				योग प्रतिशत
ग्राम	आमदनी	100से 1000तक	1000से 3000तक	3000से ऊपर	योग प्रतिशत	100से 1000तक	1000से 3000तक	3000से ऊपर	योग प्रतिशत	100से 1000तक	1000से 3000तक	3000से ऊपर	योग प्रतिशत	100से 1000तक	1000से 3000तक	3000से ऊपर	योग प्रतिशत	
बडोखर बुजुर्ग	संयुक्त	2 7.6	11 42.3	13 50.0	26 31.5	- -	23 85.1	4 14.8	27 32.5	3 17.6	14 82.3	- -	17 20.4	1 7.6	12 92.3	- -	13 15.6	83 51.2 162
	एंकाकी	- -	14 51.8	13 48.1	27 34.1	3 12.0	22 88.0	- -	25 31.6	5 31.2	10 62.5	1 6.2	16 20.3	2 18.1	8 72.1	1 9.0	11 13.9	79 48.7
मलहरा निवादा	संयुक्त	- -	6 66.6	3 33.3	9 16.1	2 8.0	21 84.0	2 8.0	25 44.6	1 8.3	11 91.6	- -	12 21.4	6 60.0	4 40.0	- -	10 17.8	56 49.5 113
	एंकाकी	1 7.6	10 76.9	2 15.3	13 22.8	4 18.1	16 72.7	2 9.0	22 38.5	2 18.1	8 72.1	1 9.0	11 19.3	6 54.5	5 45.5	- -	11 19.3	57 50.4
जरर	संयुक्त	- -	6 75.0	2 25.0	8 26.6	- -	6 85.7	1 14.2	7 23.3	1 12.5	7 87.5	- -	8 26.6	4 57.1	3 42.8	- -	7 23.3	30 46.1 65
	एंकाकी	1 11.1	4 44.4	4 44.4	9 25.7	3 42.8	4 57.1	- -	7 20.0	1 10.0	9 90.0	- -	10 28.5	4 44.4	5 55.5	- -	9 25.7	35 53.8
छिबाँव	संयुक्त	- -	2 25.0	6 75.0	8 13.3	4 12.5	26 81.2	2 6.2	32 53.3	6 75.0	2 25.0	- -	8 13.3	8 66.6	4 33.3	- -	12 20.0	60 50.0 120
	एंकाकी	- -	8 100	- -	8 13.3	- -	22 100	- -	22 36.6	10 71.4	4 28.5	- -	14 23.3	12 75.0	4 25.0	- -	16 26.6	60 50.0
	योग प्रतिशत	4 3.7	61 56.4	43 39.8	108 23.4	16 9.5	140 83.8	11 6.6	167 36.3	29 30.2	65 67.7	2 2.0	96 20.8	43 43.3	45 50.5	1 1.1	89 19.4	460

के परम्परागत लोक दृष्टिकोंण अब भी प्रबल है फिर भी यह मानना पडेगा कि समाज के बदलते परिवेश ने हमारी मौलिक संस्था परिवार के अन्तर्सम्बन्धों में काफी हद तक परिवर्तन ला दिया है।

आय, परिवार की प्रकृति और सदस्यों के सम्बन्ध-

प्रस्तुत सारिणी (5.1) चयनित चार ग्रामों की उत्तरदात्रियों को परिवार की प्रकृति, आय और सदस्यों के सह सम्बन्धों को दर्शाती है। इस सारिणी में हमने चार ग्रामों की उत्तरदात्रियों को परिवार की प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभक्त किया है प्रथम संयुक्त परिवार से सम्बन्धित है द्वितीय एकाकी परिवार से सम्बन्धित है। इस सारिणी में चारो ग्राम की महिलाओं से संयुक्त परिवार एवं एकाकी परिवार के आधार पर सदस्यो की आमदनी जिसे हमने तीन भागों में विभक्त किया है प्रथम वर्ग में 100—1000 तक आय प्राप्त करने वाले परिवार रखे गये है। द्वितीय वर्ग में 1000—3000 तक के आय पाने वाले परिवार रखे गये है। तृतीय वर्ग में 3000 से ऊपर आय प्राप्त करने वाले परिवारों को सम्मलित किया गया है।

इन ग्रामीण महिलाओं की परिवार सम्बन्धी जानकारी के उद्देश्य से संयुक्त परिवार एवं लघु परिवार और आय से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गयें। साथ ही उनके पारिवारिक सदस्यों के बीच पाये जाने वाले सम्बन्धों की जानकारी का भी पता चलता है। उक्त सारणी में सदस्यों के सम्बन्धों को चार भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम वर्ग में वे परिवार सम्मलित है जिनके सम्बन्ध ा बहुत अच्छे है। द्वितीय वर्ग में जिनके सम्बन्ध सिर्फ अच्छे है। तृतीय वर्ग में जिनके सम्बन्ध मध्यम है। या न बहुत अच्छे है न ही बुरे है। बल्कि मध्य या बीच के है। चतुर्थ श्रेणी में वे परिवार सम्मलित है जिनके सदस्यों के बीच सम्बन्ध सिर्फ सामान्य तौर पर है।

प्रस्तुत सारिणी में यदि हम ग्रामवार विवरण प्रस्तुत करें तो पता चलता है कि बड़ोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 83 (51.2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां संयुक्त परिवार से सम्बन्धित है। और 79 (48.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां एकाकी परिवार से सम्बन्धित है। यदि इस प्रकार के परिवारो के सम्बन्धों को आय के आधार पर देखते है तो स्पष्ट होता है कि जिन परिवारों के सम्बन्ध बहुत अच्छे है उनमें 1000 तक की आय प्राप्त करने वाले 7.6 प्रतिशत संयुक्त परिवार के है। 3000 तक की आय

प्राप्त करने वाले परिवारों में संयुक्त परिवार 42.3 प्रतिशत की अपेक्षा एकाकी परिवार 51.8 प्रतिशत परिवारों के सम्बन्ध बहुत अच्छे है। जबकि 3000 से ऊपर आय प्राप्त करने वाले एकाकी परिवार 48. 1 प्रतिशत की अपेक्षा 50.0 संयुक्त परिवार के सम्बन्ध ज्यादा अच्छे है। इसी प्रकार वे परिवार जिनके सम्बन्ध सिर्फ अच्छे है उनमे 1000 तक की आय पाने वाले 12 प्रतिशत एकाकी परिवार है संयुक्त परिवार में एक भी नही है। 3000 तक की आय प्राप्त करने वाले 85.1 प्रतिशत संयुक्त परिवार, 88 प्रतिशत एकाकी परिवार की संख्या के सम्बन्ध अच्छे है। जबकि 3000 से उपर के परिवारो में एकाकीं परिवार न के बराबर है। और संयुक्त परिवार 14.8 प्रतिशत है। अब हम इन परिवारों को स्पष्ट करेंगे जिनके सम्बन्ध न तो बहुत ज्यादा अच्छे न अच्छे है, बल्कि मध्यम श्रेणी के है। मध्यम श्रेणी 1000 तक की आय पाने वाले संयुक्त परिवार 17.6 प्रतिशत की अपेक्षा एकाकी परिवार का प्रतिशत 31.2 अधिक है। 3000 तक की आय पाने वाले परिवारों में एकाकी परिवार का प्रतिशत कम 62.5 है और संयुक्त परिवार का 82.3 प्रतिशत अधिक है। इससे ऊपर की आय वाले परिवारों में संयुक्त परिवार बिलकुल नही है, एकाकी परिवार का प्रतिशत 6.2 है। इसी प्रकार जिन परिवारों में सम्बन्ध सामान्य है उनमें 1000 तक की आय वाले परिवारों में संयुक्त परिवार 7.6 एकाकी परिवार 18.1 प्रतिशत है। 3000 तक की आय पाने वाले परिवारों में एकाकी परिवार 72.1 प्रतिशत की अपेक्षा संयुक्त परिवार में 92.3 अधिक है। जबकि इससे ऊपर की आय वाले संयुक्त परिवार की संख्या नगन्य है और एकाकी परिवार 9 प्रतिशत है। इसके पश्चात जब हमने निवादा ग्राम का सर्वेक्षण किया तो पता चला है कि 113 उत्तरदात्रियों ने 56 (49.5) उत्तरदात्रियों संयुक्त परिवार में सम्बन्धि‍ात है। और 57 (50.46) उत्तरदात्रियां एकाकी परिवार से सम्बन्धित है। जब हमने इन परिवारों को आय के आधार पर सदस्यों के सम्बन्धों को जानने का प्रयास किया तो प्रथम वर्ग के अर्न्तगत जिनके सदस्यों के सम्बन्ध बहुत अच्छे है उनमें 1000 आय पाने वाले संयुक्त परिवार से सम्बन्धित नही है एकाकी परिवार में इनका प्रतिशत 7.6 है। 3000 तक की आय प्राप्त करने वाले 66.6 संयुक्त परिवार से सम्बन्धित है। 76.9 एकाकी परिवार से सम्बन्धित है। 3000 से ऊपर आय प्राप्त करने वाले 33. 3 प्रतिशत संयुक्त परिवार जिनके सम्बन्ध बहुत अच्छे है। 15.3 प्रतिशत एकाकी परिवार जिनके भी

सम्बन्ध बहुत अच्छे है लेकिन संयुक्त परिवार का प्रतिशत अधिक होने कारण यह है कि ऐसे परिवार संयुक्त रूप से अपना कारोबार करते है और अधिक से अधिक धन कमाने के लिये मिलजुल कर सभी कार्यों में हिस्सा लेते है। इसलिये संयुक्त परिवार का प्रतिशत अधिक है। द्वितीय वर्ग के अन्र्तगत वे परिवार जिनके सम्बन्ध सिर्फ अच्छे है उनमें 1000 तक आय पाने वाले 8 प्रतिशत संयुक्त परिवार है 18.1 प्रतिशत एकाकी परिवार है। 3000 तक की आय पाने वाले 84 प्रतिशत संयुक्त परिवार, 72.7 प्रतिशत एकाकी परिवार है। 3000 से ऊपर 8 प्रतिशत संयुक्त परिवार, 9 प्रतिशत एकाकी परिवारों के सम्बन्ध अच्छे है। तृतीय वर्ग में वे परिवार जिनके सम्बन्ध न तो बहुत अच्छे है और न ही बहुत निम्न ही है बल्कि मध्यम है जिनमे 1000 तक की आय वाले 8.3 प्रतिशत परिवार संयुक्त है। 18.1 एकाकी परिवार है। 3000 तक की आय पाने वाले परिवारों में एकाकी परिवार 72.1 की अपेक्षा 91.6 संयुक्त परिवार अधिक है। इससे ऊपर की आय वाले 97 एकाकी परिवार है। चतुर्थ वर्ग के अन्र्तगत वे सामान्य परिवार जिनमें 1000 तक की आय वाले 60 प्रतिशत संयुक्त परिवार 54 प्रतिशत एकाकी परिवार है। 3000 तक की आय वाले 40 प्रतिशत संयुक्त परिवार 45.5 एकाकी परिवार है। 3000 से ऊपर की आय वाले परिवारों की संख्या सामान्य वर्ग में नगन्य है। जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों ने 30 (46.1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां संयुक्त परिवार से सम्बन्धित है। 35 (53.8 प्रतिशत) एकाकी परिवार से सम्बन्धित है। इन दोनो परिवारों के सम्बन्धो को जब हम आय के आधारों पर ज्ञात करते है तो देखते है कि बहुत अच्छे सम्बन्ध के परिवार में 1000 तक की आय पाने वाले संयुक्त परिवार बिल्कुल नही है। एकाकी परिवार 11.1 प्रतिशत है। 3000 तक की आय वाले परिवारों में एकाकी परिवार 44.4 प्रतिशत की अपेक्षा संयुक्त परिवार का प्रतिशत 75 बहुत अच्छा है। 3000 से ऊपर के परिवारों में संयुक्त परिवार 25 प्रतिशत की अपेक्षा 44.4 प्रतिशत एकाकी परिवार अधिक अच्छा है। द्वितीय वर्ग में जिन परिवारों के सम्बन्ध सिर्फ अच्छे है उनमें 1000 तक की आय वाले 42.8 प्रतिशत केवल एकाकी परिवार है। 3000 तक की आय वाले परिवारों में संयुक्त परिवार 85.7 प्रतिशत है और एकाकी परिवार 57.1 प्रतिशत है। 3000 से ऊपर तक के 14.2 प्रतिशत सिर्फ संयुक्त परिवार है। तृतीय वर्ग में मध्यम परिवार के अन्र्तगत 1000 तक की आय

वाले 12.5 प्रतिशत संयुक्त परिवार और 10 प्रतिशत एकाकी परिवार है। 3000 तक की आय वाले 87.5 प्रतिशत संयुक्त परिवार, 90 प्रतिशत एकाकी परिवार इससे ऊपर शहर के इन दोनो परिवारों की संख्या एक भी नही है। चतुर्थ वर्ग में सामान्य परिवार के अन्तर्गत 1000 तक की आमदनी वाले 57.1 प्रतिशत संयुक्त परिवार 44.4 एकाकी परिवार है। 3000 तक की आमदनी वाले 42.8 प्रतिशत संयुक्त परिवार 55.8 एकाकी परिवार है। इससे ऊपर की आमदनी वाले परिवारो में जिनकी संख्या एक भी नही है। छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में 60 (50 प्रतिशत) संयुक्त परिवार और 60 (50 प्रतिशत) एकाकी परिवार यदि इस ग्राम में आमदनी के आधार पर सम्बन्धों की व्यवस्था करें तो स्पष्ट हो जाता है कि ऊपर के अन्य तीन ग्रामों से भिन्न इस ग्राम में वे परिवार जिनके सम्बन्ध बहुत अच्छे है वे 3000 तक और 3000 से तक की आमदनी वाले परिवार है। संयुक्त परिवार में 25 प्रतिशत 3000 तक, 75 प्रतिशत इससे ऊपर और एकाकी परिवार में 100 प्रतिशत। 3000 तक आय पाने वाले परिवारों से सम्बन्धित है वे परिवार जिनके सम्बन्ध केवल अच्छे है इनमें 1000 तक की आय पाने वाले 12.5 प्रतिशत तक के केवल संयुक्त परिवार से सम्बन्धित है। 3000 तक की आमदनी वाले संयुक्त परिवारों का प्रतिशत 81.2 है। एकाकी परिवार 100 प्रतिशत है। जबकि इससे ऊपर की आय पाने वाले 6.2 परिवार केवल संयुक्त परिवार से सम्बन्धित है न कि एकाकी परिवार से सम्बन्धित है। मध्यम वर्ग के परिवारों में 1000 तक की आमदनी वाले संयुक्त परिवार 75 प्रतिशत एकाकी परिवार 11 प्रतिशत है। जबकि 3000 तक की आय पाने वाले 25 प्रतिशत संयुक्त परिवार एकाकी परिवार 28.5 प्रतिशत इससे ऊपर की आमदनी वाले मध्यम वर्ग में एक भी परिवार नही है। चतुर्थ वर्ग या सामान्य वर्ग के परिवारों में 1000 तक की आय वाले संयुक्त परिवार 66.6 प्रतिशत और एकाकी परिवार 75 प्रतिशत। 3000 तक की आय वाले संयुक्त परिवारों की संख्या 33.3 प्रतिशत है और एकाकी परिवारों की संख्या 25 प्रतिशत है इससे ऊपर की आमदनी वाले सामान्य वर्ग में एक भी परिवार नही है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाओं में एकाकी परिवार में रहने की प्रवृत्ति विकसित होती जा रही है जो आधुनिक समाज के प्रत्याशा के अनुरूप है जैसे–जैसे आय

में वृद्धि होती जा रही है वैसे–वैसे प्रायः एकाकी परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है। शहरी क्षेत्रों में यह एकाकी परिवार अधिक है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में एकाकी एवं संयुक्त परिवार में सह सम्बन्ध दिखाई पड़ रहा है।

सामाजिक समस्याओं से ग्रसित ग्रामीण महिलायें-

मानव इतिहास में अथवा वर्तमान काल में यन्त्र–तन्त्र एक या कुछ व्यक्तियों के द्वारा सामाजिक समस्याओं के विषय में सोचना ही सामाजिक विचार है। पुरूषों की अपेक्षा महिलायें हिंसा का निशाना क्यों अधिक बनती है इस बारे में समाज शास्त्रीय और अन्य दृष्टिकोणों से भी यह विषय महत्वपूर्ण हो गया है। निवादा ग्राम में 25 ब्राम्हण परिवार की महिलाओं में आथिक विपन्नता एवं घरेलू हिंसा से सम्बन्धित समस्यायें उत्पन्न हो रही है उनकी इस स्थिति का कारण उनका स्वयं का विसंगत पूर्ण समाज ही है। जो समाज के आदर्शो एवं मूल्यों को स्वीकार न करके व्यक्ति संकुचित मनोभाव वाला अहंवादी और स्वार्थी होता जा रहा है। (इमाइल दुर्खीम 1893) ने ऐसी सामाजिक संरचना में इस विशेष दशा को व्याधिकीय माना है जबकि उस दशा का व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में प्रतिकूल या अस्वाभाविक प्रभाव पडता है। जिसके फलस्वरूप व्यक्ति संकुचित मनोभाव वाला, अहंवादी और स्वार्थी हो जाता है और समाज के आदर्शों एवं मूल्यों को स्वीकार न करके अपने में सिकुड़ जाता है आज निवादा ग्राम के 25 परिवारों के पुरुषों की यही स्वार्थी प्रवृत्ति एवं उनके संकुचित विचार उन्हे शराब, जुंआ, गांजा, चोरी आदि अपराध की ओर प्रेरित करती है जो इन व्यक्तियों के प्रतिकूल आचरण से उनके परिवार की महिलाओं एवं बच्चों में असंतुलन या असमांजस्य की स्थिति उत्पन्न हो रही है। राबर्ट मार्टन (1962) ने समाज में हो रहे ऐसे प्रतिकूल परिणामों को अकार्य कहते है।

व्यवहारिक रूप से इन परिवारों मे दहेज अथवा अन्य प्रश्नों को लेकर नववधुओं को अपना सामाजिक अस्तित्व भूल जाने के लिये बाध्य किया जाता है। इसी सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष की निर्देशिका नॉएलीन हैजर (1998) मे व्यक्त किया है कि किसी भी समाज में स्त्री की पीठ पर जब घूंसे का प्रहार होता है तो उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती है और वह

अनुगूंज कभी खत्म नही होती है। जब लड़कियां अपनी माताओं से उनकी दुर्दशा और आतंक के किस्से सुनती है तो वह भी निरूत्साहित हो जीवन में कोई बड़ी उपलब्धियां हासिल नही कर पाती।

किसी जमाने में महिलाओं का बाहरी दुनियां से कोई सम्पर्क नही रहता था। उसके सामाजिक सम्पर्को का दायरा घर की चारदीवारी के अन्दर तक सीमित था पर अब स्थिति बदल रही है। उनके सामाजिक सम्पर्कों के दायरे विस्तृत हो रहे है। ग्रामीण महिलायें अब ग्राम सभा, आंगनबाड़ी साक्षरता अभियान तथा कृषि कार्य में लगी है। ग्रामीण महिलायें जो कभी चूल्हे–चौके घरेलू कार्यो तक ही सीमित रहती थी लेकिन आज वही महिलायें मशीनों में कटिया कतरना, चारा लाना, पशुपालन आदि कार्य पुरुषों के सामान कर रही है। आज ग्रामीण महिलोयें घर बाहर दोनो कार्यो में लगी है और जब से महिलायें बाहर का कार्य करने लगी है पुरुष अपने कार्य के प्रति आलसी होते जा रहे है। मैने अपने सर्वेक्षण में पाया कि एक पड़ोस की महिलायें खेतो पर गयी हुयी थी पुरुष तम्बाकू बीड़ी के साथ घर की निगरानी में लगे हुये थे तथा कुछ तांश पत्तों में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। बांदा जनपद में बहुत कम गांव ऐसे होंगे जहां बच्चों एवं महिलाओं के लिये नियमित तथा अवधि का पुष्टाहार दिया जाता हो पूरे सर्वेक्षण में कुल 20 प्रतिशत पाया गया जहां महिलाओं के लिये प्रसव के समय दाई की सुविधा सुलभ हो पाती है इसमें भी हरिजन एवं गरीब महिलाओं का प्रतिशत शून्य है।

संयुक्त परिवारों के विघटन से महिलाओं के चूल्हा बर्तन के साथ जानवरों की सानी भूसा व कटिया का काम करना पड़ रहा है। गरीब तथा हरिजन परिवार की महिलायें मैदान खेतो से गीला गोबर बीनकर कण्डें बनाती है। बेशरम की लकड़ी काटकर एकत्र करती है। जिसमें भोजन पकाया जाता है क्योंकि इनके पशु नही है कि गोबर से कण्डे बना ले इससे इनमें ईधन की समस्या बनी रहती है गांव में आज भी आर्थिक रूप से सम्पन्न अभिजात्य वर्ग की महिलायें घरों की चारदीवारी में कैद है। जिससे वे पढे लिखे होते हुए भी वे कोई कार्य स्वतंत्र रूप से करने में समर्थ नही है इन महिलाओं में हीन भावना घर करती जा रही है तथा वे अपने जीवन से निराश व कुंठित हैं। टी. अनन्ताचारी (1998) में कहा है कि महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली घरेलू हिंसा से सम्बन्धित

सारिणी क्रमांक 5.2

ग्रामीण महिलाएं एवं उनके पति के व्यवहार सम्बन्धी जानकारी

ग्राम	जाति	आपको सबके सामने अपमानित करते है		मारते पीटते है		केवल डाटते है		समझाकर उस काम को सही तरीके से करने को कहते है।		या फिर आपकी गल्तियों पर ध्यान नही देते।		योग	
बडोखर बुजुर्ग	सामान्य	1	2.0	3	6.0	9	18.0	25	50.0	12	24.0	50	162
	पिछडा वर्ग	10	13.3	10	13.3	19	25.3	25	33.3	11	14.6	75	
	अनुसूचित ज.	4	10.8	8	21.6	12	32.4	10	27.0	3	8.1	37	
मलहरा	सामान्य	3	10.0	7	23.2	6	20.0	10	33.3	4	13.3	30	113
	पिछडा वर्ग	2	5.0	5	12.5	10	25.0	20	50.0	3	7.5	40	
	अनुसूचित ज.	1	2.3	4	9.3	10	23.2	16	37.5	12	27.9	43	
जरर	सामान्य	-	-	4	20.0	2	10.0	9	45.0	5	25.0	20	65
	पिछडा वर्ग	3	12.0	4	16.0	3	12.0	8	32.0	7	28.0	25	
	अनुसूचित ज.	-	-	1	5.0	7	35.0	6	30.0	6	30.0	20	
छिवांव	सामान्य	2	5.0	2	5.0	10	25.5	14	35.0	12	30.0	40	120
	पिछडा वर्ग	4	10.0	5	12.5	9	22.5	11	27.5	11	27.5	40	
	अनुसूचित ज.	2	5.0	4	10.0	19	47.5	10	25.0	5	12.5	40	
योग		32	6.9	57	12.3	116	25.2	164	35.6	91	19.7		460

समस्याओं मुद्दों की सूची बढती जा रही है इस तथ्य से इंकार नही किया जा सकता कि पुरानी रूढिया निहित स्वार्थ और कुछ मामलों में कट्टरपंथी धार्मिक अवरोधों के परिणामस्वरूप घरेलू हिंसा का प्रायः महिलायें शिकार होती है।

आज भी कृषि कार्य में प्रमुख भागीदारी होने के बावजूद ग्रामीण महिलाओं को श्रमिक वर्ग का दर्जा नही दिया जा रहा है। आज ये महिलाये कई ऐसे कार्य कर रही है जिनका आर्थिक महत्व होते हुये भी समाज द्वारा उन्हें आर्थिक कार्यो की श्रेणी में नही रखा जा रहा है। आज ये ग्रामीण महिलायें कृषि क्षेत्रों में श्रामिक के कृषि रूप में अपना जीवन बसर कर रही है आर्थिक कार्यो में अत्यधिक सहभागी होने के बावजूद आज ये ग्रामीण महिलायें तनावपूर्ण जिन्दगी जीने को मजबूर है क्योंकि गांवों में महिलाये चेतना शून्य और विवेक रहित जीवन के कारण तानाशाही और शोषण का अपनी संस्कृति का अंग मानकर सभी प्रकार के अन्याय सहन करने को तैयार रहती है।

प्रस्तुत सारिणी (5.2) ग्रामीण महिलाओं से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं घरेलू हिंसा तथा ग्रामीण महिलाओं से यदि कोई गल्ती हो जाती है या कोई काम समय से नही हो पाता है तब उनके पति उनके साथ कैसा व्यवहार करते है आदि सम्बन्धी जानकारी को इस सारिणी में दर्शाया गया है। उक्त सारिणी में समस्त उत्तरदात्रियों को जाति के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम सामान्य द्वितीय पिछडा वर्ग, तृतीय अनुसूचित जाति।

उपरोक्त सारिणी में जब हम ग्रामीण महिलाओं से जब यह प्रश्न पूंछते है कि आपके पति आपको सबके सामने अपमानित करते है तो समस्त चार ग्रामों की 460 उत्तरदात्रियों में 32 (6.9 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हाँ कहती है। इस प्रश्न को जब हम ग्राम वार देखते है तो बड़ोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की एक (2 प्रतिशत) पिछडे वर्ग की 10 (13 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 4 (10.8 प्रतिशत)। मलहरा निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 3 (10 प्रतिशत) पिछडे वर्ग की 2 (5 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 1 (23 प्रतिशत)। इस प्रकार जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में मात्र पिछड़ेवर्ग की 3 (12 प्रतिशत), उत्तरदात्रियां। छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में समान्य वर्ग की 2 (5 प्रतिशत), पिछडे वर्ग की 4 (10 प्रतिशत), अनुसूचित

जाति की 2 (5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह स्वीकार करती है कि घर में उनके पति का व्यवहार अच्छा नही है। अर्थात कुछ गल्ती हो जाने पर उनको सबके सामने अपमानित करते है उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है अन्य तीन ग्राम की अपेक्षा जरर ग्राम में पति द्वारा सबके सामने अपमानित करने सम्बन्धी व्यवहार का प्रतिशत सबसे कम है।

जब हम ग्राम महिलाओ से प्रश्न पूंछते है कि क्या आपके पति आपको मारते पीटते है तो समस्त 460 उत्तरदात्रियों मे 57 (12.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हां कहती है। उपरोक्त प्रश्न में जब हम ग्राम वार देखते है तो बडोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 3 (6 प्रतिशत), पिछडे वर्ग की 10 (13.3 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 8 (21.8 प्रतिशत)। मलहरा निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 7 (23.3 प्रतिशत), पिछडेवर्ग की 5 (12.5 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 4 (9.3 प्रतिशत)। जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में सामान्य 4 (20· प्रतिशत), पिछडे वर्ग 4 (16 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 1 (5 प्रतिशत)। छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 2 (5 प्रतिशत), पिछडे वर्ग 5(12.5 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 4(10 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह कहती है कि उनके पति किसी प्रकार की गल्ती हो जाने पर उन्हे पीटते नही है।

इस प्रकार जब समस्त 460 उत्तरदात्रियों से यह प्रश्न पूंछते है कि आपके पति मात्र डांटते है तो 116 (25.2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हाँ कहती है जब हम ग्राम वार देखते है तो बड़ोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग 9 (18 प्रतिशत), पिछडे वर्ग की 19 (25.3 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 12 (32.4 प्रतिशत)। मलहरा निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में सामान्यवर्ग की 6 (20 प्रतिशत), पिछडे वर्ग की 10 (25 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 10 (23.2 प्रतिशत)। जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 2 (10 प्रतिशत), पिछडे वर्ग की 3 (12 प्रतिशत),अनुसूचित जाति की 7 (35 प्रतिशत)। इस प्रकार छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 10 (25 प्रतिशत), पिछडे वर्ग की 9 (22.5 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 19 (47. 5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के साथ उनके पति का व्यवहार इस प्रकार है कि किसी प्रकार की गल्ती हो जाने पर मारते पीटते नही केवल डांटते है।

इस प्रकार जब हम समस्त उत्तरदात्रियों से यह प्रश्न पूंछते है ? क्या आपके पति कोई गल्ती हो जाने पर समझाते है उस काम को सही तरीके से करने को कहते है तो 460 उत्तरदात्रियों में 164 (35.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हाँ कहती है इसे जब हम ग्राम वार देखते है तो पता चलता है कि बडोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 25 (50 प्रतिशत), पिछडे वर्ग की 25(33.3 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 10 (27.1 प्रतिशत)। मलहरा निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 10 (33.3 प्रतिशत), पिछडे वर्ग की 20 (50 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 16(37.2 प्रतिशत)। जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 9 (45 प्रतिशत), पिछडे वर्ग की 8 (32 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 6 (30 प्रतिशत)। इसी प्रकार छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 14 (35 प्रतिशत),पिछडे वर्ग की 11 (27.5 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 10 (25प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह मानती है कि उनके साथ उनके पति का व्यवहार ज्यादा बुरा नही है।

जब हम समस्त उत्तरदात्रियों से यह प्रश्न पूंछते है? क्या आपके पति आपकी गल्तियों पर ध्यान नही देते तो चार ग्रामो की 460 उत्तरदात्रियों मे 91 (19.7 प्रतिशत) हाँ कहती है जब हम इसे ग्राम वार प्रस्तुत करते है तो ज्ञात होता है बडोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 12 (24 प्रतिशत), पिछडे वर्ग की 11 (14.6 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 3 (8.3प्रतिशत)। मलहरा निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 4 (13.3 प्रतिशत), पिछडे वर्ग की 3 (7.5 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 12 (27.9 प्रतिशत)। जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 5 (25 प्रतिशत), पिछडे वर्ग की 7 (28 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 6 (30 प्रतिशत)। इस प्रकार छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 12 (30प्रतिशत), पिछडे वर्ग की 11 (27.5 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 5 (12.5 प्रतिशत)। उत्तरदात्रियां यह स्वीकार करती है कि उनके पति उनकी गल्तियों पर ध्यान नही देते।

उपरोक्त सारिणी 5.2 का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि आज की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और घरेलू हिंसा से ग्रसित महिलाओं की संख्या कम नही है आधुनिकता के प्रभाव

के फलस्वरूप जैसे–जैसे संयुक्त परिवारों की संख्या घट रही है और एकांकी परिवार जन्म ले रहे है वैसे–वैसे घरेलू हिंसा से ग्रसित महिलाओं की संख्या में कमी अवश्य आयी है परन्तु पूरी तरह से हो रहे अत्याचारों का सिलसिला खत्म नही हुआ है, यही कारण है कि ग्रामीण महिलाओं का निवास स्थान, पारिवारिक स्थिति एवं उनका ग्रामीण पर्यावरण ही है जो उनकी ये सभी परिस्थितियां सहने को मजबूर करती है।

ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक चेतना-

आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो व्यवस्था की जाती है उसे अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। जबसे मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है वह निरन्तर अपने रहन–सहन की व्यवस्था को उपलब्ध साधनों के अनुरूप उन्नत करने के लिये प्रयासरत रहा है। इन प्रयासों का संयुक्त रूप जब एक सुनिश्चित क्रमबद्ध किया जाता है तो विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का रूप हमारे सामने आता है। अर्थव्यवस्था के अर्न्तगत विभिन्न समाजों द्वारा अपने संस्कृति के माध्यम से अपनी आवश्कताओं की पूर्ति के लिये किये गये प्रयत्नों के अध्ययन के आधार पर अलग–अलग विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का विवरण दिया है। इस क्षेत्र में पहला प्रमाणिक विवरण ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीय एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने आखेट, पशुपालन और कृषि के अर्न्तगत आर्थिक क्रियाओं को वर्गीकृत किया। 19वीं शताब्दी में जर्मनी के अर्थशास्त्री बूनों हिल्डे ब्रान्ड ने नवीन सन्दर्भ में आर्थिक क्रियाओं की वर्गीकरण करते हुये इन्हे वस्तु विनमय मुद्रा प्रयोग तथा उधार या साख के अर्न्तगत विभाजित किया। अर्नेस्ट ग्रास ने मानव के रहन सहन अर्थात संस्कृति पर आधारित आर्थिक संगठनो को एक उदविकासीय क्रम में क्रमशः संग्रहण की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था, नगरीय अर्थव्यवस्था, महानगरीय अर्थव्यवस्था के क्रम मे प्रस्तुत किया है।

ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। कृषि योग्य भूमि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि न होने से गांवों में बेकारी की समस्या बढ रही है। इन गांवों में किसान पहले से ही निर्धन है फिर प्रत्येक पीढी में उनकी भूमि का वितरण उन्हे आर्थिक रूप से और भी निर्धन बना रहा है। इन गांवों

में कृषि बेकारी, औद्योगिक बेकारी, शैक्षणिक बेकारी, मौसमी बेकारी तथा अर्धबेकारी इत्यादि के स्वरूप किसी न किसी रूप में दिखाई दे रही है। इन गांवों में भूमि हीन कृषि मजदूर वर्ष में आधे समय बेकार रहते है। खेती की प्रकृति मौसमी होने के कारण किसानी को वर्ष में 250 से 280 दिन तक केवल उन्ही क्षेत्रों में कार्य मिल पाता है जहां पर नहरें है जबकि सिचांई की सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में बहुत से कृषकों को केवल 3 या 4 माह तक ही कार्य मिल पाता है। उन्नत बीजों खादों और कृषि उपकरणों के अभाव में प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन कम होने के कारण बहुत से किसानो को बेकारी का सामना करना पड़ रहा है। कुटीर और लघु उद्योगों के पतन से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति और भी बिगड़ी है। गांव से बांदा शहर में आने वाले कुछ लोग उद्योगों में रोजगार पा जाते है और कुछ असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे है। बाकी लोग औद्योगिक बेरोजगार की श्रेणी में है। इन ग्रामीणों में शिक्षित नवयुवक नौकरी की तलाश में घर में बैठे रहते है। गांव में उच्च शिक्षा प्राप्त बेकार युवकों की संख्या बढ रही है। गांव में अशिक्षित मजदूर भले ही काम न पायें पर वे अपने को बेकार नही कहते है। ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से नवयुवक रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रो में जाते है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में आने वाले लोगों की रोजगार उपलब्ध नही हो पा रहा है। बेकारी की समस्या से ग्रस्त ये युवक अपराधी प्रवृत्ति (बेईमानी, जुंआ, चोरी, धूम्रपान, गुण्डा गर्दी) की ओर बढ रहे है।

गांव में बेरोजगारी कम करने के लिये सरकार ने विभिन्न रोजगार योजनाये प्रारम्भ किया है, जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (N. R.E.P.) 1 अप्रैल 1977, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 15 अगस्त 1993, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण 15 अगस्त 1979, जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993, जनशक्ति नियोजन नीति, नियोजन सेवायें, लघु एवं कुटीर उद्योगो का विकास, बेरोजगारी भत्ता, इत्यादि कार्यक्रमों के बावजूद भी गांवों में बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है।

गांवों में प्रछन्न बेरोजगारी एवं मौसमी बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये पशुपालन, मुर्गीपालन, बागवानी, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन आदि सुझाव दिये जायें, व्यवसायिक

सारिणी क्रमांक 5.3

शिक्षा एवं व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी

	कृषि				नौकरी				मजदूरी				स्वतन्त्र व्यवसाय				योग
शि।क्षा ग्राम	शिक्षित	साक्षर	निरक्षर	योग	शिक्षित	साक्षर	निरक्षर	योग	शिक्षित	साक्षर	निरक्षर	योग	शिक्षित	साक्षर	निरक्षर	योग	
बड़ोखर बुजुर्ग	17 25.5	16 20.2	46 58.2	79 48.7	20 74.2	4 14.8	3 11.1	27 16.6	3 13.6	1 4.5	18 81.8	22 13.5	13 38.2	2 5.8	19 55.8	34 20.9	162
मलहरा निवादा	11 18.6	15 25.4	33 55.9	59 52.2	3 50.0	2 33.3	1 16.6	6 5.3	3 12.0	3 12.0	19 76.0	25 22.1	4 17.3	12 52.1	7 30.0	23 20.3	113
जरर	2 5.7	11 31.4	22 62.8	35 53.8	1 50	1 50	- -	2 3.0	- -	- -	6 100%	6 9.2	2 9.0	4 18.7	16 72.7	22 33.8	65
छिबांव	8 12.5	18 28.1	38 59.3	64 53.3	2 20	8 80	- -	10 8.3	2 8.3	2 8.3	20 83.3	24 20.0	2 9.0	2 9.0	18 81.8	22 18.3	120
योग प्रतिशत	38 16.1	60 25.3	139 58.6	237 57.5	26 57.7	15 33.3	4 8.8	45 9.7	8 10.2	6 7.7	64 82.1	78 16.9	21 20.7	20 19.8	60 59.4	101 21.7	460

शिक्षा का विस्तार किया जाये, महिला रोजगार पर अधिक बल दिया जाये। डिस्पेंसरियों और अस्पतालों की संख्या बढाकर और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करके ग्राम स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास द्वारा व्यापक रोजगार सृजित किया जाये जिससे ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके। ग्रामीणों में बेकारी की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि है। यदि गांव में जनसंख्या वृद्धि नही रोकी गयी तो 8 हेक्टेअर का मालिक किसान अगर 4 बेटों का बाप है तो बेटे 2–2 हेक्टेअर के किसान, आप से आप बन जाते है और अगली पीढी बटाईदारी मजदूरी तक पहुंच जाती है इसके बाद की पीढी गांव छोडकर शहर में रिक्शा खींचती है या ठेला चलाती है।

आर्थिक संरचना पर भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से उपरोक्त ग्रामीण तथ्य ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक चेतना को समझने में सहायक सिद्ध हो सकते है। अब अनुभववाश्रित सांख्यकी विश्लेषण से उनकी आर्थिक चेतना एवं विवेचना प्रस्तुत किया जा रहा है।

सारिणी

ग्रामीण महिलाये एवं आर्थिक चेतना सम्बन्धी जानकारी-

वर्तमान युग में शिक्षा को व्यक्ति की प्रारिथति का सूचक माना जाता है जहां एक ओर शिक्षा व्यक्ति की प्रस्थिति को निर्धारित करती है। वहीं दूसरी ओर व्यक्ति का बौद्धिक विकास करके आर्थिक स्थिति को सुदृढ बनाती है। प्रस्तुत अध्ययनगत ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा एवं व्यवसाय के प्रभाव को जानने के लिये चारो ग्रामों में तुलनात्मक अध्ययन हेतु शिक्षा के आधार पर व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गयी इस सम्बन्ध में जो विवरण प्राप्त हुये उनमें जरर और बड़ोखर में काफी अन्तर दिखाई पड़ा है।

प्रस्तुत सारिणी 5.3 चयनित ग्रामों की उत्तरदात्रियों के शिक्षा एवं व्यवसाय के सहसम्बन्धों को दर्शाती है। इस सारिणी में उत्तरदात्रियों को व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम वर्ग में उन उत्तरदात्रियों को रखा गया है जो पूर्णतया कृषि पर निर्भर है। द्वितीय वर्ग में वे उत्तरदात्रियां आती है जो नौकरी एवं कृषि कार्यों में संलग्न परिवारों से सम्बन्धि

ात है।तृतीय वर्ग में जिन उत्तरदात्रियों को रखा गया है उनके पास न तो खेती है न ही नौकरी मात्र मजदूरी द्वारा किये गये कार्यों से ही अपना कार्य चलाती है। चतुर्थ वर्ग में उन उत्तरदात्रियों को सम्मलित किया गया है जिनके परिवार में न केवल अपना स्वतंत्र व्यवसाय है वरन अन्य प्रकार की विशेषताओं से सम्बन्धित है। प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षा को तीन भागों में विभक्त गया है। ज्ञातव्य हो कि अक्षर ज्ञान एवं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं को साक्षर एवं माध्यमिक तथा उससे ऊपर शिक्षित महिलाओं को शिक्षित के अर्न्तगत रखा गया है।

शिक्षा के आधार पर व्यवसाय का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि कृषि कार्यों से संलग्न परिवारों की महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है। 460 उत्तरदात्रियों में 237 (51.5) उत्तरदात्रियां कृषि कार्य से सम्बन्धित है। इसे जब ग्राम वार देखते है तो बड़ोखर ग्राम में 162 उत्तरदात्रियों में से 79 (48.7 प्रतिशत) कृषि से सम्बन्धित है और जब शिक्षा के आधार पर इस श्रेणी के महिलाओ को देखते हैं तो 21.5 प्रतिशत शिक्षित महिलायें, 20.2 प्रतिशत साक्षर महिलायें, 58.2 प्रतिशत सर्वाधिक निरक्षर महिलायें कृषि कार्य से सम्बन्धित है। इस प्रकार मलहरानिवादा ग्राम 113 उत्तरदात्रियों में 59 (52.2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां कृषि कार्य से सम्बन्धित हैं तथा शिक्षा के आधार पर 18.6 प्रतिशत शिक्षित महिलायें, 25.4 प्रतिशत साक्षर महिलायें, 55.9 प्रतिशत निरक्षर महिलायें कृषि कार्य से सम्बन्धित है। जरर ग्राम में 65 उत्तरदात्रियों में 35, (53.8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां कृषि कार्यों में लगी है। शिक्षा के आधार पर 5.7 प्रतिशत शिक्षित महिलायें, 31.4 प्रतिशत साक्षर महिलायें, 52.8 प्रतिशत निरक्षर महिलायें कृषि कार्य सम्बन्धित परिवारों से है। छिबांव ग्राम में 120 उत्तरदात्रियों में 64 (53.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों जिनके यहां कृषि होती है इस वर्ग में शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत 12.5 साक्षर महिलाओ का प्रतिशत 18.1, निरक्षर महिलाओं का प्रतिशत 59.3 है।

कृषक परिवारों से सम्बन्धित यदि चारों ग्रामों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे परिवारों में शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत सबसे कम 16.1 है। साक्षर महिलाओं का प्रतिशत 25.

3 है। निरक्षर महिला का कृषि में योगदान सर्वाधिक 58.6 प्रतिशत है।

इसी प्रकार नौकरी से सम्बन्धित परिवारों की महिलाओं के साक्षात्कार से ज्ञात होता है कि चारो ग्राम में शिक्षित परिवारों के सदस्य सर्वाधिक नौकरी में है। 74.2 प्रतिशत बड़ोखर में 50 प्रतिशत मलहरा निवादा में 50 प्रतिशत जरर में, 20 प्रतिशत छिबांव में शिक्षित परिवार के सदस्य नौकरी से सम्बन्धित है। साक्षर महिलाओं में 14.8 प्रतिशत बडोखर में 39.2 प्रतिशत मलहरा में, 50 प्रतिशत जरर में, 80 प्रतिशत छिबांव में है। निरक्षर परिवारों में बडोंखर ग्राम में 11.1 प्रतिशत निवादा ग्राम 16.6 प्रतिशत निरक्षर परिवारों के सदस्य नौकरी से सम्बन्धित है। जरर छिबांव दो ऐसे ग्राम है जिनमे निरक्षर परिवारो के सदस्य किसी भी नौकरी में नही है।

इस सारिणी में मजदूर वर्ग की महिलाओं के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि बडोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 22 उत्तरदात्रियां इस वर्ग से सम्बन्धित है। शिक्षा के आधार पर 13.6 प्रतिशत शिक्षित महिलायें, 4.5 प्रतिशत साक्षर, 81.8 प्रतिशत निरक्षर महिलायें है निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में 25 (22.1 प्रतिशत) महिलायें मजदूरी का कार्य करती है जिनमें 12 प्रतिशत शिक्षित महिलायें 12 प्रतिशत साक्षर महिलायें 76 प्रतिशत निरक्षर महिलायें सम्मलित है। जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में 6 उत्तरदात्रियां मजदूर वर्ग से सम्बन्धित है इस ग्राम में 100 प्रतिशत निरक्षर महिलाओं के परिवार में मजदूरी का कार्य किया जाता है। जरर ग्राम एक ऐसा ग्राम है जहां न तो शिक्षित महिलायें मजदूरी वाले परिवार से सम्बन्धित है न साक्षर महिलायें। जबकि निरक्षर महिलाओं के पुरुष सदस्य मजदूरी का कार्य करते है। इस ग्राम के जो पढे लिखे लोग है वे मजदूरी करना चाहते है किन्तु अधिक पैसा कमाने के लिये ग्राम में मजदूरी न करके अन्य शहरों एवं नगरो में मजदूरी करने चले जाते है। यद्यपि मजदूरी का कार्य यहां पर्याप्त है क्योंकि यहां बालू कार्य एवं पहाड़ तोड़ने का कार्य ठेकेदारों द्वारा एवं गांव के जमींदारों द्वारा मजदूरी में कराया जाता है लेकिन इनसे कार्य अधिक लेते है मजदूरी कम देते है इसलिये थोड़ा पढे लिखे व्यक्ति को इनकी चलाकी समझकर मजदूरी नही करते बल्कि निरक्षर व्यक्ति ही इस कार्य में लगे हुये है। इसलिये निरक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत सर्वाधिक अर्थात 100 प्रतिशत है। छिबांव ग्राम में जबकि शिक्षित 8.3 प्रतिशत

, साक्षर 8.3 प्रतिशत, निरक्षर 83.3 प्रतिशत सब वर्ग के परिवारों की महिलायें मजदूरी करती है। उर्पयुक्त चारो गांवों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मजदूरी कार्य में शिक्षित साक्षर की अपेक्षा निरक्षर वर्ग की महिलाओं के परिवार का प्रतिशत सबसे अधिक है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा एवं निर्धनता में एक गहरा सम्बन्ध है जहां आर्थिक अभाव है वहां शिक्षा का भी अभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है।

इसी प्रकार जब हम स्वतंत्र व्यवसाय से संबधित कार्य की जानकारी प्राप्त करते है तो ज्ञात होता है कि बडोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 34 उत्तरदात्रियों के सदस्य स्वतंत्र व्यवसाय करते है जिनमे शिक्षित वर्ग में 38.2 प्रतिशत साक्षर वर्ग में 5.8 प्रतिशत, निरक्षर वर्ग में 55. 8 प्रतिशत है। इसी प्रकार मलहरा ग्राम में 113 उत्तरदात्रियों में 23 जिनमें 17.3 शिक्षित वर्ग के, 52.1 साक्षर वर्ग के, 30 प्रतिशत निरक्षर वर्ग के स्वतंत्र कार्य में संलग्न है। जरर 65 उत्तरदात्रियो 22 उत्तरदात्री जिनमें 9.9 प्रतिशत शिक्षित वर्ग की, 18.1 साक्षर वर्ग की 72.7 निरक्षर वर्ग की उत्तरदात्रियों के यहां स्वतंत्र कार्य होता है। छिबांव ग्राम में 120 उत्तरदात्रियों में 22 उत्तरदात्रियां स्वतंत्र कार्य से सम्बन्धित है। शिक्षा के आधार पर शिक्षित वर्ग की 9 प्रतिशत साक्षर वर्ग की 9 प्रतिशत निरक्षर वर्ग की 81.8 प्रतिशत है।

उर्पयुक्त सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि चारो ग्राम में ग्रामीण महिलाओं के परिवारों के व्यवसायों में (कृषि, नौकरी, मजदूरी, स्वतंत्र व्यवसाय) में सबसे अधिक परिवार कृषि कार्य से सम्बन्धित है इसके पश्चात स्वतंत्र व्यवसाय से जिनमें व्यक्ति का स्वयं का व्यवसाय है इसके पश्चात मजदूरी से और सबसे कम प्रतिशत नौकरी में है। उर्पयुक्त रोजगार का अभाव उन्हें कृषि कार्य में लगे रहने को बाध्य करते है। जबकि उनमें से अनेंक में क्षमता और योग्यता भी है किन्तु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़े होने के कारण यह सीमित आय प्राप्त करने के लिये बाध्य है।

ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक चेतना-

जनतंत्रात्मक राजनीतिक संस्कृति अपनाने वाले देशों में राजनीतिक चेतना का विशेष महत्व है। वर्तमान आधुनिक समाज में जहां पर बढती हुई औद्योगीकरण के कारण समाज जटिल

होता जा रहा है। वहीं चेतना का महत्व भी बढता जा रहा है। आज संस्थायें परस्पर एक दूसरे से अन्तः क्रिया करते हुये विकसित एवं जटिल होती जा रही है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जो कई प्रकार की संस्थाओं से सम्बन्धित होता है स्वयं की स्थिति का दूसरों से अपनी तुलना के आधार पर करता है। इस चेतना के फलस्वरूप वह अपने सामान्य लोगों से निकटता का अनुभव करता है। उनके बीच या सामूहिक सन्दर्भ में अपने हितों के लिये सतत प्रयत्नशील रहता है।

इस प्रकार राजनीतिक चेतना एक प्रकार से जटिल प्रक्रिया है। रामप्यारे (1981) ने कहा है कि "व्यक्ति की राजनीतिक चेतना का सम्बन्ध उसके ज्ञानात्मक अभिमुखी कारण से है।" जिसके द्वारा वह राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक संस्कृतिक की सामान्य विशेषताओं और राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत अंगो के विषय में जानकारी रखता है। इस राजनीतिक चेतना के परिणामस्वरूप राजनीतिक सहभागिता विकसित होती है।

इस प्रकार जब किसी समूह या समुदाय में रहने वाले व्यक्ति की चेतना राजनीतिक संस्कृति एवं व्यवस्था के सन्दर्भ में अपना रूप ग्रहण करती है जब इसे राजनीतिक चेतना कहा जाता है। वैसे सामान्य राजनीतिक जानकारी एवं राजनीतिक चेतना में अन्तर किया जा सकता है। यद्यपि इन दोनो में अन्तर है किन्तु दोनो एक से सम्बद्ध भी है इकिनी एन. जी. एस. ने 1974 में कहा है कि 'राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं संस्थाओं की जानकारी को राजनीतिक जानकारी कहते है।' राजनीतिक चेतना एक प्रत्यक्षीकरण है जिसमें व्यक्ति तराजनैतिक जानकारियों के आधार पर तत्सम्बन्धी दृष्टिकोंण या अभिवृत्तियों को विकसित करता है तथा राजनीतिक सन्दर्भ में कोई मत अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है। कभी–कभी जब एक व्यक्ति जब वोट देता है तब उसकी राजनीतिक चेतना का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। वह किसी व्यक्ति अथवा दल की किन जानकारियों के आधार पर वोट देता है एवं किस दृष्टिकोंण से प्रभावित होकर मत देता है। यह सब उसकी चेतना का परिचायक है। मत अभिव्यक्त का सम्बन्ध व्यक्ति के अस्तित्वत्मक एवं गुणात्मक आयामों से जुड़ा है। इन आयामों की समुच्चय को राजनीतिक चेतना कहते है।

प्रजातांत्रिक देशों में महिलाओं की राजनीतिक चेतना बढती जा रही है। जिसका एक

सारिणी क्रमांक 5.4

चुनाव में प्रत्याशी होने की इच्छा

ग्राम	हाँ				नहीं				
आयु-	20-40	40-60	60 से ऊपर	योग/प्रति0	20-40	40-60	60 से ऊपर	योग/प्रति0	
बड़ोखर बुजुर्ग	41 68.3	16 26.6	3 5.0	60 37	43 42.2	44 43.1	15 14.7	102 62.9	162
मलहरा निवादा	29 58.0	17 34.0	4 8.0	50 44.2	30 47.6	22 34.9	11 17.4	63 55.7	113
जरर	13 72.2	5 27.7	- -	18 27.6	25 53.1	16 34.0	6 12.7	47 72.3	65
छिबांव	28 45.1	34 54.8	- -	62 51.6	38 65.5	16 27.5	4 6.8	58 48.3	120
योग प्रतिशत	111 58.4	72 37.8	7 3.6	190 41.3	136 50.3	98 36.2	36 13.3	270 58.6	460

कारण मत प्राप्त करने के लिये विभिन्न राजनीतिक दलों की महिलाओं की जनता के बीच सक्रियता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रियाओं की शिक्षा देती है। ग्रामीण महिलायें राजनीतिक के मामले मे पुरुषों की अपेक्षा कम जागरूक होती है उसकी राजनीतिक समझ कम होती है परन्तु आज प्रायः हर प्रजातांत्रिक देशों में यह प्रक्रिया गतिशील है। जिसका एक पहलू महिलाओं में राजनीतिक चेतना का विकास होना है। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक सहभागिता में भी वृद्धि होती है।

प्रस्तुत सारिणी (5.4) में गवेषिका ने यह जानने का प्रयास किया है कि विभिन्न चयनित ग्रामों में निवास करने वाली महिलाओ में कितनी महिलायें चुनाव में प्रत्याशी होने की इच्छा रखती है। सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिये समस्त उत्तरदात्रियों को आयु के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम आयु वर्ग में 20 से 40 वर्ष आयु की, द्वितीय वर्ग में 40 से 60 आयु वर्ग की, तृतीय वर्ग में 60 से ऊपर आयु वर्ग की उत्तरदात्रियों को सम्मलित किया गया।

प्रस्तुत सारिणी के अवलोंकन से स्पष्ट है कि 460 उत्तरदात्रियो में 190 उत्तरदात्रियां चुनाव में प्रत्याशी होने की इच्छा व्यक्त करती है जबकि 270 उत्तरदात्रियां प्रत्याशी होने की इच्छा नही रखती। उक्त सारिणी को जब हम ग्राम वार देखते है तो ज्ञात होता है कि बडोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 60 (37 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां जिनमें 20–40 आयु वर्ग की 41 (68.3 प्रतिशत), 40–60 आयु वर्ग की 16 (26.6 प्रतिशत), 60 से ऊपर आयु वर्ग की 3 (5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां चुनाव में प्रत्याशी बनना चाहती है जबकि 102 (62.9 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां जिनमें 20–40 आयु वर्ग की 43 (42.2 प्रतिशत), 40–60 आयु वर्ग की 44 (43.1 प्रतिशत), 60 से ऊपर आयु वर्ग की 15 (14.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां चुनाव में प्रत्याशी बनने की कोई इच्छा नही रखती है।

मलहरा निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में 50 (44.2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां जिनमें 20–40 आयु वर्ग की 29 (58 प्रतिशत) 40–60 आयु वर्ग की 17 (34 प्रतिशत), 60 से ऊपर आयु वर्ग की 4 (8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां राजनीति में सक्रिय रूप से चुनाव में प्रत्याशी बनने की ईच्छा

को व्यक्त करती है जबकि 63 (55.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां जिनमें 20–40 आयु वर्ग की 30 (47.6 प्रतिशत) 40–60 आयु वर्ग की 22 (34.9 प्रतिशत) 60 से ऊपर आयु वर्ग की 11 (17.4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां राजनीति में सक्रिय अभाव के कारण चुनाव में प्रत्याशी होने की इच्छा को व्यक्त नही करती है।

जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में 18 (27.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां जिसमें 20–40 आयु वर्ग 13 (72.2 प्रतिशत), 40–60 आयु वर्ग की 5 (27.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह स्वीकार करती है कि चुनाव में प्रत्याशी बनकर राजनीति में सक्रिय योगदान कर सकती है जबकि 47 (72.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां जिनमें 20–40 आयु वर्ग की 25(53.1 प्रतिशत), 40–60 आयु वर्ग की 16 (34 प्रतिशत) 60 से ऊपर आयु वर्ग की 6 (12.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां घर की चारदीवारी में कैद होने के कारण या संकुचित दृष्टिकोण रखने के कारण चुनाव में प्रत्याशी बनने की इच्छा के प्रति कोई जागरुकता नही दिखाती।

इसी प्रकार छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में 62 (51.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह कहती है कि महिलाओं को चुनाव में प्रत्याशी बनना चाहिये जिनमें 20–40 आयु वर्ग की 28 (45.1 प्रतिशत), 40–60 आयु वर्ग की 34 (54.8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां चुनाव में प्रत्याशी होने की इच्छा रखती है। 60 से ऊपर आयु वर्ग की कोई उत्तरदात्री हाँ नही कहती जबकि 58 (48.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां जिनमें 20–40 आयु वर्ग की 38 (65.5 प्रतिशत), 40–60 आयु वर्ग की 16 (27.5 प्रतिशत) 60 से ऊपर आयु वर्ग की 4 (6.8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में चुनाव में प्रत्याशी होने की इच्छा नही है।

उपरोक्त सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक चेतना अवश्य जाग्रत हुई है परन्तु पारम्परिक दृष्टिकोंणों से अधिक प्रभावित होने के कारण राजनीति में सक्रिय योगदान दने की इच्छा रखते हुये भी चुनाव में प्रत्याशी होने की इच्छा व्यक्त नही कर पाती है। 73वें संविधान संशोधन में महिला सीट होने से ग्रामीण महिलाओं में ग्राम प्रधान बनने की

ईच्छा जाग्रत हुई है। अप्रैल 2000 से पहले छिबांव ग्राम में सुधा द्विवेदी महिला ग्राम प्रधान रहीं, लेकिन आज इन चार ग्रामों में महिला प्रत्याशी होने का प्रतिशत बहुत कम है।

ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरणीय सांस्कृतिक चेतना-

प्राचीनकाल में ग्रामीण समाज प्राकृतिक शक्तियों पर ही निर्भर रहता था लेकिन आज व्यक्ति के जीवन में प्राकृतिक शक्तियों का महत्व कम हो रहा है जो कि स्वयं की बनायी गयी संस्कृतियों का है। ये ग्रामीण समाज प्राकृतिक शक्तियो को अपने बस में करने का प्रयास कर रहे है, नहरो की धाराओं को मोड़ने, वर्षा न होन`पर बोरिंग द्वारा उपज पैदा करना तथा प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं की अपने अनुकूल बनाने आदि सांस्कृतिक पर्यावरण की ही उपज है जिस ग्रामीण भौगोलिक पर्यावरण में महिलायें रह रही है वहाँ कि संस्कृति ही उन महिलाओं के जीवन उनकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण करने त्याग एवं पवित्रता का भाव उत्पन्न करने धर्म के प्रति विश्वास पैदा करना तथा उनके व्यक्तित्व के निर्माण करने में सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है।

महिलाओं के इन सांस्कृतिक आचार व्यवहार प्रतिमानो से स्पष्ट होता है कि उनका प्रकृति के साथ अटूट सम्बन्ध है। (नई दिल्ली 29 मार्च 1998 को देशकाल नायक एक संस्था द्वारा) 'पर्यावरण और संस्कृति विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में जाने—माने पर्यावरणविद् विश्व जल आयोग के सदस्य अनिल अग्रवाल (1998) में कहा कि ' प्रकृति मनुष्य के बीच के सम्बन्ध से संस्कृति का उदभव और विकास होता है और इसी क्रम में मनुष्य प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के रास्ते तथा तरीके ढूंढता है।

वास्तव में पर्यावरण की सुरक्षा संस्कृति के समुचित और समन्वित इस्तेमाल के बगैर संभव नही है। भारतीय मनीषियों ने सभी प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप माना। उर्जा के अपरिमित स्त्रोत को देवता माना— 'सूर्य देवो भव' । ऋग्वेद 137/3 में वायु को भेषज गुणों से युक्त माना गया है।

भारतीय संस्कृति में जल को देवता माना गया है। हमारी प्राचीन संस्कृति में सरिताओं, तालाबों, पोखरों में मल–मूत्र विर्सजन की तो कल्पना भी नही की जा सकती थी।

''नाप्सु मूत्रं वा वाष्टोवनं समुत्सृजेत।

अमेध्यलिप्तमन्याद्वा लोहितं वा विषाणि वा।।''

मनुस्मृति '4–56'

अर्थात–

पानी में मल–मूत्र थूक अथवा अन्य दूषित पदार्थ रक्त या विष आदि का विसर्जन नही करना चाहिये। वैदिक ऋषि पवित्र जल की प्राप्ति की कामना करता रहा है।

गांवों में आज भी सभी प्राकृतिक शक्तियों को पूजा जाता है। आज भी इन गांवों में प्रातः उठते ही महिलायें एवं पुरुष प्रातः उठते ही सूर्य, वायु, अग्नि, भूमि और जल को नमस्कार करने की आम प्रथा है। गांवों में अधिकतर महिलायें पवित्र बरगद, तुलसी आदि वृक्षों को धार्मिक दृष्टिकोंण से पूजती है इन वृक्षों का रोपण करती है और इन वृक्षों को काटना निषेध मानती है। अधिकतर महिलाओं का कहना है कि इन वृक्षों के काटने से उनके जीवन में अनिष्टकारी प्रभाव पड़ेगा। ये महिलायें सदैव इन वृक्षों को देवता रूप में पूजती है।

इन सभी विवेचनो से स्पष्ट है कि 'पर्यावरण पृथ्वी पर वह परिवृत्ति है जो मानव को चारो ओर से घेरे हुये है। इससे हम अलग नही हो सकते। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहते है और अपना जीवन यापन करते है। ग्रामीण महिलायें उसी प्राकृतिक पर्यावरणीय घेरे में अपना सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवेश का निर्धारण करती है।

पुरातन काल से ही प्रकृति मानव की सहचरी या कहें से कुछ अधिक ही रही है और अपनी अक्षय संपदा व अपरिमित सौन्दर्य उसे प्रदान करती रही है। प्रकृति की गोद में मनुष्य ने आंखे खोली, वहीं उसकी जीवनदात्री है। भोजन वस्त्र, आवास उसे प्रकृति से ही प्राप्त हुआ। प्रकृति की निकटता ही उसकी दीर्घायु व स्वास्थ्य का कारण रही है। भारतीय सांस्कृतिक परम्परा प्रकृति को

सारिणी क्रमांक 5.5

शगुन–अपशगुन सम्बन्धी जानकारी

ग्राम	हाँ				नहीं				
आयु–	20–40	40–60	60 से ऊपर	योग/प्रति0	20–40	40–60	60 से ऊपर	योग/प्रति0	
बड़ोखर बुजुर्ग	56 49.55	43 38.05	14 12.38	113 69.75	28 57.14	17 34.69	4 8.16	49 30.25	162
मलहरा निवादा	29 45.31	25 39.06	10 15.62	64 56.63	30 16.2	14 28.5	5 10.2	49 43.36	113
जरर	30 63.82	14 29.78	3 6.38	47 72.30	8 44.4	7 38.8	3 16.6	18 27.69	65
छिबांव	54 50.94	48 45.28	4 3.77	106 88.33	12 85.7	2 14.2	– –	14 11.66	120
योग	169 51.2	130 39.3	31 9.3	330 71.7	78 60.0	40 30.7	12 9.2	130 28.2	460

जीवधारियों की भांति जीवन्त अर्थात प्राणवान मानने को रही है।

प्रस्तुत सारिणी (5.5) ग्रामीण महिलाओं की प्रकृति और संस्कृति के बीच पाये जाने वाले सम्बन्ध, सगुन एवं अपशकुन सम्बन्धी सांस्कृतिक चेतना को दर्शाती है। इस सारिणी में चयनित चार ग्राम की उत्तरदात्रियों को आयु के आधार पर तीन भागों में विभाजित कर सगुन–अपशकुन सम्बन्धी सांस्कृतिक चेतना को जानने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत सारिणी का जब हम ग्राम वार विवरण देखे तो ज्ञात होता है कि बडोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 113 (69.7 प्रतिशत) जिनमे 20–40 आयु वर्ग की 56 (49.5 प्रतिशत), 40–60 आयु वर्ग की 43 (38 प्रतिशत), 60 से ऊपर आयु वर्ग की 14 (12.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह मानती है कि प्राकृतिक शक्तियां जब अपना अनिष्टकारी प्रभाव दिखाती है वे उसे अपशकुन मानने लगती है जबकि 49 (30.2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां जिनमें 20–40 आयु वर्ग की 28 (57.1 प्रतिशत), 40–60 आयु वर्ग की 17 (34.6 प्रतिशत), 60 से ऊपर आयु वर्ग की 4 (8.1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां प्राकृतिक रहस्यमय घटनाओं को शकुन–अपशकुन नही मानती है।

मलहरा निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में 64 (56.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां शकुन अपशकुन मानती है जिनमें 20–40 आयु वर्ग की 29 (45.3 प्रतिशत), 40–60 आयु वर्ग की 25 (39 प्रतिशत), 60 से ऊपर आयु वर्ग की 10 (15.6 प्रतिशत) उत्तरदात्री है। ये सभी उत्तरदात्रियां सगुन–अपशकुन इसलिये मानती है क्योंकि ईश्वर की पूजा अर्चना, अराधना, धार्मिक संस्कारों एवं विधि–विधानों में ज्यादा विश्वास करती है। जबकि 49 (43.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां जिनमे 20–40 आयु वर्ग की 30 (16.2 प्रतिशत), 40–60 आयु वर्ग की 14 (28.5 प्रतिशत), 60 से ऊपर आयु वर्ग की 5 (10.2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां शकुन–अपशकुन इसलिये नही मानती कि उनमें सांस्कृतिक चेतना है।

जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में 47 (72.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों का मानना है कि भूत–प्रेत, पूर्वज, जादू–टोना आदि के प्रभाव को शगुन–अपशगुन सम्बन्धी झाड़–फूँक, पूर्वज पूजा आदि के द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जिनमें 20–40 आयु वर्ग की 30 (63.8

प्रतिशत), 40–60 आयु वर्ग की 14 (29.7 प्रतिशत), 60 से ऊपर आयु वर्ग की 3 (60.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां है जबकि 18 (27.6 प्रतिशत), उत्तरदात्रियां जिनमें 20–40 आयु वर्ग की 8 (44.4 प्रतिशत), 40–60 आयु वर्ग की 7 (27.6 प्रतिशत), 60 से ऊपर आयु वर्ग की 3 (16.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां शगुन–अपशकुन नही मानती है। इसका कारण यह कि ये महिलायें धार्मिक--कर्मकाण्डों, जादू–टोने एवं झाड़–फूँक आदि में विश्वास नही करती।

इसी प्रकार छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में 106 (88.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां जिनमें 20–40 आयु वर्ग की 54 (50.9 प्रतिशत),40–60 आयु वर्ग की 48 (45.2 प्रतिशत) 60 से ऊपर आयु वर्ग की 4 (3.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां शगुन–अपशकुन मानती है जबकि 14 (11.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां जिनमें 20–40 आयु वर्ग की 12 (85.7 प्रतिशत), 40–60 आयु वर्ग की 2(14.2 प्रतिशत), 60 से ऊपर आयु वर्ग की कोई उत्तरदात्रियां शकुन–अपशकुन नही मानती है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक घटनाओं अकाल, तूफान, महामारी, बाढ़, सूखा जैसी रहस्यमय घटनाओं का मूल कारण दैवीय शक्ति या सांस्कृतिक परम्पराओं को मानते है। जिनमें 460 उत्तरदात्रियों में 330 (71.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां ऐसी ही विचारो वाली है। ये महिलायें यह नही जानती कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक घटनाओं के घटने का मूल कारण दैवीय न होकर भौगोलिक पर्यावरण में असंतुलन का ही परिणाम है। जबकि 130 (28.2 प्रतिशत) मात्र उत्तरदात्रियां ऐसी है जिनमें सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जो वर्तमान दृष्टि से बहुत कम है।

इस प्रकार सामाजिक चेतना खण्ड में कुछ महत्वपूर्ण कारकों के प्रति ग्रामीण महिलाओं की चेतना को जानने का प्रयास किया गया। सामान्य जानकारी या भौतिक स्थिति को प्रारम्भिक जानकारी के उपरान्त उन पर आधारित दूसरे परिवृत्यों का यहां परीक्षण किया गया। यथा आयु, स्थान, आय एवं व्यवसाय, शिक्षा ये सभी परिवृत्य व्यक्ति के सोच को प्रभावित करने वाले है। इन्ही आधार पर परिवार की प्रकृति और सदस्यों के सम्बन्ध महिलाओं की प्रस्थिति एवं उनके खिलाफ हो रहे शोषण पर उनकी प्रतिक्रिया शकुन–अपशकुन जैसे सांस्कृतिक आचार व्यवहार, चुनाव में प्रत्याशी

होने की इच्छा जैसे विषयों पर ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक चेतना जानने का प्रयास किया गया। ग्रामीण महिलाओं की अशिक्षा दयनीय स्थिति एवं आधुनिक संचार एवं सम्पर्क से परे होने का प्रभाव उनकी चेतना पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। संक्षेपतः देखा जाय तो उनकी सामाजिक चेतना में बढोत्तरी हुई है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से छनकर पहुंचने वाली प्रकाश की किरणों अल्प रूप में उन तक पहुंचा है जिससे उनकी चेतना प्रभावित हुई है। ग्रामीण महिलाओं में पूर्व की अपेक्षा राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई जबकि चेतना पर प्रभाव डालने वाले अन्य महत्वपूर्ण चर जैसे शिक्षा, संचार सम्पर्क का प्रभाव इत्यादि में अब इतनी वृद्धि नही हुई है किन्तु दूसरी ओर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ी है जिसके परिणामस्वरूप इनमें राजनीतिक चेतना बढी है साथ ही एक दशक में इस क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्थाओं का प्रवेश बढा है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई है।

आर्थिक संरचना पर भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से उपरोक्त ग्रामीण तथ्य ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक चेतना को समझने में सहायक सिद्ध होती है। प्रस्तुत सारिणी 5.3 में ग्रामीण महिलाओं के परिवारो का आर्थिक सर्वेक्षण के दरम्यान 237(57.5 प्रतिशत) परिवारों ने अपना पेशा मुख्य रूप से कृषि बताया, 45 (9.7 प्रतिशत) परिवारों ने नौकरी, 78 (16.9 प्रतिशत) परिवारों ने मजदूरी 101 (21.7 प्रतिशत) परिवारों ने स्वतंत्र व्यवसाय बताया। स्वतंत्र व्यवसाय के अर्न्तगत बांस की डलिया, सूपा तथा अरहर की डलिया बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, फल व सब्जियां पैदा करना, पशु पालन, दूध बेचना आदि है।

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते है कि कृषि कार्य से सम्बन्धित परिवार अधिक है तथा नौकरी करने वाले परिवार सबसे कम है जिन परिवारो के सदस्य कृषि तथा नौकरी नहीं करते है। उन परिवारों की महिलायें अपने परिवार के सदस्य के मजदूरी करने तथा अपना स्वयं व्यवसाय करने को प्रेरित करती है तथा कुछ परिवारों की महिलायें मजदूरी करती है तथा कुछ महिलाये डलिया बनाना दरी बनाना, सिलाई करना, पशु पालन, दूध बेचना आदि व्यवसाय में लगी है। अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक चेतना दिखाई दे रही है।

षष्टम—अध्याय

षष्टम अध्याय

ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा, संचार का प्रभाव एवं पर्यावरण

शिक्षा तथा संचार ग्रामीण सामाजिक संरचना से सम्बद्ध वे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो न केवल व्यक्ति में रचनात्मक प्रवृत्ति का सृजन करती है बल्कि विभिन्न समूहों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन देती है। शिक्षा का कार्य व्यक्ति के अनुभव तथा विवेक में वृद्धि करके उसमें समायोजन की क्षमता का विकास करना है जबकि संचार व्यक्ति में स्फूर्ति, उत्साह और मनोरंजन करके उसे अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। इन दोनों संस्थाओं के यह कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि कोई भी अन्य संस्था इन्हें स्थानापन्न नहीं कर सकती। यही कारण है कि सभ्यता के आरम्भिक युग से लेकर आज तक सभी समुदायों में शिक्षा तथा संचार की एक समयानुकूल प्रणाली की सहायता से वैयक्तिक विकास का प्रयत्न किया जाता रहा है। भारत के ग्रामीण जीवन में शिक्षा और संचार इतनी महत्वूपर्ण संस्थायें रही है कि एक लम्बे समय तक इन्होंने अपने विशेष स्वरूप को बनाए रखकर ग्रामीण संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया। परिवर्तन के वर्तमानयुग में जहां अनेक दूसरी ग्रामीण संस्थाओं का परिवेश बदल रहा है, वहां ग्रामीण शिक्षा तथा संचार आज भी अपनी विशिष्टता को बनाए हुए है। इस सन्दर्भ मे यह आवश्यक हो जाता है कि ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझने के लिये ग्रामीण शिक्षा व संचार जैसी महतवपूर्ण संस्थाओं की परम्परागत प्रकृति तथा उत्पन्न वर्तमान प्रवृत्तियों का समाज शास्त्रीय विश्लेषण किया जाय।

पर्यावरणीय शिक्षा का विकासात्मक इतिहास-

मानव तथा मानवेत्तर समस्त प्राणी अनादिकाल से प्रकृति से सहचर रहे है। वैदिककाल में ऋषियों ने अरण्यों के प्राकृतिक पर्यावरण के सानिध्य में उत्कृष्ट दार्शनिक चिन्तन का विकास

किया। वैदिक ऋषियों ने सृष्टि, जीवन और जगत से जुड़े मूलभूत प्रश्नों की उच्चस्तरीय व्याखाएं प्रस्तुत की हैं। वैदिक संस्कृति वस्तुतः अरण्य संस्कृति थी। उस काल में शिक्षा एवं शोध के केन्द्र ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। ये आश्रम नगरों से दूर किसी नदी, झरना अथवा झील के पास स्थित होते थे। आश्रम के चारों ओर पुष्पित व फलभारान्वित वृक्ष तथा वृक्ष को आलिंगनबद्ध किये सुन्दर लताएं होती थी। आश्रम के परिसर में फुदकते हुये शशक–शावक, चहचहाते हुए विहग तथा दौड़ते हुये हिरणादि वन्य पशुओं के झुण्ड आश्रम की छटा में चार चांद लगाते थे। अरण्यों के प्राकृतिक पर्यावरण की गोद में ही उत्कृष्ट वैदिक दर्शन, संस्कृति तथा विज्ञान का विकास एवं पोषण हुआ था।

प्रत्येक मांगलिक कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व कार्यों में शान्ति पाठ करने की परम्परा थी, जो आज भी हिन्दुओं में प्रचलित है। ऊँ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष (गुंनगवा) शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्व शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ऋषि प्रार्थना करता है कि हे परमात्मन हमारे लिये आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियों, वनस्पतियां, विश्वेदेव व ब्रह्मा सभी शान्ति प्रदान करने वाले हों। चारों ओर शान्ति का साम्राज्य हो।

वैदिकयुगीन लोगों का यह ज्ञान था कि सूर्य उर्जा का अच्युत स्त्रोत है। सूर्य के प्रकाश एंव ऊष्मा से पृथ्वी पर प्राणियों एवं वनस्पतियों में जीवन का संचार होता है। सूर्य की रश्मियों की तीक्ष्णता से वायुमण्डल में विद्यमान असंख्य दृश्य एंव अदृश्य कीटाणु व विषाणु नष्ट हो जाते है। इस प्रकार सूर्य वायुमण्डल को हानिकारक जन्तुओं से मुक्त कर प्रदूषण रहित बनाता है।

उदयप्तदसौ सूर्यः युक्त पुरु विश्वानि जूर्वन्।

आदित्यः पर्वतोभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा।। (ऋग्वेद 1–191–9)

वेदों में अग्नि की प्रार्थना ऊर्जा स्त्रोत के रूप में की गयी है। ऋग्वेद की निम्नलिखित श्रृचा प्रकृति में संव्याप्त ऊर्जा चक्र के रूप में की गयी हैं।

त्वे अग्ने विश्वे अमृतासो अद्रह, आसादेवा हविदन्याहुतम।

त्वया मतसिः स्वदन्त आसुतिं, त्वं गर्भो वीरुथां जज्ञिषे शुचिः। (ऋग्वेद2–1–14)

पृथ्वी अन्न, औषधियों एवं वनस्पतियों को जन्म देती है तथा रत्नगर्भा है। प्राणियों में भोजन श्रृंखला का संचालन अन्न व वनस्पतियों द्वारा ही होता है। इसीलिये अर्थवेद में पृथ्वी को माता समान मानकर पूजा करने का निर्देश दिया गया है।

माता भूमिः पुत्रो अहं प्रथिव्याः। (अर्थवेद 12–1–12)

पौराणिक साहित्य में पर्यावरण के महत्वपूर्ण तत्वों का प्रचुर मात्रा में उल्लेख मिलता है। पर्यावरण के मूलभूत तत्व प्राणियों के जीवन के लिये अति आवश्यक है, जैसे पृथ्वी (मृदा), अग्नि, जल, वायु, पशु–पक्षी, वृक्ष एवं औघधियां, आदि। पुराणों में वर्णित प्रकृति के इन तत्वों के महात्य को पढ़ने एवं मनन करने से उस काल के मनीषियों की पर्यावरण के प्रति सचेष्टता व समझ का ज्ञान होता है। पौराणिक साहित्य में मानव के सामाजिक व्यवहार व कर्मों को नियंन्त्रित तथा परिमार्जित करने के लिए पाप पुण्य स्वर्ग व नरक की अवधारणाएं जीवन से जोडी गयीं। प्राकृतिक तत्वों के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास पैदा करने के लिये उन्हें धार्मिक कर्म काण्डों से जोड़ा गया। जनसामान्य के लिये स्वर्ग और नरक की संकल्पनाएं कर कर्मकाण्डों के माध्यम से प्रेरणा और शिक्षा देना, पौराणिक काल में लोक शिक्षण की प्रभावी पद्धति थी। सम्भवतः इसी दृष्टि से उस युग में तमाम देवी देवताओं के साथ किसी न किसी पशु–पक्षी, फल–फूल दल या वृक्ष को जोड़ा गया, जिससे लोग अपने आराध्य देव के साथ उनसे जुड़े प्रकृति के इन तत्वों को भी श्रद्धा व विश्वास के साथ पूजें तथा उनके साथ हिंसक व्यवहार न करें।

आधुनिक पर्यावरण शिक्षा का इतिहास-

आधुनिक पर्यावरण शिक्षा का इतिहास 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जीन जैक रूसों के प्रकृतिवादी दर्शन के प्रवर्तन के साथ माना जा सकता है। रूसों का नारा था –'प्रकृति की ओर वापस लौटो'। सन् 1899 में पेट्रिक गेडिस ने इडिन वर्ग इंगलैण्ड में 'द आउट लुक टावर' नामक संस्था की स्थापना की संस्था का उद्देश्य पर्यावरण और शिक्षा में गुणवक्ता पैदा करना था। जार्ज

पर्किन मार्स ने अपनी पुस्तक 'मेन एण्ड नेचर' में स्पष्ट किया कि किस प्रकार से मानव ने पर्यावरण को ध्वस्त किया। सन् 1908 में अमेरिका के राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने राज्यपालों का एक सम्मेलन आयोजित किया तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिये कार्य करने का निर्णय लिया। सन् 1965 में सर्वप्रथम अमेरिका के कीले विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम के अनिवार्यअंग के रूप में सम्मिलित कर अध्यापन करने का निर्णय लिया गया। सन् 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) द्वारा 'मानव और पर्यावरण' नामक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के साथ पर्यावरण शिक्षा ने अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण किया। इस सम्मेलन में युनाइटेड नेसन्स एनवायरमेण्ट प्रोग्राम (UNEP) की स्थापना की। यूनेप व यूनेस्को के संयुक्त प्रयास से 1975 के इण्टरनेशनल एनवायरमेण्टल एजूकेशन प्रोग्राम (IEEP) की स्थापना हुई। नवम्बर 1976 में एशियाई देशोंकी बैकांक में एक क्षेत्रीय मीटिंक का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में अधोलिखित चार क्षेत्रों में 15 अनुसंसाएं की गयी 1. पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। 2. व्यक्तिगत प्रशिक्षण। 3. अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था। 4. पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण सामग्री तैयार करना जार्जिया के तिबिल्सी नगर में पर्यावरण शिक्षा पर 1977 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय पार्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिये 41 अनुसंशाएं की गयी। सन् 1980 में बैंकाक में पर्यावरण शिक्षा पर क्षेत्रीय मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 17 सदस्य देशों ने भाग लिया। 5 जून 1990 में आस्ट्रेलिया में 'पृथ्वी सन्धि' का प्रस्ताव कियागया। इसअवसर पर 1990 से 2000 के दशक को 'अर्थ रिपेयर दशक' के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। पर्यावरण की रक्षा हेतु सन् 1992 में रियो डि जेनेरो (ब्राजील) में एक विराट सम्मेलन आयोजित किया गया।

पर्यावरण के संदर्भ में शिक्षा-

आज का भौतिक, सामाजिक एंव मनोवैज्ञानिक पर्यावरण अपने स्वरूप एवं प्रभाव की दृष्टि से बड़ी तेजी से बदल रहा है। पर्यावरण द्वारा उत्पन्न संकटों से निपटने के लिये सन् 1972 में स्टाकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में पर्यावरण शिक्षा पर जोर दिया तथा बाद में अक्टूबर 1977 में यूनेस्को की सहायता से आयोजित बिल्सी (रूस) सम्मेलन द्वारा भी इसकी पुष्टि

हुई। अब प्रायः यह माना जाता है कि प्रभावी अधिगम के लिये बालक को अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता होती है। इसीलिये प्रायः सभी देशों में पर्यावरण शिक्षा को तीन स्तरों पर लागू करने का प्रयास किया गया है। ये हैं – व्यक्तिगत, समूह एंव दूर संचार के माध्यमों का प्रयोग करते हुए सामान्य जन स्तर। व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने पर्यावरण को जानने एवं सामझने का मौका दिया जाता है तथा उसमें प्रदूषण के प्रभावों का विश्लेषण कर सकने की अपेक्षित संवेदनशीलता विकसित की जाती है। समूह स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा के सामूहिक कार्यक्रमों को चलाया जाता है जिससे अधिकाधिक लोगों में अपने परिवेश के प्रति जागरूकता आये। सामान्य जन स्तर पर संचार के साधनों को व्यापक अभियान का रूप दिया जाता है।

भारतीय संदर्भ में पर्यावरण शिक्षा का व्यापक महत्व स्वीकार करने के बावजूद हमारे यहां इस ओर उदासीनता बनती जा रही है। पर्यावरण शिक्षा की उपयोगिता घर की महिलाओं, चरवाहों, घरेलू नौकरों, ग्वालिनों तथा दाइयों के अलावा हर वर्ग के व्यक्ति के लिए समान रूप से आंकी जा सकती है। पर्यावरणीय शिक्षा के अभाव शहरी महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण महिलाओं में कम है। क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण महिलायें अशिक्षित होती है। बांदा जनपद के महुआ ब्लाक के इन चार गांवों में शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। इन ग्रामीण समुदाय की सामाजिक कुरीतियां है जो महिलाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर बना रही है। इन गांवों, में लड़कियों को शिक्षा में सबसे बड़ी रुकावट उन स्थानों की सामाजिक मान्यताएं और उनकी निजी जीवन की परेशानियां आती है। शिक्षा से जुड़ी हुई सुविधाएं बांदा शहर में उपलब्ध है लेकिन इन गांवों में सुविधाएं अभी पर्याप्त रूप में नहीं हैं इन ग्रामों में लड़कियां प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर पाती है।कुछ लड़कियों की छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता है, या फिर ये कामकाज देखती हे। यहां के लड़के शहरों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये जाते हैं। लेकिन लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती है। डा. शंकर दयाल शर्मा (1995) ने उच्च शिक्षाके सदंर्भ में कहा है कि शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा, राष्ट्र निर्माण के लिये न केवल प्रत्यक्ष, अपितु निर्णायक दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा के क्षेत्र में आज महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। शहरों में महिलाएं साक्षर हो रही है, परंतु ग्रामीण

क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति वैसी की वैसी ही है जैसे आठ दस वर्ष पहले थी। ये बात सभी कहते है कि महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा सम्भव नहीं हो पा रहा है, गांवों में महिलाओं का शिक्षित न होने का सबसे बड़ा कारण पुरानी परम्परा एवं महिलाओं, खासकर लड़कियों के साथ भेदभाव पूर्ण प्रवृत्ति का होना। राष्ट्रपाति डॉ0 (1995) ने कहा है कि 'मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि नारी– शिक्षा की उपेक्षा करके कोई समाज और राष्ट्र न तो संपूर्ण रूप से सभ्य कह सकता और न ही पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है।

वास्तव में आज इन ग्रमीणों की यही स्थिति है। इन गांवों में नारी–शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की मनोवृत्ति पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रही है।

ग्रामीण महिलायें एवं शिक्षा–

सामाजिक विकास के अन्य पहलुओं पर लड़कियों की शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लड़कियों की शिक्षा देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ाती है, महिला मजदूर वर्ग में सक्रिय भाग लेती है। नौकरी न करते हुए भी अपने लिए रोजगार तलाश कर लेती है, लड़कियों की शिक्षा और साक्षरता का शिशु और बाल मृत्युदर टीकाकरण और आयु पर पर्याप्त असर पड़ता है। शिक्षित महिलाएं आम तौर पर देर से विवाह करती है, परिवार नियोजन करती है अशिक्षित महिलाओं की तुलना में कम बच्चों को जन्म देती है। शिक्षा के प्रति माताओं का जो रवैया होता है, वह उनकी बेटियों की स्कूली शिक्षा पर असर डालता है इसलिए लड़कियों की शिक्षा का भावी पीढ़ियों पर असर पड़ता है किंग, ई. एम. (1991) ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा देश की आर्थिक समृद्धि पर प्रभाव डालती है। फ्लोरो, एम और जे एम वुल्फ (1990) का कहना है कि लड़कियां प्रथमिक शिक्षा के कारण घरेलू काम–काज, बच्चों की देखभाल और घरेलू खपत के लिये वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा बेहतर ढंग से करती है। किंग ई.एम. और एम. ए. हिल (1991) ने कहा कि जहां लडकियों की प्राथमिक शिक्षा में लिंग भेद होगा, उसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद बहुत कम होगा। बरेरा ए. (1990) ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा से बाल मृत्यु दर में कमी आती है मां की शिक्षा सामुदायिक स्वच्छता और पानी की आपूर्ति के प्रतिकूल

प्रभावों को भी कम करती है। रिसर्च ट्राइंएंगल इंस्टीट्यूट (1990) के पर्यवेक्षणों से सिद्ध हो चुका है कि प्राथमिक शिक्षा के नये क्षेत्र मे जब स्त्रियों के नामांकन की दर में 50 प्रतिशत वृद्धि हो जाती है तो उसके 20 वर्ष बाद बाल मृत्यु दर लगभग 38 प्रतिशत कम हो जाती है। यूनिसेफ, यूनेस्को और नॉरवेजियन एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलेपमेंट (नोराड) की सहायता से नेपाल सरकार ने 1971 में एक कार्यक्रम के विस्तार में यह पाया कि 1971 में नेपाल में 3 प्रतिशत शिक्षिकाएं थी जो 1980 में 10 प्रतिशत हो गई।

लड़कियों के नामांकन का अनुपात दस गुना बढ़ गया और लड़कियों को पढ़ाने–लिखाने के वर्तमान आर्थिक सामाजिक रवैयों में भी अनुकूल परिवर्तन आ गया। लड़कियों के शिक्षा के सम्बन्ध में बेल्यू.आर.एवं ई. किंग (1991) बेनावॉट, ए. (1989) बेरस्टेचर, डी. एंव आर कार –हिल, (1990) क्लेबोस्का, के. (1987) हर्ज, बी.के. सुब्बाराव, एम. हवीब एवं एल.राने (1991) हॉर्न, आर. (1991) इंटर–एजेंसी कमीशन सर्वजन विश्व शिक्षा सम्मेलन (1990) लोवेज,सी. एच. एवं के. फातिमा (1889) मैश, बी.एच. लेंट्जनर एंव एस प्रेस्टन, (1986) रिसर्च ट्राइएंगल इंस्टीट्यूट (1990) रिहानी, एम (1990) थिएसन, गेरी (1990) रिएटजेन (1991) यूनेस्को (1991) यूनीसेफ (1992) आदि के अध्ययन महत्वपूर्ण है। ललित सहगल (1993) ने कहा कि जहां अब भी लड़की लड़के में भेदभाव किया जाता है वहां केवल लड़कियों के लिये स्कूल बनें। क्योंकि भारत में 20 प्रतिशत लड़कियों किशोरावस्था में स्कूल छोड़ देती हैं। वास्तव में जब भी लड़कियों को पढ़ने में समान अवसर मिले है, वे लगन और मेहनत में पीछे नहीं रही हैं। इसके बावजूद उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। गोवेषिका ने सर्वेक्षण के दौरान पाया कि आज इन ग्रामों की लड़कियों को या तो स्कूल ही नहीं भेजा जाता और यदि भेजा जाता है तो पांचवी आठवीं तक की शिक्षा के बाद अनायास वापस इन्हें घर बुला लिया जाता है कि घर के काम कौन करेगा। छोटे बच्चों की देखभाल पानी लाना, खाना पकाना आदि ऐसे घरेलू काम है जो सात आठ वर्ष की उम्र में ही इन्हें सौंप दिये जाते हैं। सुशीला कुमारी (1997) में अपने लेख में कहा है कि देश में लड़को की तुलना में 40 लाख से अधिक लड़कियां स्कूली शिक्षा से वंचित है। ये लड़कियां बचपन से पढ़ने लिखने की बजाय घर में काम–काज या

खेत–कारखानों में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की पढ़ाई छोड़ने का कारण लिंग भेंद एवं गरीबी है।

ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय रही है। वास्तव में बुन्देलखण्ड क्षेत्र आर्थिक विकास में अन्य प्रदेश के तुलना में तो पिछड़ा है ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा है। बांदा जनपद में (1991) की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता प्रतिशत 44.69 है जिनमें पुरुष 59. 88 प्रतिशत तथा महिलाएं 27.25 प्रतिशत हैं। (जिला सांख्यकीय कार्यालय 1993) उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहां ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा की गति बहुत धीमी है। जू. हाईस्कूल के बाद लड़के बांदा पढ़ने के लिये आते है। लेकिन लड़कियों को पढ़ने के लिये कोई शहर में नहीं भेजते है तथा पढ़ाई बन्द करा देते हैं आर्थिक रूप से सम्पन्न या उच्चवर्ग की कुछ लड़कियां बांदा, अतर्रा या आस–पास के इण्टर मीडिएट कालेज में प्राइवेट फार्म भरके हाईस्कूल, इण्टर पास कर पाती है। गांवों में पाठशालाओं के भवन उपकरण दयनीय दशा में है। जहां पाठशालायें है भी उनमें से स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने तक नहीं जाते। इसीलिए आर्थिक रूप से सम्पन्न घरों से लोग अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए बांदा अतर्रा नगरों एवं कस्बों में भेजने के लिए बाध्य होते हैं विद्यालयों का अभाव, विद्यमान विद्यालयों की दशा, अध्यापको की उपेक्षा तथा शासन की अक्षमता एंव महिलाओं में शिक्षा के महत्व की चेतना के अभाव आदि अनेक कारणों से ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा की गति बड़ी धीमी हैं।

सारिणी क्रमांक- 6.1

शिक्षा एंव जाति

शिक्षा	शिक्षित				साक्षर				निरक्षर				योग
जाति-ग्राम	उच्च	मध्यम	निम्न	योग/प्रति.	उच्च	मध्यम	निम्न	योग/प्रति.	उच्च	मध्यम	निम्न	योग/प्रति.	
बड़ोखर बुजुर्ग	30 56.6	18 33.9	5 9.4	53 32.7	9 39.1	10 43.4	4 17.4	23 14.3	11 12.7	47 54.6	28 32.5	86 53.0	162
मलहरा निवादा	9 42.8	7 33.3	5 23.9	21 18.5	5 15.6	13 40.6	14 43.7	32 28.3	16 26.6	20 33.4	24 40.0	60 53.1	113
जरर	3 60.0	2 40.0	-	5 7.6	8 50.0	4 25.0	4 25.0	16 24.6	9 20.4	19 43.2	16 36.4	44 67.6	65
छिबांव	10 71.4	2 14.2	2 14.2	14 11.6	8 26.6	6 20.0	16 53.3	30 25.0	22 28.9	32 42.1	22 28.9	76 63.3	120
योग प्रतिशत	52 55.9	29 31.1	12 12.9	93 20.2	30 29.7	33 32.6	38 37.6	101 21.9	58 21.8	118 44.3	90 33.8	266 57.8	460

प्रस्तुत सारिणी (6.1) चयनित ग्रामों की उत्तरदात्रियों की जाति एवं शिक्षा के सह सम्बन्धों को दर्शाती है। इस सारिणी में हमने चारो ग्रामों की उत्तरदात्रियों को जाति के आधार पर तीन वर्गों में विभक्त किया है। प्रथम वर्ग में वे उतरदात्रियां है जो सर्वथा परिवारों से सम्बन्धित है। जिन्हें हमने उच्च जाति से सम्बोधित किया है। द्वितीय वर्ग में पिछड़ी जातियों के परिवारों से सम्बद्ध महिलाओं को रक्खा गया है। जिसे मध्यम जाति से सम्बोधित किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की महिलाओं को निम्न जाति से सम्बोधित किया गया है।

यह विदित ही है कि उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड क्षेत्र न केवल आर्थिक वरन सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से भी अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। जनगणना से भी यह स्पष्ट हुआ है कि बांदा जनपद में महिलाओं की शिक्षा अल्पतम हैं। जो शिक्षा प्राप्त महिलाएं है भी वे प्रायः नगरीय परिवारों में निवास करती है ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा प्रायः कम है। जो महिला शिक्षित भी है उनमें से अधिकांश प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किये हुये है। कुछ महिलाएं मात्र हस्ताक्षर तक ही कर पाती है। ऐसी स्थिति में हमने आंकड़ों को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करने की दृष्टि से शिक्षा परिकृत्य को तीन भागों में विभक्त किया है। प्रथम वर्ग में शिक्षित महिलाओं से हमारा आशय उन महिलाओं से है जो लिख एंव पढ़ पाती हैं। द्वितीय वर्ग में वे महिलाएं सम्मिलित है जो मात्र हस्ताक्षर कर पाती है। तृतीय वर्ग में पूर्णतया निरक्षर महिलाएं सम्मिलित हैं।

शिक्षा के आधार पर जाति का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि शिक्षितों में उच्च जातियों की महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक हे। 55.9 प्रतिशत उत्तरदात्रियां इस श्रेणी की है। इसे जब ग्रामवार देखते है तो बड़ोखर ग्रम में 162 उत्तरदात्रियों में से 53 शिक्षित हैं और जब जातिगत आधार पर देखते है तो सर्वाधिक शिक्षित महिलाएं अर्थात 56.6 प्रतिशत उच्च जातियों की है। बड़ोखर ग्राम में 33.9 प्रतिशत मध्यम जाति की एवं 9.4 प्रतिशत निम्न जाति की उत्तरदात्री हैं। समस्त चारों ग्रामों में मात्र 93 शिक्षित महिलाओं में 55.9 उच्च जाति 31.1 प्रतिशत मध्यम एवं 12.9 प्रतिशत निम्नजाति की उत्तरदात्री है। इसी प्रकार मलहरा निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में से 21 शिक्षित (18.5) प्रतिशत और इन शिक्षितों में से 42.8 उच्च जाति की 33.3 प्रतिशत मध्यम जाति

की एवं 23.9 निम्न जाति की उत्तरदात्री है। तीसरे चयनित ग्राम मे 65 उत्तरदात्रियों में से शिक्षित 5 जिसका प्रतिशत 7.69 है उसमें से 60 प्रतिशत उच्च जाति की एवं 40 प्रतिशत मध्यम जातिकी उत्तरदात्री शिक्षित है। इस ग्राम में निम्न जाति की एक भी उत्तरदात्री शिक्षित नहीं है। छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में 14 शिक्षित उत्तरदात्री हैं जिनका प्रतिशत 11.6 है। इनमें उच्च जाति की 10 शिक्षित (71.4), मध्यम जातिकी 14.2 प्रतिशत निम्न जाति की 14.2 प्रतिशत है।

प्रस्तुत सारिणी के आधार पर जब हम साक्षर महिलाओं का सर्वेक्षण करते हैं तो पता चलता है कि निम्न जाति की महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है। समस्त चारों ग्राम की साक्षर महिलायें 101 (21.9) है। जिनमें 29.7 प्रतिशत उच्च जाति की, 32.6 मध्यम जाति की 37.6 निम्न जाति की सर्वाधिक महिलायें साक्षर है। इसे जब ग्रामवार देखते है तो बड़ोखर ग्राम में 162 उत्तरदात्रियों में से 23 (14.3) प्रतिशत साक्षर है और जब जाति के आधार पर देखते है तो उच्च जाति की 39.1 प्रतिशत मध्यम जाति 43.4 प्रतिशत निम्न जाति 17.4 प्रतिशत उत्तरदात्रियां साक्षर है। इसी प्रकार मलहरा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में 32 (38.3) साक्षर है जाति के आधार पर 15. 6 उच्च जाति की, 40.6 मध्यम जाति की, 43.7 निम्न जाति की है। चयनित ग्राम जरर में 65 उत्तरदात्रियों में से 16 (24.6) साक्षर है। साक्षरों में 50 प्रतिशत उच्च जाति की 25 प्रतिशत मध्यम जाति की, 25 प्रतिशत निम्न जाति की, छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में से 30 उत्तरदात्री साक्षर है जिनमें उच्च जाति की 8 (26.6) प्रतिशत मध्यम जाति की 6 (20.0) प्रतिशत निम्न जाति की 16 (53.3) प्रतिशत उत्तरदात्रियां है। इन साक्षर महिलाओं में छिबांव ग्राम की निम्न जाति की महिलायें चारो ग्राम में सबसे अधिक साक्षर हैं। जिनका प्रतिशत 53.3 है। इसी तरह अशिक्षित उत्तरदात्रियों को जब ग्रामवार देखते हैं तो बड़ोखर ग्राम कें 162 उत्तरदात्रियों में 86 उत्तरदात्रियां निरक्षर है और 12.7 प्रतिशत उच्च जाति की 54.6 मध्यम जाति की, 32.5 निम्न जाति की है। द्वितीय चयनित ग्राम मलहरा की 113 उत्तरदात्रियों में 60 निरक्षर है, जिनमें 26.6 उच्च जाति की, 33.4 मध्यम जाति की, 40.4 निम्न जाति की है। जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में 44 निरक्षरों में उच्च जाति 20.4 प्रतिशत, मध्यम जाति की 43.2 प्रतिशत निम्न जाति की 36.4 है। छिबांव ग्राम की 120

उत्तरदात्रियों में 76 (63.3) प्रतिशत उत्तरदात्रियां निरक्षर है। जिनमें 28.9 उच्च जाति की 42.1 मध्यम जाति की सर्वाधिक महिलायें निरक्षर हैं 28.9 निम्न जाति की है।

ग्रामीण महिलाओं में संचार का प्रभाव एंव पर्यावरण-

सामाजिक जीवन का तो आधार ही संचार है। संचार के बिना मानवीय जीवन सम्भव नहीं है। संचार के अंतर्गत उन सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। जिसके द्वारा एक मस्तिष्क दूसरे को प्रभावित करता है। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर मस्तिष्क को सूचनाएं देता है और उन सूचनाओं के आधार पर मस्तिष्क शरीर को अपने वातावरण के अनुसार कार्य करने का आदेश देता है इसी प्रकार संचार साधनों की कल्पना सामाजिक पर्यावरणीय पद्धति में की जा सकती है। सूचना या संवाद प्रेषण को संचार कहते है। संचार का तात्पर्य एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अपने विचारों को अन्य व्यक्तियों अथवा समूहों तक पहुंचाना है। इस प्रकार संचार को सम्प्रेषण की एक प्रक्रिया कहा जा सकता है। व्यापक अर्थों में इसके अन्तर्गत समस्त मानव व्यवहार आ जाता हे। संचार में सावयवी पर्यावरण को तथा पर्यावरण सावयवी को प्रभावित करता है।

संचार की प्रभावपूर्ण प्रक्रिया सभी विकास योजनाओं की सफलता का आधार है लेकिन ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता मुख्यरूप से इसी तथ्य पर निर्भर है कि योजना से संबद्ध विभिन्न कार्यक्रमों की उपयोगिता और लक्ष्यों को ग्रामीण जनता किस सीमा तक समझ पाती है। इस उद्देश्य से ग्रामीण विकास के लिये नियोजकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचार के महत्व का अनुभव किया था। इस कार्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का महत्व सर्वाधिक है। क्योंकि इसका विकास ही 'संचार के माध्यम' के रूप में किया गया था। ग्रामीण विकास के लिये भिन्न कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से सभी गग्रमीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिये एक साधन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया, जिसे हम संचार प्रक्रिया का वाहक अथवा माध्यम कहते है। संचार अन्तिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व ग्रामीण समुदाय है जिसके बीच विकास कार्यक्रमों का सम्प्रेषण किया जाता है। इस प्रकार ग्रामीण समुदाय को हम 'संचार का प्रापक अथवा प्राप्त करने वाला' कहते है। ग्रामीण समुदाय में संचार की भूमिका केवल विकास कार्यक्रमों को पहुंचाना

ही नहीं है बल्कि कार्यक्रमों को स्थिरता प्रदान करने तथा उन्हें प्रभावपूर्ण बनाने में भी इसकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कभी–कभी यह देखने को मिलता है कि आरम्भ में ग्रामीण किसी कार्यक्रम से प्रभावित होकर उसे तुरंत अपना लेते हैं लेकिन बाद में कार्यक्रम की कठिनाइयां अथवा अव्यावहारिकता के कारण उसे छोड़ने लगते है। ऐसी स्थिति में संचार ही वह महत्वपूर्ण विधि है जिसके द्वारा बदलती हुई दशाओं में विकास कार्यक्रमों के प्रति ग्रामीणों की रूचि और विश्वास बनाये रखा जाता है।

ग्रामीण समुदाय में वांछित परिवर्तन लाने के लिए विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित ज्ञान का अनेक विधियों द्वारा ग्रामीणों में संचार किया जाता है। ग्रामीण समुदाय में जब कभी भी कोई परिवर्तन होता है तो यह परिवर्तन या तो ग्रामीण समुदाय के अन्दर ही उत्पन्न होता है अथवा यह ग्रामीण समुदाय से बाहर किसी अन्य समूह द्वारा लाया जाता है। पहली स्थिति को हम स्वयं होने वाला परितर्वन कहते है। जबकि दूसरे परिवर्तन को सम्पर्क से उत्पन्न परिवर्तन कहा जाता है। संचार के इस तरीके के दो उपागम अथवा विधियां महत्वपूर्ण है जिन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है –

1. <u>चयनित सम्पर्क</u>– ग्रामीण समुदाय का कोई भी सदस्य यदि नियोजनकों के प्रयास से किसी नवीन विचार अथवा कार्य विधि को जानकार उसे अंगीकृत कर लेता है तो धीरे–धीरे गांव के अन्य व्यक्ति भी उससे सम्पर्क करके नए ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयत्न करने लगते है। इस प्रकार नए ज्ञान को ग्रहण करने वाला व्यक्ति ग्रामीण समुदाय में उसका सम्प्रेषण करने के लिये मुख्य सम्प्रेषक बन जाता है। संचार के इस उपागम में सामुदायिक विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित परिवर्तनकारी अभिकर्ता सर्वप्रथम ग्रामीण समुदाय के कुछ चुने हुए लोगों को विकास कार्यक्रम से अवगत कराते है और इसके पश्चात गांव के अन्य लोग उन चुने हुये व्यक्तियों से नया ज्ञान ग्रहण करने लगते हैं।

2. <u>प्रत्यक्ष सम्पर्क</u>– यदि ग्रामीण समुदाय से बाहर उत्पन्न विकास सम्बन्धी नवीन विचार सरकारी अभिकर्ताओं द्वारा ग्रामीणों तक पहुंचाया जाता है। अथवा सरकारी अभिकर्ताओं द्वारा

परिवर्तन के लिये ग्रामीणों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित किया जाता है तो सम्पर्क की इस प्रक्रिया को 'प्रत्यक्ष सम्पर्क कहा जाता है। वर्तमान समय में नियोजित ढंग से ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन लाने के लिये सम्पर्क परिवर्तन की इन दोनों विधियों का प्रयोग संचार वाहिका के रूप में किया जा रहा हैं

ग्रामीण समुदाय में नवीन ज्ञान, प्रविधियों तथा व्यवहारों का सम्प्रेषण करने के लिये किसी भी व्यक्ति अथवा एजेन्सी के लिये यह अत्यधिक आवश्यक होता है कि संचार के उचित साधन अथवा माध्यम द्वारा ग्रामीणों के व्यवहारों को प्रभावित किया जाय। इस दृष्टिकोण से संचार प्रक्रिया में संचार के साधन अथवा वाहिका एक माध्यम है जिसके द्वारा ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया जाता है। संचार साधनों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. जनसंचार 2. संचार के अन्तर वैक्तिक साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार संचार माध्यमों की उपयोगिता है इसका विवेचन हम निम्न प्रकार कर रहे हैं।

3. जनसंचार—वर्तमान जीवन में संचार के अन्तर्गत जन संचार का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसी के द्वारा कोई कार्यक्रम देश की सम्पूर्ण ग्रामीण जनता तक तीव्रता और सरलता से पहुंचाया जा सकता है। भारत जैसे देश में व्यापक अशिक्षा, निर्धनता तथा पिछड़े वर्गों के परम्परागत शोषण के कारण जन सामान्य को ऐसे साधन उपलबध नहीं है, जिसमें वे स्वयं विकास योजनाओं के लाभों की जानकारी प्राप्त कर सकें। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनसंचार के लिये निम्नांकित साधनों को प्रयोग में लाया जा रहा है। लघु पुस्तिकाएं एवं समाचार पत्र ग्रामीण कार्यक्रम के प्रचार और प्रसार लघु पुस्तिकाओं और छोटे–छोटे समाचार पत्रों के द्वारा विकास योजनाओं तथा उनके लाभों से ग्रामीण महिलाओं को परचित कराया जाता है। ऐसे साहित्य में ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों के अनुभवों, कार्यक्रम के विवरण तथा लघु कथाओं का समावेश होता है। इनकी भाषा स्थानीय और सरल होती है जिससे सामान्य ग्रामीण भी उसे समझ सकें। ऐसी पुस्तिकाओं में बदलती दुनियां, नया भारत, कृषि दर्पण तथा हमारा स्वास्थ्य आदि कुछ प्रमुख पुस्तिकाएं है जिनके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती है। चित्र और पोस्टर – जन संचार साधनों में चित्र

तथा पोस्टर संचार के दूसरे प्रमुख माध्यम है। विकास खण्डों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कृषि, पशुपालन, छोटी बचत, स्वच्छता, पौढ़ शिक्षा, वोट देने का ढंग आदि से सम्बन्धित पखवारे मनाते समय चित्रों और पोस्टरों का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसके पश्चात भी यह माध्यम खर्चीला होने के साथ ही सीमित प्रभाव वाला है। इसका लाभ केवल वही महिलाएं उठा पाती है जों कभी–कभी विकास खण्ड पंचायत कार्यालय या स्कूल आदि में जाती रहती है। सामान्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा सभी चित्रों और पोस्टरों को समझना भी कठिन होता है। इसके पश्चात भी संचार के इस साधन के महत्व की अवहलेना नहीं की जा सकती। इसी सम्बन्ध में नालिनी वित्तल (1980) ने व्यक्त किया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि ग्रामीण क्षेत्र में चित्र एवं पोस्टर जन संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

जन संचार के साधनों में रेडियो ऐसा माध्यम है जो अपनी उपादेयता के कारण दूर दराज के गांवों तक पहुंच चुका है। हर व्यक्ति और हर परिवार इसके बहुरंगी कार्यक्रमों से लाभ उठा रहा है। रेडियो पौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम प्रसारित करता है। जिससे पौढ़ों को विभिन्न प्रकार का ज्ञान, अनुभव प्रेरणा एंव कौशल प्राप्त होता है। किस प्रकार वे अपने रिक्त समय का उपयोग करे एवं किस प्रकार अपने व्यक्तित्व को उन्नत बनाकर वे समाज के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सके, ऐसे अनेक प्रेरणायें रेडियो के माध्यम से प्राप्त होती है। शिक्षा का क्षेत्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियों को भी समाविष्ट करता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों तक कार्यक्रम पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषाओं में सूचनाओं, गीतों, परिचर्चाओं, कहानियों, कविताओं, ग्रामीण अनुभवों आदि का प्रसारण एक तरफ ग्रामीण महिलाओं के मन को आह्लादित करते है तो दूसरी ओर उनके मन का संस्कार भी करते हैं। इस संचार माध्यम से विभिन्न महिलायें कार्यक्रमों को चुनती है और सुनकर संस्कारों का निर्माण करती है। वह किस प्रकार आधुनिक जीवन में अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाये, यह मार्ग–निर्देश भी उसे इस संचार माध्यम से उपलब्ध हो जाता है।

समय की गति के साथ आज दूरदर्शन जन संचार का ऐसा माध्यम है जो कम समय में

ही बहुत अधिक व्यक्तियों को नये कार्यक्रमों से अवगत करा सकती है। मनोरंजन एवं सामूहिक शिक्षा दोनों ही दृष्टिकोणों से दूरदर्शन की उपयेागिता है। जहां रेडियो जैसे संचार माध्यम से हम केवल अपने कानों से शैक्षिक कार्यक्रमों को सुन सकते हैं वहां दूरदर्शन दृश्य एंव श्रृव्य दोनों प्रकार का माध्यम बनकर हमें आनन्द प्रदान करता है जो रंग मंच के द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। स्वर्गीय श्री मती इन्द्रा गांधी ने इसीलिए कहा था कि टेलीवीजन का महत्व क्या है, यह शुरू से ही मालुम था जो चीज देखने से समझ में आती है वह केवल पढ़ने या बताने से समझ में नहीं आती है। इस कथन में शैक्षिक क्षेत्र में टेलीवीजन की उपादेयता सिद्ध हो जाती है। दूरदर्शन जैसे सशक्त माध्यम द्वारा न केवल शहरी व्यक्ति वरन् ग्रामीण बालक, युवा पौढ़ वृद्ध एवं महिला वर्ग सभी शिक्षा प्राप्त करते है। यह औपचारिक तथा निरौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा की सम्पूर्ति करता है। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाली ग्रामीण महिलायें विभिन्न चैनलों द्वारा प्रसारित सामाजिक, पारिवारिक, कार्यक्रमों द्वारा न केवल वैक्तिक विचारों एवं व्यवहारों में परितर्वन करती है। वरन सामजिक पर्यावरण में बदलाव या सुधार लाने का प्रयास करती है। चलचित्र संचार का एक मुख्य साधन है जिसमें मनोरंजन के माध्यम से ग्रामीणों तक उपयोगी विचारों तथा कार्यक्रमों का सम्प्रेषण किया जाता है। चलचित्रों के कथानक संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, लेकिन विभिन्न वृत्तचित्रों तथा समाचार दर्शन के द्वारा ग्रामीणों को उपयोगी जानकारियां अवश्य दी जाती है। अधि
ाकांश सिनेमागृह नगरों में स्थिति होने के कारण अब सरकार द्वारा सचल दलों के द्वारा ग्रामों में चलचित्रों का प्रदर्शन किया जाता है जिससे सभी वर्गों के ग्रामीणों में इनके माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की जा सके।

4. <u>संचार के अंतर्वैयक्तिक साधन</u> — ग्रामीण जनता में पारस्परिक सहयोग एवं सहभागिता की भावना को बढ़ाने, सरकार एवं जनता के बीच सम्बन्ध सुदढ़ करने तथा ग्रामीणों का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास करने के लिये ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत संचार के अन्तर्वैयक्तिक साधनों अथवा वाहिकाओं में वृद्धि करने का प्रयत्न किया गया है। अन्तर्वैयक्ति संचार में किसी भी परियोजना से सम्बन्धित अधिकारी तथा कार्यकर्ता, परिवर्तनकारी अभिकर्ता के रूप में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। अन्तर्वैयक्तिक संचार के अन्तर्गत परिवर्तनकारी अभिकर्ता किसी कार्यक्रम का ग्रामीणों में प्रसार ही नहीं करते बल्कि उनकी प्रतिक्रियाओं से नियोजनकर्ताओं को अवगत भी कराते है। इसके पश्चात संशोधित कार्यक्रम का पुनः ग्रामीणों में प्रसार करते है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि संचार की इस विधि में परितर्वनकारी अभिकर्ता सरकारी व्यवस्था तथा परम्परागत ग्रामीण व्यवस्था के बीच समन्वय स्थापित करके विकास योजनाओं को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करते है। यह परिवर्तनकारी अभिकर्ता संगठित एवं भ्रमण शील माध्यम के रूप में होते हैं। इस रूप में यह ग्रामीणों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करके कार्यक्रमों के प्रति उनमें चेतना उत्पन्न करते है। ग्रामीणों को अपने व्यवहारों तथा मनोवृत्तियों में परितवर्तन करने की प्रेरणा देते है तथा विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं से नियोजनकर्ताओं को अवगत कराकर कार्यक्रमों को अधिक व्यवहारिक बनाने में सहायता देते है। परिवर्तनकारी अभिकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों का ग्रामीणों में प्रसार करने के लिये अनेक विधियों का प्रयोग करते है जिसमें से कुछ प्रमुख विधियां इस प्रकार है। प्रचार सभाएं सामुदायिक विकास खण्डों के अधिकारी तथा कार्यकर्ता समय–समय पर ग्रामीणों तक कार्यक्रमो का प्रसार करने के लिये ग्रामीण स्तर पर विशेष सभाओं का आयोजन करते हैं। प्रचार सभा में विभिन्न विकास कार्यक्रमों से ग्रामीणों को परिचित कराया जाता है। सभा में भाषण देने वाले व्यक्ति स्थानीय भाषा में अपने अनुभवों को स्पष्ट करते हैं तथा इस कार्य में स्थानीय नेताओं की भी सहायता ली जाती है।

विकास खण्डों की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों के प्रचार के लिए पृथक–पृथक अथवा समन्वित रूप से विशेष प्रदर्शनियों तथा सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों का उद्देश्य मुख्य रूप से उन्नत कृषि उपकरणों, सहकारी समितियों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पशु पालन के तरीकों, मीन पालन, वृक्षारोपण तथा पौढ़ शिक्षा आदि के ग्रामीणों को परिचित कराना होता है। ग्रामीण इन प्रदर्शनियों में अपने द्वारा उत्पादित वस्तुएं भी प्रदर्शित करते हैं तथा उन्हें प्रदर्शन के लिए अनेक ग्रामीणों को पुरस्कृत भी किया जाता है। ऐसे आयोजन शिक्षाप्रद होने के साथ प्रेरणात्मक भी होते है।

प्रचार के एक मनौवैज्ञानिक साधन के रूप में तरह–तरह के नारों द्वारा भी ग्रामीणों की मनोवृत्तियों को बदलने तथा जन–सहभाग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। यह सच है कि नारों के माध्यम से ग्रामीणों को कार्यक्रम की केवल जानकारी दी जा सकती है उनकी प्रतिक्रियाओं को ज्ञात नहीं किया जा सकता लेकिन इसके पश्चात भी ग्रामीणों की मनोवृत्तियों को प्रभावित करने में इनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। नारों का उपयोग किसी विशेष पखवारे, राष्ट्रीय महत्व के अवसरों तथा विशेष आयोजनों पर किया जाता है। नारों की भाषा अत्यधिक सरल और प्रभावपूर्ण होने के कारण ग्रामीण शीध्र ही उन्हें ग्रहण कर लेते है। इस प्रकार यह ग्रामीण संचार का एक सस्ता, मनोरंजक और प्रभावपूर्ण साधन है।

सामूहिक वार्तालाप एवं व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम का ग्रामीणों में सम्प्रेषण करने के लिये अन्य साधनों की अपेक्षा यह साधन कहीं अधिक व्यावहारिक तथा प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यकर्ताओं की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण होती है। ये कार्यकर्ता ग्रामीणों से व्यक्तिगत तथा सामूहिक सम्पर्क करके उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देते है। वास्तविकता यह है कि संचार की प्रक्रिया में व्यक्तिगत सम्पर्क उपयोगी अवश्य है लेकिन परिवर्तनकारी अभिकर्ताओं की संख्या कम होने के कारण सामूहिक वार्तालाप तथा व्यक्तिगत सम्पर्क की विधि अधिक लाभप्रद सिद्ध नहीं हो सकी है। नलिनी पित्तल (1980) ने व्यक्त किया कि भारत में 17 हजार परिवारों पर खण्ड विकास अधिकारी की संख्या एक है जबकि 4,000 परिवारों के लिए केवल 3 ग्राम सेवक ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

ग्रामीण विकास योजना से सम्बद्ध विशेष कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिये शिविरों का आयोजन भी एक महत्वपूर्ण विधि है। वर्तमान समय में इसका उपयोग काफी लाभप्रद सिद्ध हुआ है। ग्रामीण स्तर पर संचार की प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने के लिये ग्रामीण नेतृत्व को विकसित करने तथा कुछ ग्रामीणों को संचार वाहिका के रूप में प्रयुक्त करने का भी प्रयत्न किया जाता है। इस कार्य के लिये गांव से कुछ प्रगतिशील और जागरुक ग्रामीणों का चयन करके उन्हें सरकारी व्यय पर विभिन्न सामुदायिक विकास केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि व उद्योग संस्थानों, स्वास्थ्य केन्द्रों,

सारिणी क्रमांक 6.2

क्या आप रेडियो/टी.वी. को देखना या सुनना पसन्द करती है

ग्राम / शिक्षा-	हाँ				नहीं				
	शिक्षित	साक्षर	निरक्षर	योग/प्रतिशत	शिक्षित	साक्षर	निरक्षर	योग/प्रतिशत	योग
बड़ोखर बुजुर्ग	33 44.0	14 18.6	28 37.3	75 46.2	20 22.8	9 10.3	58 66.6	87 53.7	162
मलहरा निवादा	12 19.3	17 27.4	33 53.2	62 54.8	9 17.6	15 29.4	27 52.9	51 45.1	113
जरर	3 7.1	9 21.4	30 71.4	42 64.6	2 8.6	7 30.4	14 60.8	23 35.3	65
छिबांव	8 10.5	16 21.0	52 68.4	76 63.3	6 13.6	14 31.8	24 54.5	44 36.6	120
योग प्रतिशत	56 21.9	56 21.9	143 56.0	255 55.4	37 18.0	45 21.9	123 60.0	205 44.5	460

विकास प्रदर्शनियों एवं कार्यक्रम प्रदर्शन केन्द्रों तक भ्रमण के लिये भेजा जाता है। इस कार्य का उद्देश्य चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त जानकारी का अन्य ग्रामीणों में प्रसार करना है।

प्रस्तुत सारिणी (6.2) चयनित ग्रामों की उत्तरदात्रियों की शिक्षा एंव संचार के सहसम्बन्धों को दर्शाती है। इस सारिणी में हमने चार ग्रामों की उत्तरदात्रियों को शिक्षा के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया हैं प्रथम वर्ग में शिक्षित महिलायें, द्वितीय वर्ग में साक्षर महिलायें, तृतीय वर्ग में पूर्णतः निरक्षर महिलाओं को सम्मिलित किया गया है।

शिक्षा के आधार पर संचार का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि संचार प्रक्रियाओं की गतिविधियों से सम्बद्य महिलाओं में निरक्षर महिलाओं का प्रतिशत 56 प्रतिशत सर्वाधिक है। प्रस्तुत सारिणी को जब हम ग्रामवार देखते है तो बड़ोखर ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 46.2 प्रतिशत महिलायें जिनमें शिक्षित वर्ग की 33 (44) प्रतिशत साक्षर वर्ग की 14 (18.6) प्रतिशत निरक्षर वर्ग की 28 (37.3) उत्तरदात्रियों ऐसी है जो रेडियो, टी.वी., टेप रिकार्ड आदि सुनना या देखना पसंद करती हैं। अर्थात इन महिलाओं के घरों में संचार के साधनों में इन साधनों का प्रभाव अधिक है। जिससे ये महिलायें नवीनतम ग्रामीण सूचनाओं तथा विकास कायक्रमों से परिचित होती हैं जबकि 53.7 उत्तरदात्रियों मं शिक्षित वर्ग की 20 (22.8) प्रतिशत साक्षर वर्ग की 9 (10.3) प्रतिशत निरक्षर वर्ग की 58 (66.6) प्रतिशत उत्तरदात्रियां संचार के अन्य दूसरे साधनों से अधिक प्रभावित है। इसलिये रेडियो, टी.वी., टेपरिकार्ड आदि को देखना या सुनना कम पसन्द करती हैं।

इसी प्रकार निवादा ग्राम जो सड़क से 3 किलोमीटर की दूसरी पर बसा है। फिर भी यहां संचार साधनों का अभाव कम है। क्योंकि यह गांव महुआ ब्लाक एवं बांदा जनपद के निकट होने के कारण यह नवीन ग्रामीण सूचनाओं तथा विकास कार्यक्रमों से समय–समय पर सामुदायिक सम्पर्क के कारण प्रभावित होते रहते है। इसलिए 113 उत्तरदात्रियों में 62 (54.8) प्रतिशत उत्तरदात्रियां जिनमें शिक्षित वर्ग की 12 (19.3) प्रतिशत साक्षर वर्ग की 17 (27.4) प्रतिशत निरक्षर वर्ग की 33 (53.2) प्रतिशत उत्तरदात्रियां यह कहती है कि हम रेडियो टी.वी. टेपरिकार्ड को देखती एंव सुनती भी है। जिससे उन्हें आधुनिक शिक्षा ही नहीं मिलती बल्कि इन साधनों से महिलाओं में

नये विचार, व्यवहार, आदतें, और मनोवृत्तियां भी प्रवेश करती जा रही है जिसके फलस्वरूप महिलाओं में आत्मनिर्भरता अवश्य कम हुई है। लेकिन इन महिलाओं का दृष्टिकोण कहीं अधिक उदार और विवेकपूर्ण बनता जा रहा है। जबकि 51 (45.1) प्रतिशत उत्तरदात्रियां यह कहती हैं कि व्यक्ति के विचारों, व्यवहारों पर रेडियों, टी.वी. टैपरिकार्ड आदि संचार साधनों का ही प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि लघु पुस्तिकाएं चित्र और पोस्टर चलचित्र आदि का प्रभाव भी है ग्रामीण महिलाओं में देखने को मिलता है।

इसी प्रकार जरर ग्राम जो न केवल जनसंख्या की दृष्टि से एक छोटा ग्राम है बल्कि वहां शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत उपरोक्त सारिणी 3.3 के अनुसार बहुत कम है। क्योकि एक तरफ तो यह गांव सड़क से 3 किलो मीटर की दूरी पर बसा है।तो दूसरी तरफ आवागमन एंव भौतिक साधनों का अभाव है। इसी आधार पर जरर ग्राम की महिलाओं से संचार साधनों के सम्बन्ध में उनकी चेतना को जानने का प्रयास किया गया, जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में संचार साधनों के सम्बन्ध में हां कहने वाली महिलाओं का प्रतिशत 64.6 है। जिनमें शिक्षित वर्ग की 3 (7.1), साक्षर वर्ग की 9 (21.4), निरक्षर वर्ग 30 (71.4) प्रतिशत उत्तरदात्रियां यह कहती है कि वे रेडियो, टीवी. टेपरिकार्ड आदि को देखना या सुनना पसन्द करती है। जबकि नहीं कहने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत 23 (35.3) प्रतिशत जिनमें शिक्षित वर्ग की 2 (8.6), साक्षर वर्ग की 7 (30.4) प्रतिशत निरक्षर वर्ग की 14 (60.8) प्रतिशत उत्तरदात्रियां यह कहती है कि वे रेडियो, टीवी, टेपरिकार्ड के स्थान पर संचार के अन्य साधन प्रचार सभाएं, प्रदर्शनी, सम्मेलन, सामूहिक वार्तालाप आदि से अधिक प्रभावित होती है।

छिबांव ग्राम जो खुरहण्ड स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ग्राम में आवागमन एवं संचार सभी साधन उपलब्ध है। यहां कि महिलाओं से जब संचार सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में पूछतांछ की गयी तो ज्ञात होता है कि छिबांव गांव की 120 उत्तरदात्रियों में हां कहने वाली महिलाओं का प्रतिशत 76 (63.3) प्रतिशत है, जिनमें शिक्षित वर्ग की 8 (10.5) प्रतिशत साक्षर वर्ग की 16 (21.1) निरक्षर वर्ग की 52 (68.4) प्रतिशत उत्तरदात्रियां यह कहती हैं कि संचार साधनों में

रेडियों, टी.वी. टेपरिकार्ड, फोन आदि को अधिक सुलभ साधन मानती है। इसका तात्पर्य यह है कि इस ग्राम में ज्यादातर महिलाओं के घर टी.वी., टेलीफोन, रेडियो आदि साधन उपलब्ध है जबकि नहीं कहने वाली उत्तरदात्रियों में महिलाओं का प्रतिशत 44 (36.6) प्रतिशत है जिनमें शिक्षित वर्ग की 6 (13.6) प्रतिशत साक्षर वर्ग की 14 (31.8) प्रतिशत, निरक्षर वर्ग की 24 (54.5) प्रतिशत उत्तरदात्रियां है।

प्रस्तुत सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि संचार साधनों मे रेडियो, टीवी, टेपरिकार्ड आदि को देखने एवं सुनने वाली महलाओं का प्रतिशत 55.4 अधिक है जबकि नहीं कहने वाली महिलाओं का प्रतिशत 44.5 कम है। इसका कारण यह है कि आजकल ग्रामों में टी.वी संचार का एक ऐसा माध्यम बना हुआ है जो सभी महिलाओं के घरों में उपलब्ध न होने पर भी एक दूसरे के घर सम्पर्क कर अपने विचारों व व्यवहारों से सम्प्रेषित करती है। जो महिलायें नहीं कहती वे संचार के अन्य साधन चित्र एवं पोस्टर, चलचित्र, प्रचार, सभाएं, प्रदर्शनी एवं सम्मेलन, नारे, सामूहिक वार्तालाप एंव व्यक्गित सम्पर्क, शिविर एवं भ्रमण आदि साधनों से प्रभावित होकर अपने विचार, व्यवहार मनोवृत्तियों से एक दूसरे को प्रभावित करती है।

शिक्षा एवं संचार के साधनों से प्रभावित ग्रामीण महिलायें विकास की दिशा में-

ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र में ग्रामीण महिलाओं की अहम भूमिका है। देश में महिलाओं की कुल जनसंख्या लगभग 40 करोड़ 71 लाख (1991 की जनगणना के अनुसार) है। इसमें ग्रामीण महिलाओं की संख्या लगभग 30.5 करोड़ है। जनसंख्या एवं श्रम शक्ति का प्रमुख भाग होने के बावजूद भी ग्रामीण महिलाएं न सिर्फ उपेक्षित है, बल्कि अत्यधिक शोषण की शिकार भी है। आज लगभग 81 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं कृषि क्षेत्रों में श्रमिक या खेतिहर के रूप में अपना जीवन बसर कर रही है। यह दुर्भाग्य की बात है कि महिलायें अत्यधिक कार्यशील रहने के बावजूद भी आज ग्रामीण महिलाओं को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। कृषि कार्य में प्रमुख भागीदारी होने के बावजूद उन्हें श्रमिक वर्ग का दर्जा नहीं दिया जाता। आज इन गांवों में ग्रामीण महिलायें कई ऐसे

कार्य भी कर रही है, जिनका आर्थिक महत्व होते हुए भी ग्रामीण समुदाय द्वारा उन्हें आर्थिक कार्यों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। 1976 में समान मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी निश्चित किये जाने के बावजूद भी ग्रामीण महिलाओं को परिश्रमिक देने में भेदभाव किया जा रहा है। छिबांव, निवादा इन गांवों में खेतों में काम करने में प्रतिदिन मजदूरी पुरुषों को 40 रुपया एवं महिलाओं को उसी काम के लिए 20 रुपया मजदूरी दिया जा रहा है जबकि वे पुरुषों की अपेक्षा कम काम नहीं करती। निरक्षरता के फलस्वरूप ग्रामीण महिलाएं श्रम कानून व अन्य सम्बन्धित कानूनों के ज्ञान से अनभिज्ञ है जिससे इनका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है।

ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना (195.1–56) में समुदायिक विकास के विस्तृत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये ग्रामीण महिलाओं हेतु विभिन्न कार्यक्रम बने। वर्ष 1954–55 में महिलाओं की सहभागिता की अपश्यकता को महसूस करते हुये प्रत्येक सामुदायिक विकास प्रखण्ड (Community Development Block) में 'ग्राम सेविकाओं की नियुक्ति की गई एवं महिला मण्डलों का गठन किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं को समाज राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से वर्ष 1975 में महिला दशक की घोषणा की, भारत में इस घोषणा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। जिससे अनेक सरकारी, गैर सरकारी एंव स्वैच्छिक संस्थाओं ने ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु कार्य आरम्भ किये। केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कुछेक कार्यक्रमों में जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (DWCRA) (1982) किशोरियों हेतु योजना, महिला समृद्धि योजना (2 अक्टूबर, 1993), महिला समाख्या योजना, राष्ट्रीय महिला कोष। राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम जिनमे पंचधारा योजना (1 नवम्बर, 1991) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण एंव आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण एवं विकास हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई। इस पंचधारा कार्यक्रम के तहत पांच योजनाएं सन्निहित हैं, जिनके नाम है– वात्सल्य योजना, ग्राम योजना, आुयष्मती योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कल्पवृक्ष योजना। 'अपनी बेटी अपना धन योजना (2 अक्टूबर, 1994) हरियाणा। 'कुंवर

बाइनु मामेरू योजना (1995) गुजरात कामधेनु योजना– महाराष्ट्र)।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण महिलाओं के लिये आरक्षण की व्यवस्था इन कार्यक्रमों में की गई है–'जवाहर रोजगार योजना, में ग्रामीण महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (JRDP) 2 अक्टूबर, 1980 में महिलाओं को 40 प्रतिशत आरक्षण। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM) में महिलाओं हेतु 40 प्रतिशत स्थान आरक्षित है।

ग्रामीण महिलाओं के विकासार्थ केन्द्र एवं विभिन्न राज्य सरकारें प्रयत्नशील है परन्तु अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना बांकी है। आज बांदा जनपद के महुआब्लाक के इन चार गांव, बड़ोखर बुजुर्ग, मलहरा निवादा, छिबांव, जरर में ग्रामीण महिलायें अधिकाधिक सुविधाओं से वंचित हैं।

आधुनिक शिक्षा पद्धति एवं संचार के नवीन साधनों ने ग्रामीण जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किये है। एक ओर यदि कोई महिला नगरों से शिक्षा प्राप्त करके गांव वापस लौटती है वे अपने प्रगतिशील विचारों और व्यवहारों के कारण ग्रामीण महिलाओं के लिये शीघ्र ही आकर्षण का केन्द्र बन जाती है। स्वयं गावों में भी बहुत सी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना होने से नई पीढ़ी की महिलाओं के विचारों और विश्वासों में परितर्वन होने लगा है। दूसरी ओर संचार के साधनों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण ग्रामीण महिलायें नवीनतम सूचनाओं तथा विकास कार्यक्रमों से परिचित होती जा रही हैं सभी प्रमुख गांवों तथा नगरों को जोड़ने के लिये व्यापक रूप से सड़कों का निर्माण हुआ तथा संचार के साधन स्थापित होने के फलस्वरूप ग्रामीण महिलाओं में नए विचार, व्यवहार आदतें और मनोवृत्तियां प्रवेश करती जा रही है।

ग्रामीण विकास योजना की संरचना तथा इसके क्रियान्वयन में कुछ ऐसे आधारभूत दोष विद्यमान रहे हैं जिनके कारण शिक्षा वं संचार के साधनों में आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इस असफलता के लिये किसी एक पक्ष को उत्तरदायी मान लेना भी उचित नहीं है। इसके पश्चात भी भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं को देखते हुए शिक्षा एंव संचार के साधनों का प्रमुख

उत्तरदायित्व उन अभिकर्ताओं का था जिनके ऊपर योजना के निर्देशन और क्रियान्वयन का भार था। आधार रूप से इन्ही व्यक्तियों की अदूरदर्शिता, संगठनात्मक कमजोरियों तथा नौकरशाही प्रवृत्तियों के कारण शिक्षा एंव संचार भारतीय गांवों का सर्वांगीण विकास करने में असफल रही। फिर भी हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ग्रामीण विकास योजनाओं के फलस्वरूप ग्रामीण समुदाय में एक नयी चेतना उत्पन्न हुई है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है तथा काफी अंशों में ग्रामीण महिलाओं की मनोवृत्तियों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन भी सामने आया है।

सप्तम—अध्याय

सप्तम अध्याय

ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरणीय प्रभावकारिता एंव सहभागिता

ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक संरचना तथा सदस्यों के व्यवहार प्रतिमानों में आज स्पष्ट परिवर्तन दृष्टिगत होने लगा है। नगरीय समुदायों की तुलना में ग्रामीण समुदाय की महिलाओं की प्रस्थित में परिवर्तन की गति बहुत धीमी है, लेकिन ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति, व्यवसाय, शिक्षा मनोवृत्तियों तथा व्यवहारों में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगा है। वास्तव में ग्रामीण महिलायें आज संक्रमण की एक ऐसी स्थिति मे हैं जिसमें एक ओर वे नवीन सामाजिक मूल्यों तथा व्यवहार प्रतिमानों को गृहण करना आवश्यक समझती है जबकि दूसरी ओर अनेक परिस्थितियों के प्रभाव से वे अपनी परम्परागत विशेषताओं को पूर्णतया छोड़ नहीं पा रही है। इस दृष्टिकोण से ग्रामीण महिलाओं में परम्परा तथा आधुनिकता के बीच सातत्य की स्थिति विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के प्रभाव से उत्पन्न परिवर्तनों को संक्षेप में स्पट करते हुये के0एम0 कापड़िया ने लिखा है कि ''नगरीकरण के प्रभाव से ग्रामों की आत्म निर्भरता नष्ट हो गई तथा गांवों की परम्परागत संस्कृति में नगरों की नई संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट होने लगा हैं जो सुविधाएं अब तक केवल नगरों में ही उपलब्ध थीं वे अब गांवों में भी पहुंच गई है। नगरीय सम्पर्क से गांवों में रहन सहन वेश भूषा तथा घर की सजावट के तरीके प्रभावित हुए हैं तथा शिक्षा के प्रसार और मोटर यातायात के आरम्भ होने से इस प्रक्रिया में और अधिक तीव्रता हो गई है।

ग्रामीण पर्यावरण में नगरीकरण के प्रभाव से दृव्यीकरण का विकास हुआ था तथा खेती में व्यापारीकरण की प्रक्रिया स्पष्ट होने लगी। जो व्यक्ति कुछ समय पहले तक गांव में कपड़े धोने,

जूता बनाने, बाल काटने, लोहारगिरी करने अथवा पुरोहिताई करने में लगे रहे है, वे नई सेवाओं के आकर्षण से नगरीय पर्यावरण में प्रवेश कर रहे हैं। आर्थिक सुधार तथा सामाजिक जागरुकता के प्रभाव से आज नगरों की शिक्षा संस्थाओं से प्रभावित होकर ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इन सभी परिवर्तनों के कारण आज ग्रामीण महिलाओं की रुचियों, मनोवृत्तियों, आकांक्षाओं और भूमिका में भी व्यापक परिवर्तन उत्पन्न हो गये है। उपलब्ध प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट हो गया गया है कि समाज तथा पर्यावरण के बीच सम्बन्ध विभिन्न पक्षों में विकास के साथ परिवर्तन होता रहा है। जैसे–जैसे मनुष्य सामाजिक, आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी मानव होता गया, बेहतर भोजन, शरण (निवास्य क्षेत्र), गम्यता एवं आराम के लिये अपनी डिजाइन तथा बुद्धि कौशल के द्वारा अपना निजी पर्यावरण बनाता गया और इस तरह मनुष्य के पर्यावरण का दायरा बढ़ता गया। अब वह मात्र प्रकृति तथा पर्यावरण पर पूर्णतया आश्रित नहीं रहा वरन् उसने अपना पर्यावरण भी बना लिया तथा पर्यावरण तथा प्रकृति को प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया। इस तरह मानव पर्यावरण के बीच सम्बन्धों में क्रमानुगत परिवर्तन होता रहा है। ग्रासमैन (1977), सी0सी0 पार्क (1980), आर0डी0 दीक्षित (1984), जे0ई0 हॉब्स (1980), यम0 कोल (1971), Davies तथा Pincent (1975) E.h. Derriek (1965, 1966 तथा 1969) Greenburg (1964 तथा 1967), J.B. Hansen तथा S.A. Pedersen (1972), डीबी बॉटकिन तथा ई0 ए0 केलर (1982), इ0के0 फेडरोव (1983), ए0एन0 स्ट्रेलर तथा ए0एच0 स्ट्रेलर (1976) आदि प्रमुख पुस्तकें मानव समाज तथा पर्यावरण के बीच सम्बन्धों पर किये गये शोध कार्यों का प्रतिनिधित्व करती है।

प्रत्येक महिलायें अपने चारों ओर की अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक जैविकीय, और जनसंख्यात्मक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। कुछ महिलायें अपनी इन परिस्थितियों से सफलता पूर्वक अनुकूलन कर लेती है जबकि बहुत सी महिलायें इनसे अनुकूलन नहीं कर पाती। ग्रामीण महिलाओं के चारों ओर की इन दशाओं व उनके प्रभाव की सम्पूर्णता को पर्यावरणीय सहभागिता कहते है। सभी पर्यावरणीय दशायें एवं परिस्थितियां है जो उनके जीवन को प्रभावित कर रही है। इस दृष्टिकोण से किसी भी जीवित वस्तु के अस्तित्व पर जितनी दशाओं का

प्रभाव पड़ता है, वह सब उनका पर्यावरण है। प्राकृतिक शक्तियां वायु, जल, तापमान, भूमि की बनावट, खनिज पदार्थ तथा आर्दता। सामाजिक शक्तियां, – सामाजिक ढाँचा, सामाजिक संस्थाएँ सामाजिक नियम, सांस्कृतिक विरासत तथा विभिन्न प्रकार के समूह। सांस्कृतिक प्रतिमान धर्म, भाषा, नैतिकता, प्रथा, परम्परा, सामाजिक मूल्य, लोकाचार, मनोवृत्तियां आदि। उन महिलाओं के जीवन को प्रत्येक पग पर प्रभावित करते है। ग्रामीण महिलाओं में इन सभी प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशाओं की समपूर्णता को हम पर्यावरणीय प्रभावकारिता एवं सहभागिता कहते है।

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के एक साधन के रूप में पंचायतीराज व्यवस्था ने भारत की ग्रामीण जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात, सन् 1947 में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम को पारित करके गांव पंयाचतों के पुर्नगठन के लिये महत्वपूर्ण कार्य करना आरम्भ कर दिया। इस अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार यहां सन् 1949 में गांव पंचायतों तथा न्याय पंचायतों की स्थापना का कार्य सम्पन्न हुआ, तथा 15 अगस्त 1949 से सम्पूर्ण प्रदेश में पंचायतों ने विधिवत कार्य करना आरम्भ कर दिया। पंचायती राज अधिनियम की धारा 3 की व्यवस्था के अनुसार 1000 से ऊपर की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की स्थापना की गयी और इस प्रकार सन् 1959 तक सम्पूर्ण प्रदेश में 34,755 गांव सभाएं स्थापित कर दी गयी। यह ग्राम पंचायतों का ही प्रभाव है कि 73वें सांविधानिक संशोधनके माध्यम से सरकार ने पंचायतों में महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी। इसी अधिनियम का प्रभाव है कि आज चारों ग्राम में महिलायें भी ग्राम सभा की सदस्या है। मलहरा निवादा ग्राम में राजकुमारी पाण्डे, उगिया चमार, केशर पाण्डेय, आदि महिलायें ग्राम सभा की सदस्या है। जरर ग्राम में ग्राम सभा से जुड़ी महिलाओं की संख्या तीन है जिनमें दो ब्राम्हण और एक चमार जाति की है छिबांव ग्राम में भी जो महिलायें ग्राम सभा की सदस्या है उनमें एक ब्राहम्हण, एक श्रीवास्तव (गुलाब देवी) तथा दो हरिजन महिलायें हैं। इन चयनित ग्रामों में छिबांव ही एक ऐसा ग्राम है जहां सुधा द्विवेदी (1995 से 2000) तक ग्राम प्रधान रहीं। गांवों में महिलाओं को ग्राम प्रधान एवं ग्राम सभा की सदस्या सीट बनाने का उद्देश्य यह था कि गांवों की अधिकाधिक महिलायें शासन में हिस्सा लेकर अपने गांव

का सर्वांगीण विकास करने में योगदान कर सकें।

ग्रामीण जीवन के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में सामुदायिक विकास योजना का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। ग्रामीण समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिये सन् 1952 में 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' एवं सन् 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना आरम्भ की गयी। इन कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों में आत्म निर्भरता तथा जन सहभागिता में वृद्धि करना था। इस योजना के प्रभाव से ग्रामीण महिलाओं का जीवन पहले की अपेक्षा न केवल काफी खुसहाल और सम्पन्न दिखाई देता है बल्कि जीवन और समाज के प्रति उसकी धारणाओं तथा विचार धारा में भी काफी परिवर्तन हो गया है। ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने शिक्षा का प्रसार करने महिलाओं तथा बच्चों का कल्याण करने एक नवीन चेतना उत्पन्न करने तथा आत्म निर्भरता प्राप्त करने की दिशा में सामुदायिक विकास योजना का महत्वूपर्ण स्थान रहा।

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, इसलिये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समुचित विकास करने के लिये आवश्यक है कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाय। भारतीय नियोजनकर्ताओं ने कृषि में वृद्धि करने के लिये समय समय पर अनेक प्रयास किये है। इन प्रयासों में 'हरित क्रान्ति' केवल एक प्रयास न होकर बल्कि एक आन्दोलन है। 'हरित क्रान्ति' कृषि विकास के क्षेत्र में एक ऐसा वट वृक्ष है जिसके तने के रूप में अनेक कार्यक्रम कृषि विकास के लिये कार्यरत है और इन सभी कार्यक्रमों का समन्वित रूप ही 'हरित क्रान्ति' है। भारत में कृषि के समुचित विकास के इस कार्यक्रम का आरम्भ सन् 1966–67 में हुआ था। इस कार्यक्रम के फल स्वरूप निश्चित रूप से कृषि का विकास हुआ है। इस आन्दोलन से पूर्व करोड़ों रुपये के अनाज का बाहर से आयात करते रहे है परन्तु आज भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर कुछ विकासशील देशों को निर्यात करने की स्थिति में भी है। प्रो0एम0एल0 दांत वाला (M.L. Dantwala) ने हरित क्रान्ति के पश्चात कृषिगत विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुये लिखा है कि 'अधिक उपज देने वाली किस्मो को अपनाया जाना ही देश में खाद्य समस्या का एकमात्र हल था। अधिक उपज देने वाली किस्मों का परिणाम केवल उत्पादन के क्षेत्र में ही नहीं देखना है क्योंकि मौसम के

अनकूल और प्रतिकूल प्रभाव के कारण उत्पादन में चढ़ाव–उतार होते रहना स्वाभाविक है। इसका प्रभाव कृषकों के ऊपर होने वाली प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जाना चाहिये। जिसकी अभिव्यक्ति के रूप में आज सिंचाई के क्षेत्र में विस्तार, नवीन बीजों, उर्वरकों, दवाओं एंव कृषि यन्त्रों जैसे निवेश के क्रय में वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि के विभिन्न साधनों सुधरे हुये कृषि के तरीके, बीज, खाद, दवा औजार एवं सिंचाई का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इस कार्यक्रम को 'पैकेज कार्यक्रम' भी कहा जाता है। बाद में इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये कार्यक्रम के क्षेत्र को सीमित करके इसे 'गहन कृषि' क्षेत्रीय कार्यक्रम Intensive Agricultural Area Programme का नाम दिया गया। इसके अन्तर्गत कुछ निश्चित फसलों के विकास पर ध्यान दिया गयां इस कार्यक्रम के द्वारा कृषकों को कृषि सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान, साख एवं उत्पादन के अन्य साधन दिये गये जिससे कृषक कृषि सम्बन्धी उत्पादन में वद्धि कर सकें। इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य यह रहा है कि सिंचाई तथा उर्वरक साधनों का समुचित प्रबन्ध करके एक ही खेत से वर्ष में अनेक बार फसलें प्राप्त की जायें। इस कारण इसमें ऐसी किस्म की फसलें उगायी जाती है जो थोड़े समय में तैयार हो जाये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नतिशील बीजों के अतिरिक्त रासायनिक खादों, कीटाणु नाशक दवाओं एवं अन्य साधनों का भी प्रयोग किया जाता है।

ग्राम महिलायें एवं कीटनाशक दवाओं के प्रयोग सम्बन्धी प्रभावकारिता-

आरम्भ में भारतीय कृषक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से डरते थे। उनका विश्वास था कि उर्वरकों के प्रयोग से खेत बंजर हो जाता है, उत्पादित अनाज को खाने से विभिन्न रोग उत्पन्न होते है एवं ऐसा भोजन अधिक स्वादिष्ट नहीं होता। इस कारण कृषकों में व्याप्त पूर्वाग्रहों को दूर करने एवं उर्वरकों के प्रयोग के लिये उन्हें प्रेरित करने के लिये अनेक प्रयास किये गये। इसी का परिणाम है कि सन् 1970 के पश्चात उर्वरकों के प्रयोग में तेजी से वृद्धि हुई। सन् 1975 में रासायनिक खादों का उपयोग जहां 30 लाख टन था, वही 1985 तक यह बढ़कर 84 लाख टन हो गया।

आधुनिक कृषि वस्तुतः उर्वरक एवं कीटाणुनाशक दवाओं पर अधिक आश्रित है। उत्पादन की अधिकता का मुख्य कारण इन दोनों सुविधाओं की सफलता है। प्रियरंजन त्रिवेदी (1995) ने व्यक्त किया कि 1950 से 1983 के अन्तराल में लगभग 5 गुना अधिक उत्पादन इन दोनों सुविधाओं की सफलता का सूचकांक है। भारत में उत्पादन की अधिकता 32 किलो/प्रति हैक्टेर ईजिस्ट में 189 किलो/प्रति हैक्टर, अमेरिका में 200 किलो/ प्रति हैक्टर एवं जापान में 533 किलो प्रति हैक्टर है। उर्वरकों के अधिक उपयोग से अनेकानेक पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न होती है। भूमि की उर्वरका में कमी एवं जल प्रदूषण इनमें से प्रमुख रूप से चिन्ता जनक हैं उपयोग में मितव्ययता लाने से दोनों समस्याएं सुलझ जाती हैं। कीटाणुनाशक दवाओं के सन्दर्भ में यही तथ्य महत्वपूर्ण है। उनके अनियिमित उपयोग से पर्यावरण तो दूषित होता ही है प्राकृतिक सन्तुलन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। प्रकृति की ओर से प्रदत्त अनेक प्रजातियां जो कि कृषि की इन कीटाणुओं से रक्षा करती है इन दवाओं के अधिक प्रयोग से विनष्ट हो जाती है। इस प्रकृतिक असंतुलन के अनेकानेक दीर्घगामी दुष्परिणाम भी देखने में आए है।

अधिकांश कीटनाशकों की डी0डी0टी0 सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया संक्लोरिन जल कार्बन था। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात डी0डी0टी0 का उपयोग सर्वव्यापक हो गया,क्योंकि इसे सुरक्षित माना गया, इस अर्थ में कि यह कीड़ों मकोड़ों को तो मारता है किन्तु मनुष्यों को हानि नहीं पहुंचाता। कीड़ों–मकोड़ों के विनाश से कृषि उत्पादन की वृद्धि में बहुत सहायता पहुंचाई। इससे प्रोत्साहित होकर कृषक कीटनाशकों की प्रायः अविवेक पूर्ण उपयोग करने लगे। डी0एन0 तिवारी (1993) ने व्यक्त किया कि जिस स्थान पर मूलरूप से डी0डी0टी0 का उपयोग किया गया वहां से हजारों किलोमीटर दूर हवा, मिट्टी मनुष्य और पशुओं में डी0डी0टी0 की मापनीय मात्रा को खोजा जा सकता है। जिस स्थानों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया गया, वहां से हटाकर दूरस्थ क्षेत्रों में रखे गये पक्षियों के अंडों में सक्लोरीन जल कार्बन का खतरनाक परिणाम पाया गया। जनमानस में यह भावना दृढ़ होती जा रही है कि उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है या पड़ सकता है। वैसे यह भावना कहां तक सही है कहा नहीं जा सकता, किन्तु

कीटनशक दवाओं के अवशेष फलो एवं सब्जियों आदि में शेष रह जाते है तो क्या इसका असर उपभोक्ता के स्वास्थ पर पड़ता है।

ग्राम	हाँ				नहीं				
	सामान्य	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	योग/ प्रतिशत	सामान्य	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	योग/ प्रतिशत	योग
बड़ोखर बुजुर्ग	47 42.7	46 41.8	17 15.4	110 67.9	3 5.7	29 55.7	20 38.4	52 32.0	162
मलहरा निवादा	27 41.5	24 36.9	14 21.5	65 57.5	3 6.2	16 33.3	29 60.4	48 42.4	113
जरर	8 34.1	11 47.8	4 17.3	23 35.3	12 28.5	14 33.3	16 38.0	42 64.6	65
छिबांव	26 40.6	24 37.5	14 21.8	64 53.3	14 25.0	16 28.5	26 46.4	56 46.6	120
योग	108 41.2	105 40.	49 18.7	262 56.9	32 16.1	75 37.8	91 45.9	198 43.0	460

इतना सत्य है कि असन्तुलित उर्वरक प्रयोग से भूमि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ता है।

औद्योगिक कृषि जिसका लोकप्रिय नाम हरित क्रान्ति है ने कीटनाशक खरपतवारनाशक एवं उर्वरकों के रूप में खतरनाक रसायनों के आसाधारण उपयोग को बढ़ावा दिया है। कीटनाशक अवशिष्ट एवं खरपतवार नाशक औषधियां अब मछली, फल शाक सब्जी और दूध जैसे समस्त भांति के खाद्य पदार्थों में दिखाई पड़ने लगी है। ये सब प्रायः मनुष्य की आबादी को अतिपाती खतरनाक रसायनों के संसर्ग में ढकेल देते है। कीटनाशकों से विषघात का पहला प्रकरण केरल से आया जबकि पराथियन से संदूषित गेंहू का आटा खाने से लगभग 100 व्यक्ति काल–कवलित हुये तब से अब तक कुछ व्यक्तियों अथवा बड़े समूहों को कहीं न कहीं प्रभावित करने वाली कीटनाशकोत्पन्न विषघात की घटनायें हो चुकी है। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में कीटनाशक दवाओं एवं एवं उर्वरकों का प्रयोग कम नहीं हुआ है।

प्रस्तुत सारिणी (7.1) चयनित चार ग्रामों में उत्तर दात्रियों की इस जानकारी से सम्बन्धित है कि कीटनाशक दवाओं के अवशेष फलों एवं सब्जियों में शेष रह जाते हैं तो क्या इसका प्रभाव उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके प्रभाव को जानने के लिये सभी उत्तरदात्रियों से यह प्रश्न पूछा गया। इस सारिणी में सभी उत्तरदात्रियों को जाति के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया हैं प्रथम वर्ग में सामान्य जाति के उत्तरदात्रियों को रखा गया है। द्वितीय वर्ग में पिछड़े वर्ग की उत्तरदात्रियों को शामिल किया गया है। तृतीय वर्ग में अनुसूचित जाति की महिलाओं को सम्मिलित किया गया है।

प्रस्तुत सारिणी को जब हम ग्रामवार देखते है तो ज्ञात होता है कि बड़ोखर बुजुर्ग की 162 उत्तरदात्रियों में 110 (67.9) प्रतिशत उत्तरदात्रियां ऐसी है जो यह मानती है कि खेतों में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने से फलों एवं सब्जियों में इन दवाओं के अवशेष रह जाते है जो स्वास्थ्य के लिये लाभदायक नहीं है। इन उत्तदात्रियों को जब जाति के आधार पर देखते है तो स्पष्ट होता है कि सामान्य वर्ग की 47 (42.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां पिछड़े वर्ग की 46 (41.8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां, अनुसूचित जाति की 17 (15.4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां इस सम्बन्ध में हां

कहती है। अर्थात इन उत्तदात्रियों को कीटनाशक दवाओं आदि का ज्ञान है जबकि 52 (32 प्रतिशत) उत्तदात्रिया ऐसी है जिन्हें खेतों में प्रयोग की जाने वाली आधुनिक कम्पोस्ट खाद एवं कीटनाशक दवाओं आदि का खेतों में उत्पन्न होने वाले फलों एवं सब्जियों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव आदि का ज्ञान नहीं है जिनमे सामान्य वर्ग की 3 (5.7) उत्तरदात्रियां पिछड़े वर्ग की 29 (55.7प्रतिशत) उत्तरदात्रियां, अनुसूचित जाति की 20 (38.4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां सम्मिलत है।

इसी प्रकार मलहरा निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में 65 (57.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह कहती है कि कृषि में प्रयुक्त किये जाने वाले विभिन्न कीटनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी, आदि रसायनों का प्रभाव खाद्य पदार्थों पर पड़ता है जिससे अनेक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभाव देखने को मिलते है। इन उत्तरदात्रियों को जब हम जाति के आधार पर देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि हां कहने वाली इन सभी उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 27 (41.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां पिछड़े वर्ग की 24 (36.9 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां अनुसूचित जाति की 14 (21.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां है। जबकि 48 (42.4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह कहती है कि खेतों में प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न कीटनाशी दवाओं का प्रभाव खेतों में उत्पन्न होने वाली फसल या पौधों पर नहीं पड़ता। न कहने वाली इन सभी उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की 3 (6.2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां पिछड़े वर्ग की 16 (33.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां, अनुसूचित जाति की 29 (60.4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां सम्मिलित है।

इसी प्रकार जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में हाँ कहने वाली 23 (35.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ हैं जिनमें सामान्य वर्ग की 8 (34.1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ, पिछड़े वर्ग की 11 (47.8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ, अनुसूचित जाति की 4 (17.3 उत्तरदात्रियाँ यह स्वीकार करती है कि कीटनाशक दवाओं एवं खादों का प्रभाव केवल भूमि पर ही नहीं पड़ता वरन् उस भूमि में पैदा होने वाली हर फसल एवं पेड़ पौधों पर पड़ता है जिसका प्रभाव हम रासायनयुक्त कीटनाशी दवाओं तथा खाद्य पदार्थो, फलों सब्जियों आदि को ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ पर देख सकते है। जबकि 42 (64.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ जो नहीं कहती है। उनमें सामान्य वर्ग की 12 (28.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ पिछड़े वर्ग की 14 (33.3 प्रतिशत) उत्तरदत्रियाँ, अनुसूचित जाति की 16 (38

प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ ऐसी हैं। जिन्हें कीटनाशक दवाओं एवं रसायनों आदि से फलों एवं सब्जियों पर होने वाले हानिकारक प्रभावों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

इसी प्रकार छिबाँव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में 64 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ कीटनाशक दवाओं के अवशेष फलों एवं सब्जियों आदि में शेष रह जाने से मानव जीवन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों के सम्बन्ध में हाँ कहती हैं। इन हाँ कहने वाली उत्तरदात्रियों को जब हम जाति के आधार पर देखते है तो स्पष्ट होता है कि सामान्य वर्ग की 26 (40.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ, पिछड़े वर्ग की 24 (37.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ, अनुसूचित जाति की 14 (21.8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ जिनका मानना यह है कि कीटनाशक दवाओं का असर न केवल कीड़े–मकोडों पर पड़ता है वरन् इसका असर फल, सब्जियों एवं मानव जीवन के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जबकि वे उत्तरदात्रियाँ जो नहीं कहती है। इनकी संख्या 56 (46.6 प्रतिशत) है जिनमें सामान्य वर्ग की 14 (25 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ पिछड़े वर्ग की 16 (28.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ अनुसूचित जाति की 26 (46.4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ यह मानती है कि कीटनाशक दवाओं से मानव जीवन एवं फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

प्रस्तुत सारिणी के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि समस्त 460 उत्तरदात्रियों में जिन उत्तरदात्रियों को कीटनाशक दवाओं एवं रसायनों के सम्बन्ध में जानकारी है। उनमें सामान्य वर्ग की उत्तरदात्रियों का प्रतिशत 41.2 सर्वाधिक है। और अनुसूचित जाति की उत्तरदात्रियों का प्रतिशत 18.7 सबसे कम है। इसका कारण यह है कि सभी चयनित ग्रामों में सवर्ण वर्ग की महिलायें अधिक पढ़ी–लिखी है। इसलिए इन महिलाओं में यह प्रभाव अधिक दिखलाई पड़ता है जबकि अनुसूचित जाति में कम दिखाई पड़ता है।

ग्रामीण महिलाएं एवं ओषधियुक्त पौधे लगाने सम्बन्धी प्रभावकारिता-

वर्तमान में वनौषधियों से रोग निवारण की चर्चा हो रही है। आंधप्रदेश सरकार के विशेष सलाहकार श्री बलराज महर्षि को 5000 जड़ी–बूटियाँ का ज्ञान है, इसलिए उन्हें वनौषधि सम्राट भी

कहा जाता है। उनके अनुसार अकेले बिल्व (वेल) के वृक्ष की पत्ती, फल, फूल, मूल आदि से 15 प्रकार के असाध्य रोगों का इलाज है। उनका कहना है कि आज कैंसर, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, हदयरोग जैसे असाध्य खतरनाक रोगों का इलाज तो वास्तव में वनौषधियों से ही किया जा सकता है। कुछ ऐसे पौधे है जिनका मानव जाति से बड़ा गहरा रिश्ता है। हर घर–आँगन में या आसपास इन पौधों, वृक्षों की मौजूदगी नीरोग रहने के लिए ही काफी है।

नीम का वृक्ष घरों के आस–पास जरूर लगाया जाता है। क्योकि उसकी पतित्याँ, जड़, तना, छाल, निमौली, सीकें आदि सभी अचूक औषधियाँ है। इसलिए औषधि के रूप में इसका विशेष महत्व है। यहाँ तक कि नीम के वृक्ष के रेशों में औषधि का गुण मौजूद है। यही कारण है कि दाँत साफ करने में नीम की दातून ही मुख्य रूप उपयोग में लायी जाती रही है। इसमें मारगौसिक अम्ल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कड़आ मारगोसा तेल नीम के निमौली से निकाला जाता है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में मारगोसा तेल से अधिक वजन वाले का वजन घटाने और मधुमेह रोग को रोक पाने में कामयाबी हासिल हुई है। नीम की हरी पत्तियाँ खुजली, चोट आदि में लाभकारी है तो सूखी पत्तियों को नियमित चबाने से रक्त का शोधन हो जाता है तथा महिलाएँ अपनी त्वचा की रक्षा नीम की पत्तियों के पानी से बदन को धोकर नीरोग रखती है। शोध छात्रा ने जब ग्रामीण महिलाओं से यह प्रश्न किया कि वातावरण को शुद्ध रखने के लिए बट, बबूल, महुआ, नीम, पीपल, फलो, फूलों एवं औषधियों आदि पेड पौधों में कौन से पेड़–पौधे लगती है। 460 उत्तरदात्रियों में 115 (25 प्रतिशत) ने यह उत्तर दिया कि वह अपने घर के अन्दर या घर के बाहर नीम का पेड़ लगाती है। उनका कहना है कि नीम के पेड़ से वातावरण शद्ध होता है और औषधि के रूप में विशेष रूप से उपयुक्त होती है। इस प्रकार जब ग्रामवार महिलाओं से इस सम्बन्ध में जानना चाहते है तो बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 34.5 प्रतिशत महिलाये यह कहती है कि वह अपने घरों के आस–पास नीम का वृक्ष लगाती है। मलहरा निवादा ग्राम में 113 उत्तरदात्रियों में 22.1 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ नीम के वृक्ष को औषधि के रूप में प्रयोग करती है और इसे अपने घर के आस–पास लगाती भी है। इसी प्रकार जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में 27.6

प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ नीम की पत्तियाँ, जड़ तना, छाल, निमौली, सीकें आदि को अचूक औषधि के रूप में उपयोग लाती है। एवं इस वृक्ष को लगाती भी है। इसी प्रकार जब हम ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में 13.3 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ यह कहती है कि नीम की हरी पत्तियां खुजली, चोट आदि में लाभकारी है तथा त्वचा की रक्षा के लिये नीम की पत्तियों के पानी से बदन को धोकर निरोग रखती है। इतना ही नही वातावरण को शुद्ध रखने के लिये नीम का वृक्ष भी लगाती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरण के प्रति चेतना देखने को मिलती है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिये पेड़ पौधे लगाती है तथा इन वृक्षों के गुणों से प्रभावित भी है।

भारत के प्राचीन आयुर्वेद चरक, संश्रतु, भावमित्र तथा वाग्भट्ट आदि विद्वानों ने तुलसी के जिन गुणों का वर्णन किया है वह आज के वैज्ञानिक परीक्षणों और शोधों से भी प्रमाणित हो रहे है। तुलसी की रासायनिक संरचना में टैनिन, सैवोनिन, ग्लाइकोसाइडस और एल्केलाइड्स प्रमुख है। तुलसी सभी प्रकार के कफ सम्बन्धी रोगों की विशिष्ट औषधि है। सन् 1907 में इंग्लैण्ड के "इम्पीरियल मेडिकल कॉफ्रेन्स" में अनेक चिकित्सकों ने तुलसी को मलेरिया बुखार की सर्वोत्तम औषधि बताया है। डॉ खगेन्द्र नाथ वसु ने तुलसी को संक्रामक रोगों की अचूक औषधि बताया है। तुलसी वातावरण का शोधन करने के साथ ही साथ यह पर्यावरण सन्तुलन भी बनाती है ग्रामीण हिन्दू धर्मावलम्बियों के ऑगन में तुलसी का पौधा अवश्य ही मिल जाता है। क्योंकि उसे बड़ा ही पवित्र और दैवी रूप माना गया है। शोध छात्रा ने जब ग्रामीण महिलाओं से औषधियुक्त पौधे नीबू, पौदीना, धनिया, हल्दी, मूली, अजवाइन, सौंफ, लहसुन आंवला, प्याज, पालक, मेथी, तुलसी आदि पौधों के लगाने के सम्बन्ध में जानना चाहा तो समस्त चारो ग्राम की 460 उत्तरदात्रियों में 199 (43.2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां तुलसी का पौधा अपने घरों में लगाती है। जब हम ग्रामवार देखते है तो पता चलता है कि बड़ोखर बुजुर्ग की 162 उत्तरदात्रियों में 56 (34.5 प्रतिशत) मलहरा निवादा की 113 उत्तरदात्रियों में 36 (31.8 प्रतिशत) जरर की 65 उत्तरदात्रियों 35 (53.8 प्रतिशत) तथा छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में 72 (60.0 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां तुलसी का पौधा अपने घरों में

लगाती है तथा तुलसी के पौधे का प्रत्येक भाग, पत्ती डाली, तना व जड़ फूल बीज आदि सभी का उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों में प्रयोग करती है। इन महिलाओं का कहना है कि यदि लगातार तुलसी के पत्तों के रस का सेवन प्रातः काल किया जाय तो पुराना बुखार, आंव, तथा कफ सम्बन्धी आदि रोग ठीक हो जाते है। जरर एवं मलहरा निवादा, ग्राम की महिलाओं का कहना है कि कान में तेज दर्द हो रहा हो तो तुलसी की पत्ती का रस गरम करके कान में डाल देने से तुरंत आराम मिल जाता है। छिबांव एवं बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम की महिलाओं का कहना है कि तुलसी की पत्ती के रस के साथ चूने को मिलाकर दाद खाज में लगाया जाय तो उससे छुटकारा मिल जाता है। डॉ मरे व बोरिक ने अपने परीक्षणों से यह सिद्ध किया है कि तुलसी प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की उत्तम औषधि तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की उत्तम औषधि है ''इण्डियन ड्रग्स एण्ड एण्टीबायटिक्स कीमोथेरेपी''नामक पत्रिका के अनुसार तुलसी की टी0वी0 तपेदिक कीटाणु नाशक क्षमता विलक्षण है। अपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आयुर्वेदिक दृष्टि से तुलसी का महत्व तो है ही लेकिन महिलायें इस औषधि का प्रयोग घरेलू नुक्से के रूप में प्रयोग करती है तथा धार्मिक दृष्टि से तुलसी के पौधे का पूजन भी करती है।

ग्रामीण महिलाओं का स्वास्थ्य किसी न किसी तरह वनौषधियों पर निर्भर है। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये सौंफ, सोंठ, मेथी, अजवाइन, जीरा, हींग, हरड़, बहेड़ा, आंवला, आम, पपीता, नीबू, हल्दी, लौंग, कालीमिर्च आदि औषधियों को रोग उपचार के लिये प्रयोग में लाती है। बाहरी चोटों से सूजन होने पर उस पर हल्दी पीसकर लगाती है तथा प्रसवोपरांत जच्चा को दूध में हल्दी, सोंठ मिलाकर देती है जिससे उनके प्रजनन अंग सुदृढ़ होते है। आंवले का प्रयोग हर प्रकार के आंख के रोगों में लाभकारी है। ये ग्रामीण महिलायें सर्दी के मौसम में आंवले की चटनी तथा गर्मी में इसके मुरब्बे का उपयोग विशेष रूप से करती है यदि किसी को लू लग जाती है तो कच्ची आम की अमिया को गर्म राख में दबाकर सीझा लेती है और फिर छिलका उतारकर उसका शर्बत बनाकर उसे पीने को देती है साथ ही उसी पकी अमिया को शरीर पर मल देती है इससे लू लगने वाले को फौरन राहत मिलती है। ग्रामीण महिलाओं में इन औषधियों का प्रभाव कितना पड़

सारिणी क्रमांक 7.2

औषधियुक्त पौधे लगाने सम्बन्धी जानकारी

ग्राम / जाति–	हाँ				नहीं				
	सामान्य	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	योग/ प्रतिशत	सामान्य	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	योग/ प्रतिशत	योग
बड़ोखर बुजुर्ग	37 34.2	55 50.9	16 14.8	108 66.6	13 24.0	20 37.0	21 38.8	54 33.3	162
मलहरा निवादा	19 35.1	18 33.3	17 31.4	54 47.7	11 18.6	22 37.2	26 44.0	59 52.2	113
जरर	13 43.3	10 33.3	7 23.3	30 46.1	7 20.0	15 42.8	13 37.1	35 53.8	65
छिबांव	30 55.5	14 25.9	10 18.5	54 45%	10 15.1	26 39.3	30 45.4	66 55%	120
योग प्रतिशत	99 40.2	97 39.4	50 20.3	246 53.4	41 19.1	83 38.7	90 42.0	214 46.5	460

रहा है यह जानने का प्रयास निम्न सारिणी द्वारा किया जा रहा है।

प्रस्तुत सारिणी (7.2) ग्रामीण महिलाओं के औषधियुक्त पौधे एवं जड़ी बूटियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध को दर्शाती है। जैसा कि सर्वेक्षण के दौरान गवेषिका ने पाया कि ज्यादातर ग्रामीण महलाओं के घरों में कोई न कोई औषधि युक्त पौधे जैसे (आम, पपीता, नीम, नीबू, आंवला, तुलसी, धनिया,हल्दी, पौदीना, आजवाइन, सौफ, लहसुन, मेथी अदि) लगे हुये थे। प्रस्तुत सारिणी मे यही जानने का प्रयास किया गया है कि कितनी ग्रामीण महिलायें है जो औषधियों एवं जड़ी बूटियों के प्रभाव को जानती है और इनसे प्रभावित होकर अपने घरों में औषधियुक्त पौधे लगाती है।

प्रस्तुत सारिणी में चयनित चार ग्रामों की 460 उत्तरदात्रियों में 246 (53.4) उत्तरदात्रियां ऐसी है जो अपने घरों में औषधियुक्त पौधें लगाना उपयोगी समझती है। इसलिये वे इस सम्बन्ध में हां कहती है जबकि 214 (46.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां ऐसी है जो नहीं कहती है। इस सारिणी को जब हम ग्रामवार देखते तो ज्ञात होता है कि बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों मे 108 (66.6) उत्तरदात्रियां यह कहती है कि घर में औषधियुक्त पौधे लगाने से तुरन्त चिकित्सा से सहायता मिलती है इसलिए वे घर में औषधियुक्त पौधे लगाना आवश्यक समझती है। इन हां कहने वाली उत्तरदात्रियों को जब हम जाति क आधार पर देखते हैं तो सामान्य वर्ग की 37 (34.2 प्रतिशत) पिछडे वर्ग की 55 (50.9 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 16 (14.8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां है। जबकि 54 (33.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां ऐसी है जो नहीं कहती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ये उत्तरदात्रियां औषधियों के प्रभाव के बारे में जानती नहीं हैं। बल्कि ये उत्तरदात्रियां इसलिये नहीं कहती है कि ये अपने घरों में असुविधा के कारण खेतों में इन पौधों को लगाती हैं। या फिर जिन घरों में इस प्रकार के पौधे लगे हुये हैं। उनसे लेकर अपना काम चला लेती हैं।

इसी प्रकार मलहरा निवादा ग्राम को जब गवेषिका ने सर्वेक्षण किया तो पाया कि दुर्गा काछी और श्याम बिहारी की दो बगियां है जिनमें महुआ, आम अमरूद, नीबू, अनार, आंवला, जामुन, पपीता, मेथी, सौंफ, अजवाइन, बेल, पालक, लहसुन, प्याज आदि सभी फल सब्जियां औषधियां

लगाये हुये हैं। जिन घरों में औषधियुक्त पौधे नहीं है वे इस बगिया से लेकर काम चलाते है। इस ग्राम 113 उत्तरदात्रियों में 54 (47.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां जिनमें सामान्य वर्ग की 19 (35.1 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की 18 (33.3 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 17 (31.4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां ऐसी है जो घरों में इस प्रकार के पौधे लगाना उपयोगी नही समझती बल्कि आवश्यक मानती है जबकि 59 (52.2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह कहती है कि वे पौधे नहीं लगाती है बल्कि वे दूसरो से लेकर काम चला लेती है जिनमें सामान्य वर्ग की 11 (18.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां, पिछड़ं वर्ग की 22 (37.2प्रतिशत) उत्तरदात्रियां अनुसूचित जाति की 26 (44 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां घर में पौधे लगाना उपयोगी नहीं मानती हैं

जरर ग्राम जो 800 किलोमीटर की परिधि में फैले पर्वत के तलहटी मे बसा है जब गवेषिका ने जरर ग्राम का सवेक्षण किया तो वहां के बुजुर्ग पुरुष एवं महिलाओं से यह जानकारी मिली कि इस पर्वत में बहुत सारी जड़ी बूटी है जिनका नाम, अकोल लेकर, भेल, अगोल, अरुष, बवई, अमरवेल आदि है। बहुत औषधियों के बारे में इन्हें ज्ञान नहीं है। समीप के गांव के वैध इन जड़ीबूटियों एवं औषधियों को ले जाते है और लोगों का उपचार करते है। इस ग्राम में कोई वैध नहीं है। इसलिये इस ग्राम की औरतें या तो अपने घरों में इस प्रकार के पौधे लगाये हुये है। या फिर आवश्यकता पड़ने पर पर्वत से ले आती है। इस ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में 30 (46.1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां औषधियुक्त पौधे लगाने के सम्बन्ध में हां कहती है। जिनमें सामान्य वर्ग की 13 (43. 3 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की 10 (33.3) अनुसूचित जाति की 7 (23.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों का मानना यह है कि घर में औषधियुक्त पौधे लगाने से सुविधा अधिक रहती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिये लाभदायक भी होते है। जबकि 35 (53.8 प्रतिशत) उत्तदात्रियां नहीं कहती है। जिनमें सामान्य वर्ग की 7 (20 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की 15 (42.8 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 13 (37.1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां है जिनका मानना यह है कि जब ये औषधियां हमें गांव के पहाड़ एवं पास के वैधों से मिल जाते है तो घर में पौधे लगाना जरूरी नहीं है।

इसी प्रकार छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में 54 (45 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां

औषधियुक्त पौधे लगाने के सम्बन्ध में हां कहती हैं जिनमें सामान्य वर्ग की 30 (55.5 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की 14 (25.9 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 10 (18.5) उत्तरदात्रियां औषधियुक्त पौधे लगाना उपयोगी मानती हैं जबकि 66 (55 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां नहीं कहती है। जिनमें सामान्य जाति की 10 (15.1 प्रतिशत), पिछड़े जाति की 26 (39.3) प्रतिशत, अनुसूचित जाति की 30 (45.4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां ऐसी है जिनका मानना यह है कि घर में औषधियुक्त पौधें लगाना उपयोगी नहीं है। छिबांव ग्राम में नहीं कहने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत अधिक है। क्योंकि इस ग्राम में चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध हैं।

प्रस्तुत सारिणी का विश्लेषण करने एवं सर्वेक्षण से मिली जानकारी से ज्ञात होता है कि सभी ग्रामों में ज्यादातर महिलाओं में यह प्रभाव देखने में आया कि जिन महिलाओं के घर में औषधियुक्त पौधे लगे हुये हैं उनमें पर्यावरण का प्रभाव अधिक ही है। साथ ही जिन महिलाओं के घरों में औषधियुक्त पौधे नहीं है वे भी इनके ज्ञान एवं प्रभाव से अपरिचित नहीं है।, आवश्यकता पड़ने पर ये महिलायें गांव की अन्य महिलाओं से लेकर अपनी घरेलू चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने का प्रयास करती है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि इन ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरणीय प्रभावकारिता अधिक है।

ग्रामीण महिलायें एवं पेयजल को शुद्ध रखने के लिये दवा प्रयोग सम्बन्धी प्रभावकारिता-

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार विकासशील देशों में लगभग 80 प्रतिशत बीमारियों के लिये अस्वच्छ पेय जल एवं अस्वच्छ वातावरण उत्तरदायी होता है। सामान्यतः कोई भी मनुष्य अस्वच्छ या गन्दा रहना नहीं चाहता है, परन्तु एक दुखद सत्य है कि वस्तुत! उसे गंदगी का अर्थ ही मालूम नहीं होता है। ग्रामीण महिलाओं में कुछ ऐसी भी महिलायें है जो यह नहीं जानती है कि कई संक्रमण शील बीमारियों के लिये गन्दगी तथा गन्दगी फैलाने के लिये वह स्वंय उत्तरदायी है।

शौच त्याग के लिये पहले से कोई व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में

मलत्याग करना एक आम बात है। खुले में शौच करने की प्रथा एक ऐसे समाज का चित्र उतारती है, जिसमें मानव सभ्यता के प्रारम्भ से कोई गुणात्मक परिर्वन न हुआ हो। खुले में शौच करने से भूगत व भूमि के ऊपर बहने वाला जल प्रदूषित होता है। ऐसी कुछ बीमारियों में से हैजा, दस्त रोग, टाइफाइड, पोलियो, अमबिएसिस, पीलिया तथा पेट में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के कीड़े आदि जैसे रोग आम जनता के लिए आम बीमारियां है खुले मे शोच करने में जन समुदाय विशेष कर महिला वर्ग को असुविधा, असम्मान एवं असुरक्षा का सामना करना पड़ता है यदि हम सुधरे एवं स्वच्छ शौचालयों का प्रयोग करें तो इन सब कठिनाइयों एवं बीमारियों से बहुत कुछ बचा जा सकता है।

एस0सी0 रस्तोगी (1991) ने ग्रामीण पर्यावरण में सुधार एवं विशेष कर ग्रामीण महिलाओं की सुविधा, सम्मान व सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुये उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग द्वारा सातवीं पंच वर्षीय योजना काल में कुछ सीमित स्तर तथा वर्ष 1990–91 में वृहत स्तर पर ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। वर्ष 1991–92 में प्रदेश के ग्रामीण घरों में 2 लाख व्यक्तिगत शौचालय तथा लगभग 897 सामुदायिक शौचालयों एवं कुछ अन्य स्वच्छता सुविधा तथा सोख्ता गढ्ढा, जल निकास नाली, नहाने का चबूतरा तथा कूड़ा करकट गढ्ढा के निर्माण की व्यापक योजना तैयार की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित इन अभियान की प्रारम्भिक गतिविधियां 1981 में प्रारम्भ हुई। 1990 तक के दशक में 530 लाख की जनसंख्या इन योजनाओं से लाभान्वित हो चुकी है। आगामी 8 वर्षों में 325 लाख की जनसंख्या को इन योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा। गांव गांव में यूनिसेफ ने पोषण कार्यक्रम के साथ ही प्राथमिक स्कूलों व स्वास्थ्य केन्द्रों में जल सप्ताई एवं स्वच्छ पेयजल योजनाएं आरम्भ की है। जल संयंत्रों में पानी का शुद्धीकरण करने के लिये हम ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन का एक यौगिक तथा पोटेशियम परमैंगनेट (लाल दवा) फिटकरी, क्लोरीन का प्रयोग कर सकते है चयनित चार ग्रामों की ग्रामीण महिलाओं से पेयजल को शुद्ध करने के लिये किन दवाओं का प्रयोग करती है या कोई भी दवा का प्रयोग नहीं करती है।निम्न

सारिणी क्रमांक 7.3

पेयजल को शुद्ध रखने के लिए दवा का प्रयोग करना

ग्राम	हाँ				नहीं				
जाति-	सामान्य	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	योग/ प्रतिशत	सामान्य	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	योग/ प्रतिशत	योग
बड़ोखर बुजुर्ग	40 44.4	34 37.7	16 17.7	90 55.5	41 56.9	21 29.1	10 13.8	72 44.4	162
मलहरा निवादा	20 42.5	12 25.5	15 31.9	47 41.5	10 15.1	28 42.4	28 42.4	66 58.4	113
जरर	4 44.4	3 33.3	2 22.2	9 13.8	16 28.5	22 39.2	18 32.1	56 86.1	65
छिबांव	14 28.0	22 44.0	14 28.0	50 41.6	26 37.1	18 25.7	26 37.1	70 58.3	120
योग प्रतिशत	78 39.7	71 36.2	47 23.9	196 42.6	93 35.2	89 33.7	82 31.0	264 57.3	460

सारिणी में यही जानने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रस्तुत सारिणी (7.3) के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं की जाति एवं पेयजल की शुद्धि के लिये दवाओं के प्रयोग सम्बन्धी दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। इस सारिणी में यह जानने का प्रयास किया गया है कि इन चयनित चार ग्रामों में कितनी उत्तरदात्रियां ऐसी है जिन पर ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम एवं पेयजल शुद्धि कार्यक्रम का प्रभाव पड़ रहा है। जिससे ये ग्रामीण उत्तरदात्रियां पेयजल को शुद्ध करने के लिये किसी दवा का प्रयोग करती है या नहीं।

जाति के आधार पर प्रस्तुत सारिणी का जब हम अवलोकन करते है। तो ज्ञात होता है कि बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 90 (55.5 प्रतिशत) उत्तरदत्रियां यह कहती है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिये दवा का प्रयोग करती है। जिनमें सामान्य जाति की 40 (44.4 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की 34 (37.7 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 16 (17.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां जल को शुद्ध करने के लिये किसी न किसी दवा का प्रयोग करती है। जबकि 72 (44.4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह कहती है कि वे किसी भी दवा का प्रयोग नहीं करती जिमनें सामान्य जाति की 41 (56.9 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां, पिछडे वर्ग की 21 (29.1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां, अनुसूचित जाति की 10 (13.8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों का कहना है कि शुद्ध जल को क्या शुद्ध करना है। जल तो स्वयं शुद्ध रहता है।

मलहरा निवादा ग्राम महुआ ब्लाक का सबसे निकटतम ग्राम है। महुआ ब्लाक के द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी जिन कार्यक्रमों का प्रचार एवं प्रसार किया जाता है। उन कार्यक्रमों का प्रभाव ब्लाक के निकटतम ग्रामों पर देखने को मिलता है। निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में 47 (41.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां अधार पर देखते है तो सामान्य जाति की 20 (22.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों, पिछड़े वर्ग की 12 (25.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ, अनुसूचित जाति की 15 (31.9 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ यह कहती है कि कुओं और तालाबों, एवं पीने योग्य संग्रहित जल में दवा का प्रयोग करना उपयुक्त है। जबकि 66 (58.4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ यह कहती है कि पीने योग्य जल में दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिये। इन उत्तरदात्रियों को जाति के आधार पर देखते है तो पता चलता है कि

सामान्य जाति की 10 (15.1 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग को 28 (42.4 प्रतिशत), अनुसूचित जाति 28 (42.4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां जल में दवाओं का प्रयोग करना आवश्यक नहीं मानतीं।

जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में 9 (13.8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ जल को शुद्ध रखने के लिये दवा के प्रयोग के सम्बन्ध में हाँ कहती है। जिसमें सामान्य वर्ग की 4 (44.4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ पिछडे वर्ग की 3 (33.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ, अनुसूचित जाति की 2 (22.2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ शुद्ध जल का उपयोग में लाने के लिये गन्दे जल में दवा का उपयोग करना आवश्यक समझती है। जबकि 55 (86.1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ जल को शुद्ध रखने के लिये दवा के प्रयोग के सम्बन्ध में नहीं कहती है जिनमें सामान्य वर्ग की 16 (28.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ, पिछड़े वर्ग की 22 (39.2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ, अनुसूचित जाति की 18 (32.1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों का मानना यह है कि जल का उपयोग करने के लिए दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

छिबॉव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में 50 (41.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां ऐसी हैं, जो पीने योग्य जल को स्वच्छ एवं साफ करने के लिए कुओं, तालाबों एवं हैण्डपम्प के जल में दवा के प्रयोग को आवश्यक मानती हैं। इन उत्तरदात्रियों को जब हम जाति के आधार पर देखते हैं तो सामान्य वर्ग की 14 (28प्रतिशत) उत्तरदात्रियां, पिछड़ी वर्ग की 22 (44 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां, अनुसूचित जाति की 14 (28 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां पेयजल को शुद्ध रखने के लिए दवा का प्रयोग करती है। जबकि 70 (58.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों का कहना यह है कि जल को शुद्ध रखने के लिए दवा का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। इन उत्तरदात्रियों को जाति के आधार पर देखें तो सामान्य जाति की 26 (37.1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां, पिछड़ी जाति की 18 (25.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां, अनुसूचित जाति की 26 (37.1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों का मानना यह है कि कुओं, हैण्डपम्पों से निकला जल स्वच्छ होता है तो इस जल को स्वच्छ करने की क्या आवश्यकता है।

प्रस्तुत सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समस्त चार ग्रामों की 460 उत्तरदात्रियों में 196 (42.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह कहती हैं कि जल को शुद्ध बनाने के लिए दवा का प्रयोग करना चाहिए जबकि 264 (57.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह कहती हैं कि जल को शुद्ध रखने के

लिए किसी भी दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत सारिणी में नहीं कहने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत अधिक इसलिए है कि ज्यादातर ग्रामीण महिलायें यह नहीं जानती कि जल गन्दा होता है। वे हैण्डपम्प और कुएं के पानी को स्वच्छ मानती हैं। लेकिन ग्रामों में प्रयुक्त किये जाने वाली ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, क्लोरीन आदि के द्वारा जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जानती अवश्य हैं इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महिलायें प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों के प्रभाव से परिचित हैं और प्रभावित भी हो रही हैं।

स्टोन क्रेशरों से धूल प्रदूषण सम्बन्धी प्रभावकारिता-

बांदा जनपद के महुआ ब्लाक के चयनित चार ग्रामों में तीन ग्राम नरैनी रोड पर पड़ते हैं। इन ग्रामों में जरर गांव पहाड़ की परिधि पर बसा हुआ है, इसी पहाड़ पर बुन्देलखण्ड की बहुचर्चित ग्रेनाइट मिट्टी पायी जाती है। इस पहाड़ का ग्रेनाइट स्टोन नरैनी रोड में चार क्रेशर उद्योग पतियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहला अग्रवात स्टोन क्रेशर मिल (नवाब टैंक के पास) नरैनी रोड बांदा में दूसरा स्टोन क्रेशर मिल, अग्रवाल स्टोन क्रेशर मिल से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तीसरा स्टोन क्रेशर मिल तिंदवारा और बांदा पुरवा गाँव के बीच में स्थित है। चौथा स्टोन क्रेशर मिल जरर और बड़ोखर बुजुर्ग के बीच पतराहा गांव में स्थित है। क्रेशर उद्योगपतियों द्वारा नियमों को बलाय ताक में रखकर, प्रदूषण को खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं। स्थापित चार स्टोन क्रेशरों में से एक भी स्टोन क्रेशर न तो क्रेशर स्थापित नियमों का पालन कर रही है और नही उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शर्तों का पालन मात्र में नियम और कानून फायलों में कैद होकर रह गये हैं। इन क्रेशरों के चलने से रात्रि के समय ध्वनि प्रदूषण होने से वहां के लोगों का जीना हराम है वही दूसरी ओर क्रेशरों के चलते वक्त वहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं हैं। स्टोन क्रेशरों के चलने से डस्ट का कुहरा बादल की भांति छा जाते हैं। जिससे आमने-सामने की वस्तु दिखाई नहीं देती। कई किसानों के के खेतों में स्टोन की महीन-महीन धूल की परती पड़ रही है जिससे उन किसानों के कृषि उपज पर इसका प्रभाव पड़ रहा है तथा स्टोन क्रेशर के धूल कणों से यहां का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। राजधानी दिल्ली के स्टोन क्रेशर से हो रहे वायु प्रदूषण के बारे में

सारिणी क्रमांक 7.4

क्रेशर उद्योगों से वायु प्रदूषण सम्बन्धी चेतना

ग्राम	हाँ				नहीं				
जाति-	सामान्य	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	योग/ प्रतिशत	सामान्य	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	योग/ प्रतिशत	योग
बड़ोखर बुजुर्ग	36 43.3	32 38.5	15 18.0	83 51.2	14 17.4	43 54.4	22 27.8	79 48.7	162
मलहरा निवादा	18 25.3	25 35.2	28 29.4	71 62.8	12 28.5	15 35.7	15 35.7	42 37.1	113
जरर	12 30.7	18 46.1	9 23.0	39 60.0	8 30.7	7 26.9	11 42.3	26 40.0	65
छिबांव	18 32.1	20 35.7	18 32.1	56 46.6	22 34.3	20 31.2	22 34.3	64 53.3	120
योग प्रतिशत	84 33.7	95 38.1	70 28.1	249 54.1	56 26.5	85 40.2	70 33.1	211 45.8	460

सीताराम सिंह पंकज (1993) ने व्यक्त करते हुये कहा कि राजधानी दिल्ली के 107 स्टोन क्रेशर एवं 22 पोटेरीज भी वायु प्रदूषण के एक प्रमुख कारण है।बोर्ड के अनुसार 107 स्टोन क्रेशर में से मात्र 43 ने धून कणों को उड़ने से रोकने वाले संयत्र लगाए हैं। बाकी क्रेशर पहले की तरह धूल उड़ाते रहते हैं। औद्योगिक इकाइयों से बहुत मात्रा में जहरीली गैस निकलकर हवा में मिलती रहती हैं। तथा पर्यावरण को प्रदूषित करती है। 21 नवम्बर 1998, आज समाचार सेवा में स्टोन क्रेशरों के डस्ट प्रदूषण के बारे में यह व्यक्त किया गया कि बुन्देलखण्ड के कबरई (महोबा) की बहुचर्चित ग्रेनाइट उद्योग से 50 स्टोन क्रेशरों से वहां का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। उ0 प्र0 राज्य पर्यावरण मंत्री, विवेक सिंह जो कि बांदा के निवासी हैं द्वारा सक्ती से प्रदूषण के नियमों का पालन करने एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की पैरवी करने को कहा गया। परन्तु समस्या आज भी सुरसा की भांति मुंह बाये खड़ी है।

प्रस्तुत सारिणी (7.4) में ग्रामीण महिलाओं से क्रेशर से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की गयी है तो स्पष्ट हुआ कि जिन ग्रामों के समीप स्टोन क्रेशर लगे हुए हैं। वे उत्तरदात्रियाँ इससे होने वाले कुप्रभावों को जानती है। मलहरा निवादा ग्राम की प्रतिशत 62.8 उत्तरदात्रियां एवं जरर ग्राम की 60 प्रतिशत उत्तरदात्रियां स्टोन क्रेशर से होने वाले दुष्परिणामों से परिचित हैं। जो ग्राम स्टोन क्रेशर मील से बहुत दूरी पर बसे हुए हैं जैसे छिबांव यहां की 53.3 प्रतिशत महिलायें, स्टोन क्रेशर से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति उतनी सचेत नहीं है।

प्रस्तुत सारिणी को जब हम ग्रामवार देखते हैं तो ज्ञात होता है कि बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 83 (51.2प्रतिशत) उत्तरदात्रियां ऐसी हैं जो यह मानती है कि स्टोन क्रेशर से उड़ने वाले धूल के कणों से वायु प्रदूषण होता है। इन उत्तरदात्रियों को जब हम जाति के आध ार पर देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि उच्च जाति की 36 (43.3 प्रतिशत), मध्यम जाति की 32(38. 5 प्रतिशत, निम्न जाति की 15 (18.0 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां, स्टोन क्रेशर से उत्पन्न प्रदूषण के सम्बन्ध में जानकारी रखती है। जबकि 79 (487 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां ऐसी है जिन्हें स्टोन क्रेशर से उत्पन्न प्रदूषण के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। जिनमें सामान्य जाति की 14 (17.4

प्रतिशत) उत्तरदात्रियां, पिछड़ी अर्थात मध्यम जाति की 43 (54.4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां, अनुसूचित जाति की 22 (27.8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह मानती है कि स्टोन क्रेशर उद्योगों से वातावरण प्रदूषित नहीं होता अर्थात स्टोन क्रेशर के धूल के कणों से वायु प्रदूषण नहीं होता है।

इसी प्रकार मलहरा निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में 71 (62.8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियो यंह कहती है कि क्रेशर उद्योगों से वायु प्रदूषित होती है। इस ग्राम की अधिकतर महिलाओं का कहना है कि क्रेशर के छोटे–छोटे कण आस–पास के वातावरण में फैल जाते है। अर्थात स्टोन क्रेशरो के चलने से धूल का कुहरा बादल की भाति छा जाते है। जिससे आमने–सामने की वस्तु दिखाई नही देतीं। मलहरा निवादा रोड पर स्टोन क्रेशर मिल स्थित है। इस कारण इस ग्राम की ज्यादा तर महिलाओं का कहना कि उनके खेतों में स्टोन की महीन महीन धूल की परती पड रही है। जिससे उनके कृषि उपज पर स्टोन क्रेशर के धूल कणों से यहॉ का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इन उत्तर दात्रियों को जब हम जाति के आधार पर देखते है तो स्पष्ट होता है कि सामान्य जाति की 18 (25.3 प्रतिशत) पिछडी जाति की 25 (35.2 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 28 (29. 4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ यह स्वीकार करती है कि स्टोन क्रेशरो के चलने से वातावरण प्रदूषित होता है जबकि 42 (37.17) उत्तरदात्रियां यह स्वीकार करती है कि स्टोन क्रेशरो के धूल के कणों का वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन सभी उत्तरदात्रियों में सामान्य जाति की 12 (28.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ, पिछड़ी जाति की 15 (35.7 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 15 (35.7 प्रतिशत), उत्तरदात्रियाँ ऐसी है जिन्हे यही नही पता कि स्टोन क्रेशर के धूल कणो से वातावरण प्रदूषित होता है।

स्टोन क्रेशर उद्योग से होने वाले प्रदूषित वातावरण के सम्बन्ध में जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में हाँ कहने वाली 39 (60.0 प्रतिशत), उत्तरदात्रियाँ है। जिनमें सामान्य जाति की 12 (30.7 प्रतिशत), पिछड़ी जाति की 18 (46.1 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 9 (23.0 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ है जो यह मानती है कि स्टोन क्रेशर उद्योग से वायु प्रदूषित होती हैं। जबकि 26 (40. 0 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह कहती हैं कि स्टोन क्रेशर उद्योग से वायु प्रदूषित नहीं होती और न

ही इस प्रदूषण का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। नहीं कहने वाली उत्तरदात्रियों को जब हम ग्रामवार देखते हैं तो पता चलता है कि सामान्य जाति की 8 (30.7 प्रतिशत) पिछड़ी जाति की 7(26. 9 प्रतिशत) अनूसचित जाति की 11 (42.3 प्रतिशत) उत्तर दात्रियों को इस प्रदूषण के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

इसी प्रकार छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में 56 (46.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां ऐसी हैं जो क्रेशर उद्योग से होने वाले वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में जानती हैं। जिनमें सामान्य जाति की 18 (32.1 प्रतिशत) पिछड़ी जाति की 20 (35.7 प्रतिशत), अनूसूचित जाति की 18 (32.1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं, जबकि 64 (53.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां का कहना है कि स्टोन क्रेशर से वायु प्रदूषित नहीं होती हैं। इन उत्तरदात्रियों में सामान्य जाति 22 (34. 3प्रतिशत) पिछड़ी जाति की 20 (31 .2 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 22 (34.3 प्रतिशत) है।

प्रस्तुत सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समस्त चार ग्रामों की 460 उत्तरदात्रियों में 249 (54.1प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह कहती हैं कि स्टोन क्रेशर उद्योगों से वायु प्रदूषित होती हैं। इन चार ग्रामों में मलहरा निवादा की 62.8 तथा जरर ग्राम की 60 प्रतिशत उत्तरदात्रियां वायु प्रदूषण के प्रभाव से परिचित हैं। उपरोक्त सारिणी में यदि हम ध्यान दें तो ज्ञात होता है कि छिबांव ग्राम की उच्च जातियां प्रायः सम्पन्न, किन्तु पारम्परिक व्यवस्था से आबद्ध है ऐसे परिवारों की महिलायें घर से बाहर कम ही जा पाती है। अतः स्टोन से उत्पन्न प्रदूषण से उतनी सचेत नहीं है। अतः स्पष्ट होता है कि समस्त चार ग्रामों में छिबांव ऐसा ग्राम है स्टोन क्रेशर से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति पूर्ण रूप परिचित नहीं है, इसका कारण है कि ग्राम के समीप स्टोन क्रेशर मिल नहीं है। जब मलहरा निवादा, बड़ोखर, बुजुर्ग जरर ये तीनों ग्राम ऐसे हैं जो स्टोन क्रेशन मिलों के समीप स्थित हैं ये ग्राम नरैनी रोड पर पड़ते हैं इस नरैनी रोड में ही चार स्टोन क्रेशर मिल स्थिति हैं, इस कारण इन तीनों ग्राम की महिलायें स्टोन क्रेशर उद्योग से होने वाले वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से प्रभावित है अर्थात इन महिलाओं में क्रेशर उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषण सम्बन्धी चेतना अधिक है।

पर्यावरणीय सहभागिता-

आज जनता की पर्यावरणीय सहभागिता में लगातार वृद्धि सभी आधुनिक जनतांत्रिक समाजों की प्रधान विशेषता है। पर्यावरण सहभागिता का तात्पर्य समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को अपने पर्यावरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने वाले कार्यक्रमों से किसी न किसी स्तर पर सक्रिय रूप से जुड़ना हैं। आज का भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पर्यावरण अपने स्वरूप एवं प्रभाव की दृष्टि से तेजी से बदल रहा है। प्रो0 के.पी. पाण्डेय (1998) ने लिखा है कि पर्यावरण द्वारा उत्पन्न संकटों से निपटने के लिये सन 1972 में स्टाक होम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में पर्यावरण शिक्षा एवं सहभागिता पर जोर दिया गया तथा बाद में अक्टूबर 1977 ई. में यूनेस्कों की सहायता से आयोजित बिल्सी (रूस) सम्मेलन द्वारा भी इसकी पुष्टि हुई अब प्रायः यह माना जाता है कि प्रभावी अधिगम के लिये बालक एवं बालिकाओं को अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता होती है। इसलिये प्रायः सभी देशों में पर्यावरण शिक्षा को तीन स्तरों पर लागू करने का प्रयास किया गया है। ये हैं व्यक्तिगत, समूह एवं दूर संचार के माध्यमों का प्रयोग करते हुये सामान्य जनस्तर। वृहत संचार के माध्यमों में वृद्धि से सामाजिक व्यवस्था के सभी क्षेत्राों में आम जनता की सहभागिता में वृद्धि हुई इस सहभागिता को पर्यावरणीय क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर बढ़ता हुआ महसूस किया जा सकता है आज आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप न केवल संचार में क्रांति हुई वरन बढ़ते हुये नगरीकरण आर्थिक विकास, सामाजिक गतिशीलता के साथ पर्यावरणीय सहभागिता की प्रक्रिया भी तीव्र हुई है।

पर्यावरणीय सहभागिता सभी क्षेत्रों में एवं सभी लोगों में एक समान स्तर की नहीं दिखाई पड़ती है। पर्यावरणीय सक्रियता विभिन्न पर्यावरणीय गतिविधियों के रूप में प्रगट होती हैं इन्हीं गतिविधियों में शामिल होना ही पर्यावरणीय सहभागिता की पहचान है। पर्यावरणीय सहभागिता के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियों के क्षेत्र को आधुनिक पर्यावरण विद्रों ने बहुत विस्तृत कर दिया है। इनमें से विशेष रूप से उल्लेखनीय गतिविधियाँ अधोलिखित है। वृक्ष लगाना, हरी.भरी वाटिकाओं का संरक्षण एवं फलदार बागों की रखवाली। पार्कों एवं जनस्थलों की सफाई करना। कूडों कचरों एवं

खाने के बाद फेके हुये उच्छिष्टों को यथा स्थान उपयुक्त ढंग से रखना। पीने का पानी जहां से मिलता हैं, इन स्त्रोंतो का स्वास्थ्य परिक्षकों द्वारा जांच की व्यवस्था कराना। वायु प्रदूषण को रोकना। सड़कों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन तथा हवाई अड्डों की सुरक्षा के साथ उन्हें साफ सुथरा रखना। नालियों की सफाई एवं मरम्मत कराना। गंदी बस्तियों तथा शहर एवं गांव के इर्द–गिर्द की आबादी के रहन–सहन में सुधार लाना आदि पर्यावरणीय सहभागिता के प्रमुख अभियान है।,

ग्रामीण वातावरण में शुद्ध वायु, जल, मिट्टी, और वनस्पति जड़ी बूटी युक्त प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर ही स्वस्थ्य रहना एक उचित, सस्ता और संभावित उपचार है। बढ़ते प्रदूषण के बीच प्रदूषण मुक्त वातावरण पैदा करके पुनः प्रकृति के अनुकूल आचरण व्यवहार करना पर्यावरणीय सहभागिता का एक रूप है।

ग्रामीण महिलाएं एवं पौधे लगाने में सहभागिता-

हमारा पर्यावरण हमारे चारों ओर का समग्र वातावरण है जिसमें शामिल हैं जल,वायु, पेड़–पौधे, मिट्टी और प्रकृति के अन्य तत्व जीवन जन्तु आदि पेड़ पौधों एवं जीव–जन्तुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसा है।, इसकी भरपूर विवेचना विभिन्न पुराणो में की गयी है। पौधों के बोने, खेती करने, वृक्षारोपण, पोधों की देखभाल और उनके काटने के बारे में जो वर्णन पुराणों में मिलता है, वह ईशा पूर्व दूसरी शताब्दी से ही भारतीय लोगों के वनस्पतियों कीदेखभाल और संरक्षण के प्रयासों की मिसाल है। वामन पुराण, कर्मपुराण और अग्नि पुराण में पौधों या उनके भागों को काटना संज्ञेय अपराध माना गया है। काटने की बात तो दूर है। दूसरी तरफ पौधों का दान एक बहुत ही पवित्र कार्य माना है। इन सभी पुराणों में पेड़ों की बेरोक–टोक कटाई या मस्ती के लिये काट–छांट को न सिर्फ अनैतिक माना गया है बल्कि इसे दण्डनीय भी करार दिया गया है। अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में तो विभिन्न उपयोगी पेड़ों के काटने पर दिये जाने वाले आर्थिक दण्ड का स्पष्ट जिक्र है। जैसे पेड़ों को फलविहीन करने पर एक स्वर्ण मोहर, उपयोगी वृक्ष जैसे आम और वट की शाखा काटने पर 20 पण तना काटने पर 40 पण और जड़ काटने पर 60 पण का प्रावधान है।

वामन पुराण में जंगल और उपवन की देखभाल के लिए बाकायदा क्षेत्रपाल की नियुक्ति

का प्रावधान दिया गया है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि प्राचीन भारत में जब जंगलों की कोई कमी नहीं थी तब भी उनकी रक्षा पर कितना ध्यान दिया जाता था। ब्रम्ह पुराण में रोगी, पेड़ पौधों की देखभाल हेतु 'वृक्ष वैध्य' की नियुक्ति का वर्णन भी है। अर्थात उस जमाने में भी वनस्पतियों को रोगों से बचाने के लिये प्रावधान थे, आज के 'प्लाट पेथालाजिस्ट' की तरह। पौधों को चुराने पर दण्ड देना और वृक्ष दान को पवित्र मानने वाले वर्णनों से साफ है कि पुराण लिखने वाले न सिर्फ वनस्पतियों को पवित्र और पूजनीय मानते थे, बल्कि वे इनके आर्थिक महत्व से भी भली–भांति परिचित थे। वायु पुराण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य की सभी आधारभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, आभूषण, इमारती, लकड़ी, फल–फूल रंग और शहद सभी पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। पुराणों में पौधों को परिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक और जंगलों को मानव समुदाय का आवश्यक साथी माना गया है।

जीव मण्डल में पौधों का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं तथा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से स्थलीय एवं जलीय जन्तुओं मानव सहित को आहार प्रदान करते हैं। पौधों की जातियों के सामाजिक समूह को पादप समुदाय कहते हैं तथा पौधे इस समुदाय की आधारभूत इकाई होते हैं। जीवनमण्डल में पौधों के महत्व एवं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर ही जीवभूगोल में पौधों के अध्ययन पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है तथा पादप भूगोल को भूगोल की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित किया गया है। पादप तंत्र के अन्तर्गत पौधों के वर्गीकरण, समुदाय विकास, उनकी उत्पत्ति तथा विकास उनके स्थानिक वितरण प्रतिरूप, उनके विसरण तथा विलोपन एवं उनके विभिन्न कार्यों का अध्ययन किया जाता है। पौधों का प्रमुख कार्य सौर्यिक ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण विधि से आहार ऊर्जा , रासायनिक ऊर्जा का निर्माण करना है। पौधों का उद्‌भव अतीत भौमिकीय काल में जलीय पर्यावरण में हुआ था। इसके बाद से पौधों ने विभिन्न जलवायु प्रदेशों, उच्च पर्वतों तथा जलीय भागों से लेकर स्थलीय भागों एवं विभिन्न पर्यावरण दशाओं में अपना अनुकूलन किया है जिस कारण विभिन्न पर्यावरण वाले क्षेत्रों में विशिष्ट पादप समूहों का विकास हुआ है। विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों में पौधों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में

सारिणी क्रमांक 7.5

वातावरण को शुद्ध रखने के लिए घर के अन्दर या घर के बाहर पौधे लगाती है।

ग्राम	हाँ				नहीं				
जाति-	सामान्य	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	योग/ प्रतिशत	सामान्य	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	योग/ प्रतिशत	योग
बड़ोखर बुजुर्ग	42 37.1	52 46.0	19 16.8	113 69.7	8 16.3	23 46.9	18 36.7	49 30.2	162
मलहरा निवादा	25 32.8	23 30.2	28 36.8	76 67.2	5 13.5	17 45.9	15 40.5	37 32.7	113
जरर	16 33.3	21 43.7	11 22.9	48 73.8	4 23.5	4 23.5	9 52.9	17 26.1	65
छिबांव	38 37.2	32 31.3	32 31.3	102 85.0	2 11.1	8 44.4	8 44.4	18 15.0	120
योग प्रतिशत	121 35.6	128 37.7	90 26.5	339 73.6	19 15.7	52 42.9	50 41.3	121 26.3	460

अध्ययन किये हैं डी. बी. बॉटकिन तथा ई. ए. केलर (1982) ने पादप जगत की समस्त वनस्पतियों को प्रदर्शित किया है एफ.ई. क्लीमेंटस (1916) ने वनस्पति के अनुक्रमिक विकास में पांच प्रावस्थाओं का उल्लेख किया है। डार्विन (सी. डार्विन, 1859) ने पौधों की जातियों की उत्पत्ति से सम्बन्धित अध्ययन किया है। डी.वी. अगर (1976) ने पृथ्वी पर पौधों के उद्भव तथा विकास के संदर्भ में पी. ए. राविन तथा डी.आई. एक्सलोरड (1974) ने क्रिटैसियस युग में विकसित पुष्पी पौधों के पिसरण का उल्लेख किया है। एफ.ई. क्लीमेंटस (1936) ने क्षेत्र विशेष में वनस्पति समुदाय के विकास का अध्ययन किया है।

प्रस्तुत सारिणी (7.5) ग्रामीण महिलाओं एवं पौध संरक्षण के सम्बन्ध को दर्शाती है। गवेषिका ने सर्वेक्षण के दौरान जब महिलाओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या आप वातावरण को शुद्ध रखने के लिये घर के अंदर या घर के बाहर पौधे लगाती हैं? ज्यादातर ग्रामीण महिलाओं ने यह उत्तर दिया कि वह पौधे लगाती हैं। ये पौधें, फूलों, फलों, सब्जियों, एवं औषधियों आदि के हो सकते हैं। जिन्हें हमने ग्रामीण महिलाओं के पर्यावरण से प्रभावित सहभागिता के रूप में ग्रामीण महिलाओं के विचार जानने का प्रयास किया गया है। इस सारिणी में ग्रामीण महिलाओं की पर्यावरण सहभागिता को जानने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत सारिणी में चयनित चार ग्रामों की उत्तरदात्रियों का जब हम ग्रामवार विवरण प्रस्तुत करते हैं तो स्पष्ट होता है कि बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 113 (69.7) उत्तरदात्रियां यह कहती हैं कि वह घर के अंदर या बाहर पौधे लगाती हैं। इन उत्तरदात्रियों को जब जाति के आधार पर देखते हैं तो सामान्य जाति की 42 (37.1) प्रतिशत उत्तरदात्रियां, पिछड़ी जाति की 52(46 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां, अनुसूचति जाति की 19 (16. 8प्रतिशत) उत्तरदात्रियां जिनका मानना है कि घर के वातारण को शुद्ध रखने के साथ–साथ ये पौधे घर की सुन्दरता को **भी बढ़ाते है।।** जबकि 49 (30.2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां ऐसी हैं जिनके घर में किसी प्रकार का **पौधा नहीं हैं।** इसलिये वो नहीं में उत्तर देती हैं। नहीं कहने वाली उत्तरदात्रियों में सामान्य वर्ग की **8 (16.3 प्रतिशत)** उत्तरदात्रियां, पिछड़ी जाति की 23(46.9 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां, अनुसूचित जाति

की 18.(36.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं।

मलहरा निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में 76 (67.2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां ऐसी हैं जो घर को शुद्ध रखने के लिये पौधे लगाना उपयोगी मानती हैं। जैसे तुलसी का पौधा ग्रामीण महिलाओं के विचारानुसार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से उपयोगी माना जाता है बल्कि वातावरण एवं औषधि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसी प्रकार नीम एवं पीपल के वृक्ष भी घरों के बाहर लगाती हैं। इन महिलाओं को जाति के आधार पर देखने से स्पष्ट होता है कि सामान्य जाति की 25 (32.8 प्रतिशत) पिछड़ी जाति की 23 (30.2 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 28 (36.8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां जिनका मानना यह है कि घर में पौधे लगाना चाहिये जबकि 37 (32.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां, जिनमें सामान्य की 5(13.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां पिछड़ी जाति की 17 (45.9 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 15 (40.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह कहती हैं कि घर में पौधे लगाना उपयोगी नहीं है और न ही पौधे लगाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है।

इसी प्रकार जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में 48 (73.8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह कहती हैं कि घर में पौधे लगाना न केवल स्वच्छ वातावरण की दृष्टि से उपयोगी हैं बल्कि औषधियों, एवं फल, फूल सब्जियों की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। इन उत्तरदात्रियों में सामान्य जाति की 16 (33.3 प्रतिशत) पिछड़ी जाति की 21 (43.7 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 11 (22.9 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां घर के वातावरण को शुद्ध रखने के लिये घर के अंदर या घर के बाहर पौधे लगाने के सम्बन्ध में हां कहती हैं जबकि 17 (26.1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां ऐसी हैं जो घर के अंदर या बाहर पौधे लगाना इसलिये उपयोगी नहीं मानती कि कुछ महिलाओं के घरों में पौधे लगाने के लिये जगह का अभाव है। या जरूरत पड़ने पर फल, फूल या औषधि को अन्य दूसरी महिलाओं के घरों से लेकर अपने आवश्यकताओं को पूरा करतीं हैं एवं काम चलाती है। इन नहीं कहने वाली उत्तरदात्रियों में सामान्य जाति की 4(23. 5 प्रतिशत) पिछड़ी जाति की 4 (23.5 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 9 (52.9 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं।

इसी प्रकार छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में 102 (85 प्रतिशत) उत्तरदत्रियां अपने

घर के आस–पास पौधे लगाती हैं। इन उत्तरदात्रियाँ को जाति के आधार पर देखे तो सामान्य वर्ग की 38 (37.2 प्रतिशत) उत्तरदत्रियाँ पिछड़ी जाति की 32 (31.3) प्रतिशत उत्तरदात्रियां, अनुसूचित जाति की 32 (31.3) प्रतिशत उत्तरदात्रियां इसलिए घर में पौधे लगाना उपयोगी मानती है कि शुद्ध हवा मिलती है तथा घर में फल, फूल एवं सब्जी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। जबकि 18 (15 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ पौधे लगाने के सम्बन्ध में नहीं कहती है। नहीं कहने वाली उत्तरदात्रियों में सामान्य जाति की 2 (11.1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ, पिछडी जाति की 8 (44.4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ, अनुसूचित जाति 8 (44.4 प्रतिशत) उत्तरदत्रियाँ है।

उपरोक्त सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित चार ग्राम की 460 उत्तरदात्रियों में 339 (73.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ ऐसी है जो वातावरण को शुद्ध रखने के लिए घर के अन्दर या घर के बाहर पौधे लगाने के सम्बन्ध में हाँ कहती है। जबकि 121 (26.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ जो पौधे लगाने के सम्बन्ध में नहीं कहती है। नहीं कहने वाली उत्तरदात्रियों की अपेक्षा हाँ कहने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। यह महिलायें फल, फूल एवं सब्जी औषधियों के पौधे लगाना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से उपयोगी मानती है बल्कि वातावरण को शुद्ध रखने, शुद्ध आक्सीजन प्राप्त करने, घर की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से भी उपयोगी एवं उपयुक्त समझती है। प्रस्तुत सारिणी से स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण महिलायें न केवल पर्यावरण में सहभागी हैं वरन् शुद्ध पर्यावरण को बनाने के लिए जागरूक एवं सचेत भी हो रही है।

ग्रामीण महिलायें एवं स्वच्छता सम्बन्धी सहभागिता-

पर्यावरण एवं प्रदूषण तथा स्वास्थ्य इन तीनो का घनिष्ट सम्बन्ध है। इन तीनो में सन्तुलन बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है क्योकि आधे से अधिक बीमारियाँ अस्वच्छ वातावरण एवं दूषित प्रदूषण की देन है। उल्टी, दस्त, पेचिस, पीलिया, टाइफाइड, हैजा आदि दूषित पेयजल एवं अस्वच्छ वातावरण से होते है। एक सामान्य आदमी 24 घण्टों में लगभग 22 हजार बार साँस लेता है और लगभग 12 किलो ग्राम वायु का सेवन करता है। यह मात्रा भोजन और पानी की तुलना में

कई गुना अधिक है। इसलिए अस्वच्छ वातावरण एवं हवा का प्रदूषित होना सबसे अधिक चिन्ता का विषय है।

वर्ष 1994 में स्वच्छता कार्यक्रम को योजनाओं में स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत शुरू किया गया था 1986 में यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम का अंग बन गया इसी वर्ष केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भी शुरू किया गया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य शौचालयों के निर्माण, निजी साफ–सफाई, घरों में स्वच्छता रखने की आदतों को बढ़ावा देने तथा कूडा–करकट मल एवं गन्दे पानी को हटाने की प्रवृत्ति को विकसित करना है। ग्रामीण स्वच्छता केन्द्रो द्वारा स्वच्छ कार्यक्रम के लिए सामग्री की व्यवस्था की जाती है। यही कारण है कि ग्रामीण महिलायें जागरूक होकर स्वच्छ पर्यावरण बनाने में सहभागी हो रही है। गांवों में बीमारियां फैलने का मुख्य कारण ग्रामीण महिलाओं की अज्ञानता निरक्षरता गरीबी तथा पशुओं के गोबर का रख–रखाव सही न होना शौचालय का न होना परम्परागत चूल्हे कच्चा रसोई घर कच्ची गलियां तथा गन्दे पानी की निकासी का उचित न होना आदि महिला शिक्षा के नाम पर आंगनवाडी वयस्क शिक्षा वगैरह जैसी योजनाएं सरकार चाहे जितनी चला ले गांव में अभी भी महिलाएं सबेरे उठ कर गोबर उठाना उपले थापना फिर पशुओं के लिए घसवाही करना फिर अपने परिजनों के लिए रोटी थापना या चावल बनाना और उसे लेकर खेत पर काम कर रहे अपने परिजनों के लिए जाना फिर वापस घर द्वार बधान की सफाई पशुओं को पानी फिर धुंआ फेकते चूल्हे पर जुट जाना आदि है। ये ग्रामीण महिलायें दिन भर काम–काज में व्यस्त होने के कारण स्वच्छ एवं सफाई पर ध्यान नहीं दे पाती अर्थात ये महिलायें दिन भर खाने के साथ भोजन बने मल और अशुद्ध वायु को भी पचाती है बहुत सी महिलायें आलस अथवा उदासीनता वश भी सफाई और स्वच्छता पर ध्यान नहीं देती।

स्वच्छता स्वच्छ जीवन व रहन सहन के लिये अति आवश्यक है अनेको बीमारियों के प्रकोप से स्वच्छ रहकर बचा जा सकता है। स्वच्छता रोग प्रतिरक्षण का प्रथम उपाय है व्यक्तिगत स्वच्छता समुदायिक स्वच्छता से स्वस्थ वातावरण एवं उत्तम पर्यावरण का निर्माण होता है व्यक्तिगत स्वच्छता का दायित्व तो हर व्यक्ति चाहे वह पुरूष हो या महिला पर होता है किन्तु समुदायिक

सारिणी क्रमांक 7.6

खाना परोसने में चम्मच, छन्नी कहां रखती हैं

	बर्तन के ऊपर				बर्तन के अन्दर				जमीन या चूल्हे के ऊपर				पानी से धोकर रखना				योग
जाति ग्राम	सामान्य जाति	पिछडी जाति	अनु. जाति	योग/ प्रतिशत	सामान्य जाति	पिछडी जाति	अनु. जाति	योग/ प्रतिशत	सामान्य जाति	पिछडी जाति	अनु. जाति	योग/ प्रतिशत	सामान्य जाति	पिछडी जाति	अनु. जाति	योग/ प्रतिशत	
बड़ोखर बुजुर्ग	10 17.8	30 35.5	16 28.5	56 34.5	24 41.3	24 41.3	10 17.2	58 35.8	3 9.0	20 60.6	10 30.3	33 20.3	13 86.6	1 6.6	1 6.6	15 9.2	162
मलहरा निवादा	6 33.3	8 44.4	4 22.2	18 15.9	10 25.6	10 25.6	19 48.7	39 34.5	4 13.3	16 53.3	10 33.3	30 26.5	10 38.4	6 23.0	10 38.4	26 23.0	113
जरर	5 33.3	6 40.0	4 26.6	15 23.0	11 45.8	8 33.3	5 20.8	24 36.9	3 13.0	10 43.4	10 43.4	23 35.3	1 33.3	1 33.3	1 33.3	3 4.6	65
छिबांव	8 27.5	11 37.9	10 34.4	29 24.1	14 29.1	16 33.3	18 37.5	48 40.0	16 44.4	10 27.7	10 27.7	36 30.0	2 28.5	3 42.8	2 28.5	7 5.8	120
योग प्रतिशत	29 24.5	55 46.6	34 28.4	118 25.6	59 34.9	58 34.3	52 30.7	169 36.7	26 21.3	56 45.9	40 32.7	122 26.5	26 50.9	11 21.5	14 27.4	51 11.0	460

स्वच्छता का आधार एक दूसरे के प्रति दायित्व निर्वाह की भावना एवं सामाजिकता का भाव होते हैं अपने शोध विषयक सर्वेक्षण मे गवेषिका ने चयनित चार ग्रामों (बडोखर बुजुर्ग, मलहरा निवादा, जरर, छिबांव) की महिलाओं की पर्यावरण एवं स्वच्छता के प्रति सचेष्टता, सर्तकता, चेतना तथा सहभागिता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन किया है। उनके रहन–सहन की पद्धति उनके निवास के अन्दर के परिवेश के प्रति जानकारी प्राप्त करते हुए अपनी प्रश्न सूची के माध्यम से स्वच्छता सम्बन्धी ज्ञान तथा जागरूकता का आंकलन किया गया है।

प्रस्तुत सारणी (7.6) के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं की जाति एवं खाना परोसने में स्वच्छता सम्बन्धी दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। इस सारिणी में यह जानने का प्रयास किया गया है कि इन चयनित चार ग्रामों में कितनी उत्तरदात्रियां ऐसी है जिन पर ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है तथा इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर कितनी ग्रामीण महिलायें हैं जो वर्तन साफ करने में रसोई के काम काज में एवं खाना परोसने में स्वच्छता एवं साफ सफाई का ध्यान देती हैं तथा अपने घरेलू पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने में सहयोगी भी होती है।

उपरोक्त सारणी में जब हम ग्रामीण महिलाओं से यह प्रश्न करते है कि क्या आप रसोईघर में खाना परोसने में चम्मच, छन्नी कहां रखती है। तो समस्त चार ग्रामों की 460 उत्तरदात्रियों में 118 (25.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह कहती है कि खाना परोसने में चम्मच, छन्नी, बर्तन के ऊपर रखती है। इन प्रश्न को जब हम ग्रामवार देखते है तो ज्ञात होता है कि बडोखर बुजुर्ग ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 56 (34.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां इस प्रश्न के उत्तर से सहमत है। इस ग्राम की उत्तरदात्रियों को जब हम जाति के आधार देखते है तो पता चलता है कि सामान्य जाति की 10 (17.8 प्रतिशत) पिछडी जाति को 30 (35.5 प्रतिशत) अनु० जाति की 16 (28.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं। मलहरा निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में 18 (15.9 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं जिनमें सामान्य वर्ग की 6 (33.3 प्रतिशत) पिछडे वर्ग की 8 (44.4 प्रतिशत) अनु० जाति 4. (22.2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं। जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में 15 (23.0 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं जिनमें सामान्य जाति की 5 (33.3 प्रतिशत) पिछडी जाति की 6 (40.0 प्रतिशत)

अनु0 जाति की 4 (26.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां है। इसी प्रकार छिबाँव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों 29 (24.1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां है जिनमें सामान्य जाति की 8 (27.5 प्रतिशत) पिछडी जाति की 11 (37.9 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 10 (34.4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह स्वीकार करती है कि वे अपने रसोईघर में खाना परोसते समय चम्मच छन्नी बर्तन के ऊपर रखती है। अतः चार ग्राम की 460 उत्तरदात्रियों में (25.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां स्वच्छता सम्बन्धी दृष्टिकोणों पर ज्यादा ध्यान नही देती है क्योकि खाना परोसने वाले बर्तन के ऊपर रखे चम्मच छन्नी पर मक्खी, मच्छर बैठ जाते है। और इसी चम्मच या छन्नी से ये महिलायें खाना परोसती है। अतः अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की उत्तरदात्रियां स्वच्छता पर विशेष ध्यान नहीं देती है। इसका कारण है इन महिलाओं का अशिक्षित होना एवं इनका आर्थिक स्तर निम्न होना है।

इसी प्रकार जब हम ग्रामीण महिलाओ से यह प्रश्न करते है कि क्या आप रसोई घर में खाना परोसने में चम्मच छन्नी कहाँ रखती है? तो समस्त चार ग्रामों की 460 उत्तरदात्रियों में 169 (36.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह कहती है कि खाना परोसने में चम्मच, छन्नी, बर्तन के ऊपर रखती है। इन प्रश्न को जब हम ग्रामवार देखते है तो ज्ञात होता है कि बडोखर बुजुर्ग ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 58 (35.8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां है जिनमें सामान्य जाति की 24 (41.3 प्रतिशत) पिछडी जाति को 24 (41.3 प्रतिशत) अनु0 जाति की 10 (17.2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं मलहरा निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों 39 (34.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं जिनमें सामान्य जाति की 10 (25.6 प्रतिशत) पिछडे वर्ग की 10 (25.6 प्रतिशत) अनु0 जाति की 19 (48.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं। इस ग्राम की अनुसूचित जाति की महिलाओं में स्वच्छता का (48.7 प्रतिशत) सर्वाधिक है। जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में 24 (36.9 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं जिनमें सामान्य जाति की 11 (45.8 प्रतिशत), पिछडी जाति की 8 (33.3 प्रतिशत) अनु0 जाति की 5 (20.8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां है। इन उत्तरदात्रियों में 24 (36.9) अनुसूचित जाति की 5 (20.8) उत्तरदात्रियाँ है। इन उत्तरदात्रियों में सामान्य जाति की महिलाओं का (45.8) प्रतिशत सर्वाधिक है अतः इस ग्राम की उच्च जाति की महिलाओं में स्वच्छता सम्बन्धी चेतना अधिक है। इसी प्रकार छिवाँव ग्राम की 120

उत्तरदात्रियों में 48 (40.0 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ है। जिनमे सामान्य जाति की 14 (29.1) , पिछडी जाति की 16 (33.3 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 18 (37.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां है। इस ग्राम कि अनुसूचित जाति की महिलाओं का (37.5 प्रतिशत) अधिक है इसका कारण यह है कि इस ग्राम की उच्च जाति एवं निम्न जाति की महिलाओं में ज्यादा छुआ–छूत एवं भेदभाव नही रखा जाता, ये महिलाये एक दूसरे के घरों में जाती है तथा उच्च जाति की पढ़ी–लिखी महिलाओं से सम्पर्क स्थापित करती है इसलिए इन महिलाओं में स्च्छता सम्बन्धी चेतना अधिक है।

जब हम ग्रामीण महिलाओं से यह प्रश्न करते है कि क्या आप रसोईघर में खाना परोसने में चम्मच, छन्नी कहां रखती है। तो समस्त चार ग्रामों की 460 उत्तरदात्रियों में 122 (26.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह कहती है कि खाना परोसने में चम्मच, छन्नी, बर्तन के ऊपर या बर्तन के अन्दर न रखकर जमीन या चूल्हे में रखती है। इस प्रश्न को जब हम ग्रामवार देखते है तो ज्ञात होता है कि बडोखर बुजुर्ग ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 33 (20.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां है जिनमें सामान्य जाति की 3 (9.0 प्रतिशत) पिछडी जाति की 20 (60.6 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 10 (30.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं। पिछड़ी जाति की (60.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह नही जानती की खाना परोसने वाली चम्मच या छन्नी में जमीन या चूल्हे के ऊपर रखने से उसमें मिट्टी में मिले गन्दगी पूर्ण कीटाणु चम्मच या छन्नी में लगने से खाना परोसने में ये कीटाणु खाना के साथ मिल जायेगें जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मलहरा निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में 30 (26.5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां है जिनमें सामान्य जाति की 4 (13.3 प्रतिशत), पिछडी जाति की 16 (53.3 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 10 (33.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां है। इसी प्रकार जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में 23 (35.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां है जिनमें सामान्य जाति की 3 (13.0 प्रतिशत), पिछडी जाति की 10 (43.4 प्रतिशत), उत्तरदात्रियां अनुसूचित जाति की 10 (43.4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं। इस ग्राम की पिछडी जाति एवं अनुसूचित जाति की 86 प्रतिशत महिलायें है जो स्वच्छता सम्बन्धी दृष्टिकोणों पर विशेष ध्यान नहीं देती है। छिबाँव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में 36 (30.0 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां है जिनमें सामान्य जाति की 16 (44.4 प्रतिशत) पिछडी जाति

की 10 (27.7 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 10 (27.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां है जो खाना परोसते समय चम्मच या छन्नी को जमीन या चूल्हे के ऊपर रख देती है।

इसी प्रकार जब हम ग्रामीण महिलाओं से यह प्रश्न करते है कि क्या आप रसोईघर में खाना परोसने में चम्मच, छन्नी कहां रखती है। तो समस्त चार ग्रामों की 460 उत्तरदात्रियों में 51 (11.0 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह स्वीकार करती है कि खाना परोसने के बाद चम्मच या छन्नी को पानी भरे बर्तन में डूबो देती है अथवा पानी से धोकर रखती है। अतः ये महिलायें रसोईघर के काम–काज में स्वच्छता का विशेष ध्यान देती है। अर्थात अपने घेरलू पर्यावरण को स्वच्छ बनायें रखने का प्रयत्न करती है। इस प्रश्न को जब हम ग्रामवार देखते है तो ज्ञात होता है कि बडोखर बुजुर्ग ग्राम की 162 उत्तरदात्रियों में 15 (9.2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां है जिनमें सामान्य जाति की 13 (86.6) उत्तरदात्रियां है जो स्वच्छता पर विशेष घ्यान देती है। पिछडी जाति की 1 (6.6 प्रतिशत) अनुसूचित जति की 1 (6.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां सम्मिलित है। मलहरा निवादा ग्राम की 113 उत्तरदात्रियों में 26 (23.0 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं जिनमें सामान्य जाति की 10 (38.4 प्रतिशत) पिछड़ी जाति की 6 (23.0प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 10 (38.4 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां है जरर ग्राम की 65 उत्तरदात्रियों में 3 (4.6 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं जिनमें सामान्य जाति की 1 (33.3 प्रतिशत) पिछड़ी जाति की 1 (1.33 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 1 (33.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं। इसी प्रकार छिबांव ग्राम की 120 उत्तरदात्रियों में 7 (5.8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं जिनमें सामान्य जाति की 2 (28.5 प्रतिशत) पिछड़ी जाति की 3 (42.8 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 2 (28. 5 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हैं जो खाना परोसने के बाद चम्मच या छन्नी को पानी से धोकर रखती हैं।

प्रस्तुत सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चार ग्रामों की समस्त 460 उत्तरदात्रियों से जब यह प्रश्न किया जाता है कि खाना परोसने में चम्मन, छन्नी बर्तन के ऊपर बर्तन के अंदर, जमीन या चूल्हे के ऊपर या पानी से धोकर रखती है। खाना परोसने में चम्मच छन्नी बर्तन के अंदर रखने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत अधिक है। अतः स्पष्ट होता है कि चयनित चार ग्रामों में

अधिकतर महिलायें ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से प्रभावित होकर अपने घरेलू पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने में सहयोगी होती हैं। खाना परोसने में चम्मच, छन्नी, पानी से धोकर रखने वाली महिलाओं में समस्त चार ग्रामों की सामान्य जाति की 50.9 प्रतिशत उत्तरदात्रियां स्वच्छता सम्बन्धी दृष्टिकोणों से विशेष ध्यान देती है। इन चार ग्रामों में बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम की सामान्य जाति की उत्तरदात्रियों में 86.6 प्रतिशत उत्तरदात्रियां खाना परोसने के बाद चम्मच छन्नी पानी से धोकर रखती है। इसका कारण यह है कि इस ग्राम में सामान्य जाति की महिलाएं शिक्षित एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं। इसलिए ये महिलायें स्वच्छता सम्बन्धी दृष्टिकोणों से विशेष रूप से परिचित एवं प्रभावित है। वर्ष 1994 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत निजी साफ–सफाई एवं घरों में स्वच्छता रखने की आदतों को बढ़ावा देने सम्बन्धी दृष्टिकोणों से प्रभावित होकर अधिकतर ग्रामीण महिलायें जागरूक होकर घर में स्वच्छता बनाये रखने में सहभागी हो रही है। लेकिन अभी भी ग्रामीण महिलाओं में स्वच्छता सम्बन्धी दृष्टिकोणों का इतना अधिक प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है, जितना कि उनसे अपेक्षा की जाती है। इसका मुख्य कारण ग्रामीण महिलाओं की अज्ञानता एवं निरक्षरता का होना है। अतः उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि समस्त चार ग्रामों में अधिकतर महिलायें अशिक्षित एवं निरक्षर होने के बावजूद ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से प्रभावित होकर घरेलू पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने में सहयोगी हैं, अर्थात् पर्यावरण एवं स्वच्छता के प्रति सचेष्ट, सतर्क प्रभावित एवं सहभागी भी हैं।

प्रत्येक महिलाएं अपने चारों ओर की अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आर्थिक, जैविकीय एवं जनसंख्यात्मक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। जैसा कि सारिणी (7.1) से स्पष्ट होता है कि ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं कृषि में कीटनाशक दवा का प्रयोग करती है, फिर भी यह कहती हैं कि कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सारिणी (7.2) में यह प्रभाव देखने में आया कि जिन महिलाओं के घर में औषधियुक्त पौधे लगे हुए हैं उनमें पर्यावरण का प्रभाव अधिक है साथ ही जिन महिलाओं के घरों में औषधियुक्त पौधे नहीं हैं वे भी इसके ज्ञान एवं प्रभाव से अपरिचित नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर ये महिलाएं गांव की अन्य

महिलाओं से लेकर अपनी घरेलू चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने का प्रयास करती हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि इन ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरणीय प्रभाव कारिता अधिक है। इसी प्रकार सारिणी (7.3) में यह प्रभाव देखने में आया कि ग्रामों में प्रयुक्त किये जाने वाले ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, क्लोरीन आदि के द्वारा जल, शुद्धीकरण की प्रक्रिया को जानती हैं और प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों के प्रभाव से परिचित हैं और प्रभावित भी हो रही है। चयनित चार ग्रामों में तीन ग्राम निवादा, बड़ोखर, जरर ऐसे ग्राम हैं जो स्टोन क्रेशर मिलों के समीप स्थिति हैं। इन ग्रामों की महिलायें न केवल स्टोन क्रेशर से होने वाले वायु प्रदूषण से परिचित हैं, बल्कि प्रभावित भी हो रही हैं। प्रस्तुत अध्याय में ग्रामीण महिलाओं की वर्तमान स्थिति एवं उनके चारों ओर पर्यावरणीय दशाओं की सहभागिता की जानकारी प्राप्त की गयी है। सारिणी 7.5 से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महिलायें फूल,फल, सब्जी, औषधियों आदि के वृक्ष लगाने में न केवल सहभागी हैं बल्कि शुद्ध पर्यावरण को बनाये रखने के लिये जागरूक एवं सचेत भी हैं। सारिणी 7.6 में चारों ग्राम की निम्न जाति की अपेक्षा उच्च जाति की महिलायें घरेलू पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने में अधिक सहयोगी हैं। उच्च जाति की महिलायें शिक्षित एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं इसलिये ये महिलायें स्वच्छता सम्बन्धी दृष्टिकोणों से विशेष रूप से प्रभावित हैं।

अष्टम—अध्याय

अष्ट्म अध्याय

निष्कर्ष

सामाजिक पर्यावरण जो समाज वैज्ञानिकों का प्रारम्भ से ही मूल विषय रहा है, जीव विज्ञानियों की धरोहर बन गया। 1970 के बाद समाजविदों एवं भूगोलविदों ने पर्यावरण की ओर फिर से पलट कर देखना प्रारम्भ कर दिया। ग्रामीण समाज में पर्यावरण के अध्ययन का महत्व इसीलिये भी दिया गया है क्योंकि पर्यावरण ही वह स्थित है जो, समाज और व्यक्ति को एक विशेष स्वरूप प्रदान करती है, ग्रामीण महिलाओं के भी व्यवहारों, संस्कृति, सभ्यता, आचार–विचार, खान–पान, रीति–रिवाज, कला आदि को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करती है। इस बात से स्प ष्ट होता है कि ग्रामीण महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाली वे सभी भौगोलिक एवं सामाजक दशाएं है जो ग्रामीण महिलाओं को चारो ओर से घेरे हुए हैं।

प्रकृति के सुरम्य गोद में बसे गांव पहले प्राय प्रदूषित नहीं होते रहे, लेकिन आज गांवों का पर्यावरण प्रदूषित होता नजर आ रहा है। गांवों में मकान बनाने के लिये ग्रामवासियों ने जो ईंट भट्ठे विकसित किये है उससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आदमी को मकान तो बनाना ही है चाहे वह कच्ची मिट्टी का बनाये या पक्की का। अतः अब इन गांवों में मकान कच्ची के बजाय पक्की मिट्टी के बनने लगे हैं। मलहरा निवादा ग्राम में प्रत्येक वर्ष 20–25 ईंट के भट्ठे लगाते है, इसी प्रकार बड़ोखर बुजुर्ग, जरर, छिबांव ग्राम में भी ईंट के भट्ठे लगाते है इन ईंट के भट्ठों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जिसका असर फलों की पैदावार पर पड़ रहा है तथा ये भट्ठे खेतों की उपजाऊ भूमि को नष्ट कर रहे हैं, पहले गाँवों में मकान पर्यावरण को संरक्षित करते थे आज

वे पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं क्योंकि पहले गांवों में मकान मिट्टी के बनते थे। गांव के किनारे की मिट्टी निकाल कर घर बनाये जाते थे। मिट्टी निकालने से तालाब अपने आप बन जाता था। इस गड्ढे में बरसात का पानी कुएं और घर की नालियों का पानी इकट्ठा होता था। तालाब में हमेशा पानी रहता था। केवल गर्मी के मौसम में एक दो महीने छोड़कर ये कभी सूखते नहीं थे जिसके कारण गांव का जल स्तर हमेशा ऊपर रहता था। कुंओं में कभी पानी कम नहीं होता था। परंतु आज गांव का जल स्तर भी नीचे होता जा रहा है जिससे आने वाले कुछ दिनों में गांव को पेयजल संकट से जूझना पड़ेगा। वर्तमान में ग्रामीण अंचलों में हैण्डपम्प लग गये है जो शुद्ध पानी के चक्कर में गांव के पर्यावरण को और भी बर्बाद कर रहे है।

वर्तमान जलवायु में विभिन्न प्रकार के परितर्वन हो रहे है। तापमान किसी प्रदेश जलवायु को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक होता है, जो कि इसका मूल स्त्रोत सूर्य है। बांदा जिले के उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान का प्रभाव मानवीय जीवन पर ही नहीं बल्कि इसका असर गांवों के कृषि पर्यावरण पर ही पड़ता है देश में लगभग अब हर वर्ष गर्मी, सर्दी और बाढ़ के पचासों साल के रिकार्ड टूट रहे है। यह निश्चित ही पर्यावरण के डगमगाने का परिणाम है।

विभिन्न समुदाय एवं वर्ग के लोग प्रदूषण की विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं, भूगोलवेत्ता सामान्य रूप से तथा पर्यावरण भूगोलवेक्ता मुख्य रूप से पर्यावरणीय समस्या के रूप में, समाज विज्ञानी सामाजिक समस्या के रूप में अर्थशास्त्री आर्थिक समस्या के रूप में, परिस्थितिकीविद् परिस्थितिकीय समस्या के रूप में आदि, अतः प्रदूषण विभिन्न रूपों में परिभाषित किया जाता है। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण जटिल समस्या का रूप धारण कर चुका है। शहरों के समीपस्थ ग्रामों के भू–भागों में बड़ी संख्या में वृक्षों के न होने से भूमि कटान एक ओर तो उपजाऊ भूमि को नष्ट कर ही रहा है, वहीं दूसरी ओर भूमि के ऊपरी सतह के अपघटन से गांव की उपजाऊ भूमि में असर भी उत्तरोत्तर बढ़ रहा। तालाबों, नहरों, नदियों में पहुंचकर यही फटी हुई मिट्टी जल स्तर को ऊपर उठाती है। जिसके कारण 14 सितम्बर 1992 बाढ़ विभीषिकाओं से बांदा जनपद अभी तक पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सका है। गांवों में भी जल प्रदूषण की समस्या हमारे सामने आ रही है, गांव

की नहरों, ताल–तालाबों के साथ–साथ, वहां के भूमिगत जल स्त्रोत (हैण्डपम्प, कुएं) भी प्रदूषण से ग्रसित होते जा रहे है। मृदा एवं भूमि प्रदूषण को बढ़ने से राकने हेतु ठोस अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण की उचित व्यवस्था किया जाना भी आवश्यक है जो कि भूमिगत जल स्त्रोतों के प्रदूषण का मुख्य कारण है।

मनुष्य की जनसंख्या तथा बुद्धि कौशल में जैसे–जैसे वृद्धि होती गयी, अधिकाधिक 'प्राकृतिक क्षेत्र कृषि फार्मों, गांवो नगरों तथा कस्बों सड़क मार्गों तथा कई आर्थिक प्रतिष्ठानों एवं सामाजिक संस्थानों में बदलते गये। इस कारण प्राकृतिक या वन्य क्षेत्रों में हास हो गया है। जब प्राकृतिक साधनों की अपेक्षा जनसंख्या अधिक होती है तो निर्धनता, बेरोजगारी, शोषण और निम्न जीवन स्तर की समस्याएं उत्पन हो जाती हैं विशेष बात यह है कि सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था गांव की जनसंख्यात्मक विशेषताओं से प्रभावित होता हैं इस दृष्टिकोण से बांदा जनपद में महुआ ब्लाक के इन चारों गांवों की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संरचना के विभिन्न पक्षों को समझने के लिये ग्रामीण जनांनिकी का अध्ययन किया गया। गांवों में बढ़ती जनसंख्या के कई दुष्परिणाम वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं कुपोषण, स्वच्छ वातावरण, जलापूर्ति के साथ–साथ आज इन गांवों में आवास की समस्या जटिल होती जा रही है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक गर्भवती महिलायें तथा लगभग 53 प्रतिशत बच्चे कुपोषण बनते जा रहे है। ग्रामीण जनता प्राकृतिक संपदाओं के अधिकाधिक शोषण के लिये विवश हो रही है। दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिये निर्धन जनता विवश होकर प्राकृतिक साधनों का आश्रय लेती है। निर्धन वर्गों में यह स्थिति पर्यावरण निम्नीकरण का कारण है।

पर्यावरण विनाश से गरीब ग्रामीण महिलाओं से अधिक कोई अन्य समूह प्रभावित नहीं होता है। प्रत्येक सुबह उनके लिए ईधन चारा और पानी की तलाश की विवशता से आरम्भ होती है। परम्परा से स्वीकृत पारिवारिक श्रम विभाजन ग्रामीण महिलाओं के कंधो पर घरेलू आवश्यकताओं हेतु ईधन चारा और पानी जुटाने का दायित्व डाल देता है। ये सब कठिनतर होते जा रहे है। अतः ग्रामीण महिलाओं को घरेलू कार्यो (भोजन का प्रबन्ध और बच्चों का पालन पोषण) के अतिरिक्त

मनमाना समय इन्हें जुटाने के लिये खर्च करना पड़ता है। कृषि कार्य और पशु भरण पोषण तो इनसे जुड़े ही है। बढ़ती हई गरीबी, कृषि उत्पाद का परिवहन तथा पुरुषों का प्रवासी जीवन से अनेक क्षेत्रों में, परिस्थितियॉ और भी बिगड़ती जा रही है। पति की अल्प आय और बढ़ी हुई भूमिहीनता के कारण अनेक ग्रामीण महिलायें सिंचाई, सड़क और कृषि एवं वानिकी क्षेत्रों में अस्थायी रोजगार ढूंढ लेती है। ग्रामीण महिलायें जो परम्परा से ही अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेती थी, अब अपने जीवन निर्वाह हेतु अधिकाधिक वनोपज का दोहन कर वन विनाश पर ही आश्रित होती जा रही है।

उपलब्ध प्रतिवेदनों से यह सपष्ट हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तन सामान्यरूपेण ग्रामीण महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे है।। थकी हुई, काम के बोझ से लदी, कुपोषित, मूक, शक्तिहीन और असंगठित आज गरीब ग्रामीण महिलाओं की यही नियति है। यदि वर्तमान परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन नही होता है तो भविष्य में उन्हें यही सब सहना है, शायद पहले से भी अधिक भूमिहीन ग्रामीण महिलाओं जिनकी जैविक उत्पादों के उद्गम तक सीमित पहुंच है, निश्चित ही सर्वाधिक हीन स्थिति में रह रही है।

सामाजिक जीवन व घटनाओं के बारे में अधिक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 'अनुसंधान प्रक्रिया' का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक एवं सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन से सम्बन्धित विषय वस्तु, घटना का निष्पक्ष व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण समाज के अध्ययन वर्तमान समाजशास्त्रियों के लिये एक अपरिहार्य एवं अनिवार्य विषय बन गए है। ग्रामीण महिलाओं और विशेषकर ग्रामीण पर्यावरण के स्वच्छ वायु, जल मिट्टी, पेड़ पौधे तथा प्राणी (जन्तु) के बीच समन्वित रूप से रह रही है परन्तु क्या वे इस पर्यावरण की अनुक्रियाओं से पूर्ण परिचित है, यह जानने का प्रयास किया गया है। पर्यावरण का विषय अब मात्र भूगोल एवं परिस्थिति शास्त्र तथा उससे सम्बन्धित विषयों तक ही सीमित नहीं है, वरन अब वह जन साधारण का विषय बन गया है।

भारत के ग्रामीण एवं वानाच्छादित क्षेत्रों में आधुनिकता की तीव्र लहर का अभाव दिखाई

पड़ रहा है। आज जबकि आधुनिकीकरण विश्वव्यापी घटना बन चुकी है। ग्रामीण अंचलों में उपरोक्त साधनों के अभाव में अपेक्षाकृत आधुनिकता कम दिखलाई पड़ती हैं यही कारण है कि नगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण पर्यावरणीय चेतना पूर्णतया व्याप्त नहीं है। समाजशस्त्रियों की दृष्टि इस विषमता की ओर अभी उतनी नहीं पहुंची है जितनी की उनसे अपेक्षा की जाती है। पर्यावरणीय प्रक्रिया के प्रमुख अंग, वायु, जल, मिट्टी, पेड़–पौधे, प्राणी जन्तु जैसे विषय पर ग्रामीण अंचलों में अपेक्षाकृत अध्ययन हुए है। पर्यावरण सम्बन्धी शोधों का जहां तक प्रश्न है। इस पर न केवल प्राकृतिक वैज्ञानिक वरन् सामाजिक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में अनेक कार्य किये है। पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण तथा प्रदूषण का नियंत्रण, पर्यावरण नियोजन की पूर्ण दशायें एवं पर्यावरण के बीच अन्तक्रियाओं को भली–भांति स्पष्ट के लिये अनेक पर्यावरणीय शोध प्रकाशित किये गये।

उत्तर प्रदेश में सन् 1998 तक 19 मण्डल कमिश्नरी है जिनमें 83 जिले है। 1997 मे उत्तर–प्रदेश में हुये सत्ता परिवर्तन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नये मण्डल का सृजन किया जिसका नाम चित्रकूट धाम मण्डल बाँदा है। इसका क्षेत्र झांसी मण्डल में आने वाले 4 जिलों हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट इन चारों जिलों को झांसी मण्डल से अलग करके सृजित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन बांदा जनपद के अतर्रा तहसील के अन्तर्गत महुआ विकास खण्ड के निम्न 4 गांव के अध्ययन पर आधारित है। महुआ विकास खण्ड बाँदा मुख्यायल से बांदा इलाहाबाद रोड में बांदा से 15 किमी की दूरी में स्थित हैं इसमें कुल 119 गांव आते हैं। इनकी ग्रामीण जनसंख्या कुल 152411 है। शोध छात्रा ने इस ब्लाक के 4 बिखरे हुये गावं से महिलाओं को उत्तरदात्रियों के रूप में चुना है। ये 4 गांव है बड़ोखर बुजुर्ग, मलहरा निवादा, जरर, छिबांव। 14 अक्टूबर 96 को प्रकाशित जनपद सूचना के आधार पर इन 4 ग्रामों में बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम की 4705 जनसंख्या के अन्तर्गत 780 परिवारों में 162 परिवारों, मलहरा निवादा ग्राम की 2886 जनसंख्या के अन्तर्गत 565 परिवारों में 113 परिवारों का तथा जरर ग्राम की 1863 जनसंख्या के अन्तर्गत 325 परिवारों में 65 परिवारों का, छिबांव ग्राम की 2975 जनसंख्या के अन्तर्गत 600 परिवारों में 120 परिवारों का 'दैव निर्दशन पद्धति से अध्ययन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्यों एवं उपकल्पनाओं के सन्दर्भ में ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरणीय चेतना के बारे में यथा सम्भव वस्तु स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त करने तथा आवश्यक तथ्यों को एकत्रित करने के लिये समय और साधन की सीमाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित 4 ग्रामों के कुल 2270 परिवारों का दैव निदर्शन (Random sampling) के नियमितअंकन प्रणाली (Regular marking mathod) से अध्ययन किया गया। कुल परिवारों में से 20 प्रतिशत का चयन उक्त पद्धति से किया गया। परिवारों के चयन में ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त परिवार रजिस्टर को आधार बनाकर प्रत्येक 5वें परिवार को संमक (युनिवर्स) के रूप में चुना गया। अध्ययन को गहन एवं वैज्ञानिक बनाने की दृष्टि से अनुसंधान की साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि का सहारा लिया गया। तथ्यों के संकलन के लिये गहन अवलोकन से उत्तर दात्रियों की सहभागिता को दृष्टव्य करते हुये निरीक्षण प्रविधि (observation Technique) का प्रयोग किया गया, जिससे उत्तरदात्रियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन तथा उसके समान परिवेश की पर्यावरण सम्बन्धी व्यवहारों की सही जानकारी के लिये अवलोकन का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक था। प्राथमिक तथ्यों को प्रामाणिक एवं पुष्ट बनाने के लिये क्षेत्र समिति, जनपद के आंकड़े एवं विद्वानों के अध्ययन पुस्तकें, विशिष्ट कमेटियों की रिपोर्ट, रिकार्ड,समाचार पत्र व पत्रिकाओं में प्रकाशित सूचनाओं आदि को अपने अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोत के रूप में प्रयुक्त किया गया है।

तृतीय अध्याय में बड़ोखर बुजुर्ग, मलहरा निवादा, जरर और छिबांव ग्राम की महिलाओं की समाज में स्थिति, जाति, आयु, शिक्षा, व्यवसाय आमदनी एवं परिवार की स्थित की चर्चा की गयी है। इस अध्याय में चार ग्रामों की महिलाओं का सामान्य परिचय उनकी सामाजक व्यवस्था, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों एवं राजनीतिक स्थिति का आंकलन प्रस्तुत किया गया है। बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम में जातिगत आधार पर वहां कि सामाजिक संरचना में अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जातिगत मुहल्लों में शहरीकरण का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस ग्राम के प्रत्येक वर्ग पर शहरीकरण का प्रभाव अधिक हो रहा है लेकिन उच्च वर्ग की महिलाओं पर शहरीकरण का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। ये महिलायें पहनने ओढ़ने के तरीके एंव रहन–सहन के स्तर

को शहरों के समान लाने का प्रयास कर रही है। जबकि पिछड़े वर्ग के लोग आर्थिक रूप से काफी सम्पन्न होने के बावजूद सुख सुविधाएं उनके घरों में देखने को नहीं मिली जो उच्च वर्ग मे है। टी. वी., समाचार पत्र, रेडियों में संचार के सुविधाएं शहरीकरण एवं पढ़े लिखे लोगों के सम्पर्क में रहने से यहां की महिलायें काफी हद तक जागरूक हो गयी है।

ग्रामीण शक्ति संरचना आज भी जातिगत मनोवृत्तियों से प्रभावित है। मलहरा निवादा ग्राम में आज निम्न जातियां और निम्न वर्ग समूह संगठित होकर शक्ति प्राप्त करने के लिये उच्च जातिय वर्गों से प्रतिस्पर्धा कर रहे है। जातिगत स्तर पर यह प्रवृत्ति गुटवाद को जन्म दे रही है। जाति पर आधारित गुटबन्दी न केवल ग्रामीण समुदाय में विघटन की स्थिति को उत्पन्न कर रही है। बल्कि ग्रामीण जीवन में सामाजिक तनावों तथा असुरक्षा की भावना को भी जन्म दे रही है। यह स्थित आज की ही नहीं है बल्कि 30 वर्ष पूर्व उच्च जातियां वर्ग तथा निम्न जातिय वर्गों में एक आन्दोन छिड़ जाने के कारण हुआ था।

जरर ग्राम सभा में ब्राह्मण, यादव, गुप्ता, हरिजन तथा अन्य जाति के लोग निवास करते हैं लेकिन दर्जी, कहार, मुसलमान तथा ठाकुर ये चार जातियां एक भी नहीं होने से इन जातियों का व्यवसाय अन्य जाति के लोग करते है। जरर ग्राम से, आधा किलोमीटर की दूरी पर गिरवां ग्राम में विध्यवासिनी देवी का एतिहासिक पुराना मंदिर है। जरर ग्राम की महिलायें नवरात्रि में विध्यवासिनी देवी में जल चढ़ाने के लिये आती है। जरर ग्राम के पहाड़ पर शंकर जी का ऐतिहासिक पुराना स्थान है जिसमें प्रतिवर्ष वसन्त पंचमी को मेला लगता है। इस पहाड़ की तलहटी पर ऐतिहासिक मुसलमानों की दरगाह है, ये दरगाह हिन्दु मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कहा जाता है कि मुस्लिम काल में एक मुस्लिम राजा यहां ठहरा हुआ था उसने कालिंजर के राजा से सहायता मांगी थी सहायता न मिलने पर वह लड़ते—लड़ते वहीं मर गया था तब से यह दरगाह प्रसिद्ध है। इस दरगाह में आस—पास के गांव से मुस्लिम समुदाय के लोग चादर चढ़ाने के लिये आते है।

छिबांव ग्राम में ब्राह्मण और हरिजनों की संख्या बराबर है। बनिया, ठाकुर, धोबी, दर्जी, जातियां इस ग्राम में नहीं। बनिया का धंधा सभी जातियां करती है। कुम्हार, आरख, चमार, डोमार,

मुसलमान, अहीर, कहार आदि जातियां निवास करती है। इस ग्राम में तान्त्रिक ओक्षा में 80 प्रतिशत लोग विश्वास करते है छिबांव ग्राम में चमार जाति के लोग धार्मिक कर्म–काण्ड, पूजा पाठ में अधिक विश्वास करते है। हरिजन जाति के लोग किसी भी धनी वर्ग के घर में सेवा कार्य नहीं करते, बल्कि ये लोग अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिये गांव से शहरों में रोजनदारी का काम करते है या गांव में ही अन्य व्यवसाय खेती आदि का काम करते है। छिबावं ग्राम सभा का न्याय पंचायत महुआ ब्लाक है।

प्रस्तुत सारिणी 3.1 में चयनित चार ग्रामों (बड़ोखर बुजुर्ग, मलहरा, निवादा, जरर छिबांव) की महिलाओं की ग्रामीण पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आयु के आधार पर इन ग्रामीण महिलाओं को चार भागों में विभक्त किया गया है। चारों ग्राम की 460 उत्तरदात्रियों में विभिन्न आयुवर्ग के आधार पर जिन महिलाओं को उत्तरदात्री के रूप में चुना गया उनमें 20 से 40 आयुवर्ग 247 (53.6 प्रतिशत) 40 से 60 आयुवर्ग को 170 (36.9 प्रतिशत) 60 से ऊपर 43 (9.3 प्रतिशत) महिलाओं को उत्तरदात्री के रूप में चुना गया है। प्रस्तुत सारिणी (3.2) में गवेषिका ने चारो ग्राम की उत्तरदात्रियों को जाति के आधार पर तीन वर्गों के विभाजित किया है– उच्च, मध्यम निम्न। उच्च वर्ग में उन महिलाओं को रखा गया है जो, सामान्य वर्ग है ऐसे परिवारों की उत्तरदात्रियां 30. 4 प्रतिशत है। मध्यम वर्ग में वो महिलाएं सम्मलित की गयी है। जो पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आती है। ऐसे परिवारों की उत्तरदात्रियां 39.1 प्रतिशत है। तृतीय वर्ग में जिन महिलाओं को रखा गया उनमे अनुसूचित जाति की उत्तरदात्रियां है। ऐसे परिवारों की उत्तरदात्रियां 30.4 प्रतिशत है।

प्रस्तुत सारिणी 3.3 में चयनित ग्रामों की उत्तरदात्रियां शिक्षा के स्तर को दर्शाती है। इस सारिणी में चारों ग्राम की उत्तरदात्रियों को शिक्षा के आधार पर तीन वर्गों में विभक्त किया गया है प्रथम वर्ग में वे महिलाए सम्मलित की गई है जो शिक्षित हैं शिक्षित महिलाओं से हमारा आशय उन महिलाओं से है जो लिख पढ़ सकती है। द्वितीय वर्ग में वे महिलाए सम्मलित है, जो मात्र अक्षर ज्ञान या हस्ताक्षर कर पाती हैं तृतीय वर्ग में पूर्णतया निरक्षर महिलाएं सम्मलित है जो न लिख सकती है और न पढ़ सकती है। 460 उत्तरदात्रियों में 20.2 प्रतिशत उत्तरदात्रियां ही शिक्षित है। साक्षर

महिलाओं का स्तर भी अच्छा नहीं है। मात्र 21.9 प्रतिशत महिलायें ही साक्षर है। निरक्षर महिलाओं की संख्या आज भी सबसे अधिक 57.8 प्रतिशत है। स्पष्ट होता है कि महिलाओं में शिक्षा स्तर अच्छा नहीं है यद्यपि महिलाओं का स्तर शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीनकाल से ही अच्छा नहीं रहा और आज भी अच्छा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी अवश्य हुई है और आज महलियें शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो गयी है लेकिन ग्रामीण अंचलो के कुछ भाग आज भी शिक्षा से बहुत दूर है। जो ग्राम शहरों के पास है नगरों के समीप, वहां शिक्षा का प्रभाव बढ़ा रहा है और जो ग्राम नगरों शहरों से काफी दूर है अनेक साधनों का अभाव है वहां शिक्षा का स्तर आज भी बहुत कम है।

प्रस्तुत सारिणी (3.4) में चयनित ग्रामों के व्यवसाय कार्य को दर्शाया गया है। ग्रामीण अंचलों में कृषि प्रमुख व्यवसाय अवश्य हैं लेकिन यहां बसने वाले व्यक्ति कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने में संलग्न है। इस सारिणी में हमने व्यवसाय कार्य को चार भागों में विभक्त किया गया है प्रथम वर्ग कृषि कार्य में संलग्न परिवारों को रखा गया जिनका प्रतिशत 51.5 सबसे अधिक है। द्वितीय वर्ग में नौकरी को रखा गया है जिनमें कुछ परिवारों के सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी एवं संस्थाओ से संलग्न है। इनका प्रतिशत 9.7 है। तृतीय वर्ग में मजदूरी कार्य को रखा गया है। जिसकी कोई निर्धारित धनराशि नहीं होती बल्कि प्रतिदिन के श्रम के आधार पर मजदूरी दी जाती है। इनका प्रतिशत 16.9 है। चतुर्थ वर्ग में स्वतंत्र व्यवसाय को रखा गया है जिसमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मशीनरी उद्योग धन्धे सम्मिलत है। इनका प्रतिशत 21.7 है।

प्रस्तुत सारिणी (3.5) में चयनित चारों ग्राम की आमदनी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम वर्ग में उन उत्तरदात्रियों को सम्मिलित किया गया है जिनके 20 प्रतिशत परिवार के सदस्यों की कुल आमदनी 100 से 1000 तक है। यह समाज का वह वर्ग है जो अत्यधिक परिश्रम करते हुए अपनी दैनिक समस्याओं से जूझकर कष्ट साध्य जीवन व्यतीत करते है। द्वितीय वर्ग में उन महिलाओं को रखा गया है जिनके 66.6 प्रतिशत परिवार के सदस्यों की आमदनी 1000 से 3000 तक है। यह समाज का वह वर्ग है जो अपनी दैनिक समस्याओं को पूरा करने के साथ–साथ अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने का भी प्रयास करते है। तृतीय वर्ग में वो उत्तरदात्रियां सम्मिलित की

गयी है जिनके 12.3 प्रतिशत परिवार के सदस्यों की आमदनी 3000 से ऊपर है अर्थात जिनकी आर्थिक स्थिति एवं उनके रहन–सहन का स्तर अच्छा है। प्रस्तुत सारिणी में चारो ग्राम की उत्तरदात्रियों को जब हम परिवार के स्वरूप के आधार पर स्पष्ट करते है तो ज्ञात होता है कि चारो ग्राम की 460 उत्तरदात्रियों में 229 (49.7 प्रतिशत) संयुक्त परिवार में रहती है और 231 (50.2 प्रतिशत) एकाकी परिवार को अपना रही है। निष्कर्षताः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाओं में एकांकी परिवारों में रहने की प्रकृति विकसित होती जा रही है जो आधुनिक समाज की प्रत्याशा के अनुरूप है। जैसे–जैसे आय में वृद्धि होती जा रही है वैसे प्रायः एकांकी परिवारों की संख्या भी बढ़ती जा रही हैं शहरी क्षेत्रों में एंकाकी परिवार अधिक है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में एकांकी एवं संयुक्त परिवार में सह सम्बन्ध दिखाई पड़ रहा है।

आज गांव की महिलायें बच्चों के पालन–पोषण और परिवार को व्यवस्थित करने के अतिरिक्त खेती में भी सहयोग दे रही है और पशुओं खलिहान तथा उक्त फसल की देख–रेख भी करती है। बरसात के मौसम में पशुविष्टा गोबर को एकत्रित कर खाद बनाना, फसल बोना और कटना, हल चलाना, हल की मरम्मत करना, कटिया कतरना, हरियाली उखाड़ना, धान लगाना, पशु विष्ठा के उपले बनाना, पशुओं के चारा–भूसा डालना, बैलगाड़ी की मरम्मत करना, बाजार में फसल बेचना आदि सभी कार्यों को महिलयें स्वयं की ही करने लगी है। आर्थिक व्यवस्था को उच्च करने के प्रयास में ग्रामीण महिलाओं का इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी उनकी समाज की आर्थिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि उन्हें जीवन की अनिवार्य सुविधाएं भी कठिनता से प्राप्त हो रही हैं। महिलाओं का प्रत्येक सामाजिक पद सोपान में क्रियाशील होने के बाद भी आज महिलाओं के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में भेदभाव पूर्ण प्रवृत्ति पायी जा रही है, यही स्थिति जाति व्यवस्था में भी पायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तन सामान्य रूपेण स्त्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे है। थकी हुई, काम के बोझ में दबी, कुपोषित, मूक, शक्तिहीन और असंगठित आज भारतीय ग्रामीण गरीब महिलाओं की यही नियति है।

स्वतन्त्रता के पचास साल बाद भी देश के सैकड़ों गांवों में पीने लायक पानी उपलब्ध नहीं

हो सका, ग्रामीण गन्दा पानी पीकर जी रहे है। काला बाजार, मस्तिष्क ज्वर, मलेरिया और आन्त्र शोध से मौत का शिलाशिला बना हआ है। पर शुद्ध पेयजल सुलभ नहीं है। सारिणी क्रमांक 4.1 से स्पष्ट होता है कि चारो ग्राम की महिलाओं में जल प्रदूषण सम्बन्धी चेतना निर क्षर महिलाओं की अपेक्षा शिक्षित एवं साक्षर महिलाओं में अधिक है। द्वितीय अध्याय में दी गयी उपकल्पना– ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा के अभाव के कारण पर्यावरण सम्बन्धी चेतना अल्प है। से सिद्ध होता है कि जो महिलाएं निरक्षर है अर्थात पढ़ी लिखी नहीं है उनमें पर्यावरणीय चेतना कम है अर्थात उनमें पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धी जानकारी का अभाव है और जो महिलायें साक्षर अर्थात अक्षर ज्ञान रखती है उनमें और शिक्षित महिलाओं में पर्यावरणीय चेतना अधिक देखने को मिलती है। भारत के ग्रामीण इलाकों पर यदि हम नजर डालें तो इन गांवों में कृषि उच्छिष्ट पदार्थ, घरेलू धुए, नलकूप पम्पिंक सेट से डीजल का उत्सर्जन क्रेसर उद्योग से निकले सूक्षम कण, कृषि उद्योग के धूल कण आदि पदार्थों से वायु प्रदूषण हो रहा है। बड़ोखर बुजुर्ग गांव रोड के किनारे बसा हुआ है। सड़क पर वाहनों का अत्यधिक संचार है, सभी प्रकार के मोटर वाहनों, जो पेट्रोल डीजल द्वारा चालित वाहनों से उत्पन्न होने वाली जहरीली गैसों के उत्सर्जन से मानव जीवन पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है बल्कि इस सड़क के दोनों ओर कृषि क्षेत्र पर भी इस प्रदूषण का प्रभाव देखा जा रहा है। यहां के किसान उपजाऊपन बढ़ाने वाले अच्छी किस्मों की खाद का प्रयोग कर रहे हैं फिर भी जिन किसानों के खेत सड़क के समीप स्थिति हे। उनकी कृषि उपज में बीजों का वजन कम हो रहा है। जबकि अन्य गांव इस प्रदूषण से कुछ दूरी पर है जिनका असर कृषि पर कम पड़ रहा है।

सारिणी 4.2 पर उपकल्पना क्रमांक 7 (ग्रामीण महिलाओं के नगरीय एवं अन्य सम्पर्क के अभाव के कारण उनकी पर्यावरणीय चेतना प्रभावित होती है) का प्रभाव देखा जा सकता है। निरक्षर वर्ग की अधिक आयु की महिलायें जिनका नगरों एवं अन्य संगठनीय संपर्कों से अभाव के कारण उनकी पर्यावरणीय चेतना कम प्रभावित होती है जबकि 20–40 आयुवर्ग को शिक्षित महिलायें और 40 से 60 आयु वर्ग की साक्षर महिलायें नगरीय सम्पर्क एवं संचार सुविधाओं के प्रभाव के कारण इनकी पर्यावरणीय चेतना पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

ग्रामीण अंचलों के रसोइघरों से निस्सृत प्रदूषक धुंआ सर्वाधिक विस्तृत एवं हानिकारक वायु प्रदूषण है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है परिणाम स्वरूप ग्रामीण समुदाय की महिलाये खाना पकाने के लिये रसोईघरों में उपला, लकड़ी, पत्तियां, घास–फूस गन्ने की खोई, अरहर के डंठल, कोयला, धान की भूसी, किरोसिन तेल आदि जलाती है जिससे धूम्र एवं कालिख की अपार राशि का वायुमंडल में उत्सर्जन होता है तथा 430 गांव के आस.पास वायु का प्रदूषण होता है। गांवों में लकड़ी की पर्याप्त मात्रा न होने से अधिकतर घरों में खाना बनाने के लिये गोबर से बने उपलों का प्रयोग कर रही हैं। साविन्द्र सिंह (1991) ने व्यक्त किया है कि भारत में प्रतिवर्ष 55 मिलियन टन गोबर से बने उपले जलायें जाते है। जिससे 7,20,000 टन कणिकीय पदार्थ, 38000 टन कार्बन मोनो आक्साइड, 4,50,000 टन सल्फर डाइआक्साइड, 90,000 टन नाइट्रिक आक्साइड 5,40,000 टन हाइड्रोकार्बन सहिल कुल 19,10,000 प्रदूषकों का प्रतिवर्ष वायुमंडल में प्रवेश होता है। प्रस्तुत सारिणी 4,3 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जो महिलायें शिक्षित हैं वायुप्रदूषण सम्बन्धी चेतना अधिक है। निरक्षर महिलाओं में सामान्य, पिछड़ी, और अनुसूचित जाति की सभी उत्तरदात्रियों में वायु प्रदूषण सम्बन्धी चेतना अल्प है। जिन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान भी है तो वे इसे रोजमर्रा की जिंदगी कहकर टाल देती हैं। ये महिलाएं यह नहीं जानती कि इस प्रदूषक धुंए से उनके स्वाथ्य पर कितना बुरा असर पड़ रहा है ये महिलाएं चूल्हों से निस्तृत धुओं की चपेट में रहती है। नतीजा यह है कि गरीब घरों में परम्परागत ईधन के जलाने से फैलने वाले दम घोटू धुओं से हर वर्ष 21 लाख मौतें होती है। इसमें भी सर्वाधिक प्रभावित होती हैं महिलाएं और बच्चे 1 जो धुंओं से भरे रसोईघरों में अपेक्षाकृत ज्यादा समय बिताते हैं।

ध्वनि प्रदूषण आधुनिकीकरण की देन है। वायुयानों का शोर, मोटर गाड़ियों के हार्न, बैंडबाजों की तेज धुन, लाउडस्पीकरों पर गूंजता आखण्ड रामायण, भगवती जागरण, बजते रेडियों, हमारी मांगे पूरी करो, इंकलाब जिन्दाबाद, जैसे नारों आदि से हमारे चारों ओर का वातावरण ध्वनि प्रदूषण का शिकार होता जा रहा है। सारिणी क्रमांक 4.4 से स्पष्ट होता है कि विभिन्न आयुवर्ग में 20 से 40 आयुवर्ग की शिक्षित महिलाओं में पर्यावरणीय चेतना अर्थात ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी चेतना

अधिक है और 60 से ऊपर आयु वर्ग की निरक्षर महिलाओं में ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी चेतना अधिक है इसका कारण यह है कि जो कम आयु की ज्यादातर महिलायें पढ़ी लिखी हैं इसलिये उन्हें पर्यावरण अर्थात ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी जानकारी है और वे महिलाएं जो 60 से ऊपर अर्थात अधिक उम्र की है इन्हें शोरगुल वातावरण में रहने से शारीरिक व मानसिक हानि सरदर्द, झुझलाहट, याददाश्त में कमी आदि का अनुभव ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी चेतना को दर्शाता है।

भूमि सुधार के लिये जो भी उपाय सुझायें जाते हैं उनमें खेतों के जल निकास, गहरी जुताई कर जल निकास को बाधित करने वाली कड़ी परत को तोड़ना, जीवांशयुक्त पदार्थ का प्रयोग, सुधारक रसायनों का उत्तरोत्तर प्रयोग और ऐसी विधियों का अपनाना आता है जिससे ऊसर भूमि के लिये जिम्मेदार रासायनिक तत्वों की मात्रा में धीरे–धीरे कमी आना है इसी तरह रासायनिक कीटनाशक दवाओं की जगह पर तरह–तरह के कीड़ों और बीमारियों से फसलों की सुरक्षा हेतु जैविक कीटनाशी दवाएं जैसे ट्राइकोगामा, क्राइस्पेरैला, एन.पी.वी. एवं बीटी एवं फेरोमेनटैप तथा ट्राइकोडर्माका अधिक से अधिक प्रयोग करके कीड़ों एवं बीमारियों के ऊपर नियंत्रण के साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्तुत सारिणी 4.5 से स्पष्ट होता है कि उच्च जाति की शिक्षित महिलायें मृदा प्रदूषण के सम्बन्ध में अधिक जानकारी रखती हैं। द्वितीय अध्याय में दी गयी उपकल्पना यहां सिद्ध है कि ग्रामीण महिलाओं में जाति एवं शिक्षा का प्रभाव उनके पर्यावरण सम्बन्धी चेतना पर पड़ता है। निरक्षर एवं निम्न जाति की महिलाओं में पर्यावरण सम्बन्धी चेतना अल्प है।

ग्रामीण महिलायें जिस वातावरण में रह रही है, चाहे वह प्राकृतिक हों, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो या सांस्कृतिक उसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता ही है। ग्रामीण महिलाओं के पर्यावरण से तात्पर्य उनके किसी वस्तु के पास पड़ोस एवं उनके आस–पास के क्षेत्रीय वातावरण से है जो उनके जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है। ग्रामीण समुदाय की जलवायु, भूमि, पशुपक्षी, फल–फूल, पैड़–पौधे, वहां की जनसंख्या घनत्व, आवास का स्वरूप, कृषि कार्य, लघु उद्योग, व्यवसाय की प्रकृति, धर्म, प्रथा, परम्परायें एवं जनरीतियां ये सभी तत्व ग्रामीण महिलाओं के

रहन–सहन के स्तर एवं उनके व्यवहार–प्रतिमानों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एक ओर धर्मान्तरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ग्रामीणों के जीवन मूल्य एवं नैतिकता में परिवर्तन आया है वहीं दूसरी ओर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण पारिवारिक स्वरूप एवं जीवन शैली में भी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। यहां हम ग्रामीण महिलाओं से परिवार की लघुता एवं दीर्घता, परिवार के सदस्यों की आमदनी एवंपरिवार के सदस्यों के बीच पाये जाने वाले सम्बन्धों के विषयों में जानकारी प्राप्त की गयी है। ग्रामीण महिलाओं में एकांकी परिवारों में रहने की प्रकृति विकसित होती जा रही है जो आधुनिक समाज की प्रत्याशा के अनुरूप है। जैसे–जैसे आय में वृद्धि होती जा रही है वैसे–वैसे प्रायः एकांकी परिवारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। शहरी क्षेत्रों में यह एकांकी परिवार अधिक है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में एकांकी एवं संयुक्त परिवार में सहसम्बन्ध दिखाई पड़ रहा है। सारिणी क्रमांक (5.1) से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महिलाओं के जिन परिवारों में आमदनी का स्रोत 3000 से ऊपर है अर्थात जिन परिवारों की आर्थिक स्थित बहुत अच्छी है, उन परिवारों के सदस्यों के सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं अतः ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति का प्रभाव उनके सामाजिक पर्यावरणीय चेतना पर पड़ता है।

ग्रामीण महिलायें अपनी स्थिति सुधारने के लिये संघर्ष कर रही हैं परन्तु सदियों से लम्बे समय के बाद भी इन महिलाओं ने समाज में अपनी जो स्थिति बनायी है वह नितांत अपर्याप्त है। आज साक्षरता के नाम पर ये ग्रामीण महिलायें पुरूष से काफी पीछे हैं उनके खिलाफ अत्याचार में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है, दहेज हत्याओं की बढ़ती रफ्तार ने भी बेटी के पैदा होने का डर पैदा किया है दहेज ने स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों तथा महिलाओं के प्रति समाज का क्रूर व्यवहार और भी कई कारणों से होता है। नवाचारों से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन उत्पन्न होने लगे हैं, औद्योगीकरण नगरीकरण, शिक्षा, राजनैतिक आंदोलन तथा सामाजिक अधि ानियम आदि ये दशाएं तथा दूसरी ओर गांव पंचायत, साक्षरता, सामूहिक विकास कार्यक्रम तथा दूसरी विकास योजनाएं, इन सभी दशाओं से आज ग्रामीण समुदाय की महिलाओं की मनोवृत्तियों , मूल्यों तथा मान्यताओं में स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लगा है। ग्रामीण महिलाओं में भाग्यवादी,

रूढ़िवादी धारणा के स्थान पर लौकिक मूल्यों, आधुनिक शिक्षा तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रभाव बढ़ रहा है। ग्रामीण नेतृत्व में अब सभी वर्गों की महिलाओं का सहभाग बढ़ रहा है। ग्रामीण महिलायें जादू–टोने और प्राकृतिक प्रकोप की सफलता और असफलता का मूल्यांकन तर्क के आधार पर करने लगी हैं। नगरीय मनोवृत्तियों से प्रभावित ये ग्रामीण महिलायें अब संयुक्त परिवार से अपना समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करती हैं, तथा वह संयुक्त परिवार के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करती है।

किसी जमाने में महिलाओं का बाहरी दुनियाँ से कोई सम्पर्क नहीं रहता था उसके सामाजिक सम्पर्को का दायरा घर की चहार–दीवारी के अन्दर तक सीमित था। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। और उनके सामाजिक सम्पर्को के दायरे विस्तृत हो रहे हैं। ग्रामीण महिलाये अब ग्राम सभा, आगनवाडी, सक्षरता अभियान तथा कृषि कार्य में लगी हुई है। ग्रामीण महिलायें जो कभी चूल्हे चौके, घरेलू कार्यो तक ही सीमित रहती थी लेकिन आज वही महिलायें मशीनों में कटिया कतरना, चारा लाना, पशु पालन आदि कार्य पुरूषों के समान कर रही हैं। आज ग्रामीण महिलायें घर, बाहर दोनों कार्यो में लगी हुई है। और अब से महिलायें बाहर का काम करने लगी है, पुरूष अपने कार्य के प्रति आलसी होते जा रहे है। आज ये महिलाये कई ऐसे कार्य कर रही है जिनका आर्थिक महत्व होते हुए भी समाज द्वारा उन्हें आर्थिक कार्यो की श्रेणी में नहीं रखा जा रहा है। आज ये ग्रामीण महिलायें कृषि क्षेत्रों में श्रमिक के रूप में अपना जीवन बसर कर रही है, आर्थिक कार्यो में अत्यधिक सहभागी होने के बावजूद आज ये ग्रामीण महिलाये तनावपूर्ण जिन्दगी जीने को मजबूर है क्योकि गाँवो में महिलायें चेतना शून्य और विवेकरहित जीवन के कारण तानाशाही और शोषण को अपनी संस्कृति का अंग मानकर सभी प्रकार के अन्याय सहन करने को तैयार रहती हैं। सारिणी 5.2 से स्पष्ट होता है कि आज भी ग्रामीण महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और घरेलू हिंसा से ग्रसित महिलाओं की संख्या कम नहीं हुई है। यही कारण है कि ग्रामीण महिलाओं का निवास स्थान, पारिवारिक स्थिति एवं उनका ग्रामीण पर्यावरण ही है। जो उनको ये सभी परिस्थितियाँ सहने को मजबूर कर रहा है। यही बात द्वितीय अध्याय के उपकल्पना से भी स्पष्ट होती है कि ग्रामीण

महिलाओं के पर्यावरण सम्बन्धी चेतना पर उनके निवास स्थान एवं पारिवारिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है।

ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। कृषि योग्य भूमि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि न होने से गांवों में बेकारी की समस्या बढ़ रही है। इन गांवों के किसान पहले से ही निर्धन है फिर प्रत्येक पीढ़ी में उनकी भूमि का वितरण उन्हें आर्थिक रूप से और भी अधिक निर्धन बना रहा है। इन गांवो में कृषि, बेकारी, औद्योगिक–बेकारी, शैक्षणिक बेकारी, मौसमी बेकारी तथा अर्द्ध–बेकारी इत्यादि के स्वरूप किसी न किसी रूप में दिखाई दे रही है। आर्थिक संरचना पर भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से उपरोक्त ग्रामीण तथ्य ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक चेतना को समझने में सहायक सिद्ध हो सकती है। अब अनुभावाश्रित साख्यकी विश्लेषण से उनकी आर्थिक चेतना एवं विवेचना प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत सारिणी 5.3 के विश्लेषण से ज्ञात होता है। कि ग्रामीण महिलाओं के परिवारों में कृषि, नौकरी, मजदूरी स्वत्रन्त व्यवसाय आदि में सबसे अधिक परिवार कृषि कार्य सम्बन्धित है। उपयुक्त रोजगार का अभाव उन्हें कृषि कार्य में लगे रहने को बाध्य करते है जबकि उनमें से अनेक में क्षमता और योग्यता भी है किन्तु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़े होने के कारण यह सीमिति आय प्राप्त करने के लिए बाध्य है।

प्रजातांत्रिक देशों में महिलाओं की राजनीतिक चेतना बढ़ती जा रही है। जिसका एक कारण मत प्राप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों की महिलाओं में जनता के बीच संक्रियता है। जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रियाओं की शिक्षा देती है। ग्रामीण महिलायें राजनीतिक के मामले में पुरूषों की अपेक्षा कम जागरूक होती है। उसकी राजनीतिक समझ कम होती है। परन्तु आज प्रायः हर प्रजातान्त्रिक देशों में यह प्रक्रिया गतिशील है। जिसका एक पहलू महिलाओं में राजनीतिक चेतना का विकास होना है। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक सहभागिता में भी वृद्धि होती है प्रस्तुत सारिणी 5.4 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक चेतना अवश्य जाग्रत हुई है परन्तु पारम्परिक दृष्टिकोणों से अधिक प्रभावित होने के कारण राजनीति में सक्रिय योगदान देने की इच्छा रखते हुए भी चुनाव में प्रत्याशी होने की इच्छा

व्यक्त नहीं कर पाती हैं। 73 वे संविधान संशोधन में महिला सीट होने से ग्रामीण महिलाओं में गाम प्रधान बनने की इच्छा जाग्रत हुई। अप्रैल 2000 से पहले छिबाँव ग्राम में सुधा द्विवेदी महिला ग्राम प्रधान रही, लेकिन सर्वेक्षण के लिए चुने चार गाँवों में महिला प्रत्याशी होने का प्रतिशत बहुत कम है।

ग्रामीण महिलाएं जिस भौगोलिक पर्यावरण में रह रही है, वहाँ कि संस्कृति ही उन महिलाओं के जीवन उनकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण करने, त्याग एवं पवित्रता का भाव उत्पन्न करने, धर्म के प्रति विश्वास पैदा करना तथा उनके व्यक्तित्व के निर्माण करने में, सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है। महिलाओं के इन सांस्कृतिक आचार व्यवहार प्रतिमानों से स्पष्ट होता है कि उनका प्रकृति के साथ अटूट सम्बन्ध है। गांवों में आज भी सभी प्राकृतिक शक्तियों को पूजा जाता है। आज भी इन गांवों में प्रातः उठते ही महिलाओं एवं पुरूषों में सूर्य, वायु, अग्नि, भूमि और जल को नमस्कार करने की आम प्रथा है। गाँवों में अधिकतर महिलायें पवित्र बरगद, तुलसी आदि वृक्षों को धार्मिक दृष्टिकोण से पूजती है, इन वृक्षों का रोपण करती है और इन वृक्षों का काटना निषेध मानती है। अधिकतर महिलाओं का कहना है कि इन वृक्षों को काटने से उनके जीवन में अनिष्टकारी प्रभाव पड़ेगा। ये महिलायें सदैव इन वृक्षों को देवता रूप में पूजती आयी है। सारिणी 5.5 से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक घटनाओं में अकाल, तूफान, महामारी, बाढ़ सूखा जैसी रहस्मय घटनाओं का मूल कारण दैवीय शक्ति या सांस्कृतिक पराम्पराओं को मानते है। अतः ग्रामीण महिलायें उसी प्राकृतिक पर्यावरणीय घेरे में अपना सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवेश का निर्धारण करती हैं। उपकल्पना–ग्रामीण महिलाओं की सांस्कृतिक व्यवस्था से उनकी पर्यावरणीय चेतना प्रभावित होती है। यहाँ पर सिद्ध होती है।

शिक्षा तथा संचार ग्रामीण सामाजिक संरचना से सम्बद्ध वे महत्वपूर्ण संस्थाएँ है जो न केवल व्यक्ति में रचनात्मक प्रवृत्ति का सृजन करती हैं बल्कि विभिन्न समूहों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन देती है। शिक्षा का कार्य व्यक्ति के अनुभव तथा विवेक में वृद्धि करके उसमें समायोजन की क्षमता का विकास करना है जबकि संचार व्यक्ति में स्फूर्ति, उत्साह और मनोरंजन

करके उसे अतिरक्ति शक्ति प्रदान करता है। भारत के ग्रामीण जीवन में शिक्षा और संचार इतनी महत्वपूर्ण संस्थाएँ रही है कि एक लम्बे समय तक इन्होने अपने विशेष स्वरूप को बनाए रखकर ग्रामीण संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया। परिवर्तन के वर्तमान युग में जहाँ अनेक दूसरी ग्रामीण संस्थाओं का परिवेश बदल रहा है। वहाँ ग्रामीण शिक्षा तथा संचार आज भी अपनी विशिष्टता को बनाए हुए है।

आज का भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पर्यावरण अपने स्वरूप एवं प्रभाव की दृष्टि से बड़ी तेजी से बदल रहा है। प्रभावी अधिगम के लिए बालक को अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता होती है भारतीय सन्दर्भ में शिक्षा का व्यापक महत्व स्वीकार करने के बाबजूद भी हमारे यहाँ इस ओर उदासीनता बनती जा रही है। पर्यावरण शिक्षा की उपयोगिता घर की महिलाओं, चरवाहों, घरेलू नौकरों, ग्वालिनों तथा दाइयों के अलावा हर वर्ग के व्यक्ति के लिए समान रूप से आंकी जा सकती है। पर्यावरणीय शिक्षा का अभाव शहरी महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण महिलाओं में कम है। क्योकि ज्यादातर ग्रामीण महिलायें अशिक्षित होती है। बाँदा जपपद के महुआ ब्लाक के इन चार गाँवों में शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। इन ग्रामीण समुदाय की सामाजिक कुरीतियों है, जो महिलाओं को मनौवैज्ञानिक रूप से कमजोर बना रही है। इन गाँवों में लडकियों की शिक्षा में सबसे बड़ी रूकावट उन स्थानों की सामाजिक मान्यताएँ और उनकी निजी जीवन की पेरशानियाँ आती है। शिक्षा से जुड़ी हुई सुविधाएं बाँदा शहर में उपलब्ध है लेकिन इन गांवों में सुविधाएं अभी पर्याप्त रूप में नहीं हैं। इन ग्रामों की लड़कियाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। कुछ लड़कियों की छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता है या फिर ये घर के काम–काज देखती हैं। यहाँ के शहरों में उच्च्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते है। लेकिन लड़कियाँ उच्च्य शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं।

वास्तव में आज इन ग्रामीणों की यही स्थिति है। इन गाँवों में नारी–शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की मनोवृत्ति पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रही है। सामाजिक विकास के अन्य पहलुओं पर लड़कियों की शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लडकियों

की शिक्षा देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ाती है, महिला मजदूर वर्ग में सक्रिय भाग लेती हैं। लड़कियों की शिक्षा और साक्षरता का शिशु और बाल मृत्यु दर टीकाकरण और आयु पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है।

ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय रही है। वास्तव में बुन्देलखण्ड क्षेत्र आर्थिक विकास में अन्य प्रदेश की तुलना में तो पिछड़ा है ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा है। बाँदा जपनद में 1991 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता प्रतिशत 44.69 है जिनमें पुरूष 59. 88 है तथा महिलाएं 27.25 प्रतिशत है। उत्तर–प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा की गति बहुत धीमी है। प्रस्तुत सारणी 6.1 चयनित ग्रामों की उत्तरदात्रियां की जाति एवं शिक्षा के सह–सम्बन्धों को दर्शाती है। इस सारिणी से स्पष्ट हुआ कि बाँदा जनपद में महिलाओं की शिक्षा अल्पतम है। जो शिक्षा प्राप्त महिलाएं है भी वे प्रायः नगरीय परिवारों में निवास करती है। ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा प्रायः कम है। जो महिलाएं शिक्षिति भी हैं उनमें से अधिकांश प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किये हुए है। कुछ महिलाएं मात्र हस्ताक्षर तक ही कर पाती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा सम्बन्धी आंकडों को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

ग्रामीण समुदाय में नवीन ज्ञान, प्रविधियों तथा व्यवहारों का सम्प्रेषण करने के लिए किसी भी व्यक्ति अथवा ऐजेन्सी के लिए ये अत्यधिक आवश्यक होता है कि संसार के उचित साधन अथवा माध्यम द्वारा ग्रामीणों के व्यवहारों को प्रभावित किया जाय। इस दृष्टिकोण से संचार प्रक्रिया में संचार के साधन अथवा वाहिका एक माध्यम है जिसके द्वारा ग्रामीणों का लाभ पहुंचाया जाता है। जन संचार के लिए निम्नांकित साधनों को प्रयोग में लाया जा रहा है। लद्यु–पुस्तिकाएं एवं समाचार पत्र–ग्रामीण कार्यक्रम के प्रचार और प्रसार के लघु पुस्तिकाओं और छोटे–छोटे समाचार पत्रों के द्वारा विकास योजनाओं तथा उनके लाभों से ग्रामीण महिलाओं को परचित कराया जाता है। ऐसे साहित्य में ग्रामीण महिलाओं एवं पुरूषों के अनुभावों, कार्यक्रम के विवरण तथा लद्यु–कथाओं का समावेश होता है। इनकी भाषा स्थानीय और सरल होती है। जिससे सामान्य रूपेण ग्रामीण भी उसे समझ सकें। ऐसी पुस्किाओं में 'बदलती दुनियाँ, नया भारत,' कृषि–दर्पण तथा 'हमारा स्वास्थ्य' आदि

कुछ प्रमुख पुस्तिकाएं है जिनके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं। चित्र और पोस्टर—जन संचार साधनों में चित्र तथा पोस्टर संचार के दूसरे प्रमुख माध्यम है। विकास—खण्डों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ' कृषि पशुपालन, छोटी बचत, स्वच्छता, पौढ़ शिक्षा, वोट देने का ढंग आदि से सम्बन्धित पखवारे मनाते समय चित्रों और पोस्टरों का प्रयोग सबसे अधि ाक किया जाता है।

ग्रामीण जनता में पारस्परिक सहयोग एवं सहभागिता की भावना को बढ़ाने, सरकार एवं जनता के बीच सम्बन्ध सुदृढ करने तथा ग्रामों का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास करने के लिए ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत संचार के अन्तवैयाक्तिक साधनों अथवा वाहिकाओं में वृद्धि करने का प्रयत्न किया गया है। सामुदायिक विकास खण्डों के अधिकारी तथा कार्यकर्ता समय—समय पर ग्रामीणों तक कार्यक्रमों का प्रसार करने के लिए ग्रामीण स्तर पर विशेष सभाओं का आयोजन करते हैं। विकास खण्डों की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों के प्रचार के लिए प्रथक—प्रथक अथवा समन्वित रूप से विशेष प्रदर्शनियों तथा सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। प्रचार के एक मनोवैज्ञानिक साधन के रूप में तरह—तरह के नारों द्वारा भी ग्रामीणों की मनोवृत्तियों को बदलने तथा जन—सहभाग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। 'सामूहिक वार्तालाप एवं व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम' का ग्रामीणों में सम्प्रेषण करने के लिए अन्य साधनों की अपेक्षा यह साधन कहीं अधिक व्यावहारिक तथा प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। ग्रामीण विकास योजना से सम्बद्ध विशेष कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए शिविरों का आयोजन भी एक महत्वपूर्ण विधि है जो वर्तमान समय में इसका उपयोग काफी लाभप्रद सिद्ध हुआ है। प्रस्तुत सारिणी 6.2 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि संचार साधनों में रेडियो, टी0 वी0 टेपरिकार्ड आदि को देखने एवं सुनने वाली महिलाओं का प्रतिशत 55. 4 अधिक है जबकि नही कहने वाली महिलाओं का प्रतिशत 44.5 कम है। इसका कारण यह है कि आजकल ग्रामों में टी0 वी0 संचार का एक ऐसा माध्यम बना हुआ है जो सभी महिलाओं के घरों में उपलब्ध न होने पर भी एक दूसरे के घर सम्पर्क कर अपने विचारों एवं व्यवहारों को सम्प्रेषित करती है। जो महिलायें नहीं कहती है वे संचार के अन्य साधन चित्र एवं पोस्टर, चलचित्र, प्रचार, सभाएँ,

प्रदर्शिनी एवं सम्मेलन, नारें, सामूहिक वार्तालाप एवं व्यक्तिगत सम्पर्क, शिविर एवं भ्रमण आदि साध
ानों से प्रभावित होकर अपने विचार, व्यवहार, मनोवृत्तियों से एक दूसरे को प्रभावित करती है। द्वितीय अध्याय में दी गयी उपकल्पना यहाँ सिद्ध हो रही है कि सन्देश वाहन के उपर्युक्त साधनों के अभाव के कारण महिलाएं पर्यावरणीय चेतना से भिज्ञ नहीं है।

षष्टम प्रस्तुत खण्ड के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति एवं संचार के नवीन साधनों ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए है। एक ओर यदि कोई महिला नगरों से शिक्षा प्राप्त करके गाँव वापस लौटती है वे अपने प्रगतिशील विचारों और व्यवहारों के कारण ग्रामीण महिलाओं के लिए शीघ्र ही आकर्षण का केन्द्र बन जाती है। स्वयं गांवों में भी बहुत सी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना होने से नई पीढ़ी की महिलाओं के विचारों और विश्वासों में परिवर्तन होने लगा है। दूसरी ओर संचार के साधनों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण ग्रामीण महिलायें नवनीतम सूचनाओं तथा विकास कार्यक्रमों से परिचित होती जा रही है। सभी प्रमुख गाँवों तथा नगरों को जोड़ने के लिए व्यापक रूप से सड़कों का निर्माण हुआ तथा संचार के साधन स्थापित होने के फलस्वरूप ग्रामीण महिलाओं में नए विचार, व्यवहार, आदते और मनोंवृत्तियां प्रवेश करती जा रही है। ग्रामीण विकास योजना की संरचना तथा इसके क्रियान्वयन में कुछ ऐसे आधारभूत दोष विद्यमान रहें है जिनके कारण शिक्षा एवं संचार के साधनों में आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। फिर भी हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ग्रामीण विकास योजनाओं के फलस्वरूप ग्रामीण समुदाय में एक नयी चेतना उत्पन्न हुई है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है, तथा काफी अंशों में ग्रामीण महिलाओं की मनोवृत्तियों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन भी सामने आया है।

प्रत्येक महिलायें अपने चारों ओर की अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक जैवकीय और जनसंख्यात्मक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। कुछ महिलायें अपनी इन परिस्थितियों से सफलतापूर्वक अनुकूलन कर लेती हैं जबकि बहुत सी महिलायें इनसे अनुकूलन नहीं कर पाती। ग्रामीण महिलाओं के चारों ओर की इन दशाओं व उनके प्रभाव की सम्पूर्णता को पर्यावरणीय सहभागिता कहते है। सभी पर्यौवरणीय दशायें एवं परिस्थितियाँ है जो उनके जीवन को प्रभावित कर

रही है। इस दृष्टिकोण से किसी भी जीवित वस्तु के अतिरिक्त जितनी भी दशाओं का प्रभाव पड़ता है, वह सब उनका पर्यावरण है। प्राकृतिक शक्तियाँ–वायु, जल, तापमान, भूमि की बनावट, खनिज पदार्थ तथा आर्द्रता। सामाजिक शक्तियाँ– सामाजिक ढाँचा, सामाजिक संस्थाएँ, समाजिक नियम, सांस्कृतिक विरासत तथा विभिन्न प्रकार के समूह। सांस्कृतिक प्रतिमान–धर्म, भाषा, नैतिकता, प्रथा, परम्परा, सामाजिक मूल्य, लोकाचार, मनोवृत्तियाँ आदि। उन महिलाओं के जीवन को प्रत्येक पग पर प्रभावित करते हैं। ग्रामीण महिलाओं में इन सभी प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशाओं की सम्पूर्णता को हम पर्यावरणीय प्रभावकारिता एवं सहभागिता कहते है।

आधुनिक कृषि वस्तुतः उर्वरक एवं कीटाणु नाशक दवाओं पर अधिक आश्रित है। उत्पादन की अधिकता का मुख्य कारण इन दोनों की सुविधाओं की सफलता है। अधिकांश कीटनाशकों की डी0डी0टी0 सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया सक्लोरिन जल–कार्बन था। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् डी0डी0टी0 का उपयोग सर्वव्यापक हो गया, क्योंकि इसे सुरक्षित माना गया, इस अर्थ में कि यह कीड़ो–मकोड़ों को तो मारता है किन्तु मनुष्यों को हानि नहीं पहुंचाता। कारण उत्पादन में चढ़ाव–उतार होते रहना स्वाभाविक है। इसका प्रभाव कृषकों के ऊपर होने वाली प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जाना चाहिए, जिसकी अभिव्यक्ति के रूप में आज सिंचाई के क्षेत्र में विस्तार, नवीन बीजों, उर्वरकों, दवाओं एवं कृषि यंत्रों जैसे निवेश के क्रम में वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि के विभिन्न साधनों का एक सा प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इस कार्यक्रम को 'पैकेज कार्यक्रम' भी कहा जाता है। बाद में इस क्रार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कार्यक्रम के क्षेत्र को सीमित करके इसे 'गहन कृषि–क्षेत्रीय कार्यक्रम' का नाम दिया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नतिशील बीजों के अतिरिक्त रासायनिक खादों, कीटाणुनाशक दवाओं एवं अन्य साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत सारिणी (7.1) के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि समस्त 460 उत्तरदत्रियों में जिन उत्तरदत्रियों को कीटनाशक दवाओं एवं रसायानों के सम्बन्ध में जानकारी है उनमें सामान्य वर्ग की उत्तरदत्रियों का प्रतिशत 40.2 सर्वाधिक है और अनुसूचित जाति की उत्तरदात्रियों का प्रतिशत 20.3 सबसे कम है। इसका कारण यह है कि सभी

चयनित ग्रामों में सवर्ण वर्ग की महिलायें अधिक पढ़ी लिखी है। इसलिए इन महिलाओं में यह प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं में कम दिखाई पड़ता है।

भारत के प्राचीन आयुर्वेदश चरक, सुश्रुत, भावमित्र तथा वाम्भट्ट आदि ने तुलसी के जिन गुणों का वर्णन किया है व आज के वैज्ञानिक परीक्षण और शोधों से भी प्रमाणित हो रहे है। तुलसी की रासायनिक संरचना में सैवोनिन, ग्लाइकोसाइडस और एल्के लाइडस प्रमुख है। तुलसी सभी प्रकार के रोगों की विशिष्ट औषधि है। ग्रामीण हिन्दु धर्मावलम्बियों के आँगन में तुलसी का पौधा अवश्य ही मिल जाता है उसे बड़ा ही पवित्र और दैवी रूप माना गया है। शोध छात्रा ने जब ग्रामीण महिलाओं से औषधियुक्त पौधे नीबू, पौदीना, धनियाँ, हल्दी, मूली, अजवाइन, सौफ, लहसुन, आँवला, प्याज, पालक, मेथी, तुलसी आदि पौधो के लगाने के सम्बन्ध में जानना चाहा तो समस्त चारों ग्राम की 460 उत्तरदत्रियों में 199 (43.2) प्रतिशत उत्तरदत्रियाँ तुलसी का पौधा अपने घरों में लगाती है तथा तुलसी के पौधे का प्रत्येक भाग, पत्ती, डाली, तना व जड़, बीज आदि सभी का उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों में प्रयोग करती है। इन महिलाओं का कहना है कि यदि लगातार तुलसी के पत्तों के रस का सेवन प्रातः काल किया जाय तो बुखार, आँव तथा कफ सम्बन्धी आदि रोग ठीक हो जाते है। जरर एवं मलहरा निवादा की महिलाओं का कहना है कि कान में तेज दर्द हो रहा हो तो तुलसी की पत्ती के रस गरम करके कान में डाल देने से तुरंत आराम मिल जाता है। छिवाँव एवं बडोखर बुजुर्ग ग्राम की महिलाओं का कहना है कि तुलसी की पत्ती के रस के साथ चूने को मिलाकर दाद–खाज में लगाया जाय तो उससे छुटकारा मिल जाता है। उपयुर्क्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आयुर्वेदिक दृष्टि से तुलसी का महत्व तो है ही लेकिन महिलायें इस औषधि का प्रयोग घरेलू नुक्से के रूप में प्रयोग करती है तथा धार्मिक दृष्टि से तुलसी के पौधे का पूजन भी करती है। प्रस्तुत सारिणी (7.2) के विश्लेषण एवं सर्वेक्षण से मिली जानकारी से ज्ञात होता है कि सभी ग्रामों में ज्यादातर महिलाओं में यह प्रभाव देखने में आया कि जिन महिलाओं के घर में औषधियुक्त पौधे लगे हुए है। उनमें पर्यावरण का प्रभाव अधिक है ही साथ ही जिन महिलाओं के घरों में औषधियुक्त पौधे नहीं है वे भी इनके ज्ञान एवं प्रभाव से अपरचित नहीं है, आवश्यकता पड़ने

पर यें महिलायें गाँव की अन्य महिलाओं से औषधि लेकर अपनी घेरेलू चिकित्सा एवं स्वास्थ को स्वस्थ रखने का प्रयास करती है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि इन ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरणीय प्रभावकारिता अधिक है।

ग्रामीण पर्यावरण में सुधार एवं विशेषकर ग्रामीण महिला की सुविधा सम्मान व सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए उत्तर–प्रदेश में पंचायती राज विभाग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में कुछ सीमित स्तर तक वर्ष 1990–91 में वृहत स्तर पर ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया।

वर्ष 1991–92 में प्रदेश के ग्रामीण घरों में 2 लाख व्यक्ति शौचालय तथा लगभग 897 सामुदायिक शौचालयों एवं कुछ अन्य स्वच्छता सुविधा यथा सोख्ता गढ्ढा, जल निकास नाली, नहाने का चबूतरा तथा कूडा–करकट गढ्ढा के निर्माण की व्यापक योजना तैयार की गई है। अन्तर्राष्टीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित गाँव–गाँव में यूनिसेफ ने पोषण कार्यक्रम के साथ ही प्राथमिक स्कूलों व स्वास्थ्य केन्द्रों में जल सप्लाई एवं स्वच्छ पेयजल योजनाएँ आरम्भ की है। प्रस्तुत सारिणी 7.3 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समस्त चार ग्रामों की 460 उत्तरदत्रियों में 196 (42.6) प्रतिशत उत्तरदत्रियाँ यह कहती है कि जल को शुद्ध बनाने के लिए दवा का प्रयोग करना चाहिए जबकि 264 (57.3) प्रतिशत उत्तरदत्रियाँ यह कहती है कि जल को शुद्ध करने के लिए किसी भी दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत सारिणी में नहीं कहने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत अधिक इसलिए है कि ज्यादातर ग्रामीण महिलायें यह नहीं जानती कि जल गन्दा होता है वे हैण्डपम्प और कुंए के पानी को स्वच्छ मानती है। लेकिन ग्रामों में प्रयुक्त किये जाने वाले ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, क्लोरीन आदि के द्वारा जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जानती अवश्य है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महिला प्रदूषित जल में होने वाली बीमारियों के प्रभाव से परिचित है और प्रभावित भी हो रही है।

ग्रामीण महिलाओं में क्रेशर उद्योग से उत्पन्न होने वाले वायु–प्रदूषण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत सारिणी 7.4 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समस्त चार ग्रामों की 460

उत्तरदात्रियों में 249 (54.1) प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ यह कहती है कि स्टोन क्रेशर उद्योगों से वायु प्रदूषित होती है। इन चार ग्रामों में मलहरा निवादा की 62.8 प्रतिशत तथा जरर ग्राम की 60 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ वायु–प्रदूषण के प्रभाव से परिचित है। इस सारिणी में यदि हम ध्यान दे तो ज्ञात होता है कि छिवाँव ग्राम की उच्च जातियाँ प्रायः सम्पन्न, किन्तु पारम्परिक व्यवस्था से आवद्ध है ऐसे परिवारों की महिलायें घर से बाहर कम ही जा पाती हैं अतः स्टोन से उत्पन्न प्रदूषण से उतनी सचेत नहीं है। अतः स्पष्ट होता है कि समस्त चार ग्रामों में छिवाँव ऐसा ग्राम है जो कि स्टोन क्रेशर से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति पूर्ण रूप परिचित नहीं है इसका कारण है कि इस ग्राम के समीप स्टोन क्रेशर मिल नही है। जब मलहरा निवादा, बडोखर बुजुर्ग, जरर ये तीनों ग्राम ऐसे है जो स्टोन क्रेशर मिल के समीप स्थिति है ये ग्राम सड़क के किनारें नरैनी रोड़ पर पड़ते है। नरैनी रोड में ही चार स्टोन क्रेशर मिल स्थिति है इस कारण इन तीनों ग्राम की महिलायें स्टोन क्रेशर उद्योग से होने वाले वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से प्रभावित है अर्थात् इन महिलाओं में क्रेशर उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषण सम्बन्धी चेतना अधिक है।

पर्यावरणीय सहभागिता सभी क्षेत्रों में एवं सभी लोगों में एक समान स्तर की नही दिखाई पड़ती। पर्यावरणीय सक्रियता विभिन्न पर्यावरणीय गतिविधियों के रूप में प्रगट होती है इन्ही गतिविधियों में शामिल होना ही पर्यावरण सहभागिता की पहचान है। पर्यावरणीय सहभागिता के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियों के क्षेत्र को आधुनिक पर्यावरण विद्रों ने बहुत विस्तृत कर दिया है। इनमें से विशेष रूप से उल्लेखनीय गतिविधियाँ अद्योलिखित है– वृक्ष लगाना, हरी–भरी वाटिकाओं का संरक्षण एवं फलदार बागों की रखवाली। पार्को एवं जन स्थलों की सफाई करना। कूडो–कचरों एवं खाने के बाद फेके हुए उच्छिष्टों को यथा स्थान उपयुक्त ढंग से रखना। पीने का पानी जहाँ से मिलता है उन स्त्रोतों का स्वास्थ्य परिक्षकों द्वारा जाँच की व्यवस्था कराना। वायु प्रदूषण को रोकना। सड़कों, बस अड्डो, रेलवे स्टेशन तथा हवाई अड्डों, की सुरक्षा के साथ उन्हें साफ–सुथरा रखना। नालियों की सफाई एवं मरम्मत करना। गन्दी बस्तियों तथा शहर एवं गाँव के इर्द–गिर्द की आबादी के रहन–सहन में सुधार लाना आदि पर्यावरणीय सहभागिता के प्रमुख अभियान है। ग्रामीण

वातावरण में शुद्ध वायु, जल मिट्टी और वनस्पति जड़ी–बूटी युक्त प्राकृतिक स्त्रोतों के आधार पर ही स्वस्थ रहना एक उचित सस्ता और संभावित उपचार है। बढ़ते प्रदूषण के बीच प्रदूषण मुक्त वातावरण पैदा करके पुनः प्रकृति के अनुकूल आचरण व्यवहार करना पर्यावरणीय सहभागिता का एक रूप है।

पर्यावरण चारों ओर का समग्र वातावरण है जिसमें जल, वायु पेड़–पौधे और प्रकृति के अन्य तत्व जीव–जन्तु आदि शामिल हैं। जीवमण्डल में पौधों का सर्वाधिक महत्व है क्योकि ये प्राथमिक उत्पादक होते है तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से स्थलीय एवं जलीय जन्तुओं को आहार प्रदान करते है। पौधों की जातियों के सामाजिक समूह को पादप–समुदाय कहते हैं तथा पौधे इस समुदाय की आधारभूत इकाई होते है। जीवमण्डल में पौधों के महत्व एवं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर ही जीव भूगोल में पौधों के अध्ययन पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। प्रस्तुत सारिणी 7.5 में ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरणीय सहभागिता को जानने का प्रयास किया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि 4.60 उत्तरदात्रियों में 339 (73.6) प्रतिशत उत्तरदात्रियां ऐसी है जो वातावरण को शुद्ध रखने के लिए घर के अन्दर या घर के बाहर पौधे लगाने के सम्बन्ध में हाँ कहती हैं जबकि 121 (26.3) प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ जो पौधे लगाने के सम्बन्ध में नही कहती है। नहीं कहने वाली उत्तरदात्रियों की अपेक्षा हाँ कहने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। यह महिलायें फल, फूल एवं औषधियों के पौधे लगाना न केवल धार्मिक दृष्किोण से उपयोगी मानती है बल्कि वातावरण को शुद्ध रखने, शुद्ध आक्सीजन प्राप्त करने, घर की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से भी उपयोगी एवं उपयुक्त समझती है। अतः इस सारिणी से स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण महिलायें न केवल पर्यावरण में सहभागी है, वरन् शुद्ध पार्यावरण को बनाने के लिए जागरूक एवं सचेत भी हो रही है।

पर्यावरण एवं प्रदूषण तथा स्वास्थ्य इन तीनों का घनिष्ट सम्बन्ध है इन तीनों में सन्तुलन बनायें रखना अत्यन्त आवश्यक है क्योकि आधे से अधिक बीमारियाँ अस्वच्छ वातावरण एवं दूषित प्रदूषण की देन है उल्टी, दस्त, पेचिश, पीलिया, टाइफाइड, हैजा आदि दूषित पेयजल एवं अस्वच्छ

वातावरण से होते है। स्वच्छता स्वस्थ जीवन व रहन–सहन के लिए अति आवश्यक है। अनेको बीमारियों के प्रकोप से स्वच्छ रहकर बचा जा सकता है। स्वच्छता रोग प्रतिरक्षण का प्रथम उपाय है। व्यक्तिगत स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता स्वस्थ वातावरण एवं उत्तम पर्यावरण का निर्माण होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता का दायित्व तो हर व्यक्ति चाहे वह पुरूष हो या महिला पर होता है किन्तु सामुदायिक स्वच्छता का आधार एक दूसरे के प्रति दायित्व निर्वाह की भावना एवं सामाजिकता का भाव होते हैं। अपने शोध विषयक सर्वेक्षण में गवेषिका ने चयनित चार ग्रामों की महिलाओं की पर्यावरण एवं स्वच्छता के प्रति सचेष्टता, सर्तकता, चेतना तथा सहभागिता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन किया है। उनके रहन–सहन की पद्धति, उनके निवास के अन्दर के परिवेश के प्रति जानकारी प्राप्त करते हुए अपनी प्रश्न–सूची के माध्यम से स्वच्छता सम्बन्धी ज्ञान तथा जागरूकता का आँकलन किया गया है। प्रस्तुत सारिणी 7.6 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित चार ग्रामों में अधिकतर महिलायें ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से प्रभावित होकर अपने घरेलू पर्यावरण को स्वच्छ बनायें रखने में सहयोगी होती है। खाना परोसने में चम्मच, छन्नी पानी से धोकर रखने वाली महिलाओं में समस्त चार ग्रामों की सामान्य जाति की 50.9 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ स्वच्छता सम्बन्धी दृष्टिकोणों पर विशेष ध्यान देती है। इन चार ग्रामों में बडोखर बुजुर्ग ग्राम की सामान्य जाति की उत्तरदात्रियों में 86.6 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ खाना परोसने के बाद चम्मच, छन्नी पानी से धोर रखती है इसका कारण यह है कि इस ग्राम में सामान्य जाति की महिलायें शिक्षित एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न है। इसलिए ये महिलायें स्वच्छता सम्बन्धी दृष्टिकोणों से विशेष रूप से परिचित एवं प्रभावित है। वर्ष 1994 में क्रेन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत निजी साफ–सफाई एवं घरों में स्व्च्छता रखने की आदतों को बढ़ावा देने सम्बन्धी दृष्टिकोणों से प्रभावित होकर अधिकतर ग्रामीण महिलायें जागरूक होकर घर में स्वच्छता बनायें रखने में सहभागी हो रही है। लेकिन अभी भी ग्रामीण महिलाओं में स्वच्छता सम्बन्धी दृष्टिकोणों का इतना अधिक प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है, जितना कि उनसे अपेक्षा की जाती है। इसका मुख्य कारण ग्रामीण महिलाओं की अज्ञानता एवं निरक्षरता का होना है। अतः उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि समस्त चार ग्रामों में अधि

ाकतर महिलायें अशिक्षित एवं निरक्षर होने के बाबजूद ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से प्रभावित होकर घरेलू पर्यावरण को स्वच्छ बनायें रखने में सहयोगी हैं। अर्थात् पर्यावरण एवं स्वच्छता के प्रति सचेष्ट, सर्तक, प्रभावित एवं सहभागी भी है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट सूची

परिशिष्ट

पर्यावरण संरक्षण कानून (Enveronmennt Protection Act)

भारतीय ग्रामीण समुदाय आज परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। एक ओर जहां औद्योगिकरण, नगरीकरण, प्राधोगिक विकास, प्रकृतिक संसाधनों का विकास हुआ वहीं पर्यावरण प्रदूषण गम्भीर चिन्ता का विषय बनता जा रहा है। प्रदूषण किसी एक देश की समस्या नहीं चाहे भारत का ग्रामीण समुदाय हो या न्यूयार्क का नगरीय जीवन कोई विकसित देश हो या पिछड़ा हुआ दोनो प्रदूषण के शिकार है। सम्पूर्ण पृथ्वी जिस पर प्राणी या वनस्पति है इस प्रदूषण के प्रभाव में निरन्तर आते जा रहे है। इस प्रकार परिवर्तन जिसमें मानव, जानवर, वनस्पति अथवा सौन्दर्या प्रतीकों को हानि न पहुंचे इसीलिए पर्यावरण के विभिन्न संघटको के साथ मनमाने ढंग से छेड़–छाड़ करने वाले स्वेच्छाचारी व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए भारत में सन् 1897 से ही कानून बनते रहे है। प्रमुख कानून निम्न है–

भारतीय मत्स्य कानून 1897, विस्फोटक कानून (1908), भारतीय बन्दरगाह कानून 1908, बम्बई कुआं कानून (1912) मैसूर विनाशकारी कीट कानून 1917, मानव कानून 1919, जहर कानून 1919, भारतीय वन कानून 1927, मोटर गाड़ी कानून 1938, दमोदर घाटी सहकारी नियन्त्रण कानून 1948, कलकत्ता नगर परिषद कानून 1951, उड़ीसा नदी प्रदूषण व नियंत्रण कानून 1953, वन्य जीव संरक्षण कानून 1972, शहरी भूमि कानून 1976, जल प्रदूषण संरक्षण व निवारण कानून 1977, वन (संरक्षण) कानून 1980, वायु प्रदूषण (निवारण) कानून 1981 पर्यावरण (संरक्षण) कानून 1986।

शिवराज सिंह सेंगर (1996) ने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 व 291 में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्त के 42 वें अनुच्छेद में संशोधन कर अनुच्छेद 42 (ए) तथा 51 (ए) को सम्मिलित किया गया (1976) है। अनुच्छेद 42

डॉ. शिवराज सिंह सेंगर, 'पर्यावरणीय शिक्षा', साहित्य प्रकाशन, आगरा, 1996 पृष्ठ 95–96

(ए) के अनुसार सरकार का दायित्व है कि वह पर्यावरण वन व वन्य जीवों की सुरक्षा करें। ''भारतीय क्रेन्द्रीय बोर्ड'' ने राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के साथ मिलकर कई नियम पारित किये जिसमें मुख्य है–

1. जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम (1974)
2. वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम (1981)
3. फैक्ट्री अधिनियम तथा कीटनाशक अधिनियम
4. जल उपकर नियम (1977)
5. पर्यावरण सुरक्षा (1986)

विकास खण्ड: महुआ– 1991

क्र.	सूचनाऐ	संख्या
1.	ग्रामों की संख्या	133
2.	आबाद ग्रामों की संख्या	118
3.	गैर आबाद ग्रामों की संख्या	15
4.	महुआ ब्लाक की कुल जनसंख्या	152411
5.	पुरूष जनसंख्या	83271
6.	महिला जनसंख्या	69140
7.	परिवारो की संख्या	26627
8.	क्षेत्रफल वर्ग कि0मी0	412.73
9.	आवासीय मकानों की संख्या	26170
10.	अनुसूचित जाति की संख्या	42475
11.	पुरूष जनसंख्या, महिला जनसंख्या	23438,19037
12.	अनुसूचित जनजाति की संख्या	40
13.	पुरूष एवं महिला जनसंख्या	28,12
14.	जनसंख्या घनत्व प्रतिवर्ग कि0मी0	369
15.	गोबर गैस संयत्र	197
16.	पशु चिकित्सालय संख्या	2
17	कृषको की संख्या	33708
18.	कृषि श्रमिको की संख्या	19862
19.	पशुपालन जंगल लगाना, वृक्षारोपण–कर्मकार संख्या	200
20.	खदान में कर्मकारो की संख्या	284

क्र.	सूचनाऐ	संख्या
21.	पारिवारिक उद्योग में कर्मकार की संख्या	713
22	गैर पारिवारिक उद्योग में कर्मकारों की संख्या	402
23.	निर्माण कार्य में लगे कर्मकारो की संख्या	134
24.	व्यापार एवं वाणिज्य कार्य में कर्मकार की संख्या	758
25.	यातायात संग्रहण एवं संचार में कर्मकार संख्या	163
26.	अन्य कार्य में लगे कर्मकारो की संख्या	1663
27.	कुल मुख्य कर्मकार की संख्या	57887
28.	सीमान्त कर्मकर की संख्या	15488
29.	कुल कर्मकर की संख्या	73375
30.	कुल साक्षर व्यक्तियो की संख्या	42733 (34.89 प्रतिशत)
31.	साक्षर पुरूष	34543 (51.14 प्रतिशत)
32.	साक्षर महिला	8190 (14.91 प्रतिशत)
33.	जूनियर बेसिक स्कूल	110
34.	सीनियर बेसिक स्कूल	20
35.	बालिका सीनियर बेसिक स्कूल	4
36.	हायर इण्टरमीडिएट	5
37.	एलोपैथिक चिकित्सालय	7
38.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय	3
39.	होम्योपैथिक चिकित्सालय	3
40.	परिवार एवं मातृशिशु कल्याण केन्द्र तथा उपकेन्द्र	2, 28
41.	पक्की सड़को की लम्बाई कि0 मी0	99
42.	प्रतिहजार वर्ग कि0 मी0 पर कुल पक्की सड़को की लम्बाई	240.81

क्र.	सूचनाऐ	संख्या
43.	डाकघर की संख्या	28
44.	तारघर की संख्या	1
45.	टेलीफोन कनेक्शन संख्या	70
46.	पब्लिक काल आफिस की संख्या	21
47.	रेलवे स्टेशन	1
48	बस स्टाप	16
49.	ग्रामीण बैंक की संख्या	6
50.	राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाएं (संख्या में)	3
51.	न्याय पंचायत की संख्या	10
52.	ग्राम संभाओ की संख्या	86
53.	पंचायत घर की संख्या	4
54.	राजकीय नलकूपो की संख्या	15
55.	निजी नलकूप की संख्या	248

विभिन्न साधनों द्वारा श्रोतानुसार, वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल

हेक्टेयर में– 1991–1992 के अनुसार

1	2	3	4	5	6	7
नहरों से सिंचित क्षेत्रफल	राजकीय नलकूप से सिंचित क्षेत्रफल	निजी नलकूप से सिंचित क्षेत्रफल	तलाब से से सिंचित क्षेत्रफल	कुए से सिंचित क्षेत्रफल	अन्य साधनों से सिंचित क्षेत्रफल	इन सभी साधनों से सिंचित क्षेत्रफल का योग
24902 (हे0)	247 (हे0)	431 (हे0)	2 (हे0)	32 (हे0)	78 (हे0)	25692 (हे0)

सांख्यिकी पत्रिका – जनपद बांदा, 1993

कार्यालयः अर्थ एवं संख्याधिकारी, बांदा (उ०प्र०), 1993.

महुआ ब्लाक–1991 के अनुसार

ग्राम– बडोखर बुजुर्ग ग्राम

	ग्राम की सूचनाए	संख्या
1.	ग्राम की कुल जनसंख्या	4705
2.	पुरूष जनसंख्या	2554
3.	महिला जनसंख्या	2151
4.	अनुसूचित जाति जनसंख्या	1245
5.	कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टयर में)	1258
6.	प्राथमिक स्कूलों की संख्या	15
7.	जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या	2
8.	ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या	1
9.	तालाबों की संख्या	3
10.	सरकारी हैडपम्प	45

कार्यालय विकास खण्ड महुआ से प्राप्त आंकडों के अनुसार

महुआ ब्लाक–1991 के अनुसार

ग्राम– मलहरा निवादा

	ग्राम की सूचनाए	संख्या
1.	ग्राम की कुल जनसंख्या	2886
2.	पुरूष जनसंख्या	1601
3.	महिला जनसंख्या	1285
4.	अनुसूचित जाति जनसंख्या	833
5.	कुल भूमि का क्षेत्रफल(हेक्टयर में)	789
6.	प्राथमिक स्कूलों की संख्या	2
7.	जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या	1
8.	ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या	13
9.	सरकारी हैण्ड पम्पों की संख्या	20
10.	तालाबों की संख्या	2
11.	कुओं की संख्या	13

कार्यालय विकास खण्ड महुआ से प्राप्त आंकडों के अनुसार

महुआ ब्लाक—1991

ग्राम— जरर

	ग्राम की सूचनाए	संख्या
1.	ग्राम की कुल जनसंख्या	1863
2.	पुरूष जनसंख्या	1036
3.	महिला जनसंख्या	827
4.	अनुसूचित जाति जनसंख्या	315
5.	कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टयर में)	1453
6.	ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या	11
7.	प्राथमिक स्कूलों की संख्या	—
8.	जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या	—
9.	तालाबों की संख्या	4
10.	कुओं की संख्या	25

कार्यालय विकास खण्ड महुआ से प्राप्त आंकडों के अनुसार

महुआ ब्लाक–1991

ग्राम– छिबाँव

	ग्राम की सूचनाए	संख्या
1.	ग्राम की कुल जनसंख्या	2975
2.	पुरूष जनसंख्या	1648
3.	महिला जनसंख्या	1327
4.	अनुसूचित जाति जनसंख्या	1272
5.	कुल भूमि का क्षेत्रफल(हेक्टयर में)	280
6.	ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या	15
7.	प्राथमिक स्कूलों की संख्या	2
8.	जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या	1
9.	सरकारी हैण्ड पम्पों की संख्या	25
10.	तालाबों की संख्या	4
11.	कुओं की संख्या	40

कार्यालय विकास खण्ड महुआ से प्राप्त आंकडों के अनुसार

मानचित्र
जनपद बाँदा
मार्ग
रेलवे एवं सड़कें
उत्तर
संकेत
सीमा जनपद
सीमा विकासखण्ड
जिला मुख्यालय
विकास खण्ड
ग्राम
बाँदा
तिन्दवारी
बबेरू
कमासिन
कोरही
अतर्रा
नरैनी
जसपुरा
कालिंजर
करतल

विकास खण्ड - महुआ
जनपद - बाँदा
पैमाना :- १.५ सेमी = 1 किमी.
उत्तर
तहसील
बाँदा
बिलगाँव
सहेवा
अजीतपारा
जखनी
जमरेही
माधोपुर
मकरी
माई
हस्तम
खम्हौरा
बसरेही
गिरवाँ
नरैनी
सुसते
तेंदुही
मसरी
बदेई
गुमाई
पचोखर
नौहाई
कचौली
रिसौरा
हड़हा
मवई
मोतीयारी
खरेध
मुगौरा
क्रम.
विवरण
चिन्ह
1 स्टेट (राज्य) सीमा
2 जनपद सीमा
3 सर्वेक्षण कृत ग्राम
4 तहसील सीमा
5 विकासखण्ड सीमा
6 न्याय पंचायत सीमा
7 तहसील मुख्यालय

ग्रामीण महिलाओं में पर्यावरण सम्बन्धी चेतना का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी में पी–एच0डी0 उपाधि हेतु)

साक्षात्कार–अनुसूची

गोपनीय

निर्देशक

डा. जे0 पी0 नाग

रीडर, अध्यक्ष समाजशास्त्र

पं. जे. एन. पी. जी. कालेज, बाँदा

गवेषिका

सारिता दुबे

(खण्ड–1)

1. नाम

2. उम्र (आयु) 1. 20–40 2. 40–60 3. 60 से ऊपर

3. धर्म 1. हिन्दु 2. मुस्लिम 3. सिक्ख 4. ईसाई 5. जैन

4. जाति 1. सामान्य 2. अुन. जाति 3. अनु. जनजाति 4. पिछडा वर्ग

5. शिक्षा 1. शिक्षित 2. साक्षर 3. निरक्षर

6. शैक्षिक स्तर 1. हाईस्कूल 2. इण्टरमीडिएट 3.स्नातक 4. परास्नातक (कला/विज्ञान)

7. आर्थिक स्तर 1. उच्च 2. मध्यम 3. निम्न

8. वैवाहिक स्थिति 1. विवाहित 2. अविवाहित 3. परित्यक्ता 4. विधवा

9. व्यवसाय मुखिया 1. खेती 2.नौकरी 3. मजदूरी 4. स्वतन्त्र व्यवसाय

10. पारिवारिक मासिक आय (रु.) 1. 100–1000 2.1000–3000 3. 3000 से ऊपर

(खण्ड–2)

11. परिवार का स्वरूप क्या है? 1. सयुक्त 2. एकांकी

12. सदस्य संख्या 1. 3 तक 2. 5 तक 3. 8 तक

13. आपके परिवार के सदस्यों से आपके सम्बन्ध कैसे हैं? 1. उच्च 2. मध्यम 3. निम्न

14. परिवार का वातावरण कैसा है? 1. बहुत अच्छा 2. अच्छा 3.मध्यम श्रेणी 4. सामान्य

(खण्ड–3)

निवास एवं रहन–सहन की स्थिति

15. क्या आप अपने मकान के आस–पास के स्थान को भी साफ रखने की इच्छा रखती है? 1. हाँ 2. नहीं

16. रहने का स्थान पर्याप्त है? 1. हाँ 2. नहीं

17. जनवारो के रहने का प्रबन्ध है? 1. हाँ 2. नहीं

18. यह आपका निजी मकान है? 1. हाँ 2. नहीं

19. आपके मकान और उसके आस–पास का वातावरण कैसा है?

    1. साफ सुथरा 2. साधारण 3. गन्दगी पूर्ण

20. आपके मकान में निम्नलिखित सुविधाओं में से कौन–कौन सी प्राप्त है?

    1. रसोई गृह 2. स्नान गृह 3. शौचालय 4. पानी 5. बिजली

21. आप अपने घर में कौन सा जानवर रखती है?

    1. ( ) 2. गाय ( ) 3. भैंस ( ) 4. बकरी ( ) 5. भेड़ ( ) अन्य ( )

(खण्ड–4)

सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति

22. क्या आप अपनी लडकी की शादी में दहेज देती है? 1. हाँ 2. नहीं

23. जब आप अपने लड़के की शादी करती है, तो क्या आप दहेज लेती है? 1. हाँ 2. नहीं

24. क्या दीपावली के अवसर पर या अन्य समय पर आप लोगो के घर में लोग जुआँ खेलते है?

    1. हाँ 2. नहीं

25. क्या आपके यहाँ विधवाओं का पुर्नविवाह होता है? 1. हाँ 2. नहीं

26. क्या आप ये समझती है कि नेताओं की कथनी और करनी में भारी अन्तर है? 1. हाँ 2. नहीं

27. क्या आप ये चाहती है, कि ग्राम पंचायत, प्रधानी, संसद और विधानसभाओं के चुनाव में महिलाओं को भी भागीदारी होना चाहिए? 1. हाँ 2. नहीं

28. क्या आप इस बात से सहमत है, कि पेट की भूख व्यक्ति को पाप कर्म के लिए प्रेरित करती है?

    1. हाँ 2. नहीं 3. हो सकता है

29. क्या आप इस बात से सहमत है, कि गरीबी और बेरोजगारी ही युवाओं को चोरी और डकैती जैसे अपराधों के लिए प्रेरित करते है? 1. हाँ 2. हो सकता है नहीं

30. आपका वैवाहिक जीवन कैसा है? 1. सुखी 2. असुखी 3. साधारण

31. यदि आपसे कोई गलती हो जाती है या कोई काम समय से नहीं हो पाता, तो आपके पति आपसे कैसा व्यवहार करते है? 1. आपको सबके समाने अपमानित करते हैं। 2. मारते–पीटते है। 3. या केवल डॉटते हैं। 4. समझाकर उस काम को सही तरीके से करने को कहते है। 5. या फिर आपकी गल्तियों पर ध्यान नहीं देते।

32. क्या आप चुनाव में प्रत्याशी होने की इच्छा रखती है? 1. हाँ 2. नहीं

33. क्या आप मतदान में भाग लेती है? 1. हाँ 2. नहीं

34. क्या महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए? 1. हाँ 2. नहीं

यदि हाँ तो क्यों?

यदि नही तो क्यों?

(खण्ड–5)

सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति

35. आप खाली समय में क्या करती है? 1. घरेलू कार्य 2. आर्थिक उत्पादन कार्य 3. कुछ नहीं

36. इस आधुनिक वातावरण में आप किस प्रकार के कार्य करना पसन्द करती है?

1. खेत खलिहानों में जाना 2. बाग–बगीचे लगाना 3. सब्जी लगाना 4. अन्य

37. आपके यहां खेती कैसी करते है? 1. खुद करते है 2. बटाई में 3. मजदूरी में

38. आपके यहां खेती किन साधनों से करते हैं? 1. हल से 2. ट्रैक्टर से 3. अन्य उपकरणों से

39. आप बचत का कौन साधन अपनाती है? 1. बचत खाता 2. जीवन बीमा 3. कुछ नहीं

40. क्या आप धर्म में विश्वास रखती है? 1. हां 2. नहीं

41. क्या आप अपने घर में धार्मिक संस्कार एवं कर्मकाण्डीय विधि–विधान का पालन करती है? 1. हाँ 2. नहीं

42. क्या आप शगुन, अपशगुन मानती है? 1. हाँ 2. नहीं

43. आपके गांव में कौन–कौन से मनोरंजन होते है?

1. नौटंकी 2. रामलीला 3. मन्दिर में भजन कीर्तन 4. वीडियो फिल्म 5. अन्य

(खण्ड–6)

स्वच्छता सम्बन्धी दृष्टिकोण

44. क्या बस ट्रक या अन्य वाहनों का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? 1. हाँ 2. नहीं

45. आप अपने वस्त्र कब साफ करती है? 1. दैनिक 2. साप्ताहिक 3. मासिक

46. आपके घर में सफाई की विधि क्या है? 1. मिट्टी गोबर से लीपना 2. झाडू–पोंछे द्वारा 3. वैक्युम क्लीनर

47. क्या आप यह मानती है, कि मक्खियां बीमारी फैलाती है? 1. हाँ 2. नहीं

48. वस्त्र साफ करने के साधन क्या है? 1. साबुन, सर्फ 2. मिट्टी 3. केवल पानी 4. अन्य

49. आप संक्रामक बीमारियों को क्या मानती है? 1. देवी प्रकोप 2. चिकित्सा में विश्वास

50. आप किसी रोग से पीड़ित होने पर कौन सी चिकित्सा अपनाते है? 1. होम्योपैथी 2. एलोपैथी (डाक्टरी) 3. आयुर्वेदिक 4. हकीमी या वैद्यिकी 5. घरेलू चिकित्सा 6. झाड़–फूक, तांत्रिक, ओझा, झरैना

51. क्या आपके घर में या घर के बाहर खुले गडढ़े या खुली नालियाँ है? 1. हाँ 2. नहीं

52. यदि हां तो उनसे गन्दगी न फैले उसके लिए क्या उपाय करती है?

1. फिनायल का प्रयोग 2. कीटनाशक दवा का प्रयोग

3. चूना आदि का छिड़काव 4. मिट्टी से भर देना 5. अन्य

53. क्या आप खाना ढ़क कर रखती है? 1. हाँ 2. नहीं

54. यदि हाँ तो खाना ढककर क्यों रखती है? 1. कीड़े–मकोडे न पड़ जाय 2. घूल, मिट्टी न पड़े 3. मक्खियां, मच्छर न बैठे 4. स्वच्छता की दृष्टि से 5. स्वास्थ्य की दृष्टि से

55. जब आप खाना परोसती है तो चम्मच, छन्नी कहां रखती है?

1.बर्तन के ऊपर 2. बर्तन के अन्दर 3. जमीन य चूल्हे के ऊपर 4. पानी से धोकर रखना

56. क्या नेत्र रोग एक छूआ–छूत की बीमारी है? 1. हाँ 2. नहीं

56. आप शीतला माता (मीजिलस) होने पर क्या करती है? 1. दवा करती है 2. पूजन करती है

(खण्ड–7)

पर्यावरण सम्बन्धी दृष्टिकोण

58. क्या आप ओजोन पर्त के वारे में जानती है? 1. हाँ 2. नहीं

59. क्या आप जानती है कि वायुमण्डल में कई प्रकार की गैस, सूक्ष्म जीवाणु व धूल कण होते है? 1. हाँ 2. नहीं

60. क्या तालाब के आस–पास काई, शैवाल, तलाएं, झांड़ियां फसले तथा जंगल के समस्त छोट–छोटे पौधे है? 1. हाँ 2. नहीं

61.यदि हां तो क्या इन जलीय वनस्पतियों से तालाब का पारिस्थतिक सन्तुलन सही रहता है? 1. हाँ 2. नहीं

62. क्या आप लोग गोबर को खाद के रूप में खेतों में डालती है? 1. हाँ 2. नहीं

वायु प्रदूषण

63. क्या वृक्षों से पर्यावरण शुद्ध रहता है?

64. वातावरण को शुद्ध रखने के लिए आप घर के अन्दर या घर के बाहर पौधे लगाती है? 1. हाँ 2. नहीं

65. यदि हां तो कौन से पौधे लगाना उपयुक्त समझती है?

1. बट 2. बबूल 3. महुआ 4. नीम 5.पीपल 6. फलो के 7. फूलों के 8. औषधियों के 9. तुलसी

66. ये पेड़–पौधे किस उद्देश्य से लगाती है? 1. शुद्ध वायु के लिए 2. आर्थिक लाभ के लिए 3. गर्मी में छाया के लिए 4. ईधन के उद्देश्य से 5. हरियाली के लिए 6. धार्मिक दृष्टि से

67. क्या वनो की लगातार कटाई से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? 1. हाँ 2. नहीं

68. क्या प्रदूषित वायु से कोई बीमारी होती है? 1. हाँ 2. नहीं

69. यदि हां तो कौन सी बीमारी?

1. फेफड़ों की बीमारी 2. चेवक 3. खसरा 4. प्लेग 5. त्वचा 6. नेत्र रोग 7. अन्य

70. शुद्ध वायु के लिए हमें क्या करना चाहिए 1. पौधे लगाना चाहिए 2. हरे–भरे क्षेत्रों का निर्माण करें 3. ईधन न जलायें 4. बनों का विकास 4. शौचालय आदि की उचित व्यवस्था वस्तियों से बाहर हो 6. बायो गैस इंजन स्थापित कर

71. क्या आप अपने घर औषधियुक्त पौधे लगाते है? 1. हाँ 2. नहीं

72. यदि हां तो क्या? 1. नीबू 2. पौदीना 3. धनियां 4. हल्दी 5. मूली 6. अजवाइन 7. सौफ 8. तुलसी 9. लहसुन 10. प्याज 11. मेथी 12. पालक 13. आवला 14. अन्य

73. क्या आप छोटी–मोटी बीमारियों में इन औषधियों का प्रयोग करती है? 1. हाँ 2. नहीं

74. यदि आपके घर के आस–पास, खेतों में या किसी स्थान पर पीपल या बरगद का वृक्ष है तो क्या आप उन्हें कटवा डालेंगी? 1. हाँ 2. नहीं

75. यदि नहीं तो क्यो?

1. किसी देवी देवता का वास मानती है 2. वायु शुद्ध रहती है।

3. या फिर पीपल के वृक्ष में वासुदेव का निवास मानती है 4. हरियाली की दृष्टि 5. अन्य कारण

76. क्या वायु प्रदूषण धूल, धूंए, रसायनों तथा कीटाणुओं से होता है। 1. हाँ 2. नहीं

77. क्या पेड़–पौधे वायु प्रदूषण रोकने में सहायक होते है? 1. हाँ 2. नहीं

78. क्या वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषित होती है? 1. हाँ 2. नहीं

79. क्या क्रेशर उद्योगों वायु प्रदूषित होती है?1. हाँ 2. नहीं

80. क्या लकड़ी और कोयले एवं कन्डे के घुंए से वायु प्रदूषित होती है? 1. हाँ 2. नहीं

81. क्या हवन के धुओं से वातावरण शुद्ध होता है? 1. हाँ 2. नहीं

जल प्रदूषण

82. क्या जल प्रदूषण एक गम्भीर समस्या है? 1. हाँ 2. नहीं

83. क्या बरसात के व्यर्थ पदार्थो से नदियों एवं तालाबों का जल प्रदूषित होता है? 1. हाँ 2. नहीं

84. यदि हां तो क्या इसका असर जल जीव जन्तुओं के लिए हानिकारक है? 1. हाँ 2. नहीं

85. क्या तालाब में जानवरों के नहाने से जल प्रदूषित होता है? 1. हाँ 2. नहीं

86. जिस तालाब में जानवर नहाते है क्या उस तालाब में आप लोग भी नहाती है? 1. हाँ 2. नहीं

87. आप पीने के लिए कहां का पानी प्रयोग करते है? 1. कुएं 2. तालाब 3. हैण्ड पम्प 4. नहर 5. नदियों का 6. अन्य

88 घडियाल, कछुऐं, मेढक, मछलियों आदि का तालाबों एवं नहरों में रहना जरूरी है? 1. हाँ 2. नहीं

89. यदि हां तो इन जीवों का रहना क्यों जरूरी है?

1. इनके रहने से पानी शुद्ध व स्वच्छ रहता है? 2. वन्य जीव संरक्षण के लिए 3. इनकी जातियां लुप्त न हो जाएं 4. जीवों का मारना पाप समझती है 5. अन्य

90. जिस कुए में मेढ़क अधिक होते है क्या उस कुएं का जल शुद्ध होता है? 1. हाँ 2. नहीं

91. क्या बरसात में कुंए का जल प्रदूषित हो जाता है 1. हाँ 2. नहीं

92. यदि हां तो इस पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्या कोई दवा का प्रयोग करती है? 1. हाँ 2. नहीं

93. यदि हां तो क्या? 1. ब्लीचिंग पाउडर 2. फिटकरी 3. क्लोरीन गोली 4. चूने के द्वारा 5. अन्य

94. क्या अत्यधिक वर्षा, ओला तथा कोहरे से फसलो को कोई नुकसान होता है? 1. हाँ 2. नहीं

95. क्या जल द्वारा भी बीमारियां शरीर में प्रवेश करती है? 1. हाँ 2. नहीं

96. प्रदूषित जल से कौन– कौन से रोगो के होने की सम्भावना होती है?

1.टायफाइड 2. कोलाइटि 3. हैजा 4. लीवर की वीमारियां (पीलिया)

5. चर्म रोग 6. पेट में हानिकारक कृमि (कीडे)

97. क्या पानी को मुख्य रूप से मनुष्य प्रदूषित या गन्दा करता है? 1. हाँ 2. नहीं

98. क्या प्रदूषित जल का प्रभाव पेड़–पौधों पर भी पड़ता है? 1. हाँ 2. नहीं

99. क्या फैक्ट्रियों के गन्दे जल से गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है? 1. हाँ 2. नहीं

100. आपकी राय में जल प्रदूषण को दूर किया जा सकता है? 1. हाँ 2. नहीं

मृदा प्रदूषण

101. क्या खेती में रासायनिक उर्वरको का प्रयोग करती है? 1. हाँ 2. नहीं

102. यदि हां तो कौन सी खाद? 1. डी. ए. पी. 2. यूरिया 3. गोबर की खाद 4.अन्य

103. क्या प्रदूषित मिट्टी का प्रभाव पेड़–पौधों पर भी पड़ता है? 1. हाँ 2. नहीं

104. क्या प्रदूषित मृदा में उगाई जाने वाली फसल में विषैले तत्वों की मात्रा पायी जाती है? 1. हाँ 2. नहीं

105. यदि हां तो क्या ये फसल स्वास्थ्य के हानिकारक हो सकती है? 1. हाँ 2. नहीं

106. क्या आप अपने खेतों में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करती है? 1. हाँ 2. नहीं

107. अक्सर इन रसायनों के अवशेष फूलों एवं सब्जियों आदि में शेष रह जाते है तो क्या इसका असर उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर पड़ता है? 1. हाँ 2. नहीं

108. खेतो में सिंचाई के लिए किस पानी का इस्तेमाल करते है?

1. कुंआ 2. तालाब 3. नहर 4. ट्यूबवेल 5. वर्षा का पानी 6. नाला 7. अन्य

109. क्या आपके यहां लोग बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न करते है?

1. हाँ 2. नहीं

110. क्या रसायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं से भूमि प्रदूषित होती है?

1. हाँ 2. नहीं

111. क्या बिना खाद वाली फसल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती ? 1. हाँ 2. नहीं

112. क्या कृषि कार्य में खाद का प्रयोग करने से अधिक अन्य उत्पन्न होता है?

1. हाँ 2. नहीं

113. आपके खेतों की मिट्टी प्रदूषित न हो और अधिक अन्य उत्पन्न हो इसके लिए आप क्या उपाय करती है?

1. खेतों में मेड़ बनाना 2. बन्धी चढ़ाना 3. गोबर की खद का प्रयोग 4. अन्य

ध्वनि प्रदूषण

114. क्या अधिक ध्वनि से शरीर को हानि होती है? 1. हाँ 2. नहीं

115. क्या आप रेडियों / टी0बी0 / टेपरिकार्ड की आवाज देखना या सुनना पसन्द करती है?

1. हाँ 2. नहीं

116. क्या आप बहुत तेज आवाज से परेशानी महसूस करती है? 1. चिडचिड़ापन 2. सिरदर्द 3. उलझन 4. या कान को बन्द कर लेती है

117. क्या आप जानती है कि मनुष्य कितने तेज या धीमी ध्वनि सुन सकता है?

1. हाँ 2. नहीं

118. वाहनों की तेज आवाज कैसी लगती है? 1. अच्छी 2. बुरी 3. साधारण 4. आदत पड़ गयी है 5. मानसिक तनाव

119. लगातार चलने वाली मशीनों की तेज आवाज से कैसा मसूस करती है?

1. उलझन 2. सह लेती है 3. परेशान हो उठती है 4. आदत पड़ गयी है

120. क्या आप अपने घर या पडोस के सामाजिक / धार्मिक आयोजनों में लाउड़स्पीकर का प्रयोग पसन्द करती है? 1. हाँ 2. नहीं

121. क्या आप जानती है कि तेज ध्वनि लगातार सुनने से मानसिक तनाव और याददाश्त की कमी, बहरापन तथा महिलाओं की संतानों में जन्मजात विकृतियाँ आदि हो जाता है? 1. हाँ 2. नहीं

सारिणी सूची

क्र0 सं0	सारिणी क्रमांक	सारिणी विवरण	पृ0सं0
19.	7.1	कीटनाशक दवाओं के अवशेष फलो एवं सब्जियों आदि में शेष रह जाते है तो क्या इसका असर उपभोक्ता के स्वास्थ पर पड़ता है।	
20.	7.2	औषिध युक्त पौधे उगाने सम्बन्धी जानकारी	
21.	7.3	पेयजल को शुद्ध रखने के लिए दवा का प्रयोग करना	
22.	7.4	क्रेशर उद्योगो से वायु प्रदूषण सम्बन्धी चेतना	
23.	7.5	वातावरण को शुद्ध रखने के लिए धर के अन्दर या धर के बाहर पौधे लगाती है।	
24.	7.6	खाना परोसने में चम्मच, छन्नी कहाँ रखती है।	

सदर्भ ग्रन्थ एवं लेख सूची

- अगर,डी0वी0 :''**दी नेचर आफ फोसिल रिकार्ड,प्रोसीडिंग्स आफ दी जियोलॉजिस्ट एशोशिएशन**'', 87, पी0पी0 131–60,1976,
- अल्टफादर,डब्ल्यू0एण्ड कोजियर ई0 एस0 ए0 :''**रिसोर्स इनवेन्टरी एण्ड प्लानिंग सिस्टम फॉर विल्डलाइफ एरियाज,जर्नल आफ विल्डलाइफ मैनेजमेन्ट**'',वाल्यूम, 35, पी0 पी0168–74,1971
- अग्रवाल, अनिल : ''**पर्यावरण संरक्षण के वैश्यिक प्रयास**'',परीक्षा मंथन, सामान्य ज्ञान का वार्षिक सर्वेक्षण भाग–5,19 D टैगोर टाउन इलाहाबाद, प्र0211–222/1997–98
- आजाद,चन्द्रशेखर : ''**सचित्र वन्य प्राणी और पर्यावरण**'' तक्षशिला प्रकाशन,अंसारी रोड़ दरियागंज नई–दिल्ली, प्र06–12,1993
- अनन्ताचारी, टी0 : ''**महिलाओ के विरूद्ध हिंसा का मुददा**'' आज कानपुर,. 26 जनवरी 1998
- अग्रवाल, दुर्गा प्रसाद : ''**पर्यावरण और प्रदूषण; वायु प्रदूषण**'',दामोदर शर्मा एवं घनश्याम सुखवाल, साहित्यगार जयपुर– 3, प्र0 5–9, 1996.
- अप्पा दुरई, ए0 : ''**स्टेटस आफ दी वीमेन इन साउथ एशिया,**'' कलकत्ता, आरिएन्ट लांगमैन्स, 1954,
- अस्थाना, पी0 : ''**वीमेन्स मूवमेन्टस इन इण्डिया,**'' दिल्ली : विकास पब्लिशिंग हाउस, 1974.
- अल्टेकर, ए0 एस0 : ''**पोजिशन आफ वीमेन आफ इन हिन्दू सिविललाइजेशन दी कल्चर**'' पब्लिकेशन हाउस, वी0 एच0 यू0 1938,
- अग्रवाल, अनिल : ''**हवा में तैरती मौत**'', हिन्दुस्तान, 11 नवम्बर 1997
- ओडम, ई0 पी0 : ''**फन्डामेन्टलस आफ इकोलॉजी**'', सनडरस, फिलेडेल्फिया, 1959.

- ओडम, ई0 पी0 : **"रिलेशनशिप बेटवीन स्ट्रक्चर एण्ड फंक्शन इन दा इकोसिस्टम, जापान्स जरनल आफ इकोलॉजी"**, वाल्यूम 12, पी0 पी0 108–18, 1962.
- ओडम, ई0 पी0,: **"दा न्यू इकोलॉजी, बयोसांइस"**, वाल्यूम 111 पी0 पी0 14–16, 1964
- ओडम, ई0 पी0,: **"फन्डामेन्टलस आफ इकोलॉजी"**, थर्ड एडीसन, डब्ल्यू0 वी0 सेन्डर्स, .फिलेडेल्फिया, 1971.
- ओझा, शंकरदत्त : **"नव पलाश त्रैमासिक पत्रिका,"** आयुक्त झांसी मण्डल, प्र0 9, फरवरी 1993
- इलटन, सी0 एस0 : **"एनीमल इकोलॉजी"**, यूनिवर्सिटी आफ वाशिंगटन प्रेस, वाशिंगटन, 1927
- इलटन, सी0 एस0 : **"दा इकोलॉजी आफ इनवेशन बाइ प्लान्ट एण्ड एनीमल"**, मेथन, लंदन, 1958
- इयरे, एस0 आर0 : **"दा इनटीग्रेशन आफ जॉग्रफी थ्रू शोल एण्ड वेजीटेशन स्टडी"**, जॉग्रफी वाल्यूम 49, पी0 111, 1964
- इकिनी, इन0 जी0 एस0:**"द सिटी वोटर इन इण्डिया"** अभिनव प्रकाशन नई दिल्ली, 1995
- इंटर–एजेंसी कमीशन, सर्वजन विश्व शिक्षा सम्मेलन, **"वर्ल्ड कांफेन्स ऑन एजूकेशन फॉर ऑल, मीटिंग वेसिक लर्निंग नीड्सः ए विजन फॉर द नाइनटीननाइनटीज,"** यूनिसेफ, न्यूयार्क, 1990,
- इन्द्रा, एम0 ए0: **"द स्टेटस आफ वूमेन इन इण्डिया,"** लाहौर मिनर्वा बुक शाम, 1940
- एंगेल्स, फ्रेडरिकः **"वानर के नर बनने की प्रक्रिया में श्रम की भूमिका,"**का0 मार्क्स, फे0
- एंगेल्स, फेडरिकः **"डायलेक्टिस आंफ नेचर"**, मास्को, प्रोग्रेस, पब्लिशर, प्र0 180, 1974.
- श्रीवास्तव, लोकेशः **"पर्यावरण प्रदूषण और वाहन निर्माण उद्योग,"** वायु प्रदूषण, दमोदर शर्मा, धनश्याम सुखवाल, साहित्यागार जयपुर–3 1996

- श्रीवास्तव, गोपीनाथ,: "**पर्यावरण प्रदूषण**", प्रकाशक':सुनील साहित्य सदन ए–101, उत्तरी घोड़ा दिल्ली, प्र0 46–114,1996.
- श्री देवी, एसं,: "**सेन्चुअरी आफ इण्डियन वूमेन हुड**" मैसूरःराधवन पब्लिशर्स, 1965
- कार्ल मार्क्स,: "**उजरती श्रम और पूंजी**" कार्ल मार्क्स, फे0 एंगेल्स, संकलित रचनाएं, खण्ड 1, भाग 1, मास्को, प्रगति प्रकाशन, प्र0 196, 1978
- कॉमनर, बी0 : "द क्लोजिंग सरकिल" (नेचर आफ मैन एच टेक्नोलॉजी) न्यूयार्क 1971
- कापिड़या, के0 एम0, : "**मैरिज एण्ड फेमिली इन इण्डिया**", (द्वितीय एडीसन) बाम्बे : आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 1958
- कपूर, पी0,: "**दी चेन्जिग स्टेट्स आफ वर्किग वूमेन इन इण्डिया**" देलही : विकास पब्लिशिंग हाउस, 1974
- कौर, एम0: "**रोल आफ वूमेन इन द फीडम मूवमेन्ट**" 1857–1947 दिल्ली : स्टर्लिग पब्लिसिंग हाउस, 1968
- किंग, ई0 एम0,: "**एजूकेटिंग गर्ल्स एंड वीमेन : इनवेस्टिंग इन डेवलपमेंट द वर्ल्ड बैंक**", वाशिंगटन, डी.सी., 1991
- किंग, ई0 एम0 एवं एम0, ए0 हिल0,: "**वीमेंस एजूकेशन इन डेवलेपिंग कंट्रीज, बैरियर्स, बेनिफिट्स, एंड पॉलिसी,**" पी0एच0 आर0 ई0 ई0 बैक ग्राउंड पेपर सीरीज आलेख नं0 पी एच आर ई ई /91/40, द वर्ड बैंक, वाशिंगटन, डी0 सी0, 1991
- कुमारी, सुशीला,: "**समाज कल्याण**" "**शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की उपेक्षा**", केन्द्रीय समाज
- कल्याण बोर्ड की मासिक पात्रिका नई दिल्ली, प्र0 9, मार्च 1997,
- कॉमनर, बी0,: "**द क्लोजिंग, सरकिल**" (नेचर आफ मैन एण्ड टेक्नॉलाजी), न्यूयार्क, 1971,
- कजिन्स, एम0 ई0,: "**द अवेकानिंग आफ एशियन वूमेन हुड**" मद्रास गनेश एण्ड कम्पनी,

1923.

- कार्लक्यूस्ट, एस,: "**इजलैण्ड बायोलॉजी,**" कोलम्बिया युनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1974,
- क्लीमेण्टस, एफ0,ई0,: "**प्लांट सक्सेशन,**" कार्निया इन्सटीट्यूट वाशिंगटन, पब्लिकेशन नं0 242, 1916
- क्लीमेन्टस,: "**एफ.ई. नेचर एण्ड स्ट्रक्चर आफ दी क्लीमेक्स,**" जनरल आफ इकोलॉजी, वाल्यूम 24, पी. पी. 252–84, 1936
- कूले, एम. प्लाण्टस,: "**एनीमल्स एण्ड एनवायरमेंट,**" जाग्रफीकल मैगजीन, वायल्यूम 44, पी. पी. 230–1, 1971
- खान, एम.ए. एण्ड नूर आयशा,: "**स्टेटस आफ रूरल वूमेन इन इंडिया,**" न्यू देलही, उप्पल पब्लिशिंग हाउस, 1982
- खन्ना, जी0 एण्ड एम.ए. वर्गीज, : "**इण्डियन वूमेन टुडे,**" नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस, 1976.

गेहलबैच, एफ. आर,: "**इनवेस्टीगेशन, इवोल्यूशन एण्ड प्रीओरिटी रेकिंग आफ नेचुरल एरीयाज, बायोलॉजिकल कनजरवेशन,**" वाल्यूम–8, पी.पी. 79–88, 1975,

- गोल्डस्मित, एफ.बी. : "**दा इवल्यूशन आफ इकोलॉजिकल रिर्सोसेस इन दा कन्ट्रीसाइट फार कनजरवेशन परपजेस, बायोलॉजिकल कनजरवेशन,**" वाल्यूम–8, पी.पी. 89–96, 1975.
- गुड्डी, ए.: "**दा नेचर आफ द एनवायरमेंट,**" बेसिल ब्लैकपैल पब्लिशर लिमिटेड, 331, पी.पी. 1984,
- ग्रीनबर्ग, एल.एट.एल.,: "**अस्थमा एण्ड टेम्परेचर चेन्ज:, एन एपीडेमिओलॉजिकल स्टडी आफ इमरजेंसी क्लीनिक विजिटस फार अस्थमा इन थ्री लार्ज न्यूयार्क हॉस्पिटल, अर्च, एनवायरमेंटल हैल्थ**" वाल्यूम–8, पी.पी. 642–7, 1964

- ग्रीनबर्ग,, एल.एट.एल.: **"अस्थमा एण्ड टेम्परेचर चेंज, बायोमोटियोरोलॉजी,"** वाल्यूम–2 पीटी. आई. एडस ट्राम्प, एस.डब्ल्यू. एण्ड विहे, डब्ल्यू.एच. परगेमन प्रेस, आक्सफोर्ड, पी.पी. 3–6, 1967
- ग्रगोरी, के.जे. एण्ड वेलिंग, डी. ई.: **"मेन एण्ड इनवायरमेंटल प्रोसेस, वटरवर्थ,"** लंदन, 1981,
- ग्रीन, जे.पी.,: **"वेजीटेशन क्लासीफिकेशन बाई रिफेन्स टू स्ट्रेटीग्रीज, नेचर,"** वाल्यूम 250–पी.पी. 26–31, 1974
- ग्रासमैन, एल.: **"मेन एनवायरमेन्ट रिलेशनसिप्स इन एन्थ्रोपोलॉजी एण्ड जाग्रफी, एनल्स आफ एसोसिऐट, जाग्रफर"** वाल्यूम–67, पी.पी. 126–44, 1977,
- गुप्ता, नंद किशोर, : **"आदर्श भूगोल,"** विंद्याकेन्द्र बांदा (यू.पी.) प्र0 4, 1998–99
- गेओदाक्यान, व0अ0,: **"मनुष्य और उसका प्राकतिक और उसका प्राकृतिक निवास,"** वोप्रोसी फिलॉसफी, अंक 4, प्र. 64 (रूसी) 1973
- गिल, ए.एस.,: "इकोसमाचार पर्यावरण के अनुकूल विकास का संवाद पत्र–लेख **"पर्यावरण विकास में कृषि वानिकी का योगदान"** पर्यावरण शिक्षण केन्द्र, थलतेज टेकरा, अहमदाबाद, अंक –2, प्र. 3, 1998
- गेरासिमोव, इ.प.,: **"आधुनिक विज्ञान को परिस्थितिकी की ओर मोडना एक पद्धति सम्बन्धी पक्ष"** में समाज और पर्यावरण प्रगति प्रकाशन मास्को, प्र. 56, 1986
- गोविल, एच.एन, : **"वसाव और प्रदूषण,"** के वायुप्रदूषण प्रकाश साहित्यगार जयपुर, प्र. 124–126, 1996
- गौतम, बी.डी. एस. : **"पर्यावरण और विनाश वायु प्रदूषण,"** दामोदर शर्मा घनश्याम सुखवाल, साहित्यकार, जयपुर–3, प्र. 4–10, 1996
- गोविल, एच.एन,: **"वसाव और प्रदूषण के वायु प्रदूषण,"** साहित्यगार जयपुर, प्र.

124—126—1996

- गौतम, बी.डी. एस. : "**पर्यावरण और विनाश वायु प्रदूषण,**" दामोदर शर्मा, घनश्याम सुखवाल, साहित्यागार, जयपुर—3, प्र. 4—10, 1996
- गेरासिमोव, ई.प., : "**आधुनिक विज्ञान को पारिस्थतिकी की ओर मोड़ना एक पद्धित सम्बन्धी पक्ष, समाज और पर्यावरण,**" राजस्थान पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड, चमेली वाला मार्केट, एम. आई. रोड जयपुर, प्र. 27, 1886
- गेओदाक्यान, व.अ.: "**मनुष्य और उसका प्राकृतिक निवास,**" वोप्रोसी फिलोसॉफी, अंक 4, प्र. 64, 1973
- गांधी एन.: "**द इमरजेंस आफ आटोनोमस वूमेंस ग्रुप्स,**" इन लोकायन बुलेटिन, 4.6 प्र0 84—90, 1986
- गोरे, एम.एस.: "**अरबनाइजेशन एण्ड फैमली चेंज**" बाम्बे पापुलर प्रकाशन, 1968
- घारपुर, पी.एम.: "**लाइफ एण्ड लेवर आफ फुल टाइम डोगेस्टिक सर्वेट इन पूना सिटी,**" पी—एच0डी0 थीसिस, पूना युनिवर्सिटी, 1959,
- चौहान, भवर लाल,: "**पर्यावरण प्रदूषण' वायु प्रदूषण**" दामोदर शर्मा— घनश्याम सुखवाल साहित्यागार जयपुर, प्र 15—22, 1996
- चौहान, श्यामसुंदर सिंह,: "**पर्यावरणीय एवं परिस्थितिकी की घातक आधुनिक कृषि पद्धतियां,**" प्रतियोगिता दर्पण, प्र. 75—76, अगस्त 1996.
- चट्टोपाध्याय, के0डी0,: "**द एवाकिनिक आफ इण्डियन वूमेन**" मद्रास एवरीवंस प्रेस, 1939.
- जफर, जे. एन. आर., : 'सिस्टम मॉडलिंग एण्ड एनॉलिसिस इन रिसोर्स मैनेजमेंट, जनरल आफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट,' वाल्यूम 1, पी.पी. 13—28, 1973
- जोफी, जे.एस.,: "**पेडोलॉजी, सेकेंड एडीशन,**" रटगर्स युनिवर्सिटी प्रेस, न्यू ब्रुन्सवीक,

1949.

- जोसी, वी.: "**सरदार सरोवर प्रोजेक्ट : थीसिस, एंटी थीसिस एण्ड सिनथीसिस योजना,**" वाल्यूम, 34 (10) पी.पी. 19–22, 1990,
- जॉबलर, एल.: "**एन इकोनॉमिक–हिस्टोरिकल विव आफ नेचरल रिसोर्स यूज एण्ड कनजरवेशन, इकोनॉमिक जॉग्रफी,**" वाल्यूम 38, पी.पी. 189–94, 1962
- जेक, जी.वी., एण्ड व्हाइट, आर, ओ.,: "**दा रोक आफ दा अर्थ,**" फेबर, लंदन, 1939,
- जिल कार–हैरिस,: "**पर्यावरण की एक विश्वव्यापी झांकी, रियोसम्मेलन का पुनरावलोकन**" साउथ'साउथ सोलिडैरिटी, सी–17, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई–दिल्ली, प्र. 3–60, 1995,
- जैन' डी.,: "**इंडिया वूमेन**" (इडी) नई दिल्ली,: पब्लिकेशन डिवीजन, जी.ओ., 1975,
- जैन, डी.. : "**वूमेंस क्वेस्टफार पावर, फाइव इंडियन केस स्टीडीज**'" देलही, निकास पब्लिशिंग हाउस, 1980,
- ट्रान्सले, ए.जी.,: "**दा यूज एण्ड एब्यूज आफ वेजीटेशनल कनसेप्ट एण्ड टर्म**" , इकोलॉजी, वाल्यूम, 16, पी.पी. 284, 307, 1935,
- टीवे, जे.: "**बायोजीग्राफी (सेकेंड एडीशन) लॉगमैन,**" लंदन, पी0पी0 459–1982,
- टुब्स, सी.आर. एण्ड ब्लैकवूड, जे.डब्ल्यू.: "**इकोलॉजिकल इवल्यूशन आफ लैण्ड फार प्लानिंग परपज, बायोलॉजिकल कनजरवेशन,**" वाल्यूम, 3 पी0पी0 169–72, 1971,
- ट्रगिल, एस.: "**सोल प्रोफिल प्रोसेस, इन मैन एण्ड एनवायरमेंटल प्रोसेस एडीटेड बाई के0जे0 जाग्रफी एण्ड डी.ई. वेलिंग,**" बटर बर्थ, लंदन, 1981,
- टामटेल और बर्नन गिल कार्टनः '**टाप स्वायल एण्ड सिविलजेशन,**' ' 1995,
- टिएटजेन के,: "**एजूकेटिंग गर्ल्स स्ट्रेटजोज टु इनकोज एक्सेस, परिसिस्टेंस, एंड एचीवमेंट, क्रिएटिव एसोसिएटस इंटरनेशनल,**" वाशिंगटन, डी.सी., 1991,'

- डार्विन, सी.: **"दा ओरिजन आफ स्पशीज,"** मुरे , लंदन, 1859,
- डेविस, बी.ई., पिनसेंट, आर.जे.एफ.एच.: **"मिनरलस एण्ड मॉरबीडीटी केम्ब्रिया,"** वाल्यूम 2, पी.पी. 85–93, 1975,
- डेरिक,, ई. एच.: **"एनूअल वेरिएशन इन अस्थमा इन ब्रिसबेन, इट्स रिलेशन टू वेदर, इनटरनल, जे. बायोमेट,"** वाल्यूम, 10 पी.पी. 91–9, 1966,
- डेरिक, ई. एच.: **"सॉर्ट टर्म वेरिएशन इन अस्थमा इन ब्रिसबेन, इटस रिलेशन टू वेदर एण्ड अदर फेक्टरस, इनटरनल, जे.बायोमेट,"** वाल्यूम 13,पी0पी0 295–308, 1969,
- डबहेन्सकी टी.,: इवोल्यूशन इन दा ट्रापिक्स, अमेरिकन साइन्टिस्ट, वाल्यूम, 38, पी.पी. 209–21, 1950,
- डॉउनस, ए.: **"अप एण्ड डाउन विद इकोलॉजी–दा ईशू अटेन्शन साइकिल,"** पब्लिक इनट्रस्ट, वाल्यूम 28, पी.पी. 38–50, 1972.
- डनबर, एम.जे.,: **"स्टेबिलटी एण्ड फीजलिटी इन दा आर्कटिक,"** वाल्यूम–26,पी0पी0 495–508, 1973,
- डीसूजा, ए0: **"(इडी.) वूमेन इन कन्टेन्पोरेरी इंडिया,"** देलही, मनोहर बुक सर्विस, 1975,
- त्रिवेदी, प्रियरंजन,: **"पारिस्थतिकी एवं पर्यावरण विश्वकोष ' खण्ड–7 भारतीय परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान,"** पर्यावरण परिसर नई दिल्ली, प्र. 4–45, 1995,
- त्रिवेदी, दीपक, स्वतंत्र भारत कानपुर , 1 सितम्बर 1997,
- तिवारी, डी.एन.: **"वन आदिवासी एवं पर्यावरण,"** शांति प्रकाशन, इलाहाबाद, ' प्र.30–40, 1993,
- त्रिवेदी, प्रियरंजन,: **"परिस्थितिकी एवं पर्यावरण विश्वकोष,"** भारतीय परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान, पर्यावरण परिसर–नई दिल्ली, खण्ड–8, प्र.2, 1995,
- त्रिवेदी, प्रियरंजन,: **"परिस्थितिकी एवं पर्यावरण विश्वकोष,"** खण्ड–10, प्र. 86–87,

1995,

- त्रिवेदी, एच.आर.,: **“शिडयूल्ड कास्ट वूमेन स्टडीज एक्प्लोटेशन,”** देहली कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी 1976,'
- त्रिवेदी, दीपक, स्वतंत्र भारत कानपुर, 1 सितम्बर, 1997,
- थिएसन, गेरी,: “सोशल मार्किटिंग एंड बेसिक एजूकेशन” डेवलेपमेंट कम्यूनिकेशन रिपोर्ट, नं. 69 (1990)
- दासमैन, आर.एफ.,: **“कनजरवेशन, काउंटर कल्चर एण्ड सेपरेट रियलटीज, एनवायरमेंटल कनजरवेशन,”** वाल्यूम 1 पी0पी. 133–7, 1974,
- दासमैन, आर.एफ.,: **“दा कनजरवेशन अल्टरवेटिव,”** विले, न्यूयार्क, 1975,
- दासमैन, आर.एफ.: **“एनवायरमेंटल कनजरवेशन,”** विले न्यूयार्क, 1976
- दीक्षित, के.आर.: **“ए.प्रोलॉज टू दा सिम्पोसियम आन जाग्रफी एण्ड टीचिंग आफ एनवायरमेंट, डिपार्ट आफ जॉग्रफी,”** पूना युनिवर्सिटी, 1984,
- दीक्षित, आर.डी.: **“जॉग्रफी एण्ड टीचिंग आफ दा एनवायरमेंट इन जाग्रफी एण्ड टीचिंग आफ एनवायरमेंट,”** जॉग्रफी डिपार्ट पूना युनिवर्सिटी, पी0पी0 68–83, 1984,
- दुबे, ए.,: **“ट्रन्स–यमुना रीजियन आफ इलाहाबाद डिसटिक–ए स्टडी इन एनवायरनमेंटल जाग्रफी,”** डी.फिल, डिजरटेशन जाग्रफी डिपार्ट, इलाहाबाद युनिवर्सिटी 1985,
- दासमैन, आर0 ई0, : **“द कन्जरवेशन एल्टरनेटिव,”** विले न्यूयार्क, प्र. 419, 1975,
- दुर्खीम, इमाइल,: **“दी डिवीजन आफ लेवर इन सोसाइटी'”** प्र. 246, 1893,
- दुबे, श्यामाचरण,: **“इंडियन विलेज इथ्या का न्यूयार्क”** कोर्नेल युनिवर्सिटी प्रेस।
  : मैंन्स एण्ड वोमेंस इन इंडिया–ए सोसियोलॉजिकल रिव्यू, एडिटेड, बारबरा, डी.वार्ड. वोमेंन्स इन न्यू एशिया, 1955,
- द्विवेदी, किरण,: **“गेस चैम्बर और वायु–प्रदूषण,”** वायु प्रदूषण दामोदर शर्मा, घनश्याम

सुखवाल, साहित्यागार जयपुर–3 1996,

- द्विजनंद, पी., टांगे, एम., : **"इकोसिटम एट बायेास्फियर ब्रूसेल्स,"** पी0पी0 131–148, 1967,
- देवेश,: **"प्रकृति का विध्वंसक मिजाज"**, अमर उजाला , 5 जुलाई 1998,'
- देसाई, एन.ए.,: **"वूमेन इन मार्डन इंडिया,"** बाम्बे, बोरा एण्ड कम्पनी, 1957,
- देसाई, एन.ए. एण्ड एन. कृष्णराज,: **"वूमेन एण्ड सोसाइटी इन इंडिया,"** देलही, अजंता बुक्स इंटरनेशनल, 1987,
- देसाई, एन0ए0 एवं एण्ड विभूति पटेल,: **"इंडियन वूमेन चेंज एण्ड चैलेंज' इन द इंटरनेशनल डीकेड"** , 1975, 85, बाम्बे पापुलर प्रकाशन, 1987,
- निम्पूनो, के.: **"डिससटर्स एण्ड सोसल रिस्पोंस,"** आई टी.सी. जनरल, 1989–3/4, पी. पी. 179–182, 1989,
- नोविक, इ.व.,: **"प्रकृति के साथ समाज की अंतक्रिया के अध्ययनार्थ उसूल के रूप में–इष्टतमीकरण' समाज के साथ प्रकृति की अंतक्रिया"** मास्को, नउना प्रकाश , प्र. 23–24 रूसी में) 1976,
- नीमावत, सुरेन्द्र,: **'आधुनिक सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संकट,'** अंकित दमोदर शर्मा, घनश्याम सुखवाल, वायु प्रदूषण, साहित्यागार, जयपुर, प्र0 121, 1996,
- नौटियाल, शिवानन्द,: **"गुढ़वाल की वन सम्पदा और पर्यावरण,"** सुलभ प्रकाशन, 17 अशोक मार्ग लखनऊ, प्र. 1, 1991,
- नेहरू, एस. के.: 'अवर काज' (इडी.) इलाहाबाद, किताविस्तान, 1934,
- नाग, सुधा,: **"ग्रामीण हरिजन महिलाओं में राजनीतिक चेतना"** अ.एम. फिल. शोध प्रबंध काशी विद्यापीठ, वाराणसी, 1989,
- पार्क, सी.सी.,: **"इकोलॉजी एनवारमेन्टल मैनेज़मेन्ट,"** बटरवर्थ, लंदन, 1980.

- पेरिंग एफ.एच. एण्ड फेरेल, एल,: "ब्रिटिश रेड द्वारा बुक, 1, वासकलर प्लान्ट, सोसइटी फार दा प्रमोशन आफ नेचर कनजरवेशन," लंदन, 1977.
- पीटरकिन, जी.एफ,: **"ए मेथॉड आफ ऐसेस्सिंग वूडलैण्ड फ्लोरा फार कनजरवेशन वैल्यू यूसिंग इनडिकेटर स्पेसिस, वायोलॉजिकल कन्जरवेशन,"** वाल्यूम 6, पी0पी0 239–45 1974.
- पिकरिंग, एम.ई.: **"ए न्यू एनवायरमेन्टल प्लानिंग टूल, सर्वेयोर,"** वाल्यूम 149, पी0 13 1977,
- पोलमैन्स क्रिस्चन, जे0,: **"फनसम्पशन एण्ड दा एनवायरमेन्ट, नेचरोपा,** वाल्यूम 21 पी0 पी0 23–5, 1974
- प्रेमदेव, जयप्रकाश,: **"अंर्राष्ट्रीय सम्बन्ध"** शब्दलोक मेरठ, पष्ठ 4 1993.
- पटवा, शुभु,: **"सेन्टर फार स्टडीज आफ वर्ल्ड रिलीजस हारवर्ड विश्वविद्यालय,"** क्रेम्ब्रिज, मेसाचुसेटस, अमरीका कान्फ्रेस में पढ़ा गया आलेख 'हिन्दुस्तान' 5 अगस्त, 1998.
- प्रसाद, शुकदेव,: **"पर्यावरण संरक्षण की विश्वव्यापी चेतना":** यू0डी0ए0/एल0डी0ए0, हिन्दी प्रबन्ध, प्रयास पब्लिकेशंस, इलाहाबाद, – 3 प्र. 26–29 1997.
- प्रसाद, नर्मदेश्वर: **"मानव व्यवहार तथा सामाजिक व्यवस्था"** बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना– 3, प्र0 182, 1973.
- प्रसाद नर्मदेश्वर, : **'समाजशास्त्र के मूल तत्व'** पटना, प्रे0 230, 1985.
- पंकज, सीताराम सिंह,: **"पर्यावरण प्रदूषण संकट और निवारण,"** 'कला निकेतन नवीन शाहदरा, दिल्ली, प्र0 23, 1993.
- प्राण, चन्द्रशेखर,: **"विकास के मायने"** यूनीसेफ के सहयोग से नेहरू युवा केन्द्र संगठन, 10/10 बिण्डसर प्लेस, लखनऊ, 1998.
- पाण्डेय, के.पी.,: "पर्यावरण के सन्दर्भ में शिक्षा," आज कानपुर, 27 अगस्त 1998.

- पाण्डेय, एम0,: **"वायु प्रदूषण और देशवासी,"** वायु प्रदूषण, दामोदन शर्मा, घनश्याम सुखवाल साहित्यागार जयपुर– 3, 1996.
- पुरोहित, श्याम सुन्दर,: **"वायु प्रदूषण"** दमोदर शर्मा एवं घनश्याम सुखवाल साहित्यागार जयपुर–31996
- प्रकाश, पी.,: **"वोमेन एण्ड हेल्थ : इयरजनिंग चैलेन्जस"** इन लोकायन बुलेटिन, 4 : 6, 1986.
- फेबोरोव ई0के0,: **"फ्राम डिस्क्रीप्शन आफ नेचर टू डिजाइनिंग इट, इन फिलासफी एण्ड दा इकोलौजिकल प्रॅाबलम आफ शिविलाइजेशन"**, (एडिटेडवाई ए.डी. अरसल एण्ड ट्रान्सलेटेड वाई एच.सी. क्रिघटन), प्रोग्रेस पब्लिशर मास्को, पी0 पी0 79–100, 1983.
- फोडोसीव पी0एन0,: **"दा शोसल सिगनीफिकेन्स ऑफ दा इकोलॉजिकल प्रॅाबलम इन फिलॉसफी एण्ड दा इकोलॉजिफल प्राबलम आफ सिविलाइजेशन"** (एडिटेड बाई ए0डी0 अरसल एण्ड ट्रांन्सलटेटेड बाई एच.सी. क्रिघटन), प्रोगेस पब्लिसर, मास्को, पी0पी0 1–19, 1983.
- फोथ, एच.डी.,: **"फन्डामेन्टल आफ सोल सांइसं,"** जान विले न्यूयार्क, 1978.
- फ्रेसर, डी0एफ0: **"दा यूनिटी आफ इकोलॉजी, ब्रिटिश एशोसिएशन फॉर दा एडवान्समेन्ट आफ साइंस,"** वाल्यूम 20, पी0पी0 297–306, 1963.
- फ्रीडरिचस, के0,: **"ए डिफनीशन आफ इकोलॉजी एण्ड समथॉट्स एबाउट बेसिक कनसेप्टस इकोलॉजी,"** वाल्यूम – 39, पी0पी0 154–9, 1958.
- फुर्ले, पी0ए0 एण्ड नेवे डब्ल्यू. डब्ल्यू0,: **"मेन एण्ड दा बायोस्फीयर, वटरवर्थस,"** लंदन, 1983.
- फ्रेडरिक एंगेल्स,: **"वानर से नर बनने की प्रक्रिया में श्रम की भूमिका,"** कार्ल मार्क्स, फ्रे0 एंगेल्स, संकलित रचनाएं, खंड, 3 भाग 1, मास्को,प्रगति प्रकाशन, प्र087, 1978.

- फ्योदोरोव, ये0 फ0: **"पारिस्थितिक संकट और सामाजिक प्रगति,"** मास्को, 1977.
- फ्लेबोस्का, के0: 'द चेली बेटी स्टोरी,' **चाइल्ड, फेमिली, कम्यूनिटी, सीरीजनोट्स, कमेंट्स, नं.** 177, यूनेस्को – यूनिसेफ डब्लू एफ पी, पेरिस, 1987,
- फिन, जे0डी0, जे0 रीस एवं एल, डलबर्ग,: **"सेक्स डिफरेंस, इन एजूकेशनल अटेनमेंट : द प्रोसेस,"** कम्पेरिव एजूकेशन, रिव्यू 24 (2) (पार्ट 2) 533–52,
- फ्लोरो, एम. एवं. जे.एम. बुल्फ,: **"द इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पेक्ट्स आफ गर्ल्स प्राइमरी एजूकेशन इन डेवलपिंग, कंट्रीज,"** किएटिव रसोसिएट्स इंटरनेशनल, वाशिंगटन, डी.सी.1990.
- ब्रीज, ई0,: **"वर्ड सोल्स, सैकेन्ड एडीशन,"** कैम्ब्रीज युनिवर्सिटी प्रेस, 1978.
- ब्राउन, ई0 एच,: **"मेन सैप्स दा अर्थ जॉग्रफिकल जरनल,"** वाल्यूम 136, पी0पी0 74–85, 1970.
- बादर, सी0: **"वीमेन इन एन्सियेंट इंडिया,"** लंदन : केगन पॅाल, 1925.
- बेग, टीए0: **"इडियास वीमेन पावर,"** एस: चॉद एंण्ड क0 नयी दिल्ली, 1976.
- बरेरा, ए0 : **"द रोल ऑफ मेनर्नल स्कूलिंग एंड इट्स इंटरएक्शन विद पब्लिक हैल्थ प्रोगाम्स इन चाइल्ड हैल्थ प्रोडक्शन"** जनरल आफ डेवलेपमेंट इकॉनामिक्स, 32: 69 – 91, 1990
- वेल्यू, आर.एवं ई किंग, **"प्रोमोटिंग गर्ल्स वोमेन्स एजूकेशन : लैसन्स फ्राम द पास्ट"** पी0 आर0 ई0 वर्किंग पेपर्स नं. 715, द वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन, डी0 सी0, 1991
- बेनावॉट, ए0: **"एजूकेशन, जैंडर एंड इकॉनामिक डवेलपमेंट : ए क्रास – नेशनल स्टडी,"** सोशियोलॉजी आफ एजूकेशन, 62 : 14–32, 1989.
- बैरस्टेचर, डी एवं आर कार–हिल,: **"प्राइमरी एजूकेशन एंड इकोनॉमिक रिसेशन इन दा डेवलेपिंग वर्ल्ड सिंस 1980,"**जोमटीन, थाईलैंड में 5 मार्च 1990. को हुये सर्वजन विश्व

शिक्षा सम्मेलन के लिये किया गया विशेष अध्ययन, यूनेस्को, पेरिस, 1990

- ब्रादसाव, एम0जे0: **"अर्थ दी लिविंग प्लीनेट, ई0एल0बी0 एस एण्ड हॉडर एण्ड स्टाउटन,"** 1979.
- बस, आर.जी.एच. एण्ड सॉ एम डब्ल्यू0,: **"ए स्टैन्ड राइजड् प्रोसीडर फॉर इकोलॉजिकल सर्वे,जरनल आफ एनवायरमेन्टल मैनेजमेन्ट,"** वाल्यूम 1, पी0पी0 239–58, 1973.
- ब्रेव, डी0 ए0: **"एनवायरमेन्टल इम्पेक्ट एनॉलिसिस, दी एगजाम्पल आफ दी प्रॉपोजड ट्रान्सअलास्का पीपेलिन,"** यू0 एस0 जियोलॉजिकल सरक्यूलर 695, 1974,
- बॉटकिन, डी0 वी0, एण्ड केलर ई0 ए0: **"इनवायरमेन्टल, इंस्टडीज, सी0ई0 यैरिल पब्लिसिंग कम्पनी, ए बेल एण्ड हॉवेल कम्पनी,"** कोलम्बस पी0पी0, 505, 1982.
- बेटिसी,एम0: **"डवलपिंग एण्ड फोकसिंग दी बायोस्फेयर रिजर्व कनसेप्ट, नेचर एण्ड रिसोर्सेस,"**वाल्यूम, 22 (3), पी0पी0 211, 1986.
- भारतेन्दु : **"जल विच मीन प्यासी"** विज्ञान संचार संस्थान सिविल लाइन्स, बांदा, सचकल प्रेस अतर्रा (उ०प्र०) पृ० 57, 1996.
- मैकअदर, आर.एच., फलक्टूएशनस इन एनीमल पॉपूलेशन एण्ड मोजर आफ कम्यूनिटी स्टेविलिटी, इकोलॉजी, वाल्यूम 36, पी0पी0 533–6, 1955.
- मेडोक्स, जे0: दा डूम्सडे सिन्ड्रोम, मैकग्राव हिल, न्यूयार्क, 1972.

मार्स, जी0 पी0: **"मैन एण्ड नेचर आर फिजिकल जॉग्रफी एज मोडीफाइड बाई ह्यूमन एक्शन,"** चार्लेस स्क्रीबनर, न्यूयार्क, 1864

- मेमन, सुभद्रा,: **"ईंधन कम, धुंआ ज्यादा"** इण्डिया टुडे, प्र0 41, 16 दिसम्बर, 1998.,
- मेनन, सुभद्रा,: **"जल बन रहा जहर"** इंडिया टुडे, प्र0 73, 31 मार्च, 1996
- मणि, दिनेश,: **"पर्यावरण संरक्षण, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग"** इलाहाबाद प्र0 5–24 1995.

- मसलन, जनसंख्किीविद वे0 त्स0 उर्लनिस,: **''वोप्रोसी फिलॉसफी''** {दर्शन की समस्यायें} अंक 9, प्र0 74, 1972.
- मार्टन, राबर्ट,: **''शोसल थ्योरी एण्ड सोसल स्ट्रक्चर,''** दा फ्री प्रेस ग्लेन्को, प्र0 57, 1962.
- मैंश, बी, एच. लेंट्जनर एवं एस. प्रेस्टन,: **''सोशियोइकोनॉमिक डिफरेंशियल इन मारटेलिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज''** संयुक्त राष्ट्र न्यूयार्क, 1986,
- मार्क्स,: **''उजरती श्रम और पूंजी,''** का. मार्क्स, फ्रे0 एंगेल्स, संकलित रचनाएं, खण्ड 1, भाग 1, मास्को प्रगति प्रकाशन, प्र0 196, 1978.
- मार्क्स, एंगेल्स,: **''सेलेक्टेड करेसपॉन्डेन्स,''** मास्को, पोग्रेस, पब्लिशर, पृ0 190, 1975.
- माथुर, ए0 एस0, एण्ड बी0 एल0 गुप्ताः **''प्रास्टीट्यूट एण्ड प्रास्टीट्यूशन''** आगराः रामप्रसाद एण्ड सन्स, 1955.
- मजूमदार, बी,: **''सेम्बल, आफ पावर,''** नई दिल्ली 5 एलाइड पब्लिसर्स, 1979.
- मेहता, पी0: **''इलेक्शन कम्पेन : एन टोमी आफ मास इन्फ्लुएन्स दिल्ली''** : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 1975.
- मित्तल, डी0 एन0 : **''पोजीशन आफ वूमेन इन हिन्दू ला''** कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रेस, 1913.
- यूनेस्को,: ''मैब इनफारमेशन सिस्टमः बायोस्फियर रिसर्वेस, कम्पिलेशन नम्बर 2, पी0पी0 313, 1981.
- यादव, आर.पी., दैनिक जागरण कानपुर, 24, अप्रैल 1998.
- यादव, श्यामलाल,: **''राहत की मुश्किल राह''** इंडिया टुडे प्र0 64–65, 15 जुलाई, 1996.
- यादवेन्द्र,: **''प्रमुख नगरों में वायु प्रदूषण एवं उनके उपाय,''** वायु प्रदूषण, दमोदर शर्मा, घनश्याम, सुखवाल, साहित्यागर जयपुर –3 ,1996.
- यूनेस्को रिपोर्ट, : **''वूमेन फ्राम विच हव्ट टू पोलटिक्स,''** सलेक्शन आफ आर्टिकल्स

रिप्रोडयूस्ड फ्राम कल्चर्स डायलांग बिटवीन दा पीपुल आफ द वर्ल्ड, पेरिस यूनेस्को 1985.

- यूनेस्को, : **"विश्व शिक्षा रिपोर्ट यूनेस्को,"** पेरिस, 1991.
- यूनिसेफ,: **"एजूकेटिंग गर्ल्स एंड वीमेन : ए मॉरल इम्पेरेटिव,"** 8 यूनिसेफ न्यूयार्क, 1992,
- यूनिसेफः **"स्टेट आफ द वर्ल्डस चिल्ड्रन 1992,"** यूनिसेफ, न्यूयार्क, 1992
- यंग, पी0 वी0: **"साइटिफिक सोसल सर्वे एण्ड रिसर्च प्रेनलाइस हाल आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड,"** न्यू देलही, प्र0 348, 1968.
- यादव, आर0 पी0, दैनिक जागरण कानपुर, 24 अप्रैल, 1998.
- यादव, शिवमूरत : **"पौध संरक्षण रसायनों का सन्तुलित उपयोग,"** आज' कानपुर 19 सितम्बर 1997.
- रेवेन, पी0एच0 एण्ड एक्सलरोड, आई0डी0, : **"एनजिस्पर्म वायोजीग्राफी एण्ड पास्ट कनटीनेन्टल मूवमेन्ट,"** अन,मू. बोट. गार्ड. वाल्यूम 61 (3), पी.पी. 539–673, 1974.
- रोज, ए0 डी0,: **"द हिन्दू फेमली इन इट्स अरबन सेटिंग,"** टोरन्टो युनिवर्सिटी आफ टोरन्टो प्रेस,1961.
- रिसर्च ट्राइएंगल इंस्टीट्यूट,: **"फीमेल एजूकेशन एण्ड फरटिलिटी : समरी आफ रिसर्च फाइडिंग्स आफ ब्रिजिस एंड एबल प्रोजेक्टस,"** आर.टी.आई. वाशिंगटन, डी.सी. 1990.
- रिसर्च ट्राईएंगल इंस्टीट्यूट,: **"फीमेल एजूकेशन एंड इनफेन्ट मॉरटेलिटी : समरी आफॅ रिसर्च फाइंडिग्स आफ ब्रिजिस एंड एबल प्रोजेक्ट्स,"** आर0 टी0 आई0, वाशिंगटन, डी0सी0 1990,.
- रिहानी, एम0 "गर्ल्सएजूकेशन इन दा डेवलेपिंग वर्ल्ड" सितम्बर 1990 मे टोगो मे हुये अफ्रीकी शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत आलेख, 1990.
- रिहानी, एम0: **"फाइडिंग्स ऑन गर्ल्स एजूकेशन,"** ज्ञापन, 21 जून 1991.

- रस्तोगी, एस0 सी0,: **"ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम तकनीकी मार्ग दर्शिका उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशायल 31,"** विश्वेश्वर नाथ रोड, लाल बाग, लखनऊ, 1991.
- रामप्यारे,: **"हरिजन युवकों का सामाजीकरण,"** शोध प्रबन्ध पी0एच0डी0यू0 (अप्रकाशित), 1981.
- रास, एलिन डी0: **"दी हिन्दू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी,"** प्रेस बाम्बे,1961.
- राठौड़ उत्तम सिंह,: **"नगरीय प्रदूषण, वायु प्रदूषण,"** दामोदर शर्मा, घनश्याम सुखवाल, साहित्यागार जयपुर – 3, 1966.
- रांका, ललित कुमार,: **"धरती की जीवन खतरे में,"** 'आज' 31 मई, 1998.
- लिन्डमैन, आर0 एल0, ट्राफिक–**"डिनामिक एस्पेक्ट्स आफ इकोलॉजी,"** इकोलॉजी, वाल्यूम 23 पी0 पी0 399– 418, 1942.
- लास्कोरिन, व0न0,: **"औद्योगिक विकास और पर्यावरण की सुरक्षा,"** समाज और पर्यावरण पीपुल्स पब्लिसिंह हाउस प्रा. लिमिटेड नई दिल्ली, प्र0 127, 1986
- लोवेल,सी, एच. एवं के फातिमा,: **"द ब्राक नॉन फार्मल प्राइमरी एजूकेशन प्रोग्राम इन बंगलादेश एसाइनमेंट चिल्ड्रन,"** यूनिसेफ, न्यूयार्क, 1989.
- लेनिन, वी.ई.: **"मार्क्सिस्ट विव ऑन दा अग्रेरियन क्वेशचन इन यूरोप एण्ड इन रसिया,"** कलेक्टेड वर्क, वाल्यूम– 6 मास्को, प्रोग्रेस पब्लिशर, पृ0 344–45 1974.
- वार्मिंग, ई0: **"ओइकोलॉजी आफ प्लान्ट,"** ओ यू पी, आक्सफोर्ड, 1905,
- वीटाकेयर, आर. एच,: **"कन्सीडरेशन आफ क्लीमेक्स श्चोरी दी क्लीमेक्स एज ए पापूलेशन एण्ड पेटर्न, इकोलॉजिकल मोनोग्राफ,"** वाल्यूम 23, पी0पी0 41–78, 1953.
- बाजपेयी, नवीन चन्द्र,: **" उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण : समस्याएं एवं निदान",** उत्तर प्रदेश संदेश, प्र0 26–27 अप्रैल – 1997.

- विश्नोई, हरि, : **"पर्यावरण के प्रति चेतना जागानी होगी"** उत्तर प्रदेश संदेश, प्र0 19, मई–जून, 1996.
- वेर्नादस्की, व0ई0, **"पृथ्वी के जैव, मंडल और उसके आस–पास की रासायनिक संरचना,"** मास्को नउका प्रकाशन, पृ0 328, 1965.
- वित्तल, नलिनी, **"कम्यूनिकेशन फार रूरल डवलपमेण्ट,"** कुरुक्षेत्र, प्र0 19–21, 16 मई 1980.
- विलियन, जे0 गुड एण्ड हॉट, **"'मेथीड इन शोसल रिसर्च, ग्रीव–हिल,"** बुक कम्पनी, न्यूयार्क, प्र0 232, 1952.
- सीमन्स, आई0 जी0, **"इकोलॉजी एण्ड लैण्ड यूज, ट्रानसक्शन आफ दा इन्सटीट्यूट आफ ब्रिटिश जाग्रफर"**, वाल्यूम 38, पी0 पी0 59–72, 1966.
- सीमन्स, आई0 जी0 : **"दा इकोलॉजी आफ नेचर रिसोर्सेस, एडवर्ड अरनोल्ड"**, लंदन, 1974.
- सीमन्स, आई0 जी0 : **"वायोजी ग्राफिकल प्रोसेस, जार्ज अलेन एण्ड उनविन"**, लंदन, 1982. : जाग्रफी एण्ड एनवायरमेंट : रिटोस्पेक्ट एण्ड प्रोस्पेक्ट इन जाग्रफी एण्ड टीचिंग आफ एनवायरमेंट, डिपार्ट आफ जाग्रफी, पूना युनिवर्सिटी, पी०पी० 12–22, 1984.
- सिह जे0 : जॉग्रफी एण्ड एनवायारमेन्ट : रिटोस्पेक्ट एण्ड प्रोस्पेक्ट इन जाग्राफी एण्ड टीचिंग आफ एनवायरमेन्ट, डिपार्ट आफ जाग्रफी, पूना युनिवर्सिटी, पी0पी0. 12–22, 1984.
- सीमन्स, एन0 एण्ड जिरोनडेट, पी0 : **"लास्ट सरविर्वोस–दा नेचरल हिस्ट्री आफ एनीमल्स इन डेन्जर आफ एक्सटिकनक्शन"**, स्टेफेन्स, लंदन, 1970.
- सिंह जे0 : सिंह जे एण्ड सिंह डी0एन0, : एन इनट्रोड्क्शन टू अवर अर्थ एण्ड एनवायरमेण्ट, ईडी एस सी, वाराणसी, 1988.
- सिंह, एल0 आर. सिंह, सविन्द्र, तिवारी, आर0सी0 एण्ड श्रीवास्तव, आर0पी0 : **"एनवायरमेन्टल**

मैनेजमेन्ट एडीटेड, इलाहाबाद जॉग्रफिकल सोसाइटी", जाग्रफी डिपार्ट इलाहाबाद युनिवर्सिटी, 1983.

- सिंह, सविन्द्र एण्ड दुबे, ए0 : " **एनवायरमेन्टल मैनेजमेन्ट सम न्यू डिमेन्सियनस, इन एनवायरमेन्टल मैनेजमेन्ट एडीटेड",** वाई एल0आर0 सिंह एट एल इलाहाबाद जॉग्राफीकल सोसाइटी, जॉग्रफी डिपार्ट, इलाहाबाद युनिवर्सिटी पी0पी0 72–86, 1983.
- स्टूडर्ट, डी0 आर0, **"जॉग्रफी एण्ड द इकोलॉजिकल एप्प्रोऐच – द इकोसिस्टम एज ए जाग्रफिकल प्रिन्सिपल एण्ड मैथॉड",** जॉग्रफी, वाल्यूम 50, पी0पी0 242–51, 1965.
- स्ट्रलर ए0 एन0 एण्ड स्ट्रेलर ए0 एच0 : " **जाग्रफी एण्ड मैन्स एनवायरमेन्ट, जॉन वेली",** न्यूयार्क, 1976.
- सेंगर, शिवराज सिंह, **"पर्यावरणीय शिक्षा"** साहित्य प्रकाशन आगरा प्र0 7–94, 1996.
- सिंह, सविन्द्र, : **"पर्यावरण भूगोल"** प्रयाग पुस्तक भवन 20–ए यूनिवर्सिटी रोड इलाहाबाद, प्र0 424–430, 1991.
- सिंह, सविन्द्र, : **"पर्यावरण भूगोल"** प्र0 320–42, 1991.
- सरावगी, अरुण कुमार : **"बढ़ती हुई जनसंख्या एवं पर्यावारण"** नेहरू युवा केन्द्र, झांसी, 1989.
- सिंह, योगेन्द्र : " **मार्डनाइजेशन आफ इंडिया"** रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1986.
- शर्मा, शंकर दयाल, : " **शिक्षा के आयाम"** प्रभात प्रकाशन दिल्ली – 6 पृ0 36, 1995.
- शर्मा, शंकर दयाल, : " **चेतना के स्त्रोत "** प्रभात प्रकाशन दिल्ली– 6, पृ0 85, 1995.
- सारस्वत, मालती, : " **शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा "**, आलोक प्रकाशन लखनऊ, प्र0 450,1994.
- शर्मा, मुकेश कुमार, **"प्रदूषण एवं यातायात"** वायु प्रदूषण, दामोदर शर्मा, घनश्याम सुखवाल, साहित्यगार, जयपुर – 3, 1996.,

- सुमन, अशोक, : " **औद्योगिक विकास और पर्यावरण प्रदूषण**" वायु प्रदूषण, दामोदर शर्मा, घनश्याम सुखवाल, साहित्यगार जयपुर – 3पृ0 176–182, 1996.
- शिवा, वन्दना, : " **पर्यावरण एवं सुरक्षा, वायु प्रदूषण**" दामोदर शर्मा एवं घनश्याम सुखवाल साहित्यागार जयपुर – 3 1996.
- स्मिर्नोव, स0 न0, : " **भौतिक उत्पादन का विकास और प्रकृति के साथ समाज की अंर्तक्रिया को अनुकूलतम बनाना समाज और पर्यावरण**" पीपुल्स पब्लिसिंग हाउस (प्रा0) लिमिटेड 5 ई0 रानी झांसी रोड, नई दिल्ली, प्र0 162, 1986.
- सहगल, ललित, : " **लड़कियों की शिक्षा को कैसे बढ़ावा दें' कारगर नीतियां और कार्यक्रम** ", सम्पादक – संयुक्त राष्ट्र बाल कोष 73, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली, प्र0 32, 1993.
- सेन, एन.बी., : " **डिवलपमेन्ट आफ वूमेन्स**" एजूकेशन इन न्यू दिल्ली : न्यू बुक सोसायटी, 1986.
- सेन गुप्ता, पी0 वूमेन : " **वर्कर आफ इण्डिया**", बाम्बे एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1960.
- शर्मा के0 : " **वूमने इन स्ट्रगल : ए केश स्टडी आफ द चिपको मूवमेन्ट इन सैन्य शक्ति**", वाल्यूम, प्रथम, (2), पी0पी0 55–62, 1984.
- सिन्हा, के0, "**रोल आफ इण्डिन वूमेन इन पॉलिटिक्स एण्ड ट्रेड**" इन जनता, वाल्यूम 29–43, दिसम्बर 8, 1974.
- सोनी, अशोक कुमार, : "**पर्यावरण असन्तुलन विकलांगता का मूल कारण**", 'आज' पृष्ठ 1, 24 फरवरी, 1998.
- सिंह, महातिम, " **भूमि संरक्षण आवश्यक क्यों**", 'आज' 3 अप्रैल, 1998.
- सिंह, महातिम, " **एकीकृत पादप पोषण पद्धति** " आज (कानपुर), 26 दिसम्बर, 1997.
- सिंह, उदय प्रताप, " **बदलते परिवेश में कृषि के लिये चनौतियां एवं सम्मावनाएं**" 'आज' कानपुर, 12 अक्टूबर, 1998.

- शलॉक, आर.एल.: "**मैन एज ए जोलॉजिक एजेन्ट विदरबाई,**" लंदन, 1922.
- सिंह, सविन्द्रः "**फ्लूड हजार्ड एण्ड एनवायरमेन्टल डिग्रेडेशन : ए केश स्टुडी आफ दा गोमती रिवर, इन एनवायरमेन्टल मेनेजमेन्ट**" (एडीटेड वाई एल.आर. सिंह) इलाहाबाद जॉग्रफिकल सोसाइटी, जॉग्रफी डिपार्ट, इलाहाबाद युनिवर्सिटी, पी0पी0 271–286, 1983.
- शूमाखर, ई0 एफ0: "**स्माल इज ब्यूटिफुल,**" 1995.
- शुक्ल, मत्स्येन्द्रनाथः "**पर्यावरण परिदृश्य**" राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इलाहाबाद, 1992–93.
- सिंह सविन्द्र : "**पर्यावरण भूगोल**" प्रयाग पुस्तक भवन 20–ए युनिवर्सिटी रोड इलाहाबाद, पृ0 51, 1991.
- शर्मा, दामोदर, घनश्याम सुखवालः "**वायु प्रदूषण**" साहित्यागार जयपुर, प्र0 15–22, 1996.
- सलमानी, जे0 ए0: "उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सन्तुलन बनाने के प्रयास" उत्तर प्रदेश, प्र0 25, मार्च जून, 1995
- सिंदोरेंको, अ0 व0, सोवियत संघ में पर्यावरण की सुरक्षा और प्रकृतिक साधनों का तर्क संगत उपयोग समाज और पर्यावरण पीपुल्स पब्लिसिंग हाउस (प्रा0) लिमिटेड, नई दिल्ली प्र0 27–34, 1986
- खुखवाल, घनश्याम,: "**हमारा पर्यावरण वायु प्रदूषण**" साहित्यागार जयपुर, प्र0 1–23, 1996,
- शुक्ल, मत्स्येन्द्र नाथ : "**पर्यावरण परिदृश्य**" राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इलाहाबाद, प्र0 2, 1992–93.
- हेगेट, पी0 : "**जाग्रफी– ए मार्डन सिथेसिस हार्पर एण्ड रो**" न्यूयार्क, 1972.
- हेनसेन, जे0बी0 एण्ड पेडरसन, एस0 ए0 : "**दा रिलेशन बेटवीन बारोमेट्रिक प्रेसर एण्ड दा इनसी डेन्स आफ परकॉरेटेड ड्यूडेनल अलसर, इनटरनल जे0 बायोमेट**" वाल्यूम

— 16, पी0 पी0 85—91, 1972.

- हसीजूमे एम0 : " **दा प्रेसेन्ट स्टेट आफ नेचुरल हाजार्ड आइडे न्टीफिकेशन एण्ड इन्टरनेशनल कॉपरेशन, इन एरोस्पेश सर्वे एण्ड नेचुरल डिजस्टर रिडक्शन**, आई टी सी जरनल, 1989, 314 पी0 पी0 165—168, 1989.
- हेवेस, आर0ए0 एण्ड हड्सन, आर0जे0 : " **ए मेथॉड फार रीजिनल लैण्डस्केपस इवल्यूशन, जरनल फार सोल एण्ड वाटर कनजरवेशन**, वाल्यूम 31, पी0पी0 209 — 11 1976.
- हेलीवेल, डी0 आर0 : " **वाल्यूएशन आफ विल्डलाइफ रिर्सोसेस, रीजनल स्टूडीज**, वाल्यूम 3, पी0पी0 41—7, 1969.
- हेविट के0 एण्ड हेयर, एफ0 के0 : " **मेन एण्ड इविरॉनमेन्ट, कनसेप्ट्अल फ्रेमवर्कस, कमीसीअन आन कालेज** जाग्रफी रिर्सोस पेपर, 20, 1973.
- हॉब्स, जे0ई0 : " **एप्पलाइड क्लीमेटोलॉजी**, वटरर्वोथस, लंदन, 1980.
- हॉलीमेन, जे0 : " **कनसमरस गाइड टू द प्रोटेक्शन आफ दा एनवायरमेन्ट, पेन्ट/बेलेनटिन**", लंदन, 1974.
- हडसन, एन0 डब्लू0 : " **सोल इरोसिअन एण्ड ट्पेको ग्रोविंग, रोडीसिया ऐगरिक जनल**, वाल्यमू, 54, पी0 पी0 547—55, 1957.
- हैजर. नॉएलीन, : " **सारी दुनिया में बर्बर हिंसा का शिकार है — स्त्रियां**" स्वतंत्र भारत, 22 फरवरी : 1998.
- हिमांशु , : " **वायु प्रदूषण एवं युद्ध**, वायु प्रदूषण, दामोदर शर्मा एवं घनश्याम सुखवाल साहित्यागार जयपुर — 3 1996.
- हर्ज, बी0के0 सुब्बाराव, एम हबीब एवं एल. राने, : " **लैटिंग गर्ल्स लर्न : प्रोमिजिंग एप्रोचिज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजूकेशन**. वर्ल्ड बैंक डिस्कशन, पेपर्स नं. 133 द

वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन, डी.सी. 1991.

- हार्न, आर. : " **क्वालिटेटिव इंडिकेटर डेवलपमेंट फॉर एजूकेशन सेक्टर परफॉरमेन्स इन सब सहरान एफ्रिका,** अवधारणा पत्र, 1991.
- हाटे, सी0ए0, : " **चेन्जिग स्टेटस आफ वूमेन इन पोस्ट इण्डिपेन्डेन्स इडिया** बाम्बे, एलाइड पब्लिसर्स, 1969.
- 'आज' (कानपुर), 5 अक्टूबर 1998
- 'आज' (कानपुर), 25 दिसम्बर1997.
- 'आज' (कानपुर), शीर्षक– " **दम तोड़ रही यमुना,** 31 मई 1998
- 'आज' (कानपुर), 28 अप्रैल, 1998.
- 'आज' (कानपुर), 15 अक्टूबर, 1998.
- 'आज' (कानपुर) " सहस्त्राब्दि के लिये प्रदूषण मुक्त वाहनों की दस्तक, प्र0 12 23 नवम्बर, 1999.
- अमर उजाला, (कानपुर), 22 अगस्त 1997.
- 'आज' (कानपुर) पृष्ठ, 9, 19 दिसम्बर 1998.
- दैनिक जागरण वाराणसी, इलाहाबाद, 31 दिसम्बर, 1997.
- दैनिक जागरण वाराणसी, इलाहाबाद, पृष्ठ 4, 10 मार्च 1998

प्रदूषित पर्यावरण

दलदली गढ्ढा बडोखर बुजुर्ग ग्राम

प्रदूषित पर्यावरण

'कूडे का ढेर' मलहरा निवादा

प्रदूषित पर्यावरण

गंदा नाला बस्ती बडोखर बुजुर्ग

प्रदूषित पर्यावरण

ग्राम बडोखर बुजुर्ग

प्रदूषित जल

गंदा गैरी तालाब-बडोखर बुजुर्ग

जल प्रदूषण

बाबा तालाब- बडोखर बुजुर्ग ग्राम

जल प्रदूषण

गंदा तालाब– मलहरा निवादा के बस्ती प्रारम्भ में

प्रदूषित तालाब

प्रदूषित तालाब मलहरा निवादा

जल प्रदूषण

डोमरउडा मुहल्ला- निवादा ग्राम

वायु प्रदूषण

स्टोन क्रेशर मलहरा निवादा के समीप

‘धूल कणों से वायु प्रदूषण’

स्टोन क्रेशर मलहरा निवादा

तुलसी ग्रामीण बैंक

बस स्टाप- बड़ोखर बुजुर्ग

तुलसी ग्रामीण बैंक

बस स्टाप- बड़ोखर बुजुर्ग